56वीं वार्षिक रिपोर्ट
2025-26

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
BHARAT DYNAMICS LIMITED







भारत की रक्षा क्षमता को नया आयाम

शांति की सशक्त प्रहरी शक्ति

भारत डायनामिक्स लिमिटेड, 56वॉ वार्षिक विवरण 2025-26
लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रपत्र

अधिप्रमाणित

रक्षा राज्य मंत्री

BHARAT DYNAMICS LIMITED, 56TH ANNUAL REPORT 2025-26
PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF LOK SABHA / RAJYA SABHA

AUTHENTICATED

RAKSHA RAJYA MANTRI



विषय-सूची

कॉरपोरेट परिचय

हमारा परिचय	2
कंपनी संबंधी जानकारी	3
निदेशक मंडल के सदस्यगण	5
मुख्य वित्तीय बिंदु	6
दस वर्षों का संक्षिप्त अवलोकन	10
अध्यक्ष की कलम से...!	12

वैधानिक प्रतिवेदन

निदेशक मंडल का प्रतिवेदन	16
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन	40
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	49
कॉरपोरेट प्रशासन पर प्रतिवेदन	62
सचिवीय लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	83

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	87
तुलन-पत्र	106
लाभ-हानि विवरण	107
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	108
नकदी प्रवाह विवरण	109
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों संबंधी जानकारी	110
वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग के रूप में टिप्पणियाँ	123

शांति की सशक्त प्रहरी

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) अपने स्थापना काल से ही विभिन्न प्रकार की निर्देशित मिसाइलों और संबद्ध रक्षा उत्पादों के विकास एवं निर्माण के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं की सेवा में समर्पित रही है। कंपनी स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से इन उत्पादों का विकास एवं निर्माण करती है। आज कंपनी नवीनतम प्रौद्योगिकियों से युक्त मिसाइल प्रणालियों की अग्रणी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है तथा भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ-साथ मित्र देशों को भी इनकी आपूर्ति करती है।



भारत की रक्षा क्षमता को नया आयाम

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) पाँच दशकों से अधिक समय से भारत के मिसाइल रक्षा तंत्र की एक सुदृढ़ आधारशिला बनकर राष्ट्र की सेवा में निरंतर अग्रसर है। वर्ष 1970 में एकल उत्पाद के असेंबली संचालन से आरंभ हुई इसकी यात्रा आज बहु उत्पाद और बहु स्थान हथियार प्रणालियों के एकीकृत विकास और निर्माण तक विस्तार पा चुकी है। कंपनी की प्रणालियाँ भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों शाखाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ मित्र देशों तक भी पहुँच रही हैं। इस वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की विषयवस्तु 'भारत की रक्षा क्षमता को नया आयाम' इसी विकास यात्रा को रेखांकित करती है, जिसमें कंपनी लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण की सीमाओं से आगे बढ़कर स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्यात के नए क्षितिजों तक पहुँची है।

रक्षा क्षमता को नया आयाम देना एक सतत प्रक्रिया है। इसका प्रमाण उस निर्णय में मिलता है, जिसके तहत राजस्व में कमी वाले वर्ष में भी अनुसंधान के लिए लगभग ₹200 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया, तीन नई सुविधाओं के माध्यम से विनिर्माण क्षमता का विस्तार किया गया और वास्तविक परिस्थितियों में बीडीएल की प्रणालियों का परिचालन सत्यापन किया गया। यह सुदृढ़ कार्यशील पूंजी अनुशासन, ऋण मुक्त तुलन पत्र और लगातार लाभांश भुगतान में भी दिखाई देता है। यह प्रतिवेदन उस वर्ष का लेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) ने भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की नींव को मजबूत किया। यह कार्य केवल महत्वाकांक्षा के बल पर नहीं, बल्कि हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रदर्शित और मापनीय प्रगति के माध्यम से किया गया।



हम कौन हैं

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) की स्थापना 1970 में हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उपक्रम है और सरफेस टू एयर मिसाइल्स (एसएएम), एयर टू एयर मिसाइल्स (एएएम), एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल्स (एटीजीएम), टॉरपीडो तथा संबद्ध रक्षा उपकरणों का निर्माण करता है। कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और वर्तमान में इसके तीन विनिर्माण संयंत्र हैं, जो तेलंगाना राज्य के कंचनबाग, हैदराबाद; तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले के भानूर तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित हैं। बीडीएल महाराष्ट्र के अमरावती, तेलंगाना के इब्राहिमपटनम तथा उत्तर प्रदेश के झाँसी में अतिरिक्त सुविधाएँ स्थापित करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने चुनिंदा रक्षा उपकरणों का निर्यात भी शुरू कर दिया है तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ रणनीतिक गठजोड़ किए हैं। 31 मार्च, 2026 तक कंपनी में 2,101 कर्मचारी कार्यरत थे और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने ₹2,442 करोड़ का शुद्ध बिक्री कारोबार दर्ज किया। हमारे उत्पादों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://bdl-india.in/products पर जाएँ।



उद्देश्य

निर्देशित मिसाइल और पानी के भीतर निर्देशित हथियारों की प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनना।

मौजूदा उत्पादन क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करना।



दृष्टि

रक्षा उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों की गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करने वाला विश्वस्तरीय उपक्रम बनना।



ध्येय

एयरोस्पेस और पानी के भीतर हथियारों के उद्योग में एक अग्रणी निर्माता के रूप में स्वयं को स्थापित करना तथा एक विश्वस्तरीय, अत्याधुनिक वैश्विक उपक्रम के रूप में उभरना, जो देश की सुरक्षा-व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए समाधान उपलब्ध कराए।

कॉरपोरेट जानकारी

कॉरपोरेट कार्यालय

प्लॉट नं. 38-39, टीएसएफसी बिल्डिंग,
आईसीआईसीआई टावर्स के निकट
गच्चीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद-500032

दूरभाष: 040-23456173 फैक्स: 040-23456107

ई-मेल: investors@bdl-india.in

वेबसाइट: https://bdl-india.in

पंजीकृत कार्यालय

कंचनबाग डाक, हैदराबाद – 500058
तेलंगाना, भारत

ईपीएबीएक्स: 040-24587466 एवं 040-24587777
फैक्स: 040-24340464

ई-मेल: bdlitd@bdl-india.in

वेबसाइट: https://bdl-india.in

निदेशक मंडल

कमोडोर ए. माधवराव (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(30.04.2026 तक)

श्री डी.वी. श्रीनिवास राव
निदेशक (तकनीकी) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
(01.05.2026 से 08.07.2026 तक)

श्री जी. गायत्री प्रसाद
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

श्री पी.वी. राजा राम
निदेशक (उत्पादन)
(30.09.2025 तक)

कमोडोर सुजय कपूर (सेवानिवृत्त)
निदेशक (उत्पादन)
(06.03.2026 से नियुक्त)

श्री यू. राजा बाबू, डीजी (एमएसएस)
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री अमित सतीजा, संयुक्त सचिव (डीआईपी)
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(14.07.2025 से पदमुक्त)

श्रीमती मीरा मोहंती, संयुक्त सचिव (पीएंडसी)
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(14.07.2025 से नियुक्त)

श्री यशवंत लाल
स्वतंत्र निदेशक
(24.02.2026 से पदमुक्त)

श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया
स्वतंत्र निदेशक
(22.04.2026 से पदमुक्त)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती स्फूर्ति रेड्डी, आईआरएस (सीएंडआईटी: 2011)

कंपनी सचिव

श्री एन. नागराजा

वरिष्ठ प्रबंधन

कमोडोर गिरीश रघुनाथ प्रधान (सेवानिवृत्त)
कार्यकारी निदेशक (प्रमुख-केबीयू)

श्री एम. रवि
कार्यकारी निदेशक (यूएच-केबीयू, आईबीयू एवं पीएसजी)
(30.09.2025 को सेवानिवृत्त)

श्री एल. किशन
कार्यकारी निदेशक (यूएच-बीयू)

श्री एम. विनोद कुमार
महाप्रबंधक (विपणन, व्यवसाय विकास एवं कॉरपोरेट सेवाएँ)

श्री एन. सत्यनारायण
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
(31.03.2026 को सेवानिवृत्त)

श्री जी. चीना
महाप्रबंधक (एनपी एवं ओपी)

श्रीमती वाई. उषाश्री
महाप्रबंधक (एसएएम)

श्री के. श्रीहरि
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री एम. संपत कुमार
महाप्रबंधक (कॉन्कर्स-एम)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स तेज राज एंड पाल
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी
कॉस्ट अकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स सी.वी. रेड्डी के. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स सारथ एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

मेसर्स आरएसएम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

मेसर्स आर.के. दोशी एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

मेसर्स कोमांडूर एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कर सलाहकार

मेसर्स बंसल एंड डेव
आयकर सलाहकार

मेसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स
जीएसटी सलाहकार

विधिक सलाहकार

श्रीमती वी. उमा देवी

श्री डी. रवि शंकर राव

श्रीमती डी. राधिका

बैंकर्स

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
यूको बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

सेबी पंजीकरण संख्या: INR000002532

4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

टेलीफोन: +91 11 42541234
फैक्स: +91 11 41543474

ई-मेल: rta@alankit.com

वेबसाइट: https://alankitassignments.com



निदेशक मंडल

(17 अगस्त 2026 तक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री शैलेश वागेरवाल
(09 जुलाई 2026 से नियुक्त)

सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्रीमती मीरा मोहंती, आईएएस
संयुक्त सचिव (पीएंडसी)
(14.07.2025 से नियुक्त)

पूर्णकालिक निदेशक



श्री डी.वी. श्रीनिवास राव
निदेशक (तकनीकी)



श्री जी. गायत्री प्रसाद
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ



कमोडोर सुजय कपूर (सेवानिवृत्त)
निदेशक (उत्पादन)
(06.03.2026 से नियुक्त)

स्वतंत्र निदेशक



श्री अंकुश मुंजाल
(17 अगस्त, 2026
से नियुक्त)



श्री पंकज जोशी
(17 अगस्त, 2026
से नियुक्त)



श्रीमती वंदना अग्रवाल
(17 अगस्त, 2026
से नियुक्त)

कंपनी सचिव



श्री एन. नागराजा

वित्तीय मुख्य बिंदु

वित्त वर्ष 2016-17

विस्तार एवं विरासत

- राजस्व ₹4,887 करोड़ के पार *(दशक में सर्वाधिक)*
- नेटवर्थ ₹2,000 करोड़ से अधिक
- कर्मचारियों की संख्या 3,182 तक पहुँची
- विरासत में मिले मिसाइल कार्यक्रमों का सशक्त क्रियान्वयन

वित्त वर्ष 2017-18

उत्कृष्ट विनिर्माण प्रदर्शन

- उत्पादन मूल्य ₹4,641 करोड़
- बड़े पैमाने पर आपूर्ति क्षमता का प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2018-19

अगली पीढ़ी के लिए तैयारी

- पारंपरिक से उन्नत प्रणालियों की ओर अग्रसर
- राजस्व ₹3,069 करोड़
- अनुसंधान एवं विकास निवेश की औपचारिक निगरानी की शुरुआत

वित्त वर्ष 2019-20

वैश्विक क्षितिज का विस्तार

- निर्यात रणनीति को मिली गति
- पूंजी नियोजित ₹3,192 करोड़ के स्तर पर पहुँची
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपस्थिति को सुदृढ़ करना
- दशक में सबसे न्यूनतम इन्वेंटरी स्तर

वित्त वर्ष 2020-21

चुनौतियों के बीच दृढ़ता

- महामारी के दौरान परिचालन जारी रहा
- लाभप्रदता बनी रही और निर्बाध लाभांश जारी रहा

वित्त वर्ष 2021-22

विकास का पुनरागमन

- राजस्व बढ़कर ₹2,817 करोड़ हुआ
- सर्वाधिक ईबीआईटीडीए मार्जिन: 25.8%
- नेटवर्थ ₹3,000 करोड़ के पार
- अनुसंधान एवं विकास निवेश में तेजी की शुरुआत

वित्त वर्ष 2022-23

भविष्य की क्षमता का निर्माण

- मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन तैयार
- लाभांश भुगतान 48.6% तक पहुँचा
- नेटवर्थ बढ़कर ₹3,212 करोड़ हुआ

वित्त वर्ष 2023-24

लाभप्रदता का मील का पत्थर

- सर्वाधिक पीएटी: ₹613 करोड़
- आरओई 17.9% के उच्चतम स्तर पर पहुँचा
- अनुसंधान एवं विकास ₹75 करोड़ के पार
- ऑर्डर बुक का तेजी से विस्तार शुरू

वित्त वर्ष 2024-25

तेजी से बढ़ता विकास

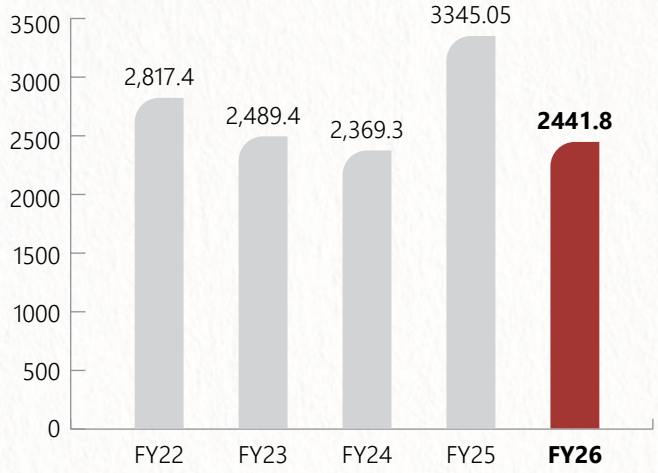
- राजस्व में 41% की वृद्धि
- निर्यात में 689% की बढ़ोतरी
- ₹6,668 करोड़ के नए ऑर्डर
- ऑर्डर बुक बढ़कर ₹22,814 करोड़
- स्टॉक स्प्लिट: ₹10 से घटकर ₹5 अंकित मूल्य

वित्त वर्ष 2025-26

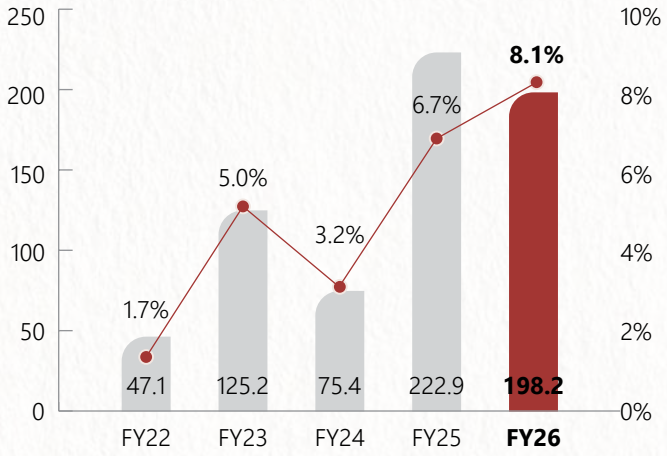
भविष्य के लिए तैयार

- ऑर्डर बुक बढ़कर ₹26,176 करोड़
- अनुसंधान एवं विकास तीव्रता टर्नओवर के 8.1% तक पहुँची
- पीएटी मार्जिन बढ़कर 17.2% हुआ
- नेटवर्थ ₹4,241 करोड़ के पार
- ट्रेड रिसीवेबल्स का अब तक का न्यूनतम स्तर

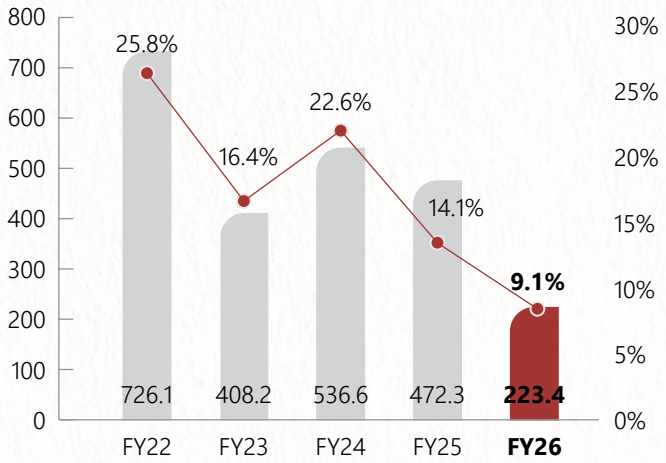
परिचालन से राजस्व (₹ करोड़ में)



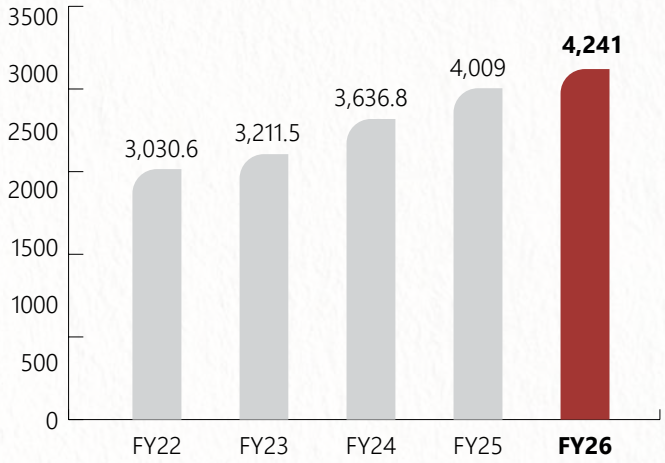
अनुसंधान एवं विकास व्यय (₹ करोड़ में) एवं राजस्व में अनुसंधान एवं विकास का प्रतिशत



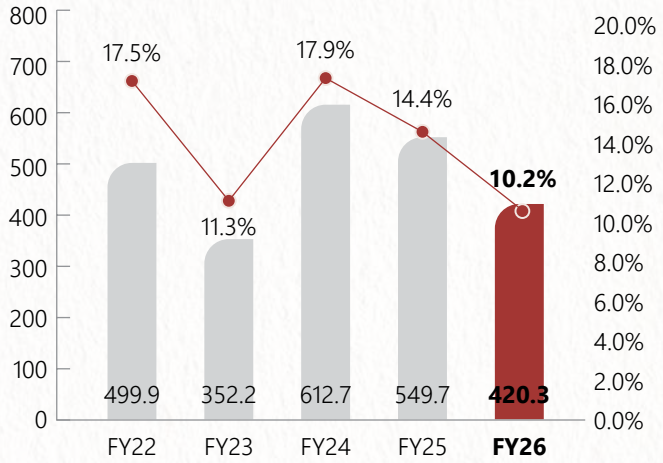
ईबीआईटीडीए (₹ करोड़ में) एवं ईबीआईटीडीए मार्जिन (प्रतिशत में)



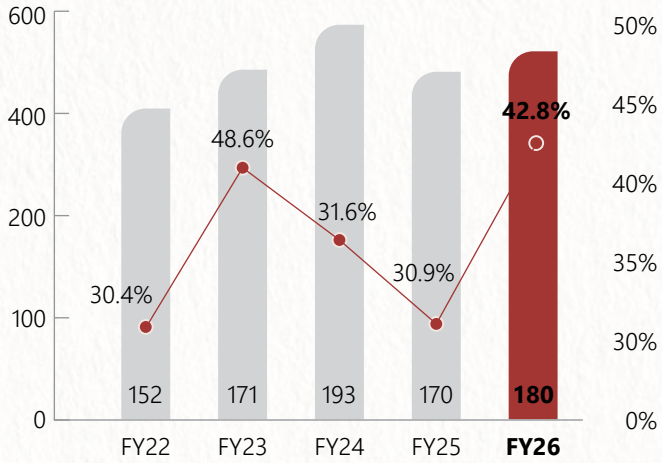
नेटवर्थ (₹ करोड़ में)



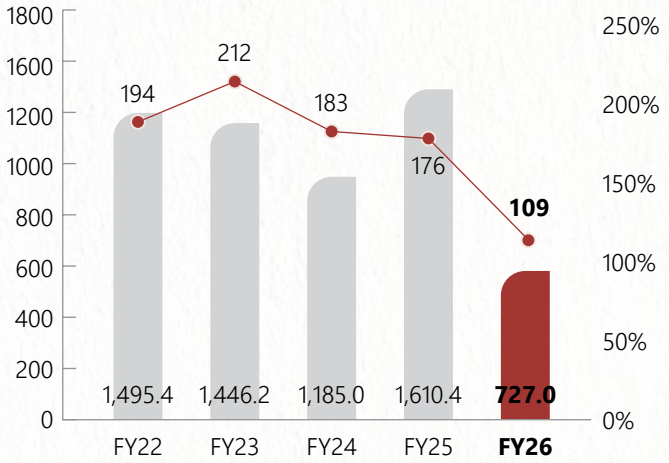
पीएटी (₹ करोड़ में) एवं इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत में)



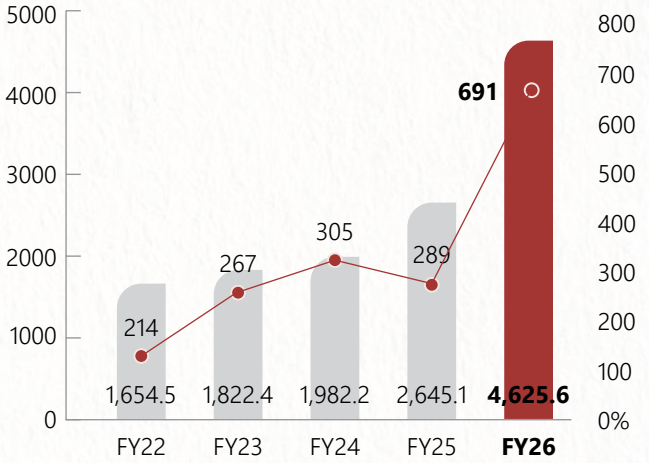
कुल लाभांश (₹ करोड़ में) एवं लाभांश भुगतान अनुपात



ट्रेड रिसीवेबल्स (₹ करोड़ में) एवं टर्नओवर अनुपात (दिनों में)



इन्वेंटरी (₹ करोड़ में) एवं टर्नओवर अनुपात (दिनों में)



एक नज़र में दस वर्ष

शांति के प्रहरी की शक्ति गढ़ने का एक दशक

रक्षा निर्माता के जीवन में एक दशक का आकलन तिमाहियों में नहीं, बल्कि निर्मित क्षमताओं, पूरे किए गए कार्यक्रमों और अर्जित विश्वास से होता है। वित्त वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक, बीडीएल ने उत्पाद चक्रों में बदलावों का सामना किया, स्वदेशीकरण को अपनाया, अपनी विनिर्माण क्षमता का विस्तार किया और भारत के रक्षा आधुनिकीकरण के एजेंडे में अपनी केंद्रीय भूमिका स्थापित की। ये दस मील के पत्थर इस यात्रा को रेखांकित करते हैं।

वित्त वर्ष 2016-17

राजस्व ₹4,887 करोड़ रहा, जो दशक में सर्वाधिक था। यह पारंपरिक कार्यक्रमों से प्रेरित उच्च-मात्रा वाला दौर था। नेटवर्थ ₹2,000 करोड़ के पार पहुँचा। कर्मचारियों की संख्या 3,182 रही, जो दशक में सर्वाधिक थी। ईपीएस ₹12.26 रहा।

वित्त वर्ष 2017-18

राजस्व ₹4,588 करोड़ रहा, जो दशक में सर्वाधिक था, जबकि नेटवर्थ ₹1,956 करोड़ तक पहुँचा (शेयर स्प्लिट से पहले के आधार पर)। उत्पादन मूल्य ₹4,641 करोड़ रहा। कंपनी ने बड़े पैमाने पर कार्यों को पूरा करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

वित्त वर्ष 2018-19

पारंपरिक कार्यक्रमों के समाप्त होने और अगली पीढ़ी की प्रणालियों की ओर बढ़ने के साथ राजस्व घटकर ₹3,069 करोड़ रह गया। अनुसंधान एवं विकास व्यय के आँकड़ों की औपचारिक निगरानी शुरू हुई। यह पुनर्संयोजन का वर्ष रहा।

वित्त वर्ष 2019-20

राजस्व ₹3,105 करोड़ रहा। बीडीएल ने अपनी निर्यात रणनीति को औपचारिक रूप देना शुरू किया और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की संभावनाएँ तलाशीं। पूंजी नियोजित ₹3,192 करोड़ रही। कर्मचारियों की संख्या 2,950 रही। इन्वेंटरी ₹1,397 करोड़ रही, जो दशक में सबसे कम थी।

वित्त वर्ष 2020-21

यह महामारी का वर्ष रहा। आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने और डिलीवरी में देरी के कारण राजस्व घटकर ₹1,914 करोड़ रह गया। फिर भी ₹258 करोड़ का पीएटी और निर्बाध लाभांश रिकॉर्ड (₹3.67 प्रति शेयर) कंपनी की अंतर्निहित दृढ़ता को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2021-22

यह सुधार का वर्ष रहा। राजस्व बढ़कर ₹2,817 करोड़ हुआ। ईबीआईटीडीए मार्जिन 25.8% तक पहुँचा, जो दशक में सर्वाधिक था और परिचालन लाभ में वृद्धि का संकेत देता है। नेटवर्थ ₹3,000 करोड़ के पार पहुँचा। अनुसंधान एवं विकास व्यय ₹47 करोड़ (राजस्व का 1.7%) रहा और इसमें वृद्धि का रुझान शुरू हुआ।

वित्त वर्ष 2022-23

राजस्व ₹2,489 करोड़ रहा। यह बदलाव का वर्ष रहा, जिसमें ऑर्डर प्राप्तियों ने भविष्य के क्रियान्वयन के लिए पाइपलाइन तैयार की। लाभांश भुगतान अनुपात 48.6% तक पहुँचा, जो दशक में सर्वाधिक था और भविष्य के नकदी प्रवाह में विश्वास को दर्शाता है। नेटवर्थ बढ़कर ₹3,212 करोड़ हुआ।

वित्त वर्ष 2023-24

यह एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। राजस्व ₹2,369 करोड़ रहा, लेकिन अनुकूल उत्पाद मिश्रण के कारण पीएटी ₹613 करोड़ तक पहुँचा, जो दशक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ था। आरओई 17.9% के उच्चतम स्तर पर पहुँचा। अनुसंधान एवं विकास व्यय ₹75 करोड़ के पार गया। ऑर्डर बुक में तेज़ी से वृद्धि शुरू हुई।

वित्त वर्ष 2024-25

यह तेज़ विकास का वर्ष रहा। राजस्व में 41% की वृद्धि के साथ यह बढ़कर ₹3,345 करोड़ हो गया। निर्यात में 689% की उछाल आई और यह ₹1,270 करोड़ से अधिक हो गया। ₹6,668 करोड़ के नए ऑर्डर से ₹22,814 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग तैयार हुआ। अनुसंधान एवं विकास व्यय बढ़कर ₹223 करोड़ (राजस्व का 6.7%) हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के एक वास्तविक अभियान में बीडीएल के उत्पादों ने अपनी क्षमता साबित की। स्टॉक स्प्लिट के तहत प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य वाले शेयर को ₹5 के अंकित मूल्य वाले शेयर में विभाजित किया गया।

वित्त वर्ष 2025-26

यह रणनीतिक सुदृढ़ीकरण का वर्ष रहा। डिलीवरी के चरणबद्ध निर्धारण के कारण राजस्व घटकर ₹2,442 करोड़ रह गया, लेकिन ऑर्डर बुक बढ़कर ₹26,176 करोड़ हो गई, जिसमें ₹15,000 करोड़ की पाइपलाइन शामिल है। पीएटी मार्जिन बढ़कर 17.2% हो गया। टर्नओवर में अनुसंधान एवं विकास की तीव्रता 8.1% तक पहुँची, जो दशक में सर्वाधिक थी। ट्रेड रिसीवेबल्स में 38% का सुधार हुआ और यह घटकर 109 दिन रह गया। नेटवर्थ ₹4,241 करोड़ के पार पहुँच गया। पारंपरिक कार्यक्रमों से शुरू हुआ यह दशक बीडीएल को भारत के प्रमुख गाइडेड मिसाइल निर्माता के रूप में मजबूती से स्थापित करते हुए समाप्त होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स का अब तक का न्यूनतम स्तर हासिल किया गया।

विवरण	इकाइयां	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
सकल बिक्री	₹ करोड़	2441.79	3345.05	2369.28	2489.39	2817.40	1913.76	3104.87~	3069.35&	4587.60	4886.62
कार्य प्रगति पर एवं अर्द्धनिर्मित स्टॉक में परिवर्तन	₹ करोड़	773.06	421.86	222.63	19.04	84.36	128.91	(503.66)	165.87	53.70	124.38
उत्पादन मूल्य	₹ करोड़	3214.85	3766.91	2591.91	2508.43	2901.76	2042.67	2601.21~	3235.22	4641.30	5011.00
सामग्री की खपत	₹ करोड़	1995.55	2099.76	1119.96	1210.33	1263.37	970.08	1014.09~	1818.97	2907.59	3125.23
मूल्यवर्धन	₹ करोड़	1219.30	1667.15	1471.95	1298.10	1638.39	1072.59	1587.12~	1416.25	1733.71	1885.77
कर-पूर्व लाभ	₹ करोड़	567.82	748.76	828.23	481.80	709.91	340.88	742.45	671.36	773.82	802.81
कर-पश्चात लाभ	₹ करोड़	420.34	549.65	612.72	352.17	499.92	257.77	534.90	422.59	528.15	524.06
इक्विटी	₹ करोड़	183.28	183.28	183.28	183.28	183.28	183.28	183.28	183.28	183.28	122.19
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	₹ करोड़	4057.69	3825.67	3453.54	3028.22	2847.28	2501.47	2423.55	2085.26	1773.10	2072.79
सकल ब्लॉक (पूंजीगत कार्य प्रगति पर को छोड़कर)	₹ करोड़	1697.39	1600.56	1496.52	1415.67	1451.08	1368.51	1291.36	1219.61	1048.62	869.66
इन्वेंटरी	₹ करोड़	4625.64	2645.11	1982.47	1822.44	1654.45	1397.01	856.52	1664.53	1925.87	2240.42
बिल किए गए प्राप्य	₹ करोड़	422.88	826.36	310.45	184.57	304.16	322.69	338.37~	587.21	770.41	154.55
ट्रेड रिसीवेबल्स (बिना बिल किए गए प्राप्यों सहित)	₹ करोड़	727.04	1610.40	1185.01	1446.23	1495.36	1475.20	2676.19~	1844.53	2208.13	1735.36
कार्यशील पूंजी	₹ करोड़	6411.15	6017.75	6233.25	5394.18	2942.18	2378.03	2259.40	1390.38	1085.68	1569.75
नियोजित पूंजी	₹ करोड़	4149.81	3886.22	3566.10	3155.08	2973.45	2637.01@	3191.76	2347.34	1954.05	2326.87
नेटवर्थ	₹ करोड़	4240.97	4008.95	3636.82	3211.50	3030.56	2684.75	2606.83	2268.55	1956.38	2194.98
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	2101	2269	2401	2560	2674	2812	2950	3034	3095	3182
कर्मचारी लागत	₹ करोड़	535.57	548.80	600.01	532.46	570.66	501.09	534.03	534.21	529.34	448.39
वेतन के प्रति ₹ मूल्यवर्धन	₹	2.28	3.04	2.45	2.44	2.87	2.14	2.97~	2.65	3.28	4.21
प्रति कर्मचारी मूल्यवर्धन	₹ लाख	58.03	73.48	61.31	50.71	61.27	38.14	53.80~	46.68	56.02	59.26
प्रति ₹5 अंकित मूल्य वाले शेयर पर आय (ईपीएस)	₹	11.47	14.99	16.72!	9.61!	13.64!	7.03!	14.59!	11.53!	13.33!	12.26!

~ 2019-20 की कुछ मदों को 2020-21 में पुनर्वर्गीकृत किए जाने के कारण समायोजित।

& 2018-19 से Ind AS 115 के अनुसार एलडी की कटौती के बाद बिक्री दर्शाई गई है।

@ वित्त वर्ष 2021-22 से नियोजित पूंजी की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III पर आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार की गई है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नियोजित पूंजी को भी ₹3,239.01 करोड़ से बदलकर ₹2,637.01 करोड़ किया गया है, लेकिन यह किसी गिरावट को दर्शाता नहीं है।

! मई 2024 के दौरान शेयरों का ₹10 से ₹5 में विभाजन किया गया और तदनुसार पिछले वर्षों के ईपीएस को ₹5 के अंकित मूल्य के आधार पर समायोजित किया गया है।

शेयरों का ₹1,000 से ₹10 में विभाजन वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया और तदनुसार पिछले वर्षों के ईपीएस को ₹10 के अंकित मूल्य के आधार पर समायोजित किया गया है।

अध्यक्ष की कलम से...!

रणनीतिक क्षितिज की ओर अग्रसर



प्रिय शेयरधारकगण,

भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कंपनी की यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर यह जिम्मेदारी संभालना मेरे लिए गौरव की बात है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए, मैं इस रिपोर्ट को केवल बीते वर्ष का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि कंपनी के दृढ़ संकल्प, प्रदर्शन और अधिक मजबूत तथा आत्मनिर्भर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रगति का प्रतिबिंब मानता हूँ। यह वार्षिक रिपोर्ट इन उपलब्धियों को समेटते हुए उन रणनीतिक प्राथमिकताओं की पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत करती है, जो बीडीएल के विकास के अगले चरण को आकार देंगी।

निदेशक मंडल की ओर से, मैं हमारे सम्मानित शेयरधारकों, भागीदारों और निवेशकों के प्रति भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) में आपके अटूट विश्वास और निरंतर निवेश के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

जैसे-जैसे हम वित्त वर्ष 2026-27 में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, आपका विश्वास हमारी रणनीतिक उपलब्धियों की मजबूत आधारशिला बना हुआ है। यह हमें निरंतर नई तकनीकी उपलब्धियाँ हासिल करने और कंपनी को विकास के नए एवं व्यापक क्षितिजों तक ले जाने के लिए प्रेरित करता है। मुझे आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है—एक ऐसी संस्था की, जो अत्यधिक कुशल कार्यबल के पाँच दशकों से अधिक के उत्साहपूर्ण और अथक प्रयासों से आकार ले चुकी है।

आधुनिकतम हथियार प्रणालियों में पूर्ण आत्मनिर्भरता ("आत्मनिर्भर भारत") हासिल करने के उद्देश्य से भारत सरकार की दूरदर्शी नीतिगत पहलों और मित्र विदेशी देशों (एफएफसी) को निर्यात के लिए सरल एवं सुव्यवस्थित मंजूरी प्रक्रियाओं ने बीडीएल के लिए विकास के अभूतपूर्व अवसरों के नए द्वार खोले हैं। भारत की राष्ट्रीय रक्षा प्राथमिकताओं के साथ अपनी कॉरपोरेट रणनीति को पूरी तरह से संरेखित करते हुए, बीडीएल इन उभरते बाजार अवसरों का लाभ उठाने और अपने वैश्विक हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य का निरंतर सृजन करने की मजबूत स्थिति में है।

प्रदर्शन एवं वित्तीय मुख्य बिंदु (वित्त वर्ष 2025-26)

अंतरराष्ट्रीय रक्षा बाजार में वैश्विक व्यापक आर्थिक चुनौतियों और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं के बने रहने के बावजूद, बीडीएल ने अपने कारोबार में परिपक्वता और दृढ़ता का प्रदर्शन किया।

» लाभप्रदता: 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष में, आपकी कंपनी ने ₹420.34 करोड़ का स्टैंडअलोन कर-पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया, जो जटिल और तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य में मजबूत अंतर्निहित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

» परिचालन से राजस्व: वित्त वर्ष के दौरान परिचालन से राजस्व ₹2,441.79 करोड़ रहा, जो हमारी विनिर्माण क्षमता के स्थिर विस्तार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

» सतत शेयरधारक प्रतिफल: निरंतर मूल्य सृजन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, आपके निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹5 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.40 के अंतिम लाभांश की

सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

» मुझे यह बताते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बीडीएल ने फरवरी 2026 में ₹5 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹4.50 का अंतरिम लाभांश पहले ही भुगतान कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी द्वारा घोषित कुल लाभांश ₹5 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹4.90 है।

» एमओयू के तहत प्रदर्शन का मूल्यांकन: रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के साथ किए गए औपचारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत बीडीएल ने अपने निर्धारित मानदंड पूरे किए हैं और रक्षा मंत्रालय द्वारा रेटिंग की घोषणा नियत समय पर की जाएगी।

रक्षा पाइपलाइन: ट्रैक रिकॉर्ड और ऑर्डर बुक

आपकी कंपनी मिशन महत्वपूर्ण प्रणालियों के व्यापक पोर्टफोलियो के दम पर लगातार मजबूत वित्तीय प्रवाह और बाजार में अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए है।

» ऑर्डर: बीडीएल के पास ₹26,176 करोड़ की मजबूत और पर्याप्त ऑर्डर बुक है। यह सुदृढ़ पाइपलाइन अगले 4 से 5 वर्षों में निरंतर और तेज गति से ऑर्डर निष्पादन के लिए स्पष्ट दृश्यता प्रदान करती है।

» प्रमुख हथियारों से जुड़े ऑर्डर: वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बीडीएल को लगभग ₹5,909 करोड़ के नए ऑर्डर प्राप्त हुए। इन ऑर्डरों में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें (एटीजीएम), यूनिफाइड लॉन्चर्स, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स (लेजर बीम राइडिंग), अर्थात वीएसएचओआरएडी (एलबीआर), अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स (यूएलपीजीएम) तथा आकाश मिसाइल प्रणाली के उन्नत संस्करण शामिल हैं।

» ऑर्डर पाइपलाइन: एमआरएसएएम, इनवार एटीजीएम, हेलिना, नाग, एसएएडब्ल्यू और ग्रैड रॉकेट्स सहित कई पूंजीगत खरीद अनुबंध तथा सिस्टम रिफर्बिशमेंट से जुड़े पोर्टफोलियो वर्तमान में अंतिम रूप दिए जाने के उन्नत चरण में हैं।

तकनीकी आत्मनिर्भरता, अनुसंधान एवं विकास तथा रणनीतिक साझेदारियाँ

वैश्विक रक्षा क्षेत्र की भविष्य की आवश्यकताओं से आगे बने रहने के लिए बीडीएल ने प्रौद्योगिकी अवशोषण, अंतरराष्ट्रीय सह-उत्पादन और स्वदेशी अनुसंधान को प्राथमिकता दी है:

वैश्विक एवं घरेलू सहयोगी साझेदारियाँ

» गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड: हथियारों, मिसाइलों, लॉन्चर्स, ग्राउंड सिस्टम्स और उन्नत प्रणोदन इंजनों से जुड़े वर्तमान एवं भावी घरेलू तथा निर्यात कार्यक्रमों के लिए क्षमताओं में तालमेल स्थापित करना।

» वीईएम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड: महत्वपूर्ण मिसाइल घटकों के घरेलू स्तर पर गहन स्वदेशीकरण में तेजी लाना।

» अंडरसी सेंसर सिस्टम्स इंक. (अल्ट्रा), अमेरिका: बीडीएल की भारतीय उत्पादन सुविधाओं में उन्नत सोनाबॉय के लिए अत्याधुनिक स्थानीय विनिर्माण क्षमताएँ स्थापित करना।

» टेट्रा रेडियो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड: बीडीएल की दूसरी पीढ़ी की एटीजीएम प्रणालियों के परिचालन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उन्नत आरएफ घटकों का डिजाइन और विकास करना।

» राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड, इज़राइल: समर्पित विनिर्माण लाइनों की स्थापना के साथ अत्याधुनिक स्पाइक एलआर2 मिसाइल के स्थानीयकृत उत्पादन को कार्यान्वित करना।

» बीईएल एवं ईसीआईएल के साथ साझेदारियाँ: अनुसंधान एवं विकास में साझा भागीदारी, इंजीनियरिंग क्षमताओं के पारस्परिक उपयोग और साझा निर्यात ढाँचे के निर्माण के माध्यम से घरेलू आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।

अग्रणी अनुसंधान एवं विकास उत्पाद विकास

हमारे विशिष्ट डिजाइन एवं इंजीनियरिंग पारिस्थितिकी तंत्र ने अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियों के विकास चक्र को तेज किया है, जिनमें शामिल हैं:

» अमोघ-III: हमारी तीसरी पीढ़ी की मैन-पोर्टेबल, फायर-एंड-फॉरगेट एटीजीएम प्रणाली।

» उन्नत हवाई प्रणालियाँ: विशिष्ट हवाई एवं हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म के लिए अनुकूलित काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम्स (सीएमडीएस), साथ ही विशेष लेजर बीम राइडर गाइडेड एटीजीएम और ड्रोन द्वारा संचालित स्मार्ट एम्युनिशन।

अवसंरचना आधुनिकीकरण एवं सत्यापन की उपलब्धियाँ

एकल-प्रहार, मिशन-महत्वपूर्ण रक्षा हथियारों के अग्रणी विकासकर्ता के रूप में उत्पाद की गुणवत्ता सर्वोपरि है। हमारी प्रणालियों का पहली बार और हर बार पूरी तरह त्रुटिरहित प्रदर्शन करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विनिर्माण क्षमताओं को स्वायत्त उत्कृष्टता केंद्रों में परिवर्तित करने हेतु व्यापक पूंजीगत व्यय किया गया है।

» अत्याधुनिक सुविधाएँ: प्रमुख अवसंरचना विस्तार परियोजनाएँ अब पूरी तरह परिचालन में हैं। इनमें झांसी स्थित प्रोपेलेंट प्लांट फैसिलिटी, एएसआरएएएम फाइनल असेंबली इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग (एफएआईटी) फैसिलिटी, अत्याधुनिक हार्डवेयर-इन-द-लूप सिमुलेशन (एचआईएलएस) विन्यास तथा इब्राहिमपट्टनम (आईबीपी) यूनिट में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (एसएएम) की विस्तारित उत्पादन लाइनें शामिल हैं।

» वैश्विक मानकों के अनुरूप: कंचनबाग और भानुर स्थित हमारी उन्नत उत्पादन सुविधाएँ प्रतिष्ठित एयरोस्पेस क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एएस 9100डी का कड़ाई से पालन करती हैं। साथ ही, कंचनबाग, भानुर और विशाखापत्तनम यूनिट पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ 14001:2015 मानक के तहत पुनः प्रमाणित हैं।

» सीकर फैसिलिटी सेंटर (एसएफसी): बीडीएल ने आकाश-एनजी प्रणाली के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) सीकर की आपूर्ति कर अपनी परिचालन क्षमता का विस्तार किया है। इसका उत्पादन पूरी तरह से हमारी नवनिर्मित अत्याधुनिक सीकर फैसिलिटी सेंटर (एसएफसी) में किया गया है।

» अभूतपूर्व क्षेत्रीय सफलता: डीआरडीओ के साथ सहयोगात्मक प्रयासों के तहत बीडीएल की प्रणालियों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इनमें सफल युद्धक परीक्षण और वास्तविक परिचालन क्षेत्रीय परीक्षणों के दौरान कई मानवरहित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट करना शामिल है।

सतत प्रभाव: कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

समाज के प्रति अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह सजग रहते हुए, बीडीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% महत्वपूर्ण सीएसआर परियोजनाओं और पहलों के लिए आवंटित किया। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सीएसआर एवं सतत विकास (एसडी) दायित्व ₹13.27 करोड़ था। कंपनी ने कुल सीएसआर दायित्व के मुकाबले ₹13.45 करोड़ का व्यय किया और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्धारित 100% सीएसआर लक्ष्य राशि हासिल की।

हमारी पहल आकांक्षी और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में वास्तविक सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव लाने में निरंतर योगदान दे रही हैं:

» स्वास्थ्य एवं पोषण: बीडीएल ने देशभर के लगभग 65 सरकारी अस्पतालों और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए ₹7.27 करोड़ खर्च किए।

» शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा: सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने तथा कौशल विकास के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ₹3.88 करोड़ आवंटित किए गए।

» ग्रामीण विकास: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सौर लाइटें लगाने के लिए ₹0.81 करोड़ आवंटित किए गए।

आगे की दिशा: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आगे की राह तय करते हुए, बीडीएल रक्षात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर आक्रामक और विस्तारवादी परिचालन रणनीति की ओर अग्रसर हो रही है। वैश्विक परिदृश्य तकनीकी चुस्ती और अनुकूलन क्षमता की मांग करता है तथा हमारी रणनीतिक कार्ययोजना तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

1. **आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण एवं आक्रामक आयात प्रतिस्थापन**

 जारी भू-राजनीतिक संकट के कारण विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (एफओईएम) से आपूर्ति में देरी हुई है। बीडीएल इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए आक्रामक रूप से कदम उठा रही है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हम आयात प्रतिस्थापन पहलों को और व्यापक बना रहे हैं तथा जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स और आरएफ सब-असेंबली का स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय एमएसएमई के साथ अपनी आपूर्ति श्रृंखला को और गहरा करते हुए तथा घरेलू औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाकर, हम बाहरी प्रणालीगत व्यवधानों से अपनी उत्पादन समय-सारणी को सुरक्षित कर रहे हैं।

2. **वैश्विक निर्यात विस्तार**

 हमारा ध्यान भारतीय सशस्त्र बलों से आगे बढ़कर अपने ग्राहक आधार में विविधता लाने पर केंद्रित है। हमारे प्रमुख उत्पादों, विशेष रूप से युद्ध में परखी जा चुकी आकाश वेपन सिस्टम के लिए मित्र देशों (एफएफसी) के संभावित खरीदारों की ओर से काफी रुचि है। बीडीएल वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान इन सक्रिय संभावित अवसरों को ठोस अंतरराष्ट्रीय खरीद अनुबंधों में बदलने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी राजनयिक माध्यमों का प्रभावी उपयोग करने और वैश्विक विपणन तंत्र का विस्तार करने पर जोर दे रही है।

3. **व्यवसाय विविधीकरण मैट्रिक्स**

 पारंपरिक गतिविधियों से इतर राजस्व के नए स्रोत विकसित करने के लिए बीडीएल अपने कॉरपोरेट विविधीकरण रोडमैप को तेजी से आगे बढ़ा रही है। हम नव स्थापित सुविधाओं में अत्याधुनिक उत्पादन अवसंरचना तैयार कर रहे हैं, ताकि उच्च विकास क्षमता और उच्च मार्जिन वाले रक्षा क्षेत्रों में काम किया जा सके, जिनमें शामिल हैं:

 » गाइडेड बम और ड्रोन से छोड़े जाने वाले पेलोड।

 » विशेषीकृत वारहेड विनिर्माण और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से जुड़े घटक।

 » क्रूज मिसाइल इंजन और उन्नत प्रोपेलेंट।

 अनुसंधान एवं विकास के लिए बढ़े हुए पूंजीगत व्यय को सख्त परियोजना निगरानी समयसीमा के साथ जोड़कर, बीडीएल नवाचारों का तत्काल व्यावसायीकरण सुनिश्चित करेगी। सख्त आपूर्ति समयसीमा, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और प्रतिस्पर्धी वैश्विक मूल्य निर्धारण मॉडल सुनिश्चित करते हुए हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखेंगे।

आभार

निदेशक मंडल और बीडीएल परिवार की ओर से, मैं हमारे शेयरधारकों, संस्थागत निवेशकों और साझेदारों के निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं रक्षा मंत्रालय (एमओडी), निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), राज्य प्रशासनिक साझेदारों, हमारे विश्वसनीय विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र तथा हमारे अत्यंत समर्पित और कुशल कर्मचारियों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी कड़ी मेहनत इस संगठन को निरंतर आगे बढ़ा रही है।

मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त प्रतिबद्धता और पारदर्शी प्रबंधन व्यवस्था के बल पर बीडीएल वित्त वर्ष 2026-27 में परिचालन उत्कृष्टता के नए आयाम हासिल करने, अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने और अपने हितधारकों की अपेक्षाओं से आगे बढ़कर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

जय हिंद!



शैलेश वागरवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
डीआईएन: 11362136
दिनांक: 14 अगस्त, 2026
स्थान: हैदराबाद

वैधानिक प्रतिवेदन
एवं
वित्तीय विवरण

निदेशक मंडल का प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकगण 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ 56वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

1. महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1.1 चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने ₹3,215 करोड़ का उत्पादन मूल्य हासिल किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹3,767 करोड़ था। इसके अलावा, कंपनी ने ₹2,442 करोड़ का बिक्री कारोबार दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹3,345 करोड़ था।

1.2 बीडीएल ने उन्नत उप प्रणालियों से युक्त इम्प्रूव्ड आकाश वेपन सिस्टम (एडब्ल्यूएस) के फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल (एफओपीएम) को सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे प्रणाली के प्रदर्शन में वृद्धि हुई और भारतीय सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता और मजबूत हुई। इस प्रणाली ने विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों के विरुद्ध उच्च सटीकता का प्रदर्शन किया। आकाश वेपन सिस्टम के उन्नत संस्करण के लिए बल्क प्रोडक्शन क्लीयरेंस 27 मार्च 2026 को प्राप्त हुआ।

1.3 अस्त्र एमके-I मिसाइल के फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मैटेरियल (एफओपीएम) परीक्षण 03 नवंबर 2025 को बीडीएल द्वारा निर्मित लॉन्चर का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक किए गए।

1.4 स्वदेशी हेवी वेट टॉरपीडो के अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पार्टिकुलर्स (एएचएसपी) के स्टेज-1 हस्तांतरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। इसके तहत 10 जून 2025 को डीआरडीओ-एनएसटीएल से डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन (डीजीएनएआई) को औपचारिक रूप से हस्तांतरण किया गया। यह हस्तांतरण बीडीएल द्वारा हेवी वेट टॉरपीडो वेपन सिस्टम के स्वदेशीकरण, सफल उत्पादन, आपूर्ति और परिचालन तैयारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

1.5 बीडीएल को 11 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवॉर्ड्स में "एक्सीलेंस इन प्रोसेस इनोवेशन" श्रेणी में प्रथम स्थान प्रदान किया गया।

1.6 तकनीकी उन्नयन के तहत, बीडीएल ने 11 जनवरी 2026 को इन-हाउस विकसित आरएफ गाइडेंस सिस्टम से युक्त एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) का सफल परीक्षण किया।

1.7 बीडीएल ने अपनी तीनों इकाइयों में 100 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी हिस्सेदारी हासिल की है।

1.8 इन-हाउस निर्मित वॉरहेड का उपयोग करते हुए कोंकर्स-एम एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) की प्रूफ फायरिंग सफलतापूर्वक की गई।

1.9 बीडीएल को उत्कृष्ट ऊर्जा प्रबंधन श्रेणी में "ग्रीनटेक एनर्जी मैनेजमेंट एक्सीलेंस गोल्ड अवॉर्ड 2026" से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 13 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रीनटेक एनर्जी मैनेजमेंट एक्सीलेंस समिट के दौरान बीडीएल को प्रदान किया गया।

1.10 एनएसटीएल (डीआरडीओ) के साथ डेवलपमेंट-कम-प्रोडक्शन पार्टनर (डीसीपीपी) के रूप में बीडीएल ने 23 अप्रैल 2026 को पहला स्वदेशी उत्पादन-स्तर का वायर-गाइडेड हेवीवेट टॉरपीडो (डब्ल्यूजीएचडब्ल्यूटी) सफलतापूर्वक एनएसटीएल (डीआरडीओ), विशाखापत्तनम को सौंपा।

1.11 इन-हाउस विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) का 15 अप्रैल 2026 को न्यूनतम दूरी पर रखे गए लक्ष्य के विरुद्ध डायरेक्ट मोड में सफल परीक्षण किया गया।

1.12 समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक्सटेंडेड रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ईआर-एएसआर) के यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक किए गए। परीक्षणों के सभी निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया।

1.13 यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल के तहत आकाश-एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और इसने सभी प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स (पीएसक्यूआर) को पूरा किया। परीक्षणों के दौरान आकाश-एनजी मिसाइल ने विभिन्न दूरियों और ऊंचाइयों पर हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया।

1.14 15 माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मई 2026 को आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के टी. सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) की नई अत्याधुनिक नेवल सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की आधारशिला रखी। इस नई विनिर्माण इकाई की स्थापना भारतीय नौसेना की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जा रही है। लगभग 160 एकड़ में फैले इस परिसर में उन्नत विनिर्माण और असेंबली अवसंरचना, इंटीग्रेशन भवन, विस्फोटक हैंडलिंग और भंडारण सुविधाएं, परीक्षण अवसंरचना, जिसमें एकॉस्टिक टैंक सुविधाएं भी शामिल हैं, प्रशासनिक भवन तथा एक समर्पित ग्रीन बेल्ट शामिल होंगे।

1.15 मानवरहित हवाई वाहन से प्रक्षेपित प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल (यूएलपीजीएम-वी3) के फ्लाइट ट्रायल 18 से 20 मई 2026 के दौरान आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में सफलतापूर्वक किए गए। बीडीएल की टीम ने आरसीआई (डीआरडीओ), हैदराबाद में यूएलपीजीएम के इंटीग्रेशन और परीक्षण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।





1.16 यू.एस. ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (यूएसजीबीसी) ने बीडीएल के डिजाइन एंड इंजीनियरिंग भवन को प्लेटिनम रेटिंग वाला ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणपत्र प्रदान किया।

2. वित्तीय परिणाम और प्रदर्शन की प्रमुख उपलब्धियां

2.1 वित्तीय दृष्टि से कंपनी के प्रदर्शन का सारांश निम्नलिखित है:

विवरण	₹ करोड़ में		वृद्धि/ (कमी) का प्रतिशत
	2025-26	2024-25	
संचालन से बिक्री/राजस्व	2,442	3,345	(27)
उत्पादन का मूल्य	3,215	3,767	(15)
i) आयातित सामग्री की खपत	290	110	164
ii) स्वदेशी सामग्री की खपत	1,706	1,990	(14)
कुल सामग्री की खपत	1,996	2,100	(5)
मूल्य संवर्धन	1,219	1,667	(27)
कर-पूर्व लाभ	568	749	(24)
कर-पश्चात लाभ	420	550	(24)
प्रति शेयर आय# (रुपये में)	11.47	14.99	(23)

ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़कर लाभ के आधार पर की गई है तथा वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या को ₹10 अंकित मूल्य वाले 1 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर के ₹5 अंकित मूल्य वाले 2 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों में उपविभाजन के प्रभाव के अनुरूप समायोजित किया गया है।

2.2 निम्नलिखित आंकड़े कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं:

विवरण	₹ करोड़ में		वृद्धि/ (कमी) का प्रतिशत
	2025-26	2024-25	
सकल खंड (सीडब्ल्यूआईपी को छोड़कर)	1,697	1,601	6
संचित मूल्यह्रास	819	743	10
शुद्ध खंड	878	858	2
कार्यशील पूंजी (शुद्ध)	6,411	6,018	7
नियोजित पूंजी	4,150	3,886	7
शुद्ध संपत्ति	4,241	4,009	6

*जहां आवश्यक हो, आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण और पुनर्समूहीकरण किया गया है।

2.3 वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालन से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में अस्थायी कमी आई। इसका मुख्य कारण ग्राहक की विस्तारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (एसएएम) और संबंधित ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (जीएसई) की आपूर्ति की समय-सीमा में बदलाव था। कारोबार में कमी और अनुसंधान एवं विकास पर अधिक व्यय के परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीएटी) भी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रभावित हुए।

2.4 वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹568 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और ₹420 करोड़ का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ये क्रमशः ₹749 करोड़ और ₹550 करोड़ थे। यह कमी मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान कम बिक्री मात्रा और विकास व्यय में वृद्धि के कारण हुई। इन चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने तरलता बनाए रखने, परिचालन लागत कम करने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया।

2.5 वर्ष के दौरान आपूर्ति किए गए प्रमुख उत्पादों में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें (एटीजीएम), सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (एसएएम) और एयर लॉन्च्ड हथियार शामिल थे। 31 मार्च 2026 तक कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग ₹26,176 करोड़ है।

2.6 भविष्य का परिदृश्य: आपकी कंपनी विनिर्माण आधारित व्यवस्था से आगे बढ़कर भारत की आत्मनिर्भरता की दृष्टि के अनुरूप प्रौद्योगिकी आधारित शक्ति केंद्र के रूप में परिवर्तन कर रही है। आंतरिक अनुसंधान एवं विकास तथा डीप टेक सहयोग को गति देकर हम महत्वपूर्ण घटकों का स्वदेशीकरण कर रहे हैं। इससे हमारी आपूर्ति शृंखलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए दीर्घकालिक बौद्धिक संपदा सुरक्षित होगी।

हमारी विकास रूपरेखा 31 मार्च 2026 तक लगभग ₹26,176 करोड़ की उत्कृष्ट ऑर्डर बुक से सुदृढ़ है। इससे कई वर्षों के लिए राजस्व की उच्च दृश्यता सुनिश्चित होती है। इन रक्षा ऑर्डरों को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी उत्पादन चक्रों को अनुकूलित करने और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अपनी इकाइयों में स्वचालित विनिर्माण और डिजिटल ट्विन प्रौद्योगिकियों को लागू कर रही है।

आपकी कंपनी परिचालन दक्षता पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि परिचालन मार्जिन को सुरक्षित रखने के साथ उसका विस्तार भी किया जा सके। रणनीतिक लागत अनुकूलन, स्थानीय स्रोतों से खरीद में वृद्धि और बड़े रक्षा अनुबंधों से प्राप्त पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं लाभप्रदता को मजबूत करने तथा दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने में निरंतर योगदान देंगी।

आपकी कंपनी "मेक इन इंडिया, फॉर द वर्ल्ड" के लक्ष्य के तहत दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार कर रही है। साथ ही, आधुनिक युद्ध की बदलती गतिशीलता से निपटने के लिए आपकी कंपनी ड्रोन एम्युनिशन, निर्देशित ऊर्जा हथियारों और एआई आधारित काउंटरमेजर्स जैसे अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म में निवेश कर रही है।

3. जनता से सावधि जमा:

वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया तथा वर्ष के प्रारंभ या अंत में कोई सावधि जमा बकाया नहीं था। अतः जमा राशि अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई।

4. लाभांश एवं सामान्य रिजर्व में अंतरण:

आपकी कंपनी का लाभांश भुगतान का निरंतर रिकॉर्ड रहा है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2025-26 के लिए ₹5 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.40 का अंतिम लाभांश, कुल ₹14.66 करोड़, देने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने वर्ष 2025-26 के लिए ₹5 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹4.50 का अंतरिम लाभांश, कुल ₹164.95 करोड़, का भुगतान किया है। वर्ष 2025-26 के लिए ₹250 करोड़ की राशि सामान्य रिजर्व में अंतरित की जा रही है।

5. पूंजी संरचना:

31 मार्च 2026 को कंपनी की प्रदत्त पूंजी ₹183.28 करोड़ थी, जिसमें ₹5 अंकित मूल्य वाले 36,65,62,500 इक्विटी शेयर शामिल हैं। 31 मार्च 2026 को कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹200 करोड़ थी, जिसमें ₹5 अंकित मूल्य वाले 40,00,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

31 मार्च 2026 को कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता 74.93% थी, जो ₹5 अंकित मूल्य वाले 27,46,51,054 इक्विटी शेयरों के बराबर है।

6. सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां:

31 मार्च 2026 को आपकी कंपनी के पास रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (डीटीआईएस) के अंतर्गत गठित दो सेक्शन 8 कंपनियां हैं, अर्थात् मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (डिफेन्स) टेस्टिंग फाउंडेशन और एडवांस्ड मैटेरियल्स (डिफेन्स) टेस्टिंग फाउंडेशन। आपकी कंपनी की मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (डिफेन्स) टेस्टिंग फाउंडेशन में 10% और एडवांस्ड मैटेरियल्स (डिफेन्स) टेस्टिंग फाउंडेशन में 20% शेयरधारिता है। यद्यपि ये संस्थाएं सहयोगी कंपनियां हैं, फिर भी समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में इन्हें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इक्विटी निवेश के अतिरिक्त इन संस्थाओं में कंपनी की भागीदारी से परिवर्तनीय प्रतिफल प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

7 एमओयू के विरुद्ध प्रदर्शन:

आपकी कंपनी हर वर्ष भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है। वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के प्रदर्शन को "बहुत अच्छा" रेटिंग दी गई थी और वर्ष 2025-26 के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

8 आधुनिकीकरण एवं उन्नयन:

वर्ष के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण तथा अन्य अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) कार्यक्रमों के तहत ₹228.75 करोड़ खर्च किए गए हैं। इस राशि का अधिकांश हिस्सा झांसी इकाई में प्रणोदक के निर्माण के लिए संयंत्र एवं मशीनरी तथा अवसंरचना, इब्राहिमपट्टनम इकाई के चरण II में अवसंरचना कार्य तथा विजाग इकाई के विस्तार के लिए आंध्र प्रदेश में भूमि अधिग्रहण पर खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान विभिन्न कैपेक्स कार्यक्रमों, जिनमें अवसंरचना, संयंत्र एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण आदि शामिल हैं, पर लगभग ₹200 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई है।

आपकी कंपनी एटीजीएम, एसएएम, एयर लॉन्च्ड हथियारों और अंडरवाटर हथियारों के विनिर्माण में स्वदेशी सामग्री की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य से आत्मनिर्भरता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य है।

9 अनुसंधान एवं विकास:

आपकी कंपनी यह मानती है कि अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संगठन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास हेतु कई उत्पादों की पहचान की है।

निम्नलिखित तालिका इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास व्यय की हालिया प्रवृत्ति दर्शाती है।

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24
सकल बिक्री टर्नओवर (₹ करोड़ में)	2,441.79	3,345.05	2,369.28
अनुसंधान एवं विकास व्यय (₹ करोड़ में)	198.23	222.92	75.37
बिक्री टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय	8.12%	6.66%	3.18%
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	567.82	748.76	828.24
कर पूर्व लाभ के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय	34.91%	29.77%	9.10%

10 एमएसएमई से क्रय:

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) अपनी खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता के मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन और अपने विक्रेताओं के बीच नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट (आईपी) एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। सतर्कता संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, न्यूनतम ₹2 करोड़ के अनुमानित मूल्य वाली सभी उच्च मूल्य की खरीद फाइलों के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट अनिवार्य रूप से लागू किया गया।

निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुबंध के निष्पादन में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र बाह्य मॉनिटरों (आईईएम) को नियुक्त किया गया। खरीद प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए बीडीएल ने विक्रेताओं द्वारा अपनी चिंताएं दर्ज कराने हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। वित्तीय वर्ष के दौरान खरीद प्रक्रिया में किसी शिकायत का मामला सामने नहीं आया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद को प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी। हमारी खरीद रणनीति सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हमारी आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बने रहें।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीडीएल ने अपनी कुल वार्षिक खरीद ₹3,370.23 करोड़ में से ₹1,234.94 करोड़, अर्थात् 36.64% की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद एमएसई से की, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित 25% की अनिवार्य खरीद सीमा से अधिक है। कुल वार्षिक खरीद में महिला एमएसई उद्यमों से खरीद 4.40%, अर्थात् ₹149.88 करोड़ रही, जबकि निर्धारित लक्ष्य 3% था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसएमई से खरीद कुल वार्षिक खरीद का 1.03%, अर्थात् ₹34.84 करोड़ रही, जबकि अनिवार्य खरीद लक्ष्य 4% था। इस अंतर को कम करने के लिए बीडीएल ने आगामी वित्तीय वर्ष में विशेष आउटरीच कार्यक्रम और विक्रेता विकास बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई है।

31 मार्च 2026 तक, एमएसई के लिए सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बीडीएल ने आरबीआई द्वारा अनुमोदित सभी पांच टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 927 एमएसई को जोड़ा गया।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम):

आपकी कंपनी ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर खरीदार और विक्रेता, दोनों के रूप में पंजीकरण कराया है। जेम का उपयोग सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जाता है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कुल ₹3,370.23 करोड़ की खरीद में से ₹2,972.79 करोड़ मूल्य की सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद जेम के माध्यम से की, जिसमें चरणबद्ध आपूर्ति शामिल है। यह सुव्यवस्थित खरीद प्रक्रियाओं के लिए जेम के प्रति आपकी कंपनी की सक्रिय सहभागिता और उपयोग को दर्शाता है।

11 प्रदर्शनियां:

वर्ष के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। ऐसी प्रदर्शनियों का विवरण और उनकी तस्वीरें निम्नलिखित हैं:

1. मिस्र रक्षा प्रदर्शनी (ईडीईएक्स-2025) का आयोजन 01 से 04 दिसंबर 2025 तक काहिरा, मिस्र स्थित मिस्र अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में किया गया। बीडीएल ने प्रदर्शक के रूप में इसमें भाग लिया।

 एयर मार्शल अम्र अब्देलरहमान साकर, मिस्र के वायु सेना कमांडर के नेतृत्व में एक सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने बीडीएल के स्टॉल का दौरा किया।







बीडीएल के निदेशक (तकनीकी) श्री डी. वी. श्रीनिवास राव के नेतृत्व में बीडीएल टीम के साथ मिस्र की नौसेना की संभावित आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उनकी परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और रुचि के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।





2. एलएएडी 2025 अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी प्रदर्शनी का आयोजन 01 से 04 अप्रैल 2025 तक रियोसेंट्रो, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में किया गया, जहां बीडीएल ने प्रदर्शक के रूप में भाग लिया।

तत्कालीन निदेशक (उत्पादन) श्री पी. वी. राजा राम ने ब्राजील गणराज्य स्थित भारतीय दूतावास के राजदूत श्री सुरेश के. रेड्डी, ब्राजील की नौसेना के नौसेना औद्योगिक निदेशक वाइस एडमिरल एड्रियानो मार्सेलिनो बतिस्ता तथा ब्रासीलिया, ब्राजील स्थित सुपीरियर डिफेंस स्कूल की कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल कार्ला लिरियो मार्टिंस को बीडीएल के उत्पादों और क्षमताओं का व्यापक परिचय देते हुए बीडीएल के पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी दी।





ब्राजील की कंपनी स्टेला के सीईओ श्री गिल्बर्टो बुफारा ने बीडीएल के स्टॉल का दौरा किया।



मेजर जनरल सेद्दीकी स्माइल, केंद्रीय सामग्री निदेशालय (सीडीएम) के निदेशक के नेतृत्व में अल्जीरियाई प्रतिनिधिमंडल ने बीडीएल के स्टॉल का दौरा किया।

3. डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल (डीएसईआई) एक द्विवार्षिक रक्षा एवं सुरक्षा व्यापार प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन 09 से 12 सितंबर 2025 तक लंदन, यूके में किया गया। बीडीएल ने इसमें प्रतिनिधिमंडल के रूप में भाग लिया।

तत्कालीन बीडीएल के सीएमडी कमोडोर ए. माधवराव (सेवानिवृत्त) ने श्री फ्लोरेंट, प्रबंधन समिति के सदस्य एवं एग्जीक्यूटिव ग्रुप डायरेक्टर, एक्सपोर्ट सेल्स; श्री जॉर्ज क्यारीकाइड्स, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन डायरेक्टर; तथा श्री शिमोन, यूके के रक्षा मंत्रालय (एमओडी) में स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम्स के निदेशक के साथ बैठक की।



12 निर्यात

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने रक्षा प्रणालियों के एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। पिछले वर्ष हासिल की गई मजबूत गति को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी ने अपने निर्यात विस्तार प्रयासों को तेज किया, मित्र देशों के साथ सहभागिता को मजबूत किया तथा स्वदेश में विकसित रक्षा प्लेटफॉर्म और हथियार प्रणालियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान का विस्तार किया।

बीडीएल की निर्यात रणनीति भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण तथा भारत को रक्षा विनिर्माण और निर्यात के एक अग्रणी वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप है। कंपनी के विविध पोर्टफोलियो में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें (एटीजीएम), सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां, टॉरपीडो, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम (सीएमडीएस) तथा अन्य उन्नत रक्षा उपकरण शामिल हैं। सिद्ध विश्वसनीयता, प्रतिस्पर्धी कीमतों और स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं के कारण इन उत्पादों को विदेशी ग्राहकों से लगातार उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलती रही है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बीडीएल ने ₹702.23 करोड़ का निर्यात कारोबार हासिल किया। निर्यात वृद्धि को गति देने के लिए बीडीएल ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय दूतावासों, रक्षा अताशे और चैनल भागीदारों के साथ सहयोग को और मजबूत किया, ताकि बाजार तक पहुंच और ग्राहक सहभागिता बढ़ाई जा सके। कंपनी ने ग्राहक संपर्क, बिक्री के बाद सहायता और दीर्घकालिक रणनीतिक सहभागिता को बेहतर बनाने के लिए विदेशों में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने के अवसरों पर भी काम किया। इसी क्रम में, वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने पश्चिमी एशिया में ग्राहक संपर्क, बिक्री के बाद सहायता और दीर्घकालिक रणनीतिक सहभागिता को बेहतर बनाने के लिए आर्मेनिया में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के रक्षा निर्यात ने एक नया रिकॉर्ड स्तर हासिल किया। यह भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षमताओं में बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करता है और उभरते तथा स्थापित दोनों अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बीडीएल के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करता है।

आगे भी बीडीएल अपनी मजबूत विनिर्माण क्षमताओं, सुदृढ़ उत्पाद पोर्टफोलियो और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने तथा भारत की बढ़ती रक्षा निर्यात महत्वाकांक्षाओं में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

13 आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशीकरण:

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) अनुबंध की शुरुआत से ही रक्षा प्रौद्योगिकियों के आक्रामक स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से गति प्रदान कर रहा है। बीडीएल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) समझौतों के तहत उन्नत मिसाइल प्रणालियों का विनिर्माण करता है।

विदेशी ओईएम के साथ हुए समझौतों में शुरुआत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए केवल 60% का आधार स्तर निर्धारित था, लेकिन बीडीएल की लक्षित आंतरिक पहलों के परिणामस्वरूप विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में स्वदेशी सामग्री का स्तर सफलतापूर्वक 80% से 90% से अधिक तक पहुंच गया है। स्वदेशी डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए प्लेटफॉर्म के मामले में बीडीएल ने 90% से अधिक का उल्लेखनीय स्वदेशीकरण स्तर हासिल किया है और पूर्ण आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार प्रयास जारी रखे हैं।

डिजिटल इकोसिस्टम एवं एमएसएमई सशक्तीकरण:
आयात पर निर्भरता को व्यवस्थित रूप से कम करने के लिए बीडीएल रक्षा मंत्रालय के सृजन पोर्टल का उपयोग करते हुए भारत के निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

- **लक्षित स्वदेशीकरण:** बीडीएल ने घरेलू इंजीनियरिंग समाधानों को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल पर 3,143 आयातित घटकों और टियर-1 विक्रेता मदों को सूचीबद्ध किया है।
- **प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड:** इस इकोसिस्टम के माध्यम से अब तक 228 महत्वपूर्ण घटकों का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया जा चुका है।
- **जमीनी स्तर पर सहयोग:** बीडीएल समर्पित विक्रेता विकास संगोष्ठियों और हार्डवेयर प्रदर्शनियों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को व्यापक तकनीकी परामर्श, नियामकीय मार्गदर्शन और प्रक्रियात्मक स्पष्टता प्रदान करता है।

रणनीतिक समन्वय एवं नीतिगत उपलब्धियां:
बीडीएल रक्षा मंत्रालय की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों (पीआईएल) के अनुरूप अपनी उत्पादन समय-सीमा निर्धारित करता है, जिनमें महत्वपूर्ण रक्षा हार्डवेयर के आयात पर सख्त प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। जारी की गई पांच पीआईएल में बीडीएल से संबंधित 59 मदों में से 51 का पूर्ण स्वदेशीकरण किया जा चुका है, जबकि शेष मदों का घरेलू विकास उन्नत चरण में है।.

अगली पीढ़ी के रक्षा नवाचार को बढ़ावा:
इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) कार्यक्रम के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से बीडीएल तकनीकी स्टार्टअप और उद्यमियों के साथ एक सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। समझौतों को औपचारिक रूप देकर और स्पष्ट समस्या विवरण निर्धारित करके, बीडीएल स्टार्टअप को विकास और व्यावसायीकरण के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध करा रहा है।

इस सहयोगात्मक नवाचार प्रक्रिया के माध्यम से पहले ही रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण तकनीकें विकसित की जा चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं:

» मिनीएचराइज्ड विजुअल इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम (एमवीआईजीएस)

» स्वायत्त मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए स्केलेबल वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क

» नाइट विजन गॉगल (एनवीजी) अनुकूल डिस्प्ले पैनल

» मिलिट्री ग्रेड कनेक्टर्स

» संजा 1 मिनी टर्बोजेट इंजन, जो स्वदेशी एयरोस्पेस प्रणोदन के भविष्य को गति प्रदान कर रहा है।

14 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदों में आरक्षण:

14.1 कंपनी भर्ती के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पदों में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करती रही है।

14.2 दिनांक 31 मार्च 2026 को कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या 2,101 थी, जिसमें चार कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं। कुल कर्मचारियों में 67 भूतपूर्व सैनिक, 434 अनुसूचित जाति, 196 अनुसूचित जनजाति, 772 अन्य पिछड़ा वर्ग और 12 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के कर्मचारी हैं। कर्मचारियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 20.66% और 9.33% है।

14.3 दिनांक 31 मार्च 2026 को विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है:

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या (सीवीओ को छोड़कर)									
	कुल संख्या		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		ईडब्ल्यूएस	
	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025
ग्रुप-ए	741	757	138	142	80	80	220	211	12	10
ग्रुप-बी	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0
ग्रुप-सी	1245	1375	262	284	106	110	507	526	0	0
ग्रुप-डी	113	135	34	39	10	10	43	53	0	0
अस्थायी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**2101**	**2269**	**434**	**465**	**196**	**200**	**772**	**792**	**12**	**10**

14.4 वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के कर्मचारियों की भर्ती का विवरण निम्नलिखित है:

पदों का वर्गीकरण	कुल जारी रिक्तियां	कुल की गई भर्तियां	पदों में आरक्षण				वर्ष 2025-26 के दौरान की गई भर्ती			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)			
			अजा	अजजा	अपिव. (ओबीसी-एनसीएल)	ईडब्ल्यूएस	अजा.	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस
ग्रुप-ए	87	42	16	04	20	08	07	04	09	04
ग्रुप-बी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रुप-सी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रुप-डी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**87**	**42**	**16**	**04**	**20**	**08**	**07**	**04**	**09**	**04**

14.5 महिलाओं का रोजगार:

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की वर्ष 1995-96 की वार्षिक प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा संख्या 51 के अनुच्छेद (ii)(a) के अनुसार, रक्षा मंत्रालय द्वारा अपने पत्र संख्या 39(6)/99/D(B&C), दिनांक 27 अगस्त 1999 के माध्यम से दिए गए निर्देशों के अनुरूप, 31 मार्च 2026 को महिलाओं के रोजगार की स्थिति निम्नलिखित है:

I. कार्यकारीगण

ग्रेड	कर्मचारियों की संख्या	महिलाएं	प्रतिशत
I	2	2	100
II	158	26	16.46
III	67	12	17.91
IV	191	30	15.71
V	150	22	14.67
VI	114	13	11.40
VII	49	6	12.24

ग्रेड	कर्मचारियों की संख्या	महिलाएं	प्रतिशत
VIII	6	1	16.67
IX	2	0	-
कार्यात्मक निदेशक	3	0	-
सीएमडी	1	0	-
कुल	**743**	**112**	**15.07**

II. गैर-कार्यकारीगण

ग्रेड	कर्मचारियों की संख्या	महिलाएं	प्रतिशत
डब्ल्यूजी-0	-	-	-
डब्ल्यूजी-1	-	-	-
डब्ल्यूजी-2	17	4	23.53
डब्ल्यूजी-3	61	10	16.39
डब्ल्यूजी-4	49	6	12.24
डब्ल्यूजी-5	90	17	18.89
डब्ल्यूजी-6	267	12	4.49
डब्ल्यूजी-7	148	29	19.59
डब्ल्यूजी-8	194	29	14.95
डब्ल्यूजी-9	118	16	13.56
डब्ल्यूजी-10	23	3	13.04
डब्ल्यूजी-11	80	3	3.75
डब्ल्यूजी-12	311	31	9.97
कुल	**1358**	**160**	**11.78**

14.6 31 मार्च 2026 को दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी):

31 मार्च 2026 को शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 86 थी, जो कुल कर्मचारियों का 4.09% है।

	वीआई	एचआई	एलडी	एमडी	कुल
ग्रुप-ए	06	06	10	02	24
ग्रुप-बी	00	00	00	00	00
ग्रुप-सी	08	15	31	00	54
ग्रुप-डी	03	02	03	00	08
कुल	**17**	**23**	**44**	**2**	**86**

एचआई: श्रवण बाधित, एलडी: चलन संबंधी दिव्यांगता, वीआई: दृष्टिबाधित, एमडी: बहु-दिव्यांगता

15 मानव संसाधन विकास:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपकी कंपनी ने भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यबल तैयार करने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। कंपनी ने आंतरिक और बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यपालकों और गैर कार्यपालकों के लिए 117 ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में कौशल विकास, तकनीकी अनुकूलन, नेतृत्व विकास और वैधानिक अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा कुल 2,519 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

i) दक्षता के अनुसार प्रशिक्षण का विस्तार

दक्षता श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
कौशल आधारित	90	1,388
नेतृत्व	22	282
उभरती प्रौद्योगिकी एवं एआई	12	249
व्यवहार संबंधी	10	455
साइबर सुरक्षा	7	444
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	4	217
पीओएसएच	3	380
बोर्ड स्तर	1	1
कुल	**117**	**2,519**

ii) प्रमुख प्रशिक्षण पहल एवं मुख्य बिंदु

» **सतर्कता जागरूकता (17.09.2025 से 03.11.2025):** सीवीसी द्वारा अनिवार्य किए गए प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें जेम क्रय, आचरण नियम, साइबर सुरक्षा, पीओएसएच और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को शामिल किया गया।

» **कौशल एवं डिजिटल परिवर्तन:** इंडस्ट्री 4.0, जेम खरीद, एसएपी (एचआर) तथा अनुबंध तैयार करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई टूल्स पर उन्नत प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित किए गए।

» **iGOT कर्मयोगी को अपनाना:** डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया गया, जिसमें **87% कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया**। पायलट चरण में 33% कर्मचारियों ने नैतिकता, शासन और साइबर सतर्कता से संबंधित प्रमुख मॉड्यूल पूरे किए।

» **अनिवार्य अभियान आधारित प्रशिक्षण:**

» **साधना सप्ताह:** iGOT के माध्यम से 16 एआई/जेनएआई पाठ्यक्रमों और 13 नेतृत्व/तकनीकी मार्केटप्लेस पाठ्यक्रमों को पूरा करना अनिवार्य किया गया।

» **अंतरराष्ट्रीय योग दिवस:** योग और तनाव प्रबंधन से संबंधित 8 विशेष मॉड्यूल के माध्यम से कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा दिया गया।

» **विशेषीकृत एवं आउटबाउंड कार्यक्रम:**

» प्रबंधन प्रशिक्षु: डीआईएटी, पुणे में मिसाइल प्रौद्योगिकी पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया।

» प्रबंधन विकास: ईशा लीडरशिप अकादमी, कोयंबटूर में "इनर इंजीनियरिंग" नेतृत्व कार्यक्रम आयोजित किए गए।

» **विविधता, समावेशन एवं समानता:** अजा./अजजा./अपिव./पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित आरक्षण एवं रोस्टर पर लक्षित कार्यशालाएं आयोजित की गईं। साथ ही, दिव्यांगजनों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विशेष सत्र आयोजित किए गए।

» **प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम (पीएमआईएस):** 03 जून 2025 को चरण 2 की शुरुआत की गई। कंपनी ने सभी इकाइयों में 300 इंटर्नशिप पद उपलब्ध कराए तथा इंटर्न को व्यापक मार्गदर्शन के साथ आवास, भोजन, परिवहन और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कीं।

16 कर्मचारियों का विवरण:

कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियां (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या GSR 463(E), दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से छूट प्राप्त है।

17 विदेशी दौरे:

विचाराधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने व्यावसायिक यात्राओं के लिए विदेशी यात्रा पर लगभग ₹3.07 करोड़ का व्यय किया।

18 औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण:

आपकी कंपनी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन तथा अजा., अजजा., अपिव., भूतपूर्व सैनिकों और अधिकारियों के संघों सहित सभी कर्मचारी वर्गों के सहयोग से सौहार्दपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखती है। कार्य समिति, सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंध समिति और कल्याण समिति जैसी वैधानिक एवं गैर वैधानिक समितियां कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

वैधानिक कल्याण प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन और सभी संघ प्रबंधन को पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे संगठन का सुचारु संचालन सुनिश्चित होता है।

19 सुरक्षा:

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) बीडीएल की कंचनबाग और भानुर इकाइयों में महत्वपूर्ण सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करता है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, सीआईएसएफ ने भौतिक सुरक्षा व्यवस्था को उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करके संगठन की संपत्तियों की सफलतापूर्वक सुरक्षा की। उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए संयंत्र सुरक्षा परिषद नियमित रूप से खुफिया ब्यूरो (आईबी) और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) की सिफारिशों को लागू करती है। इसके लिए बीडीएल के सुरक्षा विभाग और सीआईएसएफ अधिकारियों के बीच मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

जागरूकता एवं अवसंरचना उन्नयन

बीडीएल नियमित सुरक्षा एवं अग्नि जागरूकता कार्यक्रमों, जिनमें वार्षिक सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा सप्ताह शामिल हैं, के माध्यम से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। वैधानिक दिशा-निर्देशों के अनुपालन और परिचालन के आधुनिकीकरण के लिए, कंपनी ने इस वर्ष निम्नलिखित पहलों के माध्यम से अपनी सुरक्षा अवसंरचना को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत किया:

» **निगरानी एवं कमांड:** बीडीएल-कंचनबाग इकाई की परिधि और संयंत्र क्षेत्रों में घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियों से जुड़े 227 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तथा एक नवनिर्मित आधुनिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से जोड़ा गया।

» **प्रवेश एवं वाहन नियंत्रण:** अंडर-व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम (यूवीएसएस) स्थापित किया गया, ऑनलाइन वाहन पास प्रणाली शुरू की गई तथा सभी सीआईएसएफ कर्मियों और संविदा कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक सुविधा युक्त फोटो पहचान पत्र जारी किए गए।

» **जांच एवं अलर्ट:** प्रवेश द्वारों पर प्रभावी जांच के लिए 10 हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) खरीदे गए तथा तत्काल आपातकालीन सूचना के लिए सभी वॉचटावरों, अग्निशमन केंद्रों और गार्ड पोस्ट पर इलेक्ट्रिक सायरन लगाए गए।

» **प्रणाली का रखरखाव:** मौजूदा यूवीएसएस, एक्स-रे बैगेज स्कैनर और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी) सहित सभी प्रमुख सुरक्षा उपकरणों का निर्बाध परिचालन रखरखाव सुनिश्चित किया गया।

20 सुरक्षा:

आपकी कंपनी सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल बनाए रखने के लिए वैधानिक मानदंडों का कड़ाई से पालन करती है। कंचनबाग इकाई (केबीयू) में औद्योगिक सुरक्षा समिति और विस्फोटक सुरक्षा समिति परिचालन की निगरानी करती हैं। उत्पादन गतिविधियां कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुरूप संचालित की जाती हैं। विस्फोटकों के रखरखाव और उपयोग में रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के सेंटर फॉर फायर, एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी (सीएफईईएस) द्वारा तैयार एसटीईसी-2025 नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी निदेशक और इकाई प्रमुख नियमित रूप से सुरक्षा मानकों की समीक्षा करते हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने बाहरी ऑडिट के माध्यम से अपने सुरक्षा मानकों का सत्यापन कराया। बीडीएल ने सीएफईईएस, नई दिल्ली द्वारा किए गए वार्षिक विस्फोटक सुरक्षा ऑडिट में की गई सभी टिप्पणियों का पूर्ण अनुपालन किया। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) को जनवरी 2026 में बिना किसी प्रमुख गैर-अनुरूपता के आईएसओ 14001:2015 का बाहरी पुनःप्रमाणीकरण प्राप्त हुआ।

सक्रिय सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, बीडीएल ने बाहरी सुरक्षा प्रदर्शन बोर्ड लगाए और व्यापक जागरूकता अभियान आयोजित किए। 04 मार्च 2026 को 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस एक माह लंबे अभियान के रूप में मनाया गया, जिसका समापन 29 मार्च 2026 को हुआ। इस दौरान सुरक्षा शपथ दिलाने, बैज वितरित करने और बैनर प्रदर्शित करने जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। कंपनी ने सुरक्षा क्विज, अग्निशमन प्रदर्शन तथा हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी में बहुभाषी स्लोगन, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित कीं।

कार्यबल का प्रशिक्षण और स्वास्थ्य निगरानी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। बीडीएल ने नए कर्मचारियों और प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए व्यवस्थित सुरक्षा इंडक्शन प्रशिक्षण प्रदान किया। कंपनी ने 550 स्थायी और संविदा कर्मचारियों के लिए आंतरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के 10 बैच आयोजित किए तथा तीन बाहरी सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजन किया। आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी बनाए रखने के लिए नियमित अग्निशमन मॉक ड्रिल भी आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और कैंटीन कर्मचारियों के लिए विशेष चिकित्सा जांच तथा अन्य सभी कर्मचारियों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच की गई।

सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग वैधानिक सुरक्षा दिशा-निर्देशों को सुचारु रूप से अद्यतन और लागू करने के लिए तेलंगाना राज्य कारखाना विभाग, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) और सीएफईईएस (एमओडी) के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने एमओयू 2025-26 के तहत अनुपालन आवश्यकताओं के एक भाग के रूप में निम्नलिखित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पहलों का आयोजन किया:

1) **सभी इकाइयों में दूसरी/तीसरी तिमाही के दौरान 40 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच का आयोजन:** 40 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए व्यापक चिकित्सा शिविर और विशेष स्वास्थ्य जांच आयोजित की गईं। इन पहलों के माध्यम से कर्मचारियों, सीआईएसएफ कर्मियों, टाउनशिप निवासियों और कैंटीन कर्मचारियों सहित कुल 630 व्यक्तियों को निवारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं।

2) **जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए त्रैमासिक चिकित्सा जांच का आयोजन:** जोखिमपूर्ण क्षेत्रों और इलेक्ट्रोप्लेटिंग अनुभाग में कार्यरत लगभग 100 कर्मचारियों के लिए समय-समय पर चिकित्सा जांच आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, वायर स्पूल और जाइरो अनुभागों में कार्यरत लगभग 51 कर्मचारियों के लिए विशेष नेत्र जांच भी की गई।

3) **तीसरी/चौथी तिमाही में सभी महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता सत्रों के साथ कैंसर जांच शिविरों का आयोजन:** हेपेटाइटिस एवं लिवर स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान तथा विशेष कैंसर जांच शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 292 कर्मचारी शामिल हुए।

4) **प्रत्येक इकाई में कम से कम 120 कर्मचारियों के लिए सुरक्षा पुनश्चर्या (आंतरिक) प्रशिक्षण का आयोजन:** आंतरिक एवं बाहरी विशेषज्ञों द्वारा लगभग 800 कर्मचारियों को सुरक्षा पुनश्चर्या प्रशिक्षण और विशेषीकृत विस्फोटक क्षेत्र प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

5) **कम से कम 40 कर्मचारियों के लिए वैधानिक सुरक्षा विनियमों पर (बाहरी/आंतरिक) प्रशिक्षण का आयोजन:** राज्य और राष्ट्रीय सुरक्षा निकायों द्वारा आंतरिक एवं बाहरी कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 50 कर्मचारियों को वैधानिक सुरक्षा विनियमों, सुरक्षा संस्कृति और जोखिम की पहचान पर प्रशिक्षण दिया गया।

6) **आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मचारियों के लिए सुरक्षा जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन:** आउटसोर्स किए गए 36 कर्मचारियों/जीओसीओ कार्मिकों के लिए सुरक्षा मानकों एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा बलों के साथ 600 प्रतिभागियों के लिए उन्नत सामरिक आपातकालीन मॉक ड्रिल आयोजित की गईं।

21 पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ईएसजी):

कंपनी की पर्यावरण नीति के अनुसार, आपकी कंपनी पर्यावरण अनुकूल तरीके से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उत्पादों के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण संबंधी प्रमुख प्रतिबद्धताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

» पर्यावरण का संरक्षण करना और सभी प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम करना।

» अनुपालन संबंधी दायित्वों को पूरा करना।

» प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।

» पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करना।

आपकी कंपनी विभिन्न पहलों और प्रमाणनों के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और नियामकीय अनुपालन के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है। कंचनबाग, भानुर और विशाखापत्तनम स्थित तीनों इकाइयों में निम्नलिखित प्रमुख पर्यावरण प्रबंधन प्रथाएं और उपाय लागू किए गए हैं:

पर्यावरण प्रबंधन प्रथाएं:

1. आईएसओ 14001:2015 प्रमाणन:

» सभी इकाइयों को आईएसओ 14001:2015 (ईएमएस) के तहत पुनःप्रमाणित किया गया है, ताकि प्रदूषण के स्तर का आकलन किया जा सके और कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

2. अपशिष्ट प्रबंधन:

» **प्लास्टिक के उपयोग में कमी:** प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए परिपत्र जारी किया गया।

» **ई-कचरा एवं खतरनाक अपशिष्ट:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से इनका निपटान किया जाता है।

» **ठोस अपशिष्ट:** ठोस अपशिष्ट, विशेष रूप से लौह एवं अलौह धातुओं का निपटान सरकारी उपक्रम मेसर्स एमएसटीसी के माध्यम से किया जाता है।

» **जैव चिकित्सा अपशिष्ट:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से इसका निपटान किया जाता है।

» **हाउसकीपिंग:** स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उचित हाउसकीपिंग प्रथाओं का पालन किया जाता है।

3. शून्य तरल अपशिष्ट निर्वहन प्रणाली:

» **अपशिष्ट जल का उपचार:** अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र से उपचारित जल को रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) के माध्यम से आगे उपचारित किया जाता है।

» **उपचारित जल का उपयोग:**

 » आरओ से उपचारित जल का उपयोग डिमिनरलाइज्ड वाटर (डीएम) संयंत्र में डीएम वाटर के उत्पादन के लिए किया जाता है।

 » आरओ से उपचारित जल को डिमिनरलाइज्ड वाटर (डीएम) में परिवर्तित किया जाता है।

» **बागवानी:** सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित जल का उपयोग परिसर में बागवानी के लिए किया जाता है।

4. ऑडिट एवं निगरानी:

» **आंतरिक एवं सर्विलांस ऑडिट:** सभी इकाइयों में प्रमाणन निकायों द्वारा नियमित अंतराल पर आंतरिक एवं सर्विलांस ऑडिट किए जाते हैं।

» **पर्यावरणीय मानकों की निगरानी:**

 » परिवेशी वायु गुणवत्ता, डीजी सेट/वेंचुरी स्क्रबर की स्टैक गुणवत्ता, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की निगरानी की जाती है।

 » निर्धारित आवृत्ति के अनुसार शोर के स्तर की जांच की जाती है।

» **संसाधनों की निगरानी:** अलग-अलग जल मीटरों के माध्यम से जल की मात्रा की निगरानी की जाती है तथा सहमति की शर्तों के अनुपालन के लिए विद्युत खपत पर भी नजर रखी जाती है।

5. विश्व पर्यावरण दिवस 2025

विश्व पर्यावरण दिवस 2025 को बीडीएल की सभी इकाइयों में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए और 05 जून 2025 को पौधारोपण किया गया। "**प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना**" विषय पर स्लोगन, निबंध लेखन और क्विज प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।





श्री जी. गायत्री प्रसाद, निदेशक (वित्त) ने कंचनबाग में पौधारोपण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महाप्रबंधकगण, अपर महाप्रबंधकगण एवं वरिष्ठ कार्यपालकगण, यूनियन प्रतिनिधिगण तथा कर्मचारियों ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया।





एट्री के वरिष्ठ फेलो एवं एथ्नोबॉटनिस्ट डॉ. सिद्धप्पा शेट्टी तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद के प्रो. डॉ. चेतन श्रीवास्तव ने विषय पर संबोधित किया। इसमें प्लास्टिक के उपयोग तथा दैनिक जीवन में इसके उपयोग को किस प्रकार टाला या कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।





श्री एल. किशन, कार्यकारी निदेशक (इकाई प्रमुख, बीयू) ने भानुर इकाई में पौधारोपण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपर महाप्रबंधकगण, उप महाप्रबंधकगण, कोर टीम के सदस्यगण, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिगण, कर्मचारिगण और कॉलोनी निवासीगण ने इस अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया।









इस अवसर पर शपथ भी दिलाई गई। कर्मचारियों को कपड़े के थैले वितरित किए गए। समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।





विशाखापत्तनम इकाई में अपर महाप्रबंधक एवं इकाई प्रमुख (वीयू) श्री आर. श्रीधर सिंह ने एजीएम, डीजीएम और कोर टीम के सदस्यगण के साथ वाइब्रेशन बिल्डिंग के आसपास पौधे लगाए।









अपर महाप्रबंधक एवं इकाई प्रमुख (वीयू) ने "**प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना**" विषय पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। अतिथि वक्ता प्रो. डॉ. सोलोमन राजू, पर्यावरण विज्ञान विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम ने प्लास्टिक के प्रकारों और पृथ्वी पर जीवन पर इसके हानिकारक प्रभावों सहित विषय पर संबोधित किया। विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

22 गुणवत्ता:

कंचनबाग, भानुर और विशाखापत्तनम इकाइयों के सभी उत्पादन प्रभाग/इकाइयां एएस 9100डी, जो एयरोस्पेस गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का मानक है, से प्रमाणित हैं। कंचनबाग, भानुर और विशाखापत्तनम इकाइयां आईएसओ 14001:2015 (ईएमएस) से भी प्रमाणित हैं, जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का मानक है। कॉरपोरेट कार्यालय को आईएसओ 9001:2015 (क्यूएमएस) के तहत पुनःप्रमाणित किया गया है, जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों पर केंद्रित है। एमआरएसएएम प्रभाग भी एएस 9100डी से प्रमाणित है और इसका प्रमाणपत्र तीन वर्ष के लिए वैध है। मैटेरियल टेस्टिंग लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब और स्टैंडर्ड लैब आईएसओ/आईईसी 17025:2017 से प्रमाणित हैं, जो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं की दक्षता से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग एएफक्यूएमएस (किसी फर्म और उसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का अनुमोदन) से प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त, बीडीएल के पास सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2022 प्रमाणन भी है। सभी आईएसओ/एएस प्रमाणित प्रभागों के लिए आंतरिक ऑडिट कंपनी के अपने आंतरिक ऑडिटर द्वारा किए जाते हैं, जबकि निर्धारित आवृत्ति के अनुसार प्रमाणन निकायों द्वारा सर्विलांस ऑडिट किए जाते हैं।

इन प्रमाणनों के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ग्राहकों के साथ बैठक और उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। प्रक्रियाओं में सुधार लाने और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जहां आवश्यक हो, वहां सुधारात्मक कार्रवाइयां लागू की जाती हैं।

23 राजभाषा

23.1 आपकी कंपनी राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन को कड़ाई से सुनिश्चित करती है। सीएमडी और निदेशकों की अध्यक्षता में त्रैमासिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा प्रगति रिपोर्ट समय पर संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत की जाती हैं। वैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन में संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों, वार्षिक रिपोर्ट, रक्षा मंत्रालय के एमओयू, कॉरपोरेट ब्रीफ और संसदीय प्रस्तुतियों सहित सभी प्रमुख दस्तावेज द्विभाषी रूप में तैयार एवं प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट को भी नियमित रूप से हिंदी में अद्यतन किया जाता है।

23.2 हिंदी के प्रचार-प्रसार में कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को वर्ष के दौरान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बीडीएल को क्षेत्र 'ग' (2024-25) में राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। 14 सितंबर 2025 को इंदौर में आयोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम के दौरान माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने यह पुरस्कार महाप्रबंधक (मानव संसाधन) को प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) ने दोनों शहरों में उत्कृष्ट कार्य के लिए बीडीएल को "नराकास राजभाषा शील्ड" प्रदान की तथा बीडीएल की गृह पत्रिका 'बीडीएल भारती' को नराकास सर्वश्रेष्ठ पत्रिका पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा, बीडीएल के कर्मचारियों ने नराकास (उपक्रम) द्वारा आयोजित अंतर-पीएसयू प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और छह पुरस्कार जीते।

23.3 हिंदी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए बीडीएल ने संस्थागत, साहित्यिक और तकनीकी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। 01 से 29 सितंबर 2025 तक दो चरणों में हिंदी माह मनाया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं तथा हिंदी मौलिक कार्य प्रोत्साहन योजना के विजेताओं और लाभार्थियों के लिए पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। 17 मार्च 2026 को कंपनी ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और राजभाषा के आयामों पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की, जिसके बाद प्रख्यात कवियों की सहभागिता वाली 'कवि गोष्ठी' आयोजित की गई। अगले दिन तकनीकी व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें कार्यपालकों ने विभिन्न तकनीकी विषयों पर हिंदी में प्रस्तुतियां दीं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा और संविधान दिवस सहित प्रमुख कॉरपोरेट कार्यक्रम भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सुचारु रूप से आयोजित किए गए।

23.4 बीडीएल कार्यबल की क्षमता निर्माण और अपने कर्मचारियों में नियमित पठन-पाठन की आदत विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 335 अधिकारियों को शामिल करते हुए 10 विशेष कार्यशालाएं आयोजित कीं। इन सत्रों में भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा विकसित स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ 2.0' का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। भारत सरकार की राजभाषा नीति से नए नियुक्त कार्यपालकों को परिचित कराने के लिए 08 नवंबर 2025 को एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मौलिक तकनीकी और गैर-तकनीकी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने अपनी समर्पित ई-पत्रिका 'बीडीएल भारती' के 5वें और 6वें अंक प्रकाशित किए। इसके अतिरिक्त, बीडीएल संगठन में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए नियमित रूप से 10 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की सदस्यता लेती है तथा हर वर्ष लोकप्रिय हिंदी पुस्तकों की खरीद करती है।

24 सतर्कता:

24.1 आपकी कंपनी का सतर्कता विभाग संस्थागत पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से निवारक और सक्रिय सतर्कता पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान विभाग ने अचल संपत्ति नियमों, एसएपी एचआर मॉड्यूल प्रबंधन, संविदा कर्मचारियों की उपस्थिति, एकल स्रोत निविदा और यात्रा भत्ता बिलों सहित महत्वपूर्ण परिचालन क्षेत्रों से संबंधित प्रणालीगत सुधार के लिए आठ सुझाव जारी किए। इनमें से कई सुझावों को प्रबंधन द्वारा पहले ही सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की विस्तारित शाखा के रूप में विभाग ने सीवीसी, रक्षा मंत्रालय और बीडीएल बोर्ड को नियमित रूप से मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक और मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कीं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने भर्ती, पदोन्नति, स्थायीकरण, विदेशी दौरों और संवेदनशील क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए आवश्यक सतर्कता मंजूरियों की प्रक्रिया पूरी की तथा सीवीसी की नीतियों के अनुरूप शिकायतों को प्राथमिकता दी।

24.2 सीवीसी के निर्देशों के अनुपालन में, बीडीएल ने 18 अगस्त से 17 नवंबर 2025 तक सभी इकाइयों में तीन माह का व्यापक निवारक सतर्कता अभियान चलाया। इस विशेष अभियान में लंबित शिकायतों और मामलों का समय पर निपटान, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, परिसंपत्ति प्रबंधन और डिजिटल पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवधि का प्रमुख कार्यक्रम सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) था, जो 27 अक्टूबर से 02 नवंबर 2025 तक "सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" विषय पर मनाया गया। सप्ताह की शुरुआत कंचनबाग, भानुर, विशाखापत्तनम और इब्राहिमपट्टनम इकाइयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामूहिक सत्यनिष्ठा शपथ दिलाकर की गई, जिसमें 2,310 कर्मचारियों ने भाग लिया। समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के आधिकारिक संदेशों का वाचन भी किया गया।

24.3 सुरक्षा और अनुपालन मूल्यों को संस्थागत रूप देने के लिए कंपनी ने कई जागरूकता एवं प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए। बीडीएल ने कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक खरीद, साइबर स्वच्छता, अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं, सीवीसी की शिकायत नीतियों तथा जांच एवं प्रस्तुतिकरण अधिकारियों की भूमिकाओं पर आंतरिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। प्रमुख स्थानों पर विषय आधारित बैनर, मोबाइल संदेश अलर्ट और कॉरपोरेट वेबसाइट पर उपलब्ध ई-सत्यनिष्ठा शपथ लिंक के माध्यम से जनजागरूकता भी बढ़ाई गई। इसके अलावा, भानुर इकाई ने सिंगापुरम गांव में भ्रष्टाचार विरोधी वॉकाथॉन आयोजित किया, जिसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) और निदेशक (वित्त) के नेतृत्व में 350 कर्मचारियों ने भाग लिया। कॉरपोरेट वाणिज्य विभाग ने विक्रेता विविधीकरण को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और भागीदारों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाने के लिए ऑनलाइन विक्रेता बैठक भी आयोजित की।

24.4 अभियान का समापन उच्च स्तरीय समापन समारोह के साथ हुआ, जिसमें वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा समीक्षा और आधिकारिक प्रकाशन शामिल रहे। श्री वी. वी. लक्ष्मी नारायण, आईपीएस (सेवानिवृत्त) ने मुख्य अतिथि के रूप में कंचनबाग इकाई का दौरा किया। वहां तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) ने उन्हें कंपनी के परिचालन से अवगत कराया, जिसके बाद सीवीओ ने निवारक सतर्कता पर प्रस्तुति दी। वरिष्ठ कार्यपालकों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने बीडीएल की पारदर्शिता संबंधी पहलों की सराहना की और संस्थागत सतर्कता की निरंतर आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर बीडीएल के वार्षिक सतर्कता न्यूजलेटर "चेतना" का छठा अंक आधिकारिक रूप से जारी किया गया, जिसमें वर्ष की उपलब्धियों को संकलित करने के साथ भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता को निरंतर बढ़ावा दिया गया।

24.5 बीडीएल के कॉरपोरेट वाणिज्य विभाग द्वारा 28.10.2025 को ऑनलाइन विक्रेता बैठक आयोजित की गई। बीडीएल की सीवीओ श्रीमती स्फूर्ति रेड्डी, आईआरएस ने विक्रेता बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। श्री डी. वी. श्रीनिवास राव, निदेशक (तकनीकी) एवं निदेशक (उत्पादन) का अतिरिक्त प्रभार ने विक्रेताओं को 'नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा शपथ' दिलाई तथा निर्भरता कम करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बहु-विक्रेता विकास पर जोर दिया।







मुख्य अतिथि के रूप में श्री वी. वी. लक्ष्मी नारायण, आईपीएस (सेवानिवृत्त) ने समापन समारोह के लिए बीडीएल, कंचनबाग इकाई का दौरा किया।



बीडीएल के वार्षिक सतर्कता न्यूजलेटर 'चेतना' के छठे अंक का विमोचन।

25 रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार-रोधी नीति:

आपकी कंपनी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाती है। आपकी कंपनी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे इसमें सरकारी अधिकारी अथवा निजी क्षेत्र के व्यक्ति या कंपनी शामिल हों और चाहे यह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। निदेशक मंडल ने रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार-रोधी नीति को अनुमोदित किया है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है: https://bdl-india.in/sites/default/files/BDLACABPolicy_0.pdf

26 निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

26.1 कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक (अर्थात् गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक) शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति समय-समय पर भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों का कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा लोक उद्यम चयन बोर्ड/खोज समिति के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। भारत सरकार के पत्र में उनकी नियुक्ति के विस्तृत नियम एवं शर्तों का भी उल्लेख होता है, जिसमें कंपनी के प्रासंगिक नियमों के लागू होने का प्रावधान भी शामिल है।

26.2 सरकार द्वारा नामित निदेशक किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते। स्वतंत्र निदेशक (अर्थात् गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक) सरकार के निर्देशों तथा वैधानिक अधिनियमों, नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

26.3 स्वतंत्र निदेशक (अर्थात् गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक)

वर्ष के दौरान दो (2) स्वतंत्र निदेशकों में से एक स्वतंत्र निदेशक, अर्थात् श्री यशवंत लाल का कार्यकाल 24 फरवरी 2026 से समाप्त हो गया। निदेशक मंडल ने उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए मूल्यवान योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या M0001(11)/3/2018-D(BDL), दिनांक 22.04.2025 के माध्यम से श्री चेतन बंसीलाल कांकड़िया को एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो पहले हो, अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया था। उनका कार्यकाल भी 22 अप्रैल 2026 से समाप्त हो गया। निदेशक मंडल ने उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए मूल्यवान योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा संबंधी विवरण:

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत घोषणा दी है कि वे उक्त अधिनियम की धारा 149(6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

26.4 वर्ष के दौरान, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 8 (32)/2019-D (Coord/DDP), दिनांक 14.07.2025 के माध्यम से सुश्री मीरा मोहंती, संयुक्त सचिव (पीएंडसी) को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी निदेशक) के रूप में नियुक्त किया, जिन्होंने श्री अमित सतीजा का स्थान लिया। निदेशक मंडल ने श्री अमित सतीजा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए मूल्यवान योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और उसकी सराहना की।

26.5 वर्ष के दौरान, श्री पी.वी. राजा राम, निदेशक (उत्पादन), 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए और उनकी सेवानिवृत्ति के साथ बीडीएल के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। निदेशक मंडल ने उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए मूल्यवान योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या DDP-M0001(11)/1/2025-D(BDL) Pt.1, दिनांक 04 फरवरी 2026 के माध्यम से कमोडोर सुजय कपूर (सेवानिवृत्त) को निदेशक (उत्पादन) नियुक्त किया। उन्होंने 06 मार्च 2026 से बीडीएल के निदेशक मंडल में निदेशक (उत्पादन) का कार्यभार ग्रहण किया।

26.6 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, श्री डी.वी. श्रीनिवास राव, निदेशक (तकनीकी), आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

26.7 उपर्युक्त के अतिरिक्त, कंपनी में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

26.8 निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशक मंडल की छह (6) बैठकें 27 मई 2025, 12 अगस्त 2025, 26 सितंबर 2025, 13 नवंबर 2025, 29 दिसंबर 2025 और 31 जनवरी 2026 को आयोजित की गईं।

26.9 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(p) के अंतर्गत निदेशक मंडल के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि सभी सरकारी कंपनियों को आवश्यक छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं {एलओडीआर}) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DIL1/OW/P/2018/1679/1, दिनांक 17 जनवरी 2018 के माध्यम से आपकी कंपनी को भी ऐसी ही छूट प्रदान की गई थी।

26.10 निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल द्वारा गठित निम्नलिखित वैधानिक समितियां अपने संबंधित दायित्वों और निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्य करती हैं:

» लेखा परीक्षा समिति

» नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

» कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

» हितधारक संबंध समिति

» जोखिम प्रबंधन समिति

आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपलब्धता न होने के कारण लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को 24 फरवरी 2026 से निलंबित कर दिया गया। बीडीएल एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) होने के कारण सभी निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत सरकार में निहित है। संबंधित समितियों की संरचना, कार्यक्षेत्र और उनके द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या का विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस पर प्रतिवेदन में दिया गया है, जो इस वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा है।

27 लेखा परीक्षा समिति:

वर्ष 2025-26 के दौरान, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और उनकी पर्याप्तता की समीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें लेखा परीक्षा संबंधी कार्यों का कवरेज भी शामिल था। समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र आदि का विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस पर प्रतिवेदन में दिया गया है।

28 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सततता:

28.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के प्रावधानों और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न स्पष्टीकरणों/संशोधनों तथा डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अपनी सीएसआर नीति के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की हैं। कार्यक्रमों/पहलों/परियोजनाओं का चयन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप किया जाता है, जिन्हें सीएसआर नीति में विधिवत शामिल किया गया है और जो हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य करते हैं। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुरूप कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास (सीएसआर एवं एसडी) संबंधी बोर्ड स्तर की समिति गठित की है (कृपया कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन देखें)। समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट परियोजनाओं/गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सीएसआर नीति तैयार की और उसे निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन एवं अनुशंसा के लिए प्रस्तुत किया।

28.2 आपकी कंपनी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अत्यंत सजग रही है। आपकी कंपनी ने विभिन्न योजनाओं को प्रायोजित करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पिछड़े/अविकसित क्षेत्रों में भी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियां संचालित की हैं।

28.3 सीएसआर के अंतर्गत प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, शिक्षा एवं साक्षरता, कौशल विकास एवं सतत आजीविका, स्वच्छता आदि शामिल हैं।

28.4 सीएसआर एवं एसडी संबंधी गतिविधियों की समिति द्वारा समय-समय पर निगरानी की जाती है तथा वर्ष 2025-26 के दौरान संचालित सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों पर विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

28.5 वर्ष 2025-26 के दौरान सीएसआर एवं एसडी संबंधी दायित्व ₹1,326.63 लाख था। कुल सीएसआर दायित्व के विरुद्ध कंपनी ने ₹1,344.71 लाख का व्यय किया तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित सीएसआर लक्ष्य का 100% प्राप्त किया। संचालित सीएसआर गतिविधियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/csr-projects पर उपलब्ध है।

29 जोखिम प्रबंधन:

कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है। इस नीति का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के जोखिमों की पहचान और विश्लेषण के माध्यम से जोखिम जोखिमों को समाप्त करना या कम करना तथा जोखिम न्यूनीकरण उपाय करने के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। नीति में यह प्रावधान है कि सभी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की समीक्षा में जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं की पूर्णता और उनका औपचारिक समापन होने तक हुई प्रगति को दर्शाया जाएगा।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुसार, कंपनी ने जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति और उसके कार्यक्षेत्र, जोखिम प्रबंधन नीति आदि का विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में दिया गया है।

30 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की यथासंशोधित धारा 134(3)(ग) और 134(5) के अनुसार, निदेशक यह घोषित करते हैं कि:

(i) वार्षिक लेखों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा किए गए निर्णय और अनुमान उचित एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च 2026 को कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके।

(iii) निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान की जा सके।

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू व्यवसाय की अवधारणा के आधार पर तैयार किए हैं।

(v) निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं, जिनका कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

31 महत्वपूर्ण एवं अहम आदेश:

नियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण एवं अहम आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसका कंपनी की चालू व्यवसाय की स्थिति और भविष्य में उसके परिचालन पर प्रभाव पड़ता हो।

32 वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएं:

31 मार्च 2026 और इस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं शून्य हैं।

33 वार्षिक रिटर्न:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिवेदन वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/sites/default/files/Draft_AnnualReturn_2025-26_0.pdf पर उपलब्ध है।

34 संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन:

विचाराधीन वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ, जिससे कंपनी के समग्र हित के साथ संभावित हितों का टकराव हो सकता हो। अतः फॉर्म एओसी-2 में प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन के विवरण के लिए सदस्यगण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का संदर्भ ले सकते हैं। संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन संबंधी नीति कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/sites/default/files/PolicyonRelatedPartyTransactions_1_1.pdf पर उपलब्ध कराई गई है।

35 ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिया गया है।

36 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू) होने के नाते, आपकी कंपनी को ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय से संबंधित विशिष्ट जानकारी का खुलासा करने से छूट प्राप्त है। यह छूट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अंतर्गत प्रदान की गई है। इन नियमों में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2015 को अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 680(ई) के माध्यम से संशोधन किया गया था।

हालांकि, सतत विकास के प्रति प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी ने अपने परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय सक्रिय रूप से लागू किए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

» **100% नवीकरणीय ऊर्जा:** हरित ऊर्जा टैरिफ अपनाकर तथा 100% हरित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए सभी विनिर्माण इकाइयों में नवीकरणीय ऊर्जा पर पूर्ण निर्भरता हासिल की गई है।

» **हरित अवसंरचना:** डिजाइन एवं इंजीनियरिंग भवन को पर्यावरण-अनुकूल सुविधा में परिवर्तित किया गया है, जिसके लिए यूएसजीबीसी से प्रतिष्ठित 'प्लेटिनम रेटिंग' प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

» **पर्यावरण-अनुकूल आवागमन:** परिसर के भीतर आवागमन को बेहतर बनाने के लिए बैटरी से संचालित वाहनों को शामिल किया गया है, जिनमें चार इलेक्ट्रिक साइकिल और एक इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल हैं।

» **ऊर्जा-कुशल उपकरण:** सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को उन्नत करते हुए 320 बीएलडीसी पंखे, 11 वीएफडी, 35 ऑक्यूपेंसी सेंसर, 2 एपीएफसी कंट्रोलर तथा 3 उच्च-दक्षता वाले आईई4 मोटर स्थापित किए गए हैं।

37 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां:

आपकी कंपनी ने वित्तीय औचित्य के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक आंतरिक नियंत्रण एवं प्रणालियां स्थापित की हैं। इनकी पर्याप्तता सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाह्य लेखापरीक्षा फर्मों की नियुक्ति की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा फर्मों की रिपोर्टों के साथ-साथ कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण समीक्षा एवं परामर्श के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की समीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है तथा इसका उल्लेख उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया जाता है। आवश्यक प्रकटीकरण लेखा पर टिप्पणियों में किया गया है। सरकारी कंपनी होने के कारण आपकी कंपनी सरकारी लेखापरीक्षा के अधीन भी है।

38 लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मेसर्स तेज राज एंड पाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हैदराबाद को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। लेखापरीक्षकों ने लेखों का लेखापरीक्षण किया है और इसमें कोई अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

लागत लेखापरीक्षक:

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों के लेखापरीक्षण हेतु मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, लागत लेखाकार, हैदराबाद को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी अपने विनिर्माण कार्यकलापों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत अभिलेखों का रखरखाव करती है।

सचिवीय लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की अवधि के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षण करने हेतु मेसर्स सी. वी. रेड्डी के एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (पीसीएस पंजीकरण संख्या 7976) को नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

39 सीईओ/सीएफओ प्रमाणन:

सेबी लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार, सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है और इसे लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

40 लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग:

वर्ष के दौरान, न तो सांविधिक लेखापरीक्षक और न ही सचिवीय लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(2) के अंतर्गत कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध की गई किसी धोखाधड़ी की घटना की रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड को की है, जिसका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में दिया जाना आवश्यक हो।

41 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

42 कॉरपोरेट गवर्नेंस:

42.1 कॉरपोरेट गवर्नेंस का तात्पर्य सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं के अनुप्रयोग, कानूनों के अनुपालन तथा नैतिक मानकों के पालन से है, ताकि कंपनी के हितधारकों के मूल्य में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जा सके। कंपनी में व्यावसायिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित है।

42.2 डीपीई द्वारा 14 मई 2010 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8)/2005-जीएम के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देशों तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट तथा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न हैं।

42.3 कॉरपोरेट गवर्नेंस पर त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में स्टॉक एक्सचेंजों और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) को भेजी जा रही हैं।

42.4 कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठकों और सामान्य बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

42.5 दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है तथा किसी बैंक या वित्तीय संस्था के साथ एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं है।

42.6 कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

43 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 को कंपनी में अधिसूचित किया गया है। समय-समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। अधिकारियों पर लागू बीडीएल सीडीए नियमों तथा कामगारों पर लागू प्रमाणित स्थायी आदेशों में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया है। 31 मार्च 2026 तक प्राप्त, निपटाई गई और लंबित यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है:

क)	प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	1
ख)	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	:	0
ग)	लंबित शिकायतों की संख्या	:	1
घ)	90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	:	1

44 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अनुपालन:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध है। इसमें कंपनी की सामान्य जानकारी, कार्य, कर्मचारियों/अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया, कंपनी द्वारा रखे गए नियम, विनियम, मैनुअल एवं अभिलेख, कंपनी के अधिकारियों की निर्देशिका, अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान तथा सूचना प्राप्त करने और अभिलेखों के निरीक्षण की प्रक्रिया शामिल है। कंपनी ने प्रश्नों और अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को नामित किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को 215 आवेदन/प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 199 आवेदनों का निपटारा किया गया और 02 (दो) आवेदनों को अन्य लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित किया गया। 14 सूचना का अधिकार संबंधी प्रश्न प्रक्रियाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, प्राप्त 31 अपीलों में से 31 का निपटारा अंतिम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है।

45 सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) को कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 7 (यथासंशोधित) तथा सीपीएसई के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के साथ पढ़े जाने के अनुसार, निदेशक मंडल ने व्हिसल ब्लोअर/सतर्कता तंत्र संबंधी नीति को मंजूरी दी है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। नीति में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच का प्रावधान किया गया है।

कर्मचारियों को व्हिसल ब्लोअर के माध्यम से अपनी किसी भी चिंता को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

46 व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट:

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट ("बीआरएसआर रिपोर्ट") को शामिल करना अनिवार्य किया है। आपकी कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (यथासंशोधित) की आवश्यकताओं का अध्ययन करने तथा उस व्यावसायिक और शासन परिवेश को ध्यान में रखते हुए, जिसमें बीडीएल एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम के रूप में कार्य करता है, बीआरएसआर रिपोर्ट के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया है। वर्ष के लिए कंपनी की बीआरएसआर रिपोर्ट बीडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

47 लाभांश वितरण नीति:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (यथासंशोधित) के अनुसार, आपकी कंपनी ने लाभांश वितरण नीति अपनाई है, जिसमें उन मापदंडों और परिस्थितियों को निर्धारित किया गया है जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश वितरित करने और/या लाभ को व्यवसाय में बनाए रखने का निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाएगा। यह नीति बीडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

48 आभार:

48.1 आपके निदेशक विभिन्न सरकारी एजेंसियों, जिनमें रक्षा मंत्रालय, डीपीएसयू, रक्षा उत्पादन विभाग, डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं, केंद्र सरकार के विभाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारें, भारत सरकार की गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियां तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं, द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञतापूर्वक अपनी सराहना व्यक्त करते हैं। उनका सहयोग कंपनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और आपके निदेशक विभिन्न अवसरों पर प्राप्त सहायता के लिए उनके आभारी हैं।

48.2 कंपनी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, सांविधिक लेखापरीक्षकों, बैंकरों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करती है। कंपनी के सुचारु संचालन और वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में उनके योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

48.3 निदेशकगण इस अवसर पर सभी स्तरों के कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान और सहयोग के लिए अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करते हैं। उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने तथा उसकी विकास यात्रा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निदेशकगण कर्मचारियों के प्रयासों को स्वीकार करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी उनके निरंतर सहयोग के लिए कृतज्ञ हैं।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसके लिए

डी. वी. श्रीनिवास राव
निदेशक (तकनीकी) तथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन : 10652125

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 28 मई 2026

अनुलग्नक-I

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) सतत सामाजिक विकास और कॉरपोरेट नागरिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ता से कायम है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 का पूर्ण अनुपालन करते हुए, कंपनी तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% संरचित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के लिए आवंटित करती है। संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और सुदृढ़ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, बीडीएल रणनीतिक रूप से ऐसी परियोजनाओं का चयन करती है जो उसकी मुख्य दक्षताओं के अनुरूप हों, जिससे कंपनी आंतरिक संसाधनों को जुटाने और प्रभावी परियोजना निगरानी एवं क्रियान्वयन के लिए अपनी आंतरिक विशेषज्ञता का उपयोग कर सके। एकीकृत, परियोजना-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए, बीडीएल समुदाय, समाज और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का व्यवस्थित रूप से समाधान करता है, ताकि मापनीय और दीर्घकालिक मूल्य प्रदान किया जा सके। कंपनी के प्रमुख रणनीतिक स्तंभ मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और पोषण सुरक्षा को बढ़ाने, समावेशी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक ढांचे को सुदृढ़ करने तथा व्यावसायिक कौशल विकास के माध्यम से आजीविका के अवसरों का सृजन करने पर केंद्रित हैं। इसके अलावा, बीडीएल सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के सम्मान एवं समर्थन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के उत्थान के लिए सतत अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बीडीएल नामित आकांक्षी जिलों और अविकसित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना जारी रखता है, जिसमें वर्तमान में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रमुख हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। इन अटूट प्रतिबद्धताओं के माध्यम से कंपनी समानतापूर्ण, समावेशी और सतत सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के अपने दायित्व को निरंतर पूरा कर रही है।

कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

» हैदराबाद स्थित बसवतारकम इंडो-अमेरिकन कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान को रेडियोलॉजी मशीन के लिए उन्नत अल्ट्रासाउंड यूनिट उपलब्ध कराई गई।

» तेलंगाना के मेडक जिले में ग्रामीण लोगों के लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग एवं स्तन कैंसर स्क्रीनिंग हेतु मोबाइल मेडिकल वैन उपलब्ध कराई गई।

» आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के विजयवाड़ा स्थित सरकारी सामान्य अस्पताल को वेंटिलेटर सहित चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए।

» चिकित्सा उपकरण एवं अवसंरचना उपलब्ध कराई गई: i) सरकारी नीलोफर अस्पताल, हैदराबाद, ii) सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर (यूपीएचसी), iii) गांधी अस्पताल, सिकंदराबाद।

» तेलंगाना के यदाद्रि भोंगीर जिले के भोंगीर में 'भरोसा केंद्र' (एकीकृत वन-स्टॉप संकट केंद्र) का निर्माण किया गया तथा चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए।

» उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के ग्रामीण गांवों में उत्तराखंड नवीकरण विकास प्राधिकरण (यूआरईडीए) के माध्यम से सौर लाइटें स्थापित की गईं।

» तेलंगाना राज्य के कुमुरम भीम आसिफाबाद और भद्राद्री कोठागुडेम जिलों तथा आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम और एएसआर जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा उपकरण एवं अवसंरचना उपलब्ध कराई गई।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
1	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	4	4
2	श्री जशवंत लाल*	समिति की अध्यक्ष / स्वतंत्र निदेशक	4	4
3	श्री चेतन कांकरिया#	समिति की अध्यक्ष / सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	2	2
4	श्री पी. वी. राजा राम@	समिति के सदस्य / निदेशक (उत्पादन)	4	4
5	श्री डी. वी. श्रीनिवास राव	समिति के सदस्य / निदेशक (तकनीकी)	4	4

कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

* 24 फरवरी 2026 से अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे।

24 फरवरी 2026 से अध्यक्ष नियुक्त किए गए।

@ 1 अक्टूबर 2025 से सदस्य के पद पर नहीं रहे।

3. कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का विवरण उपलब्ध कराने वाली वेब-लिंक: https://bdl-india.in/csr-projects

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसार, यदि लागू हो, तो की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश वेब-लिंक सहित प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर प्रावधान ₹1,372.53 लाख है, पिछले वर्ष की ₹45.90 लाख की राशि का समायोजन किया गया है और शुद्ध प्रावधान ₹1,326.63 लाख है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निष्पादित परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	कुल स्वीकृत बजट (₹)	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय (₹)	परियोजना की स्थिति
1	उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूआरईडीए) के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के ग्रामीण गांवों में सौर लाइटें स्थापित की गईं।	90.00	81.00	पूर्ण
2	i) सरकारी नीलोफर अस्पताल, हैदराबाद, ii) सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर (यूपीएचसी), iii) गांधी अस्पताल, सिकंदराबाद को चिकित्सा उपकरण एवं अवसंरचना उपलब्ध कराई गई।	116.48	69.93	प्रगति पर
3	भारत सेवा सहकार फोरम (बीएसएसएफ) के माध्यम से कुमुरम भीम आसिफाबाद जिले के प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण, जैसे एक्स-रे मशीन, ब्लड सेल काउंटर, शिशु रेडिएंट वार्मर और स्ट्रेचर की खरीद हेतु सहायता प्रदान की गई।	60.90	60.90	पूर्ण
4	एन. बसवतारकम रामाराव मेमोरियल कैंसर सेंटर, हैदराबाद के लिए रेडियोलॉजी मशीन हेतु उन्नत अल्ट्रासाउंड यूनिट उपलब्ध कराई गई।	60.00	60.00	पूर्ण
5	तेलंगाना के मेडक जिले में ग्रामीण लोगों के लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग एवं स्तन कैंसर स्क्रीनिंग हेतु 'मोबाइल मेडिकल वैन' उपलब्ध कराई गई।	69.55	58.87	पूर्ण
6	ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, सिकंदराबाद-I, सैनिकपुरी एवं सिकंदराबाद-II को चिकित्सा, प्रयोगशाला, दंत चिकित्सा उपकरण तथा आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराई गई।	59.99	58.84	पूर्ण
7	आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम (आकांक्षी जिला) में कुपोषण, बच्चों में अवरुद्ध विकास, एनीमिया एवं सिकल सेल एनीमिया की जांच के लिए व्यापक स्वास्थ्य जांच हेतु चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	50.00	50.00	पूर्ण
8	तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली (आकांक्षी जिला) में एनीमिया, तपेदिक, कुपोषण एवं कैंसर की व्यापक स्वास्थ्य जांच और उपचार कार्यक्रम के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	50.00	50.00	पूर्ण
9	आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले, विजयवाड़ा स्थित सरकारी सामान्य अस्पताल को वेंटिलेटर सहित चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए।	50.50	47.50	पूर्ण
10	तेलंगाना के यादाद्रि भुवनगिरि जिले के भोंगीर में 'भरोसा केंद्र (एकीकृत वन-स्टॉप संकट केंद्र)' का निर्माण किया गया तथा चिकित्सा उपकरण आदि उपलब्ध कराए गए।	45.00	45.00	पूर्ण
11	तेलंगाना के यादाद्रिगुट्टा स्थित मल्लापुरम में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वारी देवस्थानम की गोशाला में 'पशु शेड' का निर्माण तथा आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के द्वारका तिरुमला में गोशाला के लिए 'पीपीजी शीट शेड' का निर्माण किया गया।	50.00	34.92	प्रगति पर
12	तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के भद्राचलम स्थित सरकारी अस्पताल को चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य संबंधी फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	25.00	25.00	पूर्ण
13	आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले (आकांक्षी जिला) में स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जीजीएच, पडेरू के उप-केंद्र को सहायक उपकरण, गतिशीलता सहायता एवं चिकित्सा सेवाएं आदि उपलब्ध कराकर सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य संबंधी फर्नीचर आदि की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	25.00	25.00	पूर्ण
14	डीसीएचएस आसिफाबाद, टीवीवीपी के नियंत्रणाधीन तेलंगाना के कुमुरम भीम आसिफाबाद जिले (आकांक्षी जिला) के प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को एक्स-रे मशीन एवं बेड उपलब्ध कराए गए।	24.15	24.15	पूर्ण
15	आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी सामान्य अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्रों को वेंटिलेटर सहित चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए।	25.00	23.75	पूर्ण
16	आंध्र प्रदेश के सिम्हाचलम में पशुओं के लिए पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पानी की टंकियों का निर्माण तथा अन्नावरम में पशु शेड का निर्माण किया गया।	47.92	22.91	प्रगति पर

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	कुल स्वीकृत बजट (₹)	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय (₹)	परियोजना की स्थिति
17	आंध्र प्रदेश के ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, विशाखापत्तनम-II तथा ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, विजयनगरम को चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए।	21.64	21.64	पूर्ण
18	तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज को अवसंरचना संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई गई।	20.00	19.93	पूर्ण
19	हैदराबाद के जीडीमेटला स्थित भारत स्काउट्स एंड गाइड्स प्रशिक्षण परिसर का नवीनीकरण किया गया।	50.00	18.88	प्रगति पर
20	आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में समाज कल्याण भवन की प्रथम मंजिल का निर्माण किया गया।	14.50	14.45	पूर्ण
21	आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के अचंता स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए।	25.00	13.59	प्रगति पर
22	सिकंदराबाद स्थित ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को चिकित्सा उपकरण एवं अवसंरचना उपलब्ध कराई गई।	25.00	11.28	प्रगति पर
23	तेलंगाना राज्य के भीमावरम, खम्मम स्थित वीआरजेडपीएसएस को अवसंरचना उपलब्ध कराई गई।	17.00	10.80	प्रगति पर
24	तेलंगाना राज्य के कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के सरकारी विद्यालयों में ड्युअल डेस्क वितरित किए गए।	50.00	10.00	पूर्ण
25	सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए योगदान दिया गया।	10.00	10.00	पूर्ण
26	तेलंगाना के कुमुरम भीम आसिफाबाद जिले (आकांक्षी जिला) में ब्लाइंड विजन फाउंडेशन के माध्यम से दृष्टिबाधित दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए स्मार्ट विजन चश्मे उपलब्ध कराए गए।	10.00	10.00	पूर्ण
27	तेलंगाना के हैदराबाद में 24 से 30 नवंबर 2025 तक निर्धारित 7 दिवसीय पंडित जसराज हैदराबाद संगीत समारोह के 53वें संस्करण के आयोजन में सहयोग प्रदान किया गया।	10.00	10.00	पूर्ण
28	उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में उत्कर्ष फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता सुविधाओं/अवसंरचना, स्वास्थ्य एवं पोषण तथा जागरूकता अभियानों के लिए सहयोग प्रदान किया गया।	10.00	10.00	पूर्ण
29	अश्विन महाराज फाउंडेशन के माध्यम से हैदराबाद स्थित एमएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एवं रीजनल कैंसर सेंटर के कैंसर रोगियों को उच्च प्रोटीन स्वास्थ्य मिश्रण पाउडर की बोतलें वितरित की गईं।	10.00	10.00	पूर्ण
30	आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के लिए इनवर्टर उपलब्ध कराए गए।	10.00	10.00	पूर्ण
31	आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पंडितविल्लुरु स्थित जेडपीपी हाई स्कूल को अवसंरचना संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई गई।	11.87	9.38	प्रगति पर
32	विशाखापत्तनम स्थित सरकारी आरसीडी अस्पताल को चिकित्सा उपकरण, अवसंरचना आदि उपलब्ध कराए गए।	8.20	8.20	पूर्ण
33	सिकंदराबाद के मनोविकास नगर स्थित एनआईईपीआईडी को मशीनरी उपलब्ध कराई गई।	40.00	8.00	पूर्ण
34	आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के मार्टेरु स्थित पीसीएच को चिकित्सा उपकरण एवं अवसंरचना संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई गई।	7.45	7.39	पूर्ण
35	मुख्यालय तेलंगाना एवं आंध्र सब-एरिया के अंतर्गत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए चिकित्सा एवं विविध उपकरण उपलब्ध कराए गए।	20.00	7.29	प्रगति पर
36	महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव स्थित महिला एवं बाल अस्पताल को मोटर चालित सफाई मशीनें उपलब्ध कराई गईं।	10.00	5.87	पूर्ण
37	हैदराबाद में संगीत एवं नृत्य की 50वीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता, 2025 के आयोजन के लिए नव्या नाटक समिति को सहयोग प्रदान किया गया।	5.00	5.00	पूर्ण
38	कर्नाटक के बेलगावी स्थित आश्रय फाउंडेशन में एचआईवी संक्रमित अनाथ बालिकाओं एवं विधवाओं के लिए आवास एवं आजीविका केंद्र के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	5.00	5.00	पूर्ण
39	आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के अटुकुरु स्थित जिला परिषद हाई स्कूल को अवसंरचना संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई गई।	5.90	4.67	प्रगति पर
40	तेलंगाना राज्य के कन्नाजिगुडा स्थित एमपीपी स्कूल को अवसंरचना उपलब्ध कराई गई।	5.00	3.77	पूर्ण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	कुल स्वीकृत बजट (₹)	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय (₹)	परियोजना की स्थिति
41	सिकंदराबाद स्थित ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को पोर्टेबल चिकित्सा उपकरण, अर्थात् मसूड़ों के लिए 1 लेजर कटिंग मशीन, 1 पोर्टेबल एक्स-रे मशीन तथा 1 क्राउन रिमूवर उपलब्ध कराया गया।	4.39	3.13	पूर्ण
42	प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के इंटर्नों को स्टाइपेंड का भुगतान किया गया।	2.08	2.08	पूर्ण
43	अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 2.5% अनिवार्यता से अधिक अप्रेंटिसों को स्टाइपेंड का भुगतान किया गया।	292.41	292.41	पूर्ण
44	प्रशासनिक व्यय (प्रभाव आकलन व्यय सहित)।	64.18	64.18	पूर्ण
	कुल	-	**1344.71**	

वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 की सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन पूरा हो चुका है और कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/reports पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 की सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन प्रगति पर है।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के सीएसआर प्रावधान का विवरण:

(क)	कंपनी का औसत शुद्ध लाभ, धारा 135(5) के अनुसार	₹68,626.71 लाख
(ख)	कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%, धारा 135(5) के अनुसार	₹1,372.53 लाख
(ग)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	शून्य
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो	₹45.90 लाख
(ङ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख + ग - घ)]	₹1,326.63 लाख

6. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(क)	सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजनाओं तथा चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं सहित)	₹1,280.53 लाख
(ख)	प्रशासनिक व्यय पर खर्च की गई राशि	₹64.18 लाख
(ग)	प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो	शून्य
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की गई राशि [(क+ख+ग)]	₹1,344.71 लाख

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि:

	खर्च नहीं की गई राशि (₹ में)				
वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की गई राशि (₹ में)	**धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर राशि खाते में हस्तांतरित कुल राशि**		**धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित राशि**		
	राशि (₹ में)	**अंतरण की तिथि**	**निधि का नाम**	**राशि (₹ में)**	**अंतरण की तिथि**
₹1,344.71 लाख	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

(च) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो,

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(i)	कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत, धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार (पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए व्यय के समायोजन के बाद)	1326.63 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की गई राशि	1344.71 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि (ii)-(i)	18.08 लाख
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	18.08 लाख

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत खर्च न की गई सीएसआर राशि खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत खर्च न की गई सीएसआर राशि खाते में शेष राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, यदि कोई हो, अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित राशि		आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (₹ में)	कमी, यदि कोई हो
					Amount in (₹)	Date of Transfer		
1	2024-25	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
2	2023-24	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
3	2022-23	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

8. वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से क्या कोई पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजित या अर्जित की गई हैं: हां
यदि हां, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें।

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्ति/परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें।

क्रम सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	सृजन की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि (₹ लाख में)	पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/ लाभार्थी का विवरण
1	ग्रामीण गांवों में उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूआरईडीए) के माध्यम से सौर लाइटें स्थापित की गईं।	248001	30 अप्रैल 2025	81.00	यूआरईडीए, नैनीताल राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर, देहरादून, उत्तराखंड
2	i) सरकारी नीलोफर अस्पताल, हैदराबाद, ii) सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर (यूपीएचसी), iii) गांधी अस्पताल, सिकंदराबाद को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए।	500003	13 नवंबर 2025	69.93	i) अधीक्षक, नीलोफर अस्पताल, रेड हिल्स, लकड़ीकापुल, हैदराबाद ii) डीएमएचओ-हैदराबाद, अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सिकंदराबाद iii) अधीक्षक, गांधी अस्पताल, मुसीराबाद, पद्मराव नगर, सिकंदराबाद, तेलंगाना
3	भारत सेवा सहकार फोरम (बीएसएसएफ) के माध्यम से कुमुरम भीम आसिफाबाद जिले के प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण, जैसे एक्स-रे मशीन, ब्लड सेल काउंटर, शिशु रेडिएंट वार्मर और स्ट्रेचर की खरीद हेतु सहायता प्रदान की गई।	504293	13 नवंबर 2025	60.90	डीएमएचओ, सरकारी अस्पताल रोड, कुमुरम भीम आसिफाबाद, तेलंगाना
4	तेलंगाना राज्य के हैदराबाद स्थित एन. बसवातारका रामाराव मेमोरियल कैंसर सेंटर के लिए रेडियोलॉजी मशीन हेतु उन्नत अल्ट्रासाउंड यूनिट उपलब्ध कराई गई।	500034	13 नवंबर 2025	60.00	नंदामुरी बसवातारका रामाराव मेमोरियल कैंसर सेंटर, रोड नंबर 10, आईएएस ऑफिसर क्वार्टर्स, नंदी नगर, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना
5	तेलंगाना राज्य के मेडक जिले में ग्रामीण लोगों के लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग एवं स्तन कैंसर स्क्रीनिंग हेतु 'मोबाइल मेडिकल वैन' उपलब्ध कराई गई।	502110	26 सितंबर 2025	58.87	डीएमएचओ, सरकारी जिला अस्पताल, मेन रोड, मेडक जिला, तेलंगाना
6	तेलंगाना राज्य के ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, सिकंदराबाद-I, सैनिकपुरी एवं सिकंदराबाद-II को चिकित्सा, प्रयोगशाला, दंत चिकित्सा उपकरण तथा आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराई गई।	500003	29 दिसंबर 2025	58.84	ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, सेक्टर-I, बोवेनपल्ली, मार्केट यार्ड रोड, तिरुमलागिरी, सिकंदराबाद एवं ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, सेक्टर-II, गोल्डन पाम सैनिक भवन, मोंडा मार्केट, सिकंदराबाद तथा ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, सैनिकपुरी, सिकंदराबाद

क्रम सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	सृजन की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि (₹ लाख में)	पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/ लाभार्थी का विवरण
7	आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम जिले (आकांक्षी जिला) में कुपोषण, बच्चों में अवरुद्ध विकास, एनीमिया एवं सिकल सेल एनीमिया की जांच के लिए व्यापक स्वास्थ्य जांच हेतु चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	535501	13 नवंबर 2025	50.00	डीएमएचओ, पार्वतीपुरम मान्यम, आंध्र प्रदेश में मेन रोड स्थित जज बंगला
8	तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली (आकांक्षी जिला) में एनीमिया, तपेदिक, कुपोषण एवं कैंसर की व्यापक स्वास्थ्य जांच और उपचार कार्यक्रम के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	506169	29 नवंबर 2025	50.00	डीएमएचओ, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज कॉम्प्लेक्स (आईडीओसी), मंजूर नगर, जयशंकर भूपालपल्ली, तेलंगाना
9	आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के विजयवाड़ा स्थित सरकारी सामान्य अस्पताल को वेंटिलेटर सहित चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए।	520008	29 दिसंबर 2025	47.50	अधीक्षक, सरकारी सामान्य अस्पताल, एनएच16 सर्विस रोड, एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी के पास, गुनाडाला, कानुरु, आंध्र प्रदेश
10	तेलंगाना राज्य के यादाद्रि भुवनगिरि जिले के भोंगीर में 'भरोसा केंद्र (एकीकृत वन-स्टॉप संकट केंद्र)' का निर्माण किया गया तथा चिकित्सा उपकरण आदि उपलब्ध कराए गए।	508116	26 फरवरी 2026	45.00	भरोसा सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन, भोंगीर, यादाद्रि भुवनगिरि जिला, तेलंगाना
11	तेलंगाना के यादागिरिगुट्टा स्थित मल्लापुरम में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वारी देवस्थानम की गोशाला में 'पशु शेड' का निर्माण तथा आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के द्वारका तिरुमला में गोशाला के लिए 'पीपीजी शीट शेड' का निर्माण किया गया।	508115	26 फरवरी 2025	34.92	ईओ, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वारी देवस्थानम, यादाद्रि मंदिर, 1st घाट रोड, गांधी नगर, यादागिरिगुट्टा तथा ईओ, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी देवस्थानम, द्वारका तिरुमला, आंध्र प्रदेश
12	तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के भद्राचलम स्थित सरकारी अस्पताल को चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य संबंधी फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	507101	26 सितंबर 2025	25.00	डीएमएचओ, कोठागुडेम क्लब के सामने, एन.के. नगर, राइटर बस्ती, कोठागुडेम, तेलंगाना
13	आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले (आकांक्षी जिला) में स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जीजीएच, पडेरू के उप-केंद्र को सहायक उपकरण, गतिशीलता सहायता एवं चिकित्सा सेवाएं आदि उपलब्ध कराकर सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य संबंधी फर्नीचर आदि की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	530020	26 सितंबर 2025	25.00	अधीक्षक, सरकारी सामान्य अस्पताल, पडेरू, एएसआर जिला, आंध्र प्रदेश
14	डीसीएचएस आसिफाबाद, टीवीवीपी के नियंत्रणाधीन तेलंगाना के कुमुरम भीम आसिफाबाद जिले (आकांक्षी जिला) के प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को एक्स-रे मशीन एवं बेड उपलब्ध कराए गए।	504293	26 सितंबर 2025	24.15	डीएमएचओ, सरकारी अस्पताल रोड, कुमुरम भीम आसिफाबाद जिला, तेलंगाना
15	आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी सामान्य अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्रों को वेंटिलेटर सहित चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए।	533105	29 दिसंबर 2025	23.75	अधीक्षक, सरकारी सामान्य अस्पताल, राजमहेंद्रवरम, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश

क्रम सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	सृजन की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि (₹ लाख में)	पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/ लाभार्थी का विवरण
16	आंध्र प्रदेश राज्य के सिम्हाचलम में पशुओं के लिए पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पानी की टंकियों का निर्माण तथा अन्नावरम में पशु शेड का निर्माण किया गया।	530028	30 जून 2025	22.91	श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम, सिम्हाचलम, विशाखापत्तनम के कार्यकारी अधिकारी तथा श्री वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवस्थानम, अन्नवरम के कार्यकारी अधिकारी
17	विशाखापत्तनम-II स्थित ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक तथा ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, विजयनगरम को चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए।	530014	29 दिसंबर 2025	21.64	ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, विशाखापत्तनम-II, आईएनएचएस कल्याणी, गांधी ग्राम पोस्ट, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश तथा ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, विजयनगरम, शांतिनिकेतन, पुलिस बैरक रोड, कैंटोनमेंट, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश
18	तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज को अवसंरचना संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई गई।	501359	12 अगस्त 2025	19.93	प्रिंसिपल, सरकारी डिग्री कॉलेज, महेश्वरम, मंसनपल्ली रोड, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना
19	हैदराबाद के जीडिमेटला स्थित भारत स्काउट्स एंड गाइड्स प्रशिक्षण परिसर का नवीनीकरण किया गया।	500067	30 अप्रैल 2025	18.88	भारत स्काउट्स एंड गाइड्स प्रशिक्षण परिसर, जीडिमेटला, हैदराबाद
20	आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में सामाजिक कल्याण भवन की प्रथम मंजिल का निर्माण किया गया।	535003	13 नवंबर 2025	14.45	सामाजिक कल्याण बालिका छात्रावास-3, सुनकारी वीधी, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश
21	आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के अचंता स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए।	534123	26 फरवरी 2026	13.59	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अचंता, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश
22	सिकंदराबाद स्थित ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को चिकित्सा उपकरण एवं अवसंरचना उपलब्ध कराई गई।	500015	30 अप्रैल 2025	11.28	ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक-1, बोवेनपल्ली मार्केट यार्ड रोड, त्रिमुलघेरी, सिकंदराबाद
23	खम्मम जिले के भीमावरम स्थित वीआरजेडीपीएसएस को अवसंरचना उपलब्ध कराई गई।	534201	30 अप्रैल 2025	10.80	प्रिंसिपल, वीआरजेडीपीएसएस, भीमावरम, खम्मम जिला, तेलंगाना
24	कोमराम भीम आसिफाबाद के सरकारी विद्यालयों में ड्युअल डेस्क वितरित किए गए।	504293	26 अप्रैल 2025	10.00	जिला शिक्षा अधिकारी, कोमराम भीम आसिफाबाद, तेलंगाना राज्य
25	तेलंगाना के कोमराम भीम आसिफाबाद जिले (आकांक्षी जिला) में ब्लाइंड विजन फाउंडेशन के माध्यम से दृष्टिबाधित दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए स्मार्ट विजन चश्मे उपलब्ध कराए गए।	504293	26 सितंबर 2025	10.00	डीएमएचओ, सरकारी अस्पताल रोड, कोमराम भीम आसिफाबाद, तेलंगाना
26	उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में उत्कर्ष फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता सुविधाओं/अवसंरचना, स्वास्थ्य एवं पोषण तथा जागरूकता अभियानों का निर्माण किया गया।	271201	12 अगस्त 2025	10.00	उत्कर्ष फाउंडेशन, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश
27	आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के लिए इनवर्टर उपलब्ध कराए गए।	535001	30 अप्रैल 2025	10.00	जिलाशिक्षा अधिकारी, विजयनगरम, आंध्रप्रदेश
28	आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पंडितविल्लुरु स्थित जेडपीपी हाई स्कूल को अवसंरचना संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई गई।	522646	30 अप्रैल 2025	9.38	प्रधानाध्यापक, जेडपीपी हाई स्कूल, पंडितविल्लुरु, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश

क्रम सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	सृजन की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि (₹ लाख में)	पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/ लाभार्थी का विवरण
29	विशाखापत्तनम स्थित सरकारी आरसीडी अस्पताल को चिकित्सा उपकरण, अवसंरचना आदि उपलब्ध कराए गए।	530017	26 फरवरी 2026	8.20	अधीक्षक, रानी चंद्रमणि देवी सरकारी अस्पताल, पेड्डावल्टैर जंक्शन, लॉसन्स बे कॉलोनी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
30	सिकंदराबाद के मनोविकास नगर स्थित बौद्धिक दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआईईपीआईडी) को मशीनरी उपलब्ध कराई गई।	500009	30 अप्रैल 2025	8.00	एनआईईपीआईडी, मनोविकास नगर, बोवेनपल्ली, सिकंदराबाद, तेलंगाना
31	आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के मार्टेरु स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चिकित्सा उपकरण एवं अवसंरचना संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई गई।	523301	26 फरवरी 2026	7.39	डीएमएचओ, मार्टेरु, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश
32	मुख्यालय तेलंगाना एवं आंध्र सब-एरिया के अंतर्गत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए चिकित्सा एवं विविध उपकरण उपलब्ध कराए गए।	500010	12 अगस्त 2025	7.29	ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, मुख्यालय तेलंगाना एवं आंध्र सब-एरिया, सिकंदराबाद, तेलंगाना
33	महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव स्थित महिला एवं बाल अस्पताल को मोटर चालित सफाई मशीनें उपलब्ध कराई गईं।	423203	29 दिसंबर 2025	5.87	अधीक्षक, महिला एवं बाल अस्पताल, मालेगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र
34	कर्नाटक के बेलगावी स्थित आश्रय फाउंडेशन में एचआईवी संक्रमित अनाथ बालिकाओं एवं विधवाओं के लिए आवास एवं आजीविका केंद्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	590017	13 नवंबर 2025	5.00	आश्रय फाउंडेशन, बेलगावी, कर्नाटक
35	आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के अटुकुरु स्थित जिला परिषद स्कूल को अवसंरचना संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई गई।	521286	30 अप्रैल 2025	4.67	प्रधानाध्यापक, जेडपी स्कूल, अटुकुरु, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश
36	तेलंगाना राज्य के कन्नाजिगुडा स्थित एमपीपी स्कूल को अवसंरचना उपलब्ध कराई गई।	500015	30 अप्रैल 2025	3.77	प्रधानाध्यापक, एमपीपीएस, कन्नाजिगुडा, मेडचल–मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना
37	सिकंदराबाद स्थित ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को पोर्टेबल चिकित्सा उपकरण, अर्थात् मसूड़ों के लिए 1 लेजर कटिंग मशीन, 1 पोर्टेबल एक्स-रे मशीन तथा 1 क्राउन रिमूवर उपलब्ध कराया गया।	500015	13 नवंबर 2025	3.13	ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक-1, बोवेनपल्ली मार्केट यार्ड रोड, त्रिमुलघेरी, सिकंदराबाद

9. धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में कंपनी विफल रही हो, तो उसके कारण निर्दिष्ट करें: लागू नहीं

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसके लिए



डी. वी. श्रीनिवास राव
निदेशक (तकनीकी) तथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन : 10652125

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 28 मई 2026





श्रीमती नंदामुरी बसवातारकम रामाराव मेमोरियल कैंसर सेंटर, हैदराबाद के लिए रेडियोलॉजी मशीन हेतु उन्नत अल्ट्रासाउंड यूनिट का हस्तांतरण करते तत्कालीन सीएमडी, बीडीएल कमोडोर ए. माधवराव (सेवानिवृत्त)।



तेलंगाना के मेडक जिले में ग्रामीण लोगों के लिए सर्वाइकल एवं स्तन कैंसर स्क्रीनिंग हेतु "मोबाइल मेडिकल वैन" को रवाना करते तेलंगाना के माननीय राज्यपाल, साथ में हैं मेडक निर्वाचन क्षेत्र के सांसद एवं बीडीएल के निदेशक (वित्त)।



जिला कलेक्टर एवं माननीय विधायक-सिरपुर कागजनगर की उपस्थिति में कुमुरम भीम आसिफाबाद जिले (आकांक्षी जिला) के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए डीएमएचओ को चिकित्सा उपकरण सौंपते बीडीएल के प्रतिनिधि।



हैदराबाद के जीडिमेटला स्थित भारत स्काउट्स एंड गाइड्स प्रशिक्षण परिसर के नवीनीकरण के लिए आधारशिला रखते तेलंगाना के माननीय राज्यपाल एवं बीडीएल के निदेशक (वित्त)।



तेलंगाना के यादाद्रि भुवनगिरि जिले के भोंगीर में 'भरोसा केंद्र (एकीकृत वन-स्टॉप संकट केंद्र)' का उद्घाटन करते तेलंगाना के माननीय पुलिस महानिदेशक, बीडीएल के निदेशक (तकनीकी) एवं निदेशक (वित्त)।

अनुलग्नक-II

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

भविष्यपरक वक्तव्य

इस प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, संभावनाओं, अपेक्षाओं और अनुमानों का वर्णन करने वाले कुछ वक्तव्य लागू प्रतिभूति कानूनों एवं विनियमों के अर्थ में भविष्य संबंधी वक्तव्य हो सकते हैं। ये वक्तव्य उन धारणाओं, अनुमानों और भविष्य की घटनाओं से संबंधित अपेक्षाओं पर आधारित हैं, जिन्हें तैयारी के समय उचित माना गया है, किंतु जो स्वभावतः अनिश्चितताओं और जोखिमों के अधीन हैं।

वास्तविक परिणाम इन वक्तव्यों में व्यक्त या निहित परिणामों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकते हैं। इसके कारणों में रक्षा उपकरणों से संबंधित सरकारी नीतियों और खरीद रणनीतियों में बदलाव, नियामकीय एवं कर संबंधी घटनाक्रम, भारत तथा वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक परिस्थितियां और कंपनी के नियंत्रण से परे अन्य बाहरी प्रभाव शामिल हैं।

कंपनी लागू कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित होने के अलावा, बाद की घटनाओं या परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए किसी भी भविष्य संबंधी वक्तव्य को सार्वजनिक रूप से अद्यतन, संशोधित या परिवर्तित करने का कोई दायित्व स्वीकार नहीं करती है

1. भारत डायनामिक्स लिमिटेड – एक परिचय

हैदराबाद में मुख्यालय वाली भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को 16 जुलाई 1970 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था।

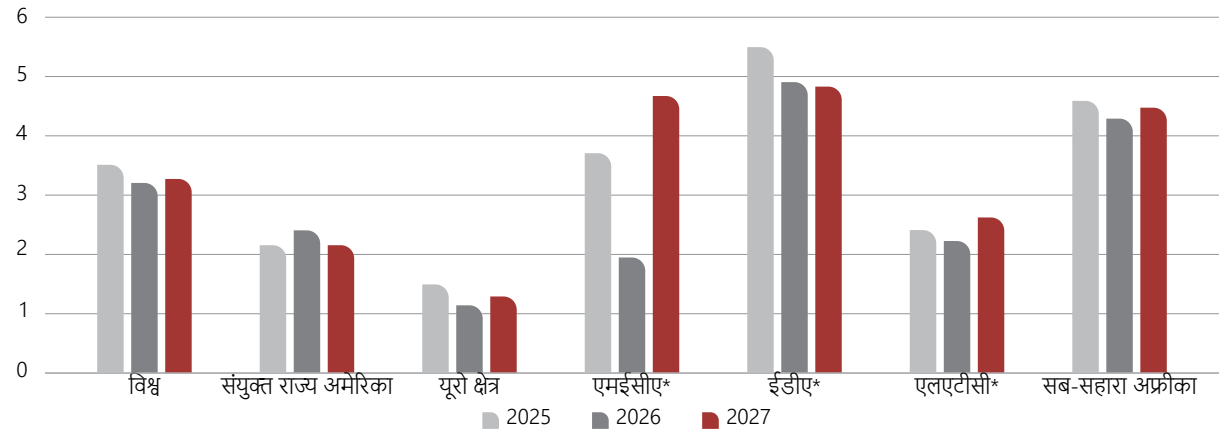
दशकों के दौरान, बीडीएल निर्देशित मिसाइल प्रणालियों, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले हथियारों, एयरबोर्न उत्पादों और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अन्य संबद्ध रक्षा उपकरणों के उत्पादन एवं आपूर्ति में उन्नत क्षमताओं के साथ विश्व स्तर के चुनिंदा रक्षा निर्माताओं में से एक के रूप में उभरी है। राष्ट्र की बदलती रक्षा तैयारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी ने अपनी तकनीकी और विनिर्माण क्षमताओं का लगातार विस्तार किया है। विनिर्माण के अलावा, बीडीएल अपने उपकरणों के लिए व्यापक उत्पाद जीवनचक्र सहायता भी प्रदान करती है, जिसमें सशस्त्र बलों द्वारा पहले से तैनात पुराने मिसाइल प्रणालियों के नवीनीकरण और सेवा-आयु विस्तार के समाधान शामिल हैं। इसके समानांतर, कंपनी ने डिजाइन और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता पर विशेष जोर देते हुए अपनी आंतरिक अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को भी मजबूत किया है।

"विकसित भारत" के तहत आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के निर्माण के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, बीडीएल स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में रणनीतिक भूमिका निभा रही है। कंपनी "मेक इन इंडिया" पहल को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ सहयोग सक्रिय रूप से कर रही है। साथ ही, संभावित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित नई पीढ़ी की मिसाइल और पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली हथियार प्रणालियों के लिए प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ भी जुड़ रही है। बीडीएल ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है तथा मित्र विदेशी देशों को अपने स्वदेशी रक्षा समाधान उपलब्ध कराते हुए वैश्विक रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को मजबूत किया है।

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था का अवलोकन

व्यापार संबंधी बढ़ती बाधाओं और लगातार बनी अनिश्चितता के दौर से गुजरने के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था अब मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण नए दबाव का सामना कर रही है। यह मानते हुए कि स्थिति सीमित दायरे में बनी रहती है, वैश्विक वृद्धि 2026 में घटकर 3.1% रहने और 2027 में मामूली सुधार के साथ 3.2% होने का अनुमान है। निकट अवधि में मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसमें फिर से कमी आ सकती है। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में अधिक तेज मंदी तथा मुद्रास्फीति के अधिक समय तक बने रहने का दबाव रहने की संभावना है।

वैश्विक आर्थिक वृद्धि



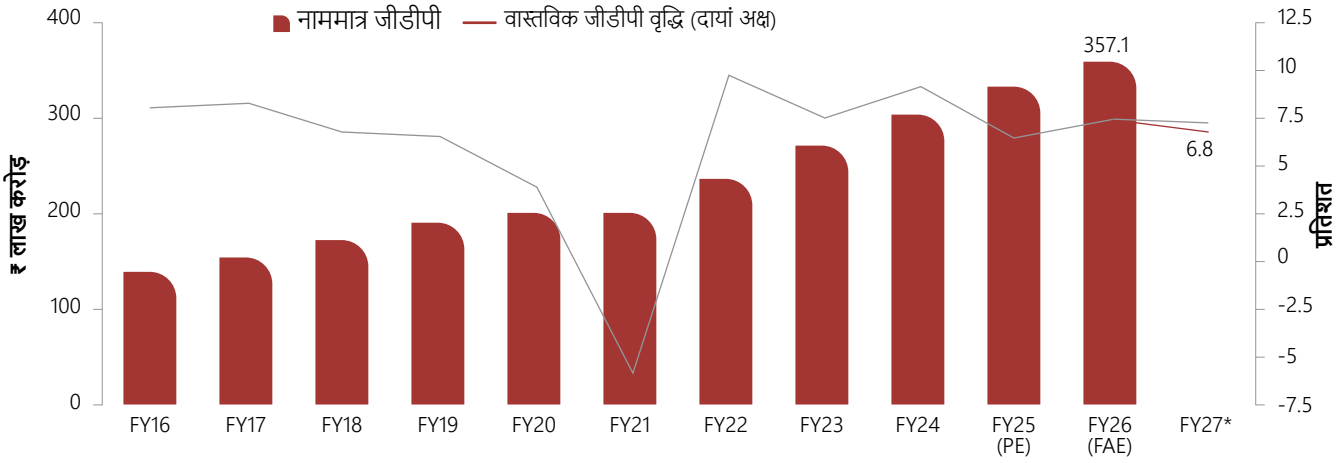
(स्रोत: https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2026/04/14/world-economic-outlook-april-2026) [* एमईसीए – मध्य पूर्व एवं मध्य एशिया | ईडीए – उभरता एवं विकासशील एशिया | एलएटीसी – लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन]

वैश्विक परिदृश्य अभी भी नाजुक बना हुआ है, जिसमें लंबे समय से जारी भू-राजनीतिक संघर्षों, व्यापार तनाव में फिर से वृद्धि, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और संस्थागत विश्वास में कमी से जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से प्रेरित उत्पादकता में तेजी से होने वाली वृद्धि और व्यापार तनाव में कमी से आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिल सकता है, लेकिन बढ़ता रक्षा व्यय और भू-राजनीतिक विखंडन मुद्रास्फीति एवं राजकोषीय दबाव को बढ़ा सकता है। ऐसे माहौल में, स्थिरता बनाए रखने और दीर्घकालिक आर्थिक लचीलापन विकसित करने के लिए नीतिगत तत्परता, विश्वसनीय शासन तथा मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होंगे।

1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति फिर से मजबूत की है। मजबूत घरेलू खपत और निरंतर निवेश गतिविधियों के चलते जीडीपी वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.8–7.2% रहने की उम्मीद है, जबकि दीर्घकालिक वृद्धि क्षमता लगभग 7% आंकी गई है। घरेलू मांग आर्थिक विस्तार की आधारशिला बनी रही, जिसे कम मुद्रास्फीति, स्थिर रोजगार स्थितियों और क्रय शक्ति में सुधार से समर्थन मिला। अनुकूल कृषि प्रदर्शन से ग्रामीण खपत को लाभ हुआ, जबकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के युक्तिकरण के बाद शहरी मांग में धीरे-धीरे मजबूती आई। निवेश गतिविधि भी मजबूत बनी रही, जिसमें सकल स्थिर पूंजी निर्माण जीडीपी का 30% रहने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में वृद्धि पिछले वर्ष के स्तर तथा महामारी-पूर्व औसत, दोनों से अधिक रही।

भारत की आर्थिक वृद्धि



(स्रोत: https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/Infographics%20English.pdf) [पीई: अनंतिम अनुमान | एफएई: प्रथम अग्रिम अनुमान]

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र अनुकूल मानसून तथा पशुधन और मत्स्य पालन में स्थिर वृद्धि के कारण मजबूत बने रहे। इस बीच, औद्योगिक क्षेत्र में भी मजबूत गति देखी गई, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र की मजबूत वृद्धि और निरंतर बुनियादी ढांचा गतिविधियां प्रमुख रहीं। अधिक इस्पात खपत, सीमेंट उत्पादन तथा औद्योगिक संकेतकों में सुधार ने आर्थिक गतिविधियों की निरंतर मजबूती को दर्शाया। इसे सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, अनुकूल मांग स्थितियों और जारी नीतिगत सुधारों से समर्थन मिला।

1.3 भारतीय रक्षा उद्योग

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा क्षेत्र एक संरचनात्मक बदलाव के महत्वपूर्ण दौर से गुजरा, जिसमें एक दशक के क्रमिक नीतिगत सुधारों से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष और मापनीय औद्योगिक उत्पादन के चरण में प्रवेश हुआ। रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन, अब तक के उच्चतम रक्षा निर्यात, विस्तारित खरीद पाइपलाइन और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से सामूहिक रूप से संकेत मिलता है कि भारत का विश्व की शीर्ष पांच रक्षा विनिर्माण शक्तियों में शामिल होने का लक्ष्य अब केवल आकांक्षा नहीं, बल्कि क्रियान्वयन के चरण में है। वर्ष 2020 में '*आत्मनिर्भर भारत*' की शुरुआत एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उच्च आधुनिकीकरण व्यय, 400 से अधिक वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और समर्पित रक्षा गलियारों के विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता को गति प्रदान की।

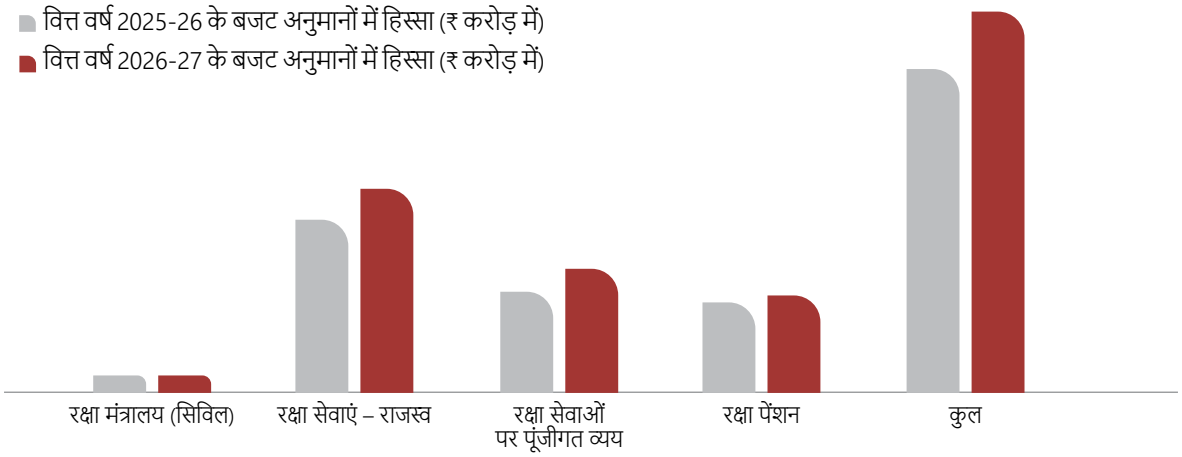
वर्षों के दौरान, भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक से उभरते हुए रक्षा निर्यातक और आत्मनिर्भर उत्पादक के रूप में परिवर्तित हुआ है। वर्ष 2025 वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा।

वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए ₹6,81,210 करोड़ (~78.7 अरब अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 9.5% की वृद्धि दर्शाता है। रक्षा व्यय जीडीपी के 1.9% पर स्थिर रहा, जबकि यह केंद्र सरकार के कुल व्यय का लगभग 13.5% रहा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षमता वृद्धि को दी जा रही निरंतर रणनीतिक प्राथमिकता को रेखांकित करता है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट ने भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराया है। रक्षा मंत्रालय को ₹7.85 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों की तुलना में 15.19% की वृद्धि को दर्शाने वाला यह आवंटन केंद्र सरकार के कुल व्यय का 14.67% है, जो इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है।

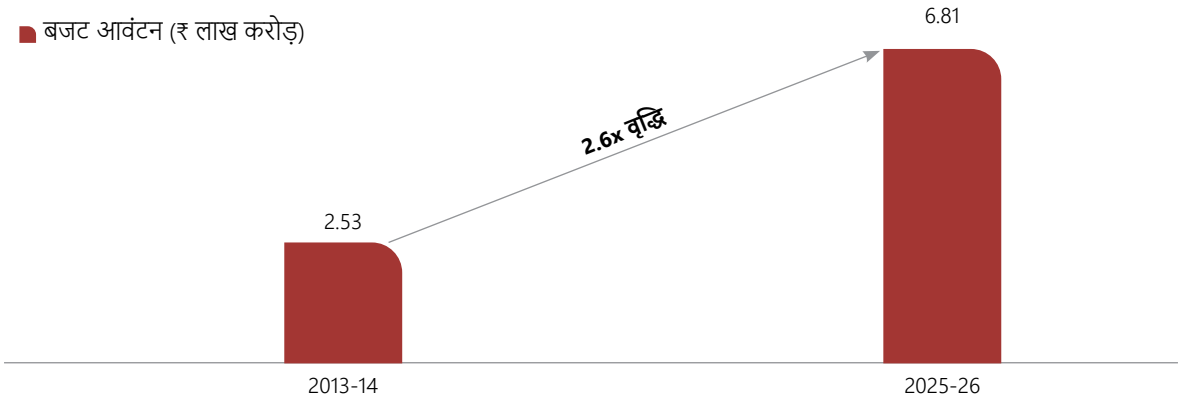
स्वदेशी विनिर्माण पर भी विशेष जोर दिया गया है। घरेलू रक्षा उद्योगों से खरीद के लिए ₹1.39 लाख करोड़ निर्धारित किए गए हैं, जो आत्मनिर्भरता और स्थानीय क्षमता विकास पर सरकार के निरंतर ध्यान को मजबूत करता है। इसके समानांतर, कार्मिक कल्याण के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए ₹12,100 करोड़ प्रदान किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में 45.49% की वृद्धि है। इसके अलावा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के लिए आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 के ₹26,816.82 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में ₹29,100.25 करोड़ हो गया है, जो रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी प्रगति पर निरंतर जोर को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2025-26 बनाम वित्त वर्ष 2026-27 के बजट आवंटन



(स्रोत: https://idsa.in/publisher/issuebrief/ministry-of-defence-2026-27-budget-estimates-an-analysis)

भारत के रक्षा बजट में वृद्धि



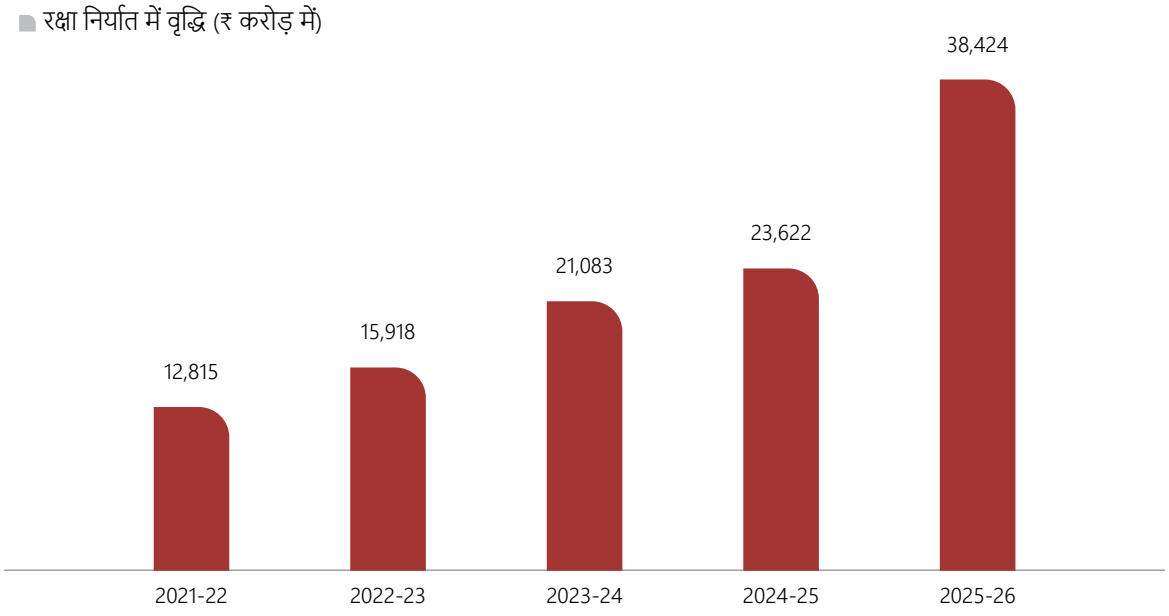
(स्रोत: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154617&ModuleId=3&reg=3&lang=2)

कुल ₹1,80,000 करोड़ के पूंजीगत व्यय आवंटन में से ₹1,48,723 करोड़ आधुनिकीकरण बजट के अंतर्गत पूंजीगत अधिग्रहण के लिए निर्धारित किए गए हैं। उल्लेखनीय रूप से, सरकार ने इस आवंटन में से लगभग ₹1,11,545 करोड़, अर्थात 75%, घरेलू खरीद के लिए निर्धारित किए हैं, जो स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाता है। इसमें से 25% विशेष रूप से घरेलू निजी क्षेत्र के उद्यमों से खरीद के लिए निर्धारित किया गया है, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने और आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के स्पष्ट नीतिगत उद्देश्य को रेखांकित करता है।

वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट भारत की रक्षा और रणनीतिक अवसंरचना क्षमताओं को मजबूत करने पर सरकार के निरंतर ध्यान को और मजबूत करता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को ₹26,816.82 करोड़ का आवंटन किया गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 12.41% अधिक है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रमुख अनुसंधान एवं विकास पहलों और प्रमुख विकास-सह-उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी) कार्यक्रम सहित पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को ₹7,146.50 करोड़ आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.74% की वृद्धि है। इसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण सीमा अवसंरचना के विकास में तेजी लाना है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात उल्लेखनीय वृद्धि के मार्ग पर बना रहा और ₹38,424 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62.7% की तेज वृद्धि है। यह वृद्धि भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाती है, जिसे निरंतर नीतिगत सुधारों, घरेलू विनिर्माण में वृद्धि तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यमों की मजबूत भागीदारी से समर्थन मिला है। उन्नत मिसाइल प्रणालियों और नौसैनिक प्लेटफॉर्म से लेकर एवियोनिक्स, रडार और बख्तरबंद समाधानों तक, भारत में निर्मित रक्षा उत्पादों के लिए एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में लगातार नए बाजार विकसित हो रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गति भारत के दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक से उभरते हुए वैश्विक रक्षा विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तन का संकेत देती है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

भारत के रक्षा निर्यात की वृद्धि



(स्रोत: https://mod.gov.in/sites/default/files/Defence-exports-skyrocket-to-record-in-Financial-Year-2025-26_0.pdf)

भारत का रक्षा क्षेत्र परिवर्तन के एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। निरंतर सरकारी व्यय, दीर्घकालिक मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन, तेजी से बढ़ते स्वदेशीकरण, नवाचार आधारित मांग में वृद्धि और बढ़ते निर्यात दायरे के समर्थन से यह क्षेत्र धीरे-धीरे एक मजबूत और आत्मनिर्भर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हो रहा है। यद्यपि क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन व्यापक दिशा स्पष्ट है और दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत तत्व मजबूती से स्थापित हो चुके हैं। आज रक्षा क्षेत्र को केवल रणनीतिक तैयारियों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता, बल्कि यह भारत की विनिर्माण क्षमता, तकनीकी प्रगति और औद्योगिक आत्मनिर्भरता के एक प्रमुख चालक के रूप में तेजी से उभर रहा है।

1.4 भारतीय रक्षा उद्योग का स्वदेशीकरण

भारत का रक्षा स्वदेशीकरण की दिशा में प्रयास अब केवल आर्थिक या औद्योगिक उद्देश्य नहीं रह गया है, बल्कि यह एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुका है। दशकों तक देश आयात पर अत्यधिक निर्भर रहा, जहां रक्षा संबंधी लगभग 65–70% आवश्यकताएं विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से पूरी होती थीं। हालांकि, पिछले एक दशक में यह निर्भरता लगातार कम हुई है और अब लगभग 65% रक्षा उपकरणों का विनिर्माण देश के भीतर ही किया जा रहा है। यह परिवर्तन भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। हालांकि, यह यात्रा अभी जारी है। इस संदर्भ में, वर्ष 2026 एक निर्णायक वर्ष के रूप में उभरता है, जिसमें भारत के रक्षा खरीद परिदृश्य में नीतिगत मंशा को पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्टता, सटीकता और जवाबदेही के साथ क्रियान्वयन में बदला जा रहा है।

सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल धीरे-धीरे एक नीतिगत दृष्टिकोण से आगे बढ़कर भारत के रक्षा क्षेत्र में ठोस औद्योगिक परिवर्तन का रूप ले चुकी है। यह बदलाव पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों (पीआईएल) के कार्यान्वयन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिनमें 500 से अधिक रक्षा प्रणालियां शामिल हैं और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 2028 तक चरणबद्ध आयात प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके समानांतर, 5,500 से अधिक अलग-अलग घटकों और उपकरण श्रेणियों को स्वदेशीकरण प्रतिबंध के अंतर्गत रखा गया है, जिनमें से 3,000 से अधिक का फरवरी 2025 तक स्वदेशीकरण किया जा चुका था।

वित्त वर्ष 2024-25 में इस गति को और बल मिला, जब रक्षा मंत्रालय ने ₹2,09,050 करोड़ मूल्य के 193 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जो अब तक दर्ज किया गया सबसे अधिक वार्षिक खरीद मूल्य है। इनमें से 177 अनुबंध भारतीय कंपनियों को प्रदान किए गए। सरकार का सृजन पोर्टल भी इस परिवर्तन को सक्षम बनाने वाले एक प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा है, जिसमें घरेलू उत्पादन के लिए चिन्हित 34,000 से अधिक वस्तुएं सूचीबद्ध हैं और इनमें से 10,000 से अधिक का पहले ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है। इस दिशा को और मजबूत करते हुए, मंत्रालय ने 2027 तक रक्षा उपकरणों में 70% आत्मनिर्भरता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही, निजी उद्योग की भूमिका को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत कुल उत्पादन मूल्य में उसकी हिस्सेदारी 23% से बढ़कर 50% होने की उम्मीद है।

2. बीडीएल के कारोबार की समीक्षा

भारत डायनामिक्स लिमिटेड भारतीय रक्षा क्षेत्र की तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक है और ऐसे जटिल औद्योगिक वातावरण में कार्य करती है, जो भारत तथा वैश्विक बाजारों में बदलती राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं और लगातार बनी आर्थिक चुनौतियों से प्रभावित है। इस पृष्ठभूमि में, बीडीएल अनुशासित क्रियान्वयन, गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने तथा भारतीय सेना को उत्पादों की डिलीवरी में अधिक विश्वसनीयता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने पर दृढ़ता से केंद्रित है। साथ ही, कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों में निरंतर निवेश कर रही है और दीर्घकालिक विकास तथा परिचालन उत्कृष्टता को समर्थन देने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमताओं के निर्माण हेतु अपने प्रतिभा आधार को भी विकसित कर रही है।

2.1 बीडीएल के उत्पाद पोर्टफोलियो

एसएएमएस/एएएम	एटीजीएम	टॉरपीडो	लॉन्चर	काउंटर मेजर्स	परीक्षण उपकरण
आकाश वेपन सिस्टम, मीडियम रेंज एसएएम, यूएलपीजीएम एवं अस्त्र वेपन सिस्टम	मिलान 2टी, कॉनकर्स-एम, इनवार एवं नाग	हल्के वजन वाले टॉरपीडो, भारी वजन वाले टॉरपीडो	कॉनकर्स-एम एवं मिलान 2टी एटीजीएम के लिए लॉन्चर	काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम एवं अंडरवाटर डिकॉय	एटीजीएम एवं एसएएम के लिए कार्यात्मक निगरानी उपकरण

2.2 बीडीएल की विनिर्माण क्षमता

बीडीएल वर्तमान में हैदराबाद, भानूर और विशाखापत्तनम में स्थित तीन विनिर्माण संयंत्र संचालित करती है। ये सभी संयंत्र आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानक से प्रमाणित हैं, जो जिम्मेदार एवं सतत परिचालन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सभी उत्पादन प्रभाग एएस 9100डी एयरोस्पेस गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन से प्रमाणित हैं, जो एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र में सबसे कठोर गुणवत्ता मानकों में से एक है। हैदराबाद स्थित कॉरपोरेट कार्यालय आईएसओ 9001:2015 से प्रमाणित है, जबकि सामग्री परीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मानक प्रयोगशालाएं आईएसओ/आईईसी 17025:2017 से मान्यता प्राप्त हैं, जो परीक्षण एवं अंशांकन में उनकी तकनीकी दक्षता की पुष्टि करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग के पास गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एएफक्यूएमएस) प्रमाणन की मंजूरी है तथा कंपनी सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2022 से भी प्रमाणित है, जो आज के प्रतिस्पर्धी वातावरण में लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सभी प्रमाणित प्रभागों में अनुपालन एक सुव्यवस्थित दो-स्तरीय ऑडिट व्यवस्था के माध्यम से बनाए रखा जाता है: कंपनी के अपने योग्य लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक ऑडिट तथा मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों द्वारा समय-समय पर निगरानी ऑडिट।

विकास-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, कंपनी हैदराबाद के निकट इब्राहिमपट्टनम, महाराष्ट्र के अमरावती और उत्तर प्रदेश के झांसी में तीन नई ग्रीनफील्ड आगामी विनिर्माण सुविधाओं के साथ अपनी विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने में सक्रिय रूप से जुटी हुई है। इन सुविधाओं को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (एसएएम) के विनिर्माण में बीडीएल की क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है, जिसमें अगली पीढ़ी की मिसाइल प्रणालियां, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियां (वीएसएचओआरएडी), रॉकेट तथा विभिन्न एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) कार्यक्रमों के लिए प्रणोदक शामिल हैं। ये क्षमता विस्तार देश की स्वदेशीकरण प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं और भारत के रक्षा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के एक प्रमुख आधार के रूप में बीडीएल की भूमिका को मजबूत करने में सहायक हैं।

2.3 ऑर्डर बुक

31 मार्च 2026 तक कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग ₹26,176 करोड़ रही, जो निरंतर व्यावसायिक गति को दर्शाती है और आने वाली अवधि के लिए स्वस्थ राजस्व दृश्यता प्रदान करती है।

2.4 वित्तीय प्रदर्शन

i) वित्तीय दृष्टि से कंपनी के प्रदर्शन का सारांश निम्नलिखित है:

विवरण	₹ करोड़ में		वृद्धि / (कमी) का प्रतिशत
	2025-26	2024-25	
परिचालन से बिक्री/राजस्व	2,442	3,345	(27)
उत्पादन का मूल्य	3,215	3,767	(15)
I. आयातित सामग्री की खपत	290	110	164
II. स्वदेशी सामग्री की खपत	1,706	1,990	(14)
कुल सामग्री की खपत	1,996	2,100	(5)
मूल्य वर्धित	1,219	1,667	(27)
कर-पूर्व लाभ (पीबीटी)	568	749	(24)
कर-पश्चात लाभ (पीएटी)	420	550	(24)
प्रति शेयर आय (₹ में)	11.47	14.99	(23)

ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़कर लाभ के आधार पर की गई है तथा वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या को प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य वाले 1 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर के प्रत्येक ₹5 अंकित मूल्य वाले 2 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों में उप-विभाजन के प्रभाव के अनुसार समायोजित किया गया है।

ii) निम्नलिखित आंकड़े कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं:

विवरण	₹ करोड़ में		वृद्धि / (कमी) का प्रतिशत
	2025-26	2024-25	
सकल खंड (सीडब्ल्यूआईपी को छोड़कर)	1,697	1,601	6
संचित मूल्यह्रास	819	743	10
शुद्ध खंड	878	858	2
शुद्ध कार्यशील पूंजी	6,411	6,018	7
नियोजित पूंजी	4,150	3,886	7
शुद्ध संपत्ति	4,241	4,009	6

iii) प्रमुख वित्तीय अनुपात:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी को निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र-विशिष्ट वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण बदलावों (तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% या उससे अधिक का बदलाव) का विवरण, साथ में उसके विस्तृत स्पष्टीकरण सहित, देना आवश्यक है:

विवरण	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25	परिवर्तन (%)	25% या उससे अधिक परिवर्तन का स्पष्टीकरण
ऋणदाता टर्नओवर अनुपात (गुना)	3.91	5.89	(34)	टर्नओवर में कमी और औसत व्यापार प्राप्य में वृद्धि के कारण कमी हुई है। हालांकि, अधिक वसूली के कारण 31 मार्च 2026 को व्यापार प्राप्य में उल्लेखनीय कमी आई है।
भंडार टर्नओवर अनुपात (गुना)	0.67	1.45	(54)	टर्नओवर में कमी और भंडार में वृद्धि के कारण कमी हुई है। आगामी वर्षों में अधिक बिक्री लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक भंडार रखा गया है।
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	Nil	Nil	-	-
चालू अनुपात (गुना)	2.01	2.38	(16)	-
ऋण-इक्विटी अनुपात (गुना)	Nil	Nil	-	-

विवरण	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25	परिवर्तन (%)	25% या उससे अधिक परिवर्तन का स्पष्टीकरण
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	6%	12%	(50)	परिचालन लाभ मार्जिन में कमी वर्ष के दौरान हासिल किए गए कम टर्नओवर के कारण है।
शुद्ध लाभ मार्जिन (%)	17%	16%	5	-
निवल संपत्ति पर प्रतिलाभ (%)	10%	14%	(29)	शुद्ध लाभ में कमी के कारण कमी हुई है, जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान हासिल किए गए कम टर्नओवर के कारण है।

iv) सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया जाता है, सिवाय सेगमेंट रिपोर्टिंग से संबंधित इंड-एएस-108 के, जिसे व्यवसाय की प्रकृति और प्रकटीकरण की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं किया गया है। चूंकि कंपनी रक्षा उत्पादन में संलग्न है, इसलिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत सेगमेंट रिपोर्टिंग संबंधी लेखांकन मानक की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई थी। साथ ही, सेबी के पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DIL1/OW/P/2017/18400/1 दिनांक 03 अगस्त 2017 के माध्यम से सेबी प्रकटीकरण के अंतर्गत भी छूट प्रदान की गई थी।

2.5 कंपनी के उद्देश्य

I) उन्नत रणनीतिक हथियारों सहित सभी श्रेणियों की मिसाइल प्रणालियों के विकास, उत्पादन और जीवनचक्र सहायता में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना।

II) विश्व स्तरीय तकनीकी और विनिर्माण क्षमताओं का निर्माण करके निर्देशित मिसाइल और पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली निर्देशित हथियार प्रौद्योगिकियों में प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना।

III) उच्च परिचालन दक्षता, विस्तार क्षमता और मूल्य सृजन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा उत्पादन क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करना।

IV) वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना और विश्वसनीय एवं उन्नत हथियार प्रणालियों की तलाश करने वाले मित्र देशों के लिए पसंदीदा रक्षा भागीदार के रूप में उभरना।

V) निरंतर नवाचार, समझौता न करने वाले गुणवत्ता मानकों और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से बीडीएल को हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में विश्व स्तर पर सम्मानित ब्रांड बनाना।

VI) विश्वसनीयता, प्रदर्शन और तकनीकी उत्कृष्टता के मानक स्थापित करते हुए बीडीएल को निर्यात गुणवत्ता वाले रक्षा समाधानों के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना।

2.6 अवसर एवं चुनौतियां

अवसर

I) **मजबूत घरेलू रक्षा पाइपलाइन:** बीडीएल भारत की बढ़ती रक्षा खरीद पाइपलाइन से लाभ उठाने की मजबूत स्थिति में है, जिसे उच्च घरेलू आवंटन, स्वदेशीकरण संबंधी अनिवार्यताओं और निरंतर आधुनिकीकरण व्यय का समर्थन प्राप्त है। मजबूत ऑर्डर बुक दीर्घकालिक राजस्व दृश्यता प्रदान करती है।

II) **उन्नत मिसाइल पोर्टफोलियो का विस्तार:** बढ़ती रक्षा तैयारियों से उन्नत मिसाइल प्रणालियों की मांग बढ़ रही है। आगामी सुविधाओं के समर्थन से एसएएम, वीएसएचओआरएडी, एटीजीएम और टॉरपीडो के बढ़ते पोर्टफोलियो से बीडीएल की भविष्य की विकास क्षमता मजबूत हो रही है।

III) **बढ़ते निर्यात के अवसर:** भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात से वैश्विक बाजारों में बीडीएल के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। मजबूत स्वदेशी क्षमताएं, प्रतिस्पर्धी मूल्य और मिसाइल प्रणालियों में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय रुचि निर्यात वृद्धि को समर्थन प्रदान कर रही है।

IV) **आत्मनिर्भर भारत से अनुकूल परिस्थितियां:** विकसित हो रहा रक्षा खरीद ढांचा मजबूत स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं वाली कंपनियों को तेजी से प्राथमिकता दे रहा है। डीआरडीओ के साथ बीडीएल का दीर्घकालिक सहयोग उसकी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है।

V) **भविष्य के विकास के लिए क्षमता विस्तार:** नई विनिर्माण सुविधाओं में निवेश से उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि, निष्पादन क्षमता में सुधार और बड़े तथा अधिक जटिल कार्यक्रमों को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

VI) **उभरती प्रौद्योगिकी के अवसर:** मानव रहित प्रणालियों, सटीक हथियारों और निर्देशित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर बढ़ता जोर बीडीएल की मुख्य क्षमताओं के अनुरूप विकास के नए अवसर प्रस्तुत करता है।

VII) **एमआरओ कारोबार का विस्तार:** मिसाइल प्रणालियों के बढ़ते स्थापित आधार से कंपनी के लिए जीवनचक्र सहायता और एमआरओ के अवसरों की निरंतर श्रृंखला उत्पन्न होने की उम्मीद है।

चुनौतियां

I) **क्रियान्वयन संबंधी जोखिम:** बड़े और जटिल कार्यक्रमों का समय पर क्रियान्वयन महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि डिलीवरी या एकीकरण में देरी से राजस्व और लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।

II) **आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता:** महत्वपूर्ण घटकों के लिए आयात पर निर्भरता बीडीएल को भू-राजनीतिक, नियामकीय और लॉजिस्टिक संबंधी व्यवधानों के जोखिम में डालती है।

III) **बढ़ती प्रतिस्पर्धा:** रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से निर्देशित हथियार प्रणालियों में प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है।.

IV) **भू-राजनीतिक एवं निर्यात संबंधी जोखिम:** निर्यात के अवसर भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, नियामकीय बदलावों और अंतरराष्ट्रीय रक्षा व्यापार प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं।

V) **तीव्र तकनीकी बदलाव:** रक्षा प्रौद्योगिकियों में तेजी से हो रही प्रगति के कारण परिचालन प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अनुसंधान एवं विकास में निरंतर निवेश आवश्यक है।

VI) **प्रतिभा की उपलब्धता:** मिसाइल और रक्षा प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञ प्रतिभाओं की सीमित उपलब्धता भविष्य में विस्तार और नवाचार को प्रभावित कर सकती है।

VII) **ग्राहक एकाग्रता का जोखिम:** रक्षा मंत्रालय पर अत्यधिक निर्भरता से कंपनी रक्षा बजट और खरीद प्राथमिकताओं में होने वाले बदलावों के प्रति संवेदनशील रहती है।

VIII) **ऑर्डर रद्द होने का ऑर्डर बुक की मजबूती एवं परिचालन निरंतरता पर प्रभाव:** ऑर्डर रद्द होने से ऑर्डर बुक और भविष्य के राजस्व में कमी आ सकती है। ऑर्डर का समय से पहले समापन बीडीएल की मजबूत ऑर्डर बुक स्थिति बनाए रखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा पक्के ऑर्डर उपलब्ध नहीं होने के कारण उत्पादन लाइनों के निष्क्रिय रहने से कार्यबल में बदलाव और परिचालन अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं।

2.7 प्रमुख रणनीतियां

2.7.1 उत्पाद पोर्टफोलियो रणनीति

डीआरडीओ और मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के सहयोग से भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) 40 से अधिक रक्षा परियोजनाओं पर कार्य कर रही है और इन विकास कार्यों में विविध पोर्टफोलियो शामिल है। इन विकास कार्यों में सामरिक एवं क्रूज मिसाइलें, कम एवं लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियां, एंटी-टैंक गाइडेड म्यूनिशन, उन्नत भारी एवं हल्के टॉरपीडो, अंडरवाटर ऑटोनॉमस व्हीकल्स, सोनाबॉय तथा विशेषीकृत प्रणोदन प्रणालियां शामिल हैं।

2.7.2 निर्यात रणनीति

केंद्रित विपणन और व्यवसाय विकास प्रयासों के माध्यम से बीडीएल की वैश्विक पहचान को मजबूत किया गया है। विदेशी ओईएम और घरेलू निर्माताओं के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और साझेदारियों ने बीडीएल को वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी के रुझानों में अग्रणी स्थिति में स्थापित किया है।

रक्षा निर्यात को मजबूत करने और बीडीएल को एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भागीदार के रूप में स्थापित करने के लिए भारतीय एवं विदेशी साझेदारों के साथ 80 से अधिक एमओयू किए गए हैं।

मित्र विदेशी देशों को बीडीएल की हथियार प्रणालियों की आपूर्ति के लिए मित्र विदेशी देशों के रक्षा अताशे, राजदूतों और चैनल भागीदारों के साथ मजबूत समन्वय स्थापित किया गया है।

2.7.3 अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी रणनीति

आंतरिक अनुसंधान एवं विकास निधि में वृद्धि और एक संरचित दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से संगठन ने महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाई है। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की सामरिक स्ट्राइक प्रणालियां, काउंटर-मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) नेटवर्क, उन्नत मल्टी-स्पेक्ट्रल टार्गेटिंग सेंसर तथा विशेषीकृत प्रणोदन एवं पेलोड समाधान शामिल हैं।

2.7.4 प्रबंधन एवं मानव संसाधन रणनीति

दीर्घकालिक विकास और चुस्ती बनाए रखने के लिए बीडीएल रणनीतिक संरचनात्मक बदलावों और आधुनिक संगठनात्मक विचारधाराओं के माध्यम से अपने मानव पूंजी ढांचे में सक्रिय रूप से परिवर्तन कर रही है। कंपनी ने भविष्य की दक्षता आवश्यकताओं के अनुरूप वर्तमान क्षमताओं, कौशल और नेतृत्व संबंधी सामर्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक संगठनात्मक अंतर विश्लेषण शुरू किया है। बीडीएल के संरचनात्मक ढांचे को विकसित हो रहे रणनीतिक लक्ष्यों और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए लक्षित संगठनात्मक विकास (ओडी) हस्तक्षेपों को एक सतत, क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक चुस्ती के बीच संतुलन

स्थापित करती है। इसके अलावा, बीडीएल निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और आधुनिक प्रबंधन विचारधाराओं को अपनाने के लिए अपनी पुरानी प्रणालियों का पुनर्गठन कर रही है।

कार्यबल की दक्षता को अधिकतम करने के लिए कंपनी गैर-कार्यकारी कर्मचारियों का एक केंद्रीकृत पूल स्थापित कर रही है, ताकि वास्तविक समय में जनशक्ति के उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रभागों में उनका गतिशील वितरण किया जा सके। यह मानते हुए कि परिचालन उत्कृष्टता आधुनिक अवसंरचना पर निर्भर करती है, बीडीएल कार्यबल प्रबंधन को अनुकूलित करने, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ाने और परियोजना क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए उन्नत डिजिटल उपकरणों को एकीकृत कर रही है। अंततः, बीडीएल के भावी नेतृत्व की पाइपलाइन को सुरक्षित करना एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है, जिसके लिए एक मजबूत उत्तराधिकार योजना और नेतृत्व विकास योजना (एसपीएलडीपी) को औपचारिक रूप दिया गया है। यह सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया उच्च क्षमता वाले अधिकारियों की पहचान, मूल्यांकन और विकास करती है, ताकि अल्पकालिक और दीर्घकालिक अवधि में व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण पदों को भरा जा सके। इस ढांचे की नियमित अंतराल पर संरचित समीक्षा की जाती है।

3. जोखिम एवं चिंताएं

विभिन्न जोखिमों की पहचान की गई है और उनके लिए उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें उद्योग की गतिशीलता, बढ़ती बाजार प्रतिस्पर्धा, बाजार में उत्पाद लाने में लगने वाला समय, बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में मंदी या आर्थिक सुस्ती, उत्पाद एवं इनपुट कीमतों में उतार-चढ़ाव, लागत नियंत्रण तथा मांग के बदलते स्वरूप से संबंधित जोखिम शामिल हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा तथा डिजिटलाइजेशन और स्मार्ट विनिर्माण जैसी उभरती तकनीकी आवश्यकताओं से संबंधित जोखिमों की भी निरंतर निगरानी की जाती है और चिन्हित सुधार पहलों तथा समय-समय पर समीक्षा तंत्र के माध्यम से उनका सक्रिय रूप से प्रबंधन किया जाता है।

3.1 व्यवसाय संबंधी जोखिम

कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्य करती है। प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने, नवाचार करने और उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने की कंपनी की क्षमता उसकी दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी मुख्य रूप से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों पर अपने प्रमुख ग्राहक के रूप में निर्भर है। भारत सरकार द्वारा रक्षा व्यय में किसी महत्वपूर्ण कटौती या बदलाव, ऑर्डर में कमी, अनुबंध रद्द होने, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अनुबंध प्राप्त करने में विफलता या एमओडी अथवा सशस्त्र बलों की नीतियों में अल्पकालिक या दीर्घकालिक किसी भी प्रकार के बदलाव से कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों, विकास क्षमता और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और बाजार की गतिशीलता में बदलाव आ सकता है।

रक्षा क्षेत्र में व्यापक अनुभव और मजबूत विनिर्माण अवसंरचना के साथ, कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक दबावों और बदलती बाजार परिस्थितियों का सामना करने की अच्छी स्थिति में है। अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने के लिए, कंपनी भारत सरकार के सहयोग से निर्यात के अवसरों को सक्रिय रूप से तलाश रही है।

3.2 नीतिगत जोखिम

रक्षा उद्योग में नियामकीय आवश्यकताओं का अनुपालन और गुणवत्ता मानकों का पालन सर्वोपरि है। कंपनी को रक्षा मंत्रालय की विभिन्न खरीद नीतियों एवं विनियमों, सरकारी विनियमों तथा अन्य लागू कानूनों और मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। लागू विनियमों, खरीद नीतियों या निर्यात प्रतिबंधों में अचानक या अप्रत्याशित बदलाव कंपनी के कारोबार, परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

कंपनी भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप सभी लागू नियमों और विनियमों का निरंतर अनुपालन करती है तथा जहां तक संभव हो, नियामकीय बदलावों की पूर्वानुमानित जानकारी के आधार पर सक्रिय उपाय करती है।

3.3 परिचालन एवं श्रम संबंधी जोखिम

कंपनी का परिचालन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्थित अपनी विनिर्माण इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। इनमें से किसी भी इकाई में किसी प्रकार का व्यवधान, परिचालन बंद होना या परिचालन की हानि कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा, कार्यबल का एक वर्ग श्रमिक यूनियनों द्वारा प्रतिनिधित्व करता है और लंबे समय तक काम रुकने से परिचालन प्रभावित हो सकता है।

कंपनी अपने कर्मचारियों और मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखती है और इस संबंध में अपने परिचालन पर किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव की आशंका नहीं है।

3.4 आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन संबंधी जोखिम

ऑर्डरों का समय पर निष्पादन और लागत अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन महत्वपूर्ण है। कंपनी महत्वपूर्ण उप-असेंबली और घटकों के लिए कुछ प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम), आपूर्तिकर्ताओं, उप-ठेकेदारों और कुछ मामलों में एकल-स्रोत विक्रेताओं पर निर्भर है। ऐसी संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या प्रदर्शन में विफलता कंपनी के परिचालन और परियोजना निष्पादन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

कंपनी अपने विक्रेता आधार का लगातार विस्तार और सुदृढ़ीकरण कर रही है तथा जहां लागू हो, परिसमाप्त हर्जाने की धाराओं सहित उपयुक्त संविदात्मक प्रावधानों के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। कंपनी विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वैकल्पिक और अनेक विक्रेताओं के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि एकल-स्रोत आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम की जा सके और परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित हो।

3.5 प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिम

रक्षा क्षेत्र में तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति और ग्राहकों की बदलती मांगें प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रतिस्पर्धी बने रहने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी नवाचार, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा चुस्ती एवं अनुकूलन क्षमता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके उत्पादों में उन्नत प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, लेकिन नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के विकास एवं लॉन्च में कुछ अंतर्निहित जोखिम होते हैं, जैसे अपेक्षित लाभ प्राप्त करने में संभावित देरी।

प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए कंपनी ने अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ाया है और अनुसंधान एवं विकास में निवेश में वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी विभिन्न परियोजनाओं और उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ निकट सहयोग जारी रखे हुए है।

4. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण ढांचा स्थापित किया है, जो उसके परिचालन के आकार, जटिलता और प्रकृति के अनुरूप है तथा मजबूत वित्तीय अनुशासन और परिचालन की सुदृढ़ता सुनिश्चित करता है। खरीद, उप-ठेकेदारी, कार्य अनुबंध, वित्त एवं लेखांकन, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और अधिकार प्रत्यायोजन जैसे प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों को सुव्यवस्थित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा संचालित किया जाता है। बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं और नियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप इन ढांचों की समय-समय पर समीक्षा और परिष्करण किया जाता है।

निगरानी को मजबूत करने और नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने योग्य पेशेवरों से युक्त एक इन-हाउस आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग स्थापित किया है। यह विभाग पूरे संगठन में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, आंतरिक नियंत्रणों और शासन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे और कवरेज की समीक्षा एवं अनुमोदन निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के वित्तीय विवरणों और रिपोर्टिंग प्रथाओं पर आश्वासन प्रदान करने के लिए स्वतंत्र बाहरी लेखापरीक्षा फर्मों की नियुक्ति की जाती है। आंतरिक और बाहरी दोनों लेखापरीक्षाओं से प्राप्त टिप्पणियों एवं सिफारिशों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा गहन समीक्षा की जाती है, जिससे समय पर सुधारात्मक कार्रवाई और निरंतर सुधार सुनिश्चित होता है।

कंपनी प्रक्रियाओं और नियंत्रणों में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर अपने कॉरपोरेट शासन ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जोखिम प्रबंधन मानकों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही आंतरिक प्रणालियों को कॉरपोरेट शासन में विकसित हो रहे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है।

5. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जिसमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या भी शामिल है

5.1 31 मार्च 2026 को कंपनी में कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

विवरण	गैर-कार्यकारी	कार्यकारी	कुल
पुरुष	1,198	631	1,829
महिला	160	112	272
कुल	1,358	743	2,101
विगत वर्ष	1,510	759	2,269

5.2 औद्योगिक संबंध

कंपनी प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच रचनात्मक एवं पारदर्शी संबंधों को बढ़ावा देने पर निरंतर विशेष जोर देती है, जिसका उद्देश्य सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक कार्यस्थल का वातावरण बनाए रखना है। इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए, वर्ष के दौरान केंद्रीय श्रम विभाग ने गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियन की सदस्यता का सत्यापन किया।

मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर, प्रबंधन ने रोजगार की शर्तों और कार्य परिस्थितियों से संबंधित विषयों पर संवाद, परामर्श और बातचीत के लिए मजबूत तंत्र स्थापित किए हैं। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य चिंताओं का समय पर समाधान करना, खुले संवाद को प्रोत्साहित करना और पूरे संगठन में औद्योगिक सौहार्द को मजबूत करना है।

मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन औद्योगिक संबंधों और रोजगार से संबंधित मामलों पर प्रबंधन के साथ चर्चा में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निरंतर संवाद और आपसी सहयोग के माध्यम से कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए विश्वास, निष्पक्षता और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ सकारात्मक एवं उत्पादक कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

6. पर्यावरण संबंधी उपाय

बीडीएल में पर्यावरणीय जिम्मेदारी केवल अनुपालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कंपनी के परिचालन के तरीके का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और विनिर्माण इकाइयों में कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण की प्रक्रियाओं को लगातार लागू करने के माध्यम से सतत विकास संबंधी विचारों को परिचालन संबंधी निर्णय लेने में शामिल किया गया है। सभी सुविधाओं में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और सीवेज उपचार संयंत्र औद्योगिक अपशिष्ट जल एवं सीवेज का जिम्मेदारीपूर्वक उपचार और निपटान सुनिश्चित करते हैं।

कंपनी जल संरक्षण संबंधी पहलों, वृक्षारोपण अभियानों, खतरनाक अपशिष्ट और धातु स्क्रैप के वैज्ञानिक निपटान तथा व्यवस्थित भू-दृश्यांकन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने संरक्षण प्रयासों को लगातार मजबूत कर रही है। जहां संभव हो, पुनर्चक्रित घरेलू जल और उपचारित अपशिष्ट जल का परिचालन में पुनः उपयोग किया जाता है, जिससे मीठे जल संसाधनों पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलती है। पर्यावरणीय प्रदर्शन की समीक्षा आईएसओ 14001 की कोर टीम की बैठकों, आंतरिक लेखापरीक्षाओं और समय-समय पर प्रबंधन समीक्षा के माध्यम से की जाती है, जिससे पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार सुनिश्चित होता है। सभी विनिर्माण इकाइयों में स्वतंत्र वार्षिक निगरानी लेखापरीक्षाएं लागू पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन को और मजबूत करती हैं।

सामूहिक रूप से, ये पहल बीडीएल के इस विश्वास को दर्शाती हैं कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ने चाहिए। इसके तहत पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने और सतत परिचालन को आगे बढ़ाने पर निरंतर ध्यान दिया जाता है।

सतत विकास के प्रति प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी ने अपने परिचालन में ऊर्जा संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय सक्रिय रूप से लागू किए हैं:

- **100% नवीकरणीय ऊर्जा:** हरित ऊर्जा टैरिफ अपनाकर और 100% हरित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करके सभी विनिर्माण इकाइयों में नवीकरणीय ऊर्जा पर पूर्ण निर्भरता हासिल की गई।
- **हरित अवसंरचना:** डिजाइन एवं इंजीनियरिंग भवन को पर्यावरण-अनुकूल सुविधा में परिवर्तित किया गया, जिसके लिए यू.एस. ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (यूएसजीबीसी) से प्रतिष्ठित "प्लैटिनम रेटिंग" प्रमाणन प्राप्त हुआ।
- **पर्यावरण-अनुकूल आवागमन:** चार इलेक्ट्रिक साइकिल और एक इलेक्ट्रिक ट्रक सहित बैटरी चालित वाहनों की शुरुआत करके आंतरिक परिसर आवागमन को बेहतर बनाया गया।
- **ऊर्जा-कुशल उपकरण:** 320 ब्रशलेस डायरेक्ट करंट (बीडीएलसी) पंखे, 11 वैरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी), 35 ऑक्यूपेंसी सेंसर, 2 ऑटोमैटिक पावर फैक्टर करेक्शन (एपीएफसी) नियंत्रक और 3 उच्च-दक्षता वाले आईई4 मोटर स्थापित करके सुविधा अवसंरचना को उन्नत किया गया।

7. विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी अपनी विभिन्न दैनिक परिचालन आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी दृष्टिकोण अपनाने के समर्पित प्रयासों के माध्यम से विदेशी मुद्रा के संरक्षण पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रही है। अंतिम उत्पादों की असेंबली में स्वदेशी सामग्री को क्रमिक रूप से बढ़ाकर, कंपनी ओईएम से प्राप्त आयातित घटकों और उप-प्रणालियों पर निर्भरता कम कर रही है।

8. भविष्य का दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने ₹2,442 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। वर्ष के दौरान निर्यात से राजस्व ₹702.23 करोड़ रहा, जो कंपनी की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति और स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय रक्षा प्रणालियों की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान ऑर्डर इनफ्लो ₹5,909 करोड़ रहा, जिससे 31 मार्च 2026 तक ₹26,176 करोड़ की मजबूत ऑर्डर बुक सुदृढ़ हुई। आगे देखते हुए, बीडीएल को अगले दो से तीन वर्षों में लगभग ₹25,000 करोड़ के नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम अंतिम रूप देने के उन्नत चरण में हैं। इससे राजस्व की उच्च स्तर की दृश्यता मिलती है और कंपनी के दीर्घकालिक विकास की दिशा और मजबूत होती है।

9. व्यवसाय का दृष्टिकोण

निकट अवधि (वित्त वर्ष 2026-27)

वित्त वर्ष 2026-27 में बीडीएल अपनी विकास गति को बनाए रखने की मजबूत स्थिति में है। भारत के सशस्त्र बलों से मांग लगातार मजबूत हो रही है, जिसे सरकार के "*आत्मनिर्भर*" भारत पर निरंतर नीतिगत जोर और रक्षा खरीद के क्रमिक स्वदेशीकरण से समर्थन मिल रहा है। मिसाइल प्रणालियों, सटीक-निर्देशित आयुध, वायु रक्षा प्लेटफॉर्म, एंटी-टैंक हथियार, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले हथियार, लोइटरिंग म्यूनिशन, स्वायत्त प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध समाधानों से संबंधित कई प्रमुख कार्यक्रम अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं और निकट अवधि में इनके पक्के ऑर्डर में परिवर्तित होने की उम्मीद है।

कंपनी की मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन, बढ़ते निर्यात अवसरों और रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारियों के साथ मिलकर, मजबूत एवं सतत विकास के एक और चरण के लिए ठोस आधार प्रदान करती है।

दीर्घकालिक दृष्टि, विजन 2047

बीडीएल विजन 2047 द्वारा निर्देशित परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश कर रही है, जो विकसित भारत और "*आत्मनिर्भर*" भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। भारत के बदलते सुरक्षा वातावरण और उन्नत रणनीतिक प्लेटफॉर्म की बढ़ती मांग से आधुनिक मिसाइल प्रणालियों, अगली पीढ़ी की वायु रक्षा एवं पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रौद्योगिकियों, सटीक आयुध तथा स्वायत्त एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में दीर्घकालिक महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

कंपनी की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा एक स्थापित मिसाइल प्रणालियों के निर्माता की अपनी भूमिका से आगे बढ़कर एक पूर्णतः एकीकृत रक्षा समाधान प्रदाता के रूप में विकसित होना है, जिसके पास डिजाइन, विकास, उत्पादन, सिस्टम एकीकरण, जीवनचक्र सहायता और उभरती रक्षा प्रौद्योगिकियों में गहरी क्षमताएं हों। यह परिवर्तन तीन रणनीतिक प्राथमिकताओं पर आधारित है: तकनीकी नेतृत्व, परिचालन उत्कृष्टता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता।

10. रणनीतिक प्राथमिकताएं

स्वदेशी डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण

महत्वपूर्ण और उभरती रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता बीडीएल की रणनीति का आधार बनी हुई है। कंपनी अगली पीढ़ी की मिसाइल और रक्षा प्रणालियों के इन-हाउस विकास को तेज कर रही है, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख कार्यक्रमों में विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को क्रमिक रूप से कम करना है। विकास के प्रत्येक प्लेटफॉर्म में स्वदेशी सामग्री बढ़ाना कार्यक्रम का अनिवार्य मानदंड है।

अनुसंधान एवं विकास

बीडीएल ने हाल के वर्षों में अपने अनुसंधान एवं विकास व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की है और इस निवेश की गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी नवाचार को दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता का आधार मानती है और पूरे संगठन में प्रयोग, तकनीकी जोखिम लेने तथा निरंतर प्रगति की संस्कृति विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। अनुसंधान एवं विकास की प्राथमिकताओं में उन्नत सीकर प्रौद्योगिकियां, प्रणोदन प्रणालियां, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग, रोबोटिक्स तथा अगली पीढ़ी की वारहेड एवं फ्यूज प्रणालियां शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी विकास में तेजी लाने के लिए बीडीएल ने प्रमुख शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी और डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के साथ अपने सहयोग को और मजबूत किया है। इन साझेदारियों का उद्देश्य अत्याधुनिक अनुसंधान, विघटनकारी प्रौद्योगिकियों का इनक्यूबेशन, एआई अनुप्रयोगों तथा भविष्य के युद्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप रक्षा समाधानों का विकास करना है।

रणनीतिक साझेदारियां

रणनीतिक सहयोग बीडीएल के विकास रोडमैप का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। कंपनी उन्नत रक्षा प्रणालियों के संयुक्त विकास, सह-उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और देश में विनिर्माण के लिए अग्रणी वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ साझेदारियों का विस्तार कर रही है। साथ ही, बीडीएल एक मजबूत एंड-टू-एंड रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए डीआरडीओ, सरकारी प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों के साथ अपने सहयोग को और गहरा कर रही है।

घरेलू स्तर पर, बीडीएल एक मजबूत और एकीकृत विनिर्माण आधार तैयार करने के लिए भारतीय निजी उद्योगों, एमएसएमई, स्टार्टअप और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इन सहयोगों का उद्देश्य उभरती रक्षा आवश्यकताओं के लिए कुशल, विस्तार योग्य और स्थानीय स्तर पर एकीकृत समाधान उपलब्ध कराना है।

विनिर्माण आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार

बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने और निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए बीडीएल एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण एवं क्षमता वृद्धि कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। कंपनी ने पहले ही उन्नत विनिर्माण अवसंरचना में महत्वपूर्ण निवेश किया है और स्मार्ट विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, स्वचालन, इंडस्ट्री 4.0 प्रक्रियाओं, उन्नत गुणवत्ता प्रणालियों तथा बेहतर आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण में निवेश जारी रखा है।

आने वाले वर्षों में नियोजित निवेश का उद्देश्य बेहतर विस्तार क्षमता, दक्षता और विश्वसनीयता वाली आधुनिक उत्पादन सुविधाएं स्थापित करना है। ये पहल न केवल वर्तमान ऑर्डर बुक के समय पर निष्पादन में सहायता करेंगी, बल्कि वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में बीडीएल की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को भी मजबूत करेंगी।

निर्यात में वृद्धि

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बीडीएल मित्र विदेशी देशों को विश्वसनीय, किफायती और अनुकूलित रक्षा समाधान उपलब्ध कराकर अपनी वैश्विक उपस्थिति का लगातार विस्तार कर रही है। कई स्वदेशी उत्पादों के लिए निर्यात मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और भारतीय रक्षा प्रणालियों में अंतरराष्ट्रीय रुचि बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में कुल राजस्व में निर्यात का योगदान क्रमिक रूप से बढ़ने की उम्मीद है।

मानव पूंजी एवं संगठनात्मक विकास

बीडीएल का नेतृत्व मानता है कि तकनीकी नेतृत्व को केवल अत्यधिक कुशल और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के माध्यम से ही बनाए रखा जा सकता है। कंपनी मजबूत तकनीकी प्रतिभाओं को आकर्षित करने, गहन विषयगत दक्षताएं विकसित करने तथा पूरे संगठन में निरंतर सीखने, पुनः कौशल विकास, कौशल उन्नयन और नेतृत्व विकास के लिए संरचित अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

प्रतिभा विकास से आगे बढ़कर, बीडीएल संगठनात्मक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें डिजिटल उपकरणों का एकीकरण, शासन को मजबूत करना, नवाचार-आधारित संस्कृति को बढ़ावा देना और प्रत्येक स्तर पर परिचालन उत्कृष्टता को स्थापित करना शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी आज की आवश्यकताओं के साथ-साथ कल की चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह तैयार रहे।

निष्कर्ष

भारत डायनामिक्स लिमिटेड वित्त वर्ष 2026-27 में एक मजबूत ऑर्डर बुक, स्पष्ट रणनीतिक रोडमैप और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की संस्थागत क्षमता के साथ प्रवेश कर रही है। बढ़ती घरेलू रक्षा आवश्यकताओं, तेजी से बढ़ती स्वदेशीकरण नीति, विस्तारित निर्यात अवसरों और बीडीएल की निरंतर मजबूत होती तकनीकी क्षमताओं का समन्वय कंपनी को सतत और उच्च गुणवत्ता वाले विकास के दौर के लिए मजबूत स्थिति में रखता है।

विजन 2047 द्वारा निर्देशित और "*आत्मनिर्भर*" भारत के सिद्धांतों पर आधारित, बीडीएल महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने, उन्नत प्रणालियों का निर्माण करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी रक्षा विनिर्माण राष्ट्र के रूप में उभरने में सार्थक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ है: ऐसी प्रौद्योगिकियां और क्षमताएं उपलब्ध कराना, जिन पर भारत आने वाले दशकों तक भरोसा कर सके।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसके लिए

डी. वी. श्रीनिवास राव
निदेशक (तकनीकी) एवं
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन : 10652125

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 28 मई 2026

अनुलग्नक-III

कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का कॉरपोरेट शासन संबंधी दर्शन:

कॉरपोरेट शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन अपने सभी परिचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उचित प्रकटीकरण करना, कानूनों का अनुपालन करना, नैतिक मानकों को बनाए रखना और सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखना है। अपने पेशेवर दृष्टिकोण के अनुरूप, कंपनी कॉरपोरेट शासन के सिद्धांतों को अक्षरशः और पूर्ण भावना के साथ लागू कर रही है।

कंपनी की गतिविधियों की निगरानी कई बाहरी एजेंसियों द्वारा की जाती है, जैसे वैधानिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) आदि।

आपकी कंपनी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (यथासंशोधित) (जिसे आगे 'सूचीबद्धता विनियम' कहा गया है) तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट शासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश-2010 (जिसे आगे 'डीपीई दिशा-निर्देश' कहा गया है) के अंतर्गत निर्धारित कॉरपोरेट शासन मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

2. निदेशक मंडल:

क) निदेशकों की संरचना एवं श्रेणी:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, आपकी कंपनी एक 'सरकारी कंपनी' है, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक कुल चुकता पूंजी का 74.93% हिस्सा भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के नेतृत्व वाला निदेशक मंडल सर्वोच्च निकाय है, जो कंपनी के कामकाज की निगरानी करता है। निदेशक मंडल शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और रणनीतिक सोच प्रदान करता है।

31 मार्च 2026 तक कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित चार पूर्णकालिक निदेशक, दो अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) और एक अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल हैं।

सरकारी कंपनी होने के कारण, सभी निदेशकों की नियुक्ति/कार्यकाल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। निदेशक आपस में एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

ख) वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क)	कार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशकगण (कार्यकारी)	पदनाम
	कमोडोर ए. माधवराव (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	श्री पी. वी. राजा राम@	निदेशक (उत्पादन)
	श्री डी. वी. श्रीनिवास राव	निदेशक (तकनीकी)
	श्री जी. गायत्री प्रसाद	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
	कमोडोर सुजय कपूर (सेवानिवृत्त)+	निदेशक (उत्पादन)
ख)	**अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र)**	
	श्री अमित सतीजा$	सरकार द्वारा नामित निदेशक
	श्रीमती मीरा मोहंती$	सरकार द्वारा नामित निदेशक
	श्री यू. राजा बाबू	सरकार द्वारा नामित निदेशक
ग)	**अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र)**	
	श्री जशवंत लाल^	स्वतंत्र निदेशक
	श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया%	स्वतंत्र निदेशक

@ रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या DDP-M0001(11)/2/2022-D(BDL), दिनांक 30 अगस्त 2023 के अनुसार, कार्यकाल पूरा होने पर वे 01 अक्टूबर 2025 से अपने पद पर नहीं रहे।

+ रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या DDP-M0001(11)/1/2025-D(BDL) Pt.1, दिनांक 04 फरवरी 2026 के अनुसार, कमोडोर सुजय कपूर (सेवानिवृत्त) ने 06 मार्च 2026 से निदेशक (उत्पादन) का कार्यभार संभाला।

$ श्रीमती मीरा मोहंती को रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 8(32)/2019-D(Coord/DDP), दिनांक 14/07/2025 के माध्यम से श्री अमित सतीजा के स्थान पर 14 जुलाई 2025 से सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

^ रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या DDP-M0001(11)/1/2018/D(BDL), दिनांक 24 फरवरी 2023 के अनुसार, कार्यकाल पूरा होने पर वे 24 फरवरी 2026 से अपने पद पर नहीं रहे।

% रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या DDP-M0001(11)/3/2018-D(BDL), दिनांक 22 अप्रैल 2025 के अनुसार, श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया को 22 अप्रैल 2025 से स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया।

ग) निदेशक मंडल की बैठकें एवं उनमें उपस्थिति; निदेशक द्वारा सदस्य या अध्यक्ष के रूप में धारित अन्य निदेशक मंडलों अथवा निदेशक मंडल की समितियों की संख्या

वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशक मंडल की छह (6) बैठकें आयोजित की गईं तथा किसी भी दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल सेबी विनियमों और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रखा गया। निदेशक मंडल की बैठकें 27 मई 2025, 12 अगस्त 2025, 26 सितंबर 2025, 13 नवंबर 2025, 29 दिसंबर 2025 और 31 जनवरी 2026 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल को उसकी जानकारी/निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। निदेशक मंडल की बैठकों, वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा वर्ष 2025-26 के दौरान उनके द्वारा धारित अन्य निदेशक पदों/समिति की सदस्यता आदि का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	निदेशक मंडल की बैठकें		26 सितंबर 2025 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	धारित अन्य निदेशक पदों की संख्या	उन सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम, जिनके निदेशक मंडल में निदेशक हैं		सभी कंपनियों में समिति की सदस्यता की संख्या	
	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या			सूचीबद्ध कंपनी का नाम	निदेशक पद की श्रेणी	अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
कार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी)								
कमोडोर ए. माधवराव (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6	6	हां	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यकारी निदेशक एवं अध्यक्ष	-	-
श्री पी. वी. राजा राम निदेशक (उत्पादन) (01 अक्टूबर 2025 से पद पर नहीं रहे)	3	3	हां	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यकारी निदेशक	-	-
श्री डी. वी. श्रीनिवास राव निदेशक (तकनीकी)	6	6	हां	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यकारी निदेशक	-	2
श्री जी. गायत्री प्रसाद निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	6	6	हां	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यकारी निदेशक	-	1
कमोडोर सुजय कपूर (सेवानिवृत्त) निदेशक (उत्पादन) (06 मार्च 2026 से कार्यभार संभाला)	0	0	लागू नहीं	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यकारी निदेशक	-	-
अंशकालिक आधिकारिक (सरकार द्वारा नामित) निदेशक (गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र)								
श्री अमित सतीजा (14 जुलाई 2025 से पद पर नहीं रहे)	1	1	नहीं	3	मिश्र धातु निगम लिमिटेड भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक	-	-
श्रीमती मीरा मोहंती (14 जुलाई 2025 से नियुक्त)	5	3	लागू नहीं	2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएमएल लिमिटेड भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक	-	-
श्री यू. राजा बाबू	6	4	नहीं	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक	-	-
अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र)								
श्री जशवंत लाल (24 फरवरी 2026 से पद पर नहीं रहे)	6	6	हां	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र निदेशक	1	2
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया (22 अप्रैल 2025 से नियुक्त)	6	6	हां	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र निदेशक	1	2

टिप्पणी:

(1) वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं था। कोई भी निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं और निदेशकों के बीच आपसी संबंध भी नहीं हैं।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों में निदेशक पद, जिसमें निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों में निदेशक पद शामिल नहीं हैं।

(3) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुसार, सभी कंपनियों में अन्य समितियों की सदस्यता की संख्या के उद्देश्य से लेखापरीक्षा समिति तथा हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यता को ध्यान में रखा जाता है। कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में, जिनमें वह निदेशक है, दस से अधिक समितियों का सदस्य या पांच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। कंपनी का कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक नहीं है तथा कंपनी का कोई भी स्वतंत्र निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक नहीं है। कंपनी का कोई भी पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है।

(4) श्री पी. वी. राजा राम के पास कंपनी में ₹5 अंकित मूल्य के 210 शेयर, श्री जी. गायत्री प्रसाद के पास 1,304 शेयर (लाभकारी स्वामित्व सहित) तथा श्री डी. वी. श्रीनिवास राव के पास 60 शेयर (लाभकारी स्वामित्व सहित) हैं। कंपनी के किसी अन्य निदेशक के पास कंपनी के कोई शेयर और/या परिवर्तनीय लिखत नहीं हैं।

(5) कंपनी को 31 मार्च 2026 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 16(1)(ख) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों के संबंध में घोषणाएं प्राप्त हुई हैं और स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर, निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) विनियमों में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से स्वतंत्र हैं और किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा नहीं दिया है।

घ) निदेशक मंडल का कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता:

बीडीएल एक केंद्रीय सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के कारण, निदेशकों की नियुक्ति, दक्षता, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी के कारोबार और संबंधित क्षेत्रों के संदर्भ में आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों का चयन सरकार द्वारा अपनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। पदधारकों की वांछित योग्यता और अनुभव वित्त, परिचालन, तकनीकी, मानव संसाधन और विपणन जैसे कार्यात्मक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति के समय, उम्मीदवारों के कार्य विवरण, वांछित योग्यता एवं अनुभव को प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम चयन बोर्ड को भेजा जाता है, ताकि रिक्ति की घोषणा और उम्मीदवारों की भर्ती की जा सके।

अतः सभी निदेशकों के पास कंपनी के कारोबार और संबंधित क्षेत्रों के संदर्भ में अपने कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं हैं।

ङ) कानूनों के अनुपालन की समीक्षा:

कंपनी में ऐसी उचित प्रणालियां हैं, जो निदेशक मंडल को कंपनी पर लागू सभी कानूनों के अनुपालन संबंधी रिपोर्टों की समय-समय पर समीक्षा करने में सक्षम बनाती हैं। ये रिपोर्ट कंपनी द्वारा तैयार की जाती हैं तथा इनमें अनुपालन न होने के मामलों को सुधारने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों का भी विवरण होता है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी पर लागू विभिन्न कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा की। वर्ष के दौरान किसी भी नियामक अथवा न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण या सारभूत आदेश पारित नहीं किया गया, जिसका कंपनी की निरंतर संचालन स्थिति और भविष्य के परिचालन पर प्रभाव पड़ा हो।

च) निदेशक मंडल के सदस्यों का परिचय/प्रशिक्षण:

स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के समय, निदेशक को एक स्वागत पत्र भेजा जाता है, जिसमें निदेशक के रूप में निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का विवरण तथा कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्धता विनियमों और अन्य लागू विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित अनुपालनों की जानकारी दी जाती है। कंपनी का प्रबंधन नव नियुक्त निदेशक को कंपनी, उसके परिचालन, कंपनी की विभिन्न नीतियों एवं प्रक्रियाओं, कंपनी के विभिन्न प्रभागों तथा उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों, शासन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं तथा कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रासंगिक जानकारी से परिचित कराता है। निदेशकों को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित निदेशक मंडल से संबंधित कार्यप्रणालियों और अभिमुखीकरण कार्यक्रमों आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से प्रोत्साहित और प्रायोजित भी किया जाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचयात्मक कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: परिचयात्मक कार्यक्रम का विवरण

छ) प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र

मैसर्स मेहता एंड मेहता, प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिवों ने सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी किया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि 31 मार्च 2026 तक कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी निदेशक सेबी/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों में निदेशक के रूप में नियुक्त होने या निदेशक के पद पर बने रहने से प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

ज) निदेशक एवं अधिकारी बीमा

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 25(10) की आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी ने निदेशक एवं अधिकारी दायित्व बीमा पॉलिसी लागू कर रखी है।

3. निदेशक मंडल की अनिवार्य समितियां:

क) लेखापरीक्षा समिति:

लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 177, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 18 और डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की चार (4) बैठकें 27 मई 2025, 12 अगस्त 2025, 13 नवंबर 2025 और 31 जनवरी 2026 को आयोजित की गईं। बीडीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व के अभाव के कारण लेखापरीक्षा समिति को 24 फरवरी 2026 से निलंबित कर दिया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की संरचना और उक्त बैठक(बैठकों) में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	निदेशकों की श्रेणी	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
1	श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया अध्यक्ष*	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र निदेशक	4	4
2	श्री जशवंत लाल सदस्य#	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र निदेशक	4	4
3	श्री डी. वी. श्रीनिवास राव सदस्य	कार्यकारी निदेशक	4	4

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

*22 अप्रैल 2025 से अध्यक्ष नियुक्त किए गए।

#24 फरवरी 2026 से सदस्य के पद पर नहीं रहे।

कार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी के अलावा) को स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जाता है तथा वैधानिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य करने वाली बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के प्रतिनिधि भी आमंत्रण पर बैठक में उपस्थित होते हैं। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार किया गया है। लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने कंपनी की 55वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया।

संदर्भ की शर्तें:

लेखापरीक्षा समिति कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्धता विनियमों तथा समय-समय पर यथासंशोधित डीपीई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत लागू प्रावधानों में निर्धारित संदर्भ की शर्तों का अनुपालन करती है। लेखापरीक्षा समिति द्वारा किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं:

(i) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;

(ii) लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना;

(iii) वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों को किए जाने वाले भुगतान को अनुमोदित करना;

(iv) निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची II, भाग C में उल्लिखित प्रावधानों के संदर्भ में;

(v) निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले, प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;

(vi) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और कार्य-निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

(vii) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन करना अथवा बाद में उसमें कोई संशोधन करना;

(viii) अंतर-कॉरपोरेट ऋणों और निवेशों की जांच करना;

(ix) जहां आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना;

(x) प्रबंधन के साथ वैधानिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

(xi) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना;

(xii) आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और हटाने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा का दायरा निर्धारित करना;

(xiii) आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की संख्या और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है;

(xiv) आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना तथा उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;

(xv) उन मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां किसी महत्वपूर्ण प्रकृति की धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता का संदेह हो तथा इस मामले की सूचना निदेशक मंडल को देना;

(xvi) वैधानिक, आंतरिक और सरकारी लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों की समीक्षा करना तथा उनके आधार पर सिफारिशें देना;

(xvii) सीएंडएजी लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;

(xviii) लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे पर चर्चा करना तथा लेखापरीक्षा के बाद चर्चा कर चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाना;

(xix) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न किए जाने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में महत्वपूर्ण चूक के कारणों की जांच करना;

(xx) व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा करना;

(xxi) संसद की लोक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;

(xxii) एकल स्रोत से की गई खरीद के मामलों की समीक्षा करना;

(xxiii) सहायक कंपनी में धारक कंपनी द्वारा दिए गए/प्रदान किए गए ऋण और/या अग्रिमों अथवा निवेश, जो ₹100 करोड़ या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार के 10%, इनमें से जो कम हो, से अधिक हो, के उपयोग की समीक्षा करना, जिसमें मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश भी शामिल हैं।

ख) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1), सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 19 और डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

वर्ष के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की चार (4) बैठकें 26 सितंबर 2025, 13 नवंबर 2025, 29 दिसंबर 2025 और 31 जनवरी 2026 को आयोजित की गईं। बीडीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को 24 फरवरी 2026 से निलंबित कर दिया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की संरचना और उक्त बैठक(बैठकों) में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	निदेशकों की श्रेणी	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया अध्यक्ष*	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	4	4
2	श्रीमती मीरा मोहंती सदस्य#	गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक	4	0
3	श्री अमित सतीजा सदस्य+	गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक	Nil	NA
4	श्री जसवंत लाल सदस्य@	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	4	4

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

* 22 अप्रैल 2025 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त।

14 जुलाई 2025 से सदस्य के रूप में नियुक्त।

+ 14 जुलाई 2025 से सदस्य नहीं रहे।

@ 24 फरवरी 2026 से सदस्य नहीं रहे।

संदर्भ की शर्तें:

समिति की संदर्भ शर्तें निम्नलिखित हैं:

(i) निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात् कार्यकारी निदेशक) में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना तथा उनकी नियुक्ति और हटाने के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना;

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की बोर्ड को सिफारिश करना;

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक की सिफारिश करना (अर्थात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक से एक स्तर नीचे के प्रबंधन के सदस्य, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंधक भी शामिल हैं, यदि वे निदेशक मंडल का हिस्सा नहीं हैं);

(iv) वार्षिक बोनस/प्रदर्शन वेतन/परिवर्तनीय वेतन पूल तथा अधिकारियों के बीच इसके वितरण की नीति के संबंध में निर्णय लेना;

(v) अधिकारियों के लिए अनुलाभ और भत्ते प्रदान करने संबंधी योजनाओं का निर्माण और उनमें संशोधन करना;

(vi) अधिकारियों और गैर-कार्यकारी अधिकारियों, जैसा भी मामला हो, के लिए किसी नई पारिश्रमिक योजना का निर्धारण करना;

(vii) सूचीबद्धता विनियमों तथा समय-समय पर संशोधित किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

पारिश्रमिक नीति / सभी निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण:

क. बीडीएल एक केंद्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी पत्र में उनकी नियुक्ति की अवधि, मूल वेतन, वेतनमान, महंगाई भत्ता आदि सहित नियुक्ति के विस्तृत नियम और शर्तें दी गई हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि पत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य नियमों और शर्तों के संबंध में कंपनी के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

ख. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा संबंधित व्यक्ति की अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा सरकार के अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, की जाती है।

ग. अंशकालिक सरकारी निदेशक (अर्थात् सरकार द्वारा नामित निदेशक) सामान्यतः प्रशासनिक मंत्रालय से होते हैं और उनका कार्यकाल कंपनी के बोर्ड में नियुक्ति के समय सरकार में उनके द्वारा धारित संबंधित पद के कार्यकाल के साथ सह-समाप्त होता है या सरकार के अगले आदेश तक होता है। वे किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते हैं।

घ. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (अर्थात् स्वतंत्र निदेशक) भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किए जाते हैं। वे सरकार के निर्देशों/वैधानिक नियमों और विनियमों के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के हकदार होते हैं। 03 नवंबर 2023 को आयोजित बोर्ड की 278वीं बैठक में स्वतंत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क को बढ़ाकर बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रति बैठक ₹30,000/- तथा बोर्ड स्तर की समिति की बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹20,000/- कर दिया गया। कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों को दिए जाने वाले बैठक शुल्क की समीक्षा की है और यह डीपीई के 16 दिसंबर 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या F.No.9(23)/2014-MGMT के अनुरूप है। वर्ष 2025-26 के दौरान बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

स्वतंत्र निदेशक का नाम	राशि (₹)
श्री जसवंत लाल	4,80,000
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	4,80,000

ङ. वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है:

(राशि ₹ में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन	अनुलाभ	VL अवकाश नकदीकरण	भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान एवं अतिरिक्त ग्रेच्युटी/ अवकाश/ पेंशन-कार्यकारी योजना एवं पीएसएमबी-II	प्रोत्साहन	कुल	31 मार्च 2026 को कंपनी में धारित ₹5 अंकित मूल्य के शेयरों की संख्या (लाभकारी आधार पर धारित शेयरों सहित)
कमोडोर ए. माधवराव (सेवानिवृत्त)	सीएमडी	53,70,557	9,88,696	-	15,82,883	21,88,524	1,01,30,660	_
श्री पी.वी. राजा राम@	निदेशक (उत्पादन)	19,34,771	3,63,077	-	5,02,860	15,39,655	43,40,363	210
श्री डी.वी. श्रीनिवास राव	निदेशक (तकनीकी)	36,39,568	6,69,966	-	14,13,982	9,38,881	66,62,397	60
श्री जी. गायत्री प्रसाद	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	34,71,470	6,39,067	2,46,170	16,10,817	8,70,351	68,37,875	1304
कमोडोर सुजय कपूर*	निदेशक (उत्पादन)	2,80,001	60,236	-	2,51,793	-	5,92,030	-
श्री एन. नागराजा	कंपनी सचिव	21,09,408	3,89,392	-	6,11,289	3,90,446	35,00,535	10

@ 01 अक्टूबर 2025 से निदेशक के पद पर नहीं रहे।

* 06 मार्च 2026 से निदेशक (उत्पादन) का कार्यभार ग्रहण किया।

च. स्टॉक ऑप्शन: कंपनी के पास बोर्ड/शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित कोई स्टॉक ऑप्शन योजना/स्कीम नहीं है।

छ. कंपनी अपने निदेशकों को कोई कमीशन नहीं देती है। बैठक शुल्क प्राप्त करने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 के दौरान किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या लेन-देन नहीं था।

ज. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(p) तथा सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 और 19 के तहत निदेशक मंडल के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि सभी सरकारी कंपनियों को आवश्यक छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के तहत 17 जनवरी 2018 के अपने पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DIL1/OW/P/2018/1679/1 के माध्यम से आपकी कंपनी को इसी प्रकार की छूट प्रदान की है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने भी कंपनियों को निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति बनाने से छूट प्रदान की है, जो कंपनी अधिनियम की धारा 178 के तहत अपेक्षित है।

झ. पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित विवरण, जिसमें हुए परिवर्तन भी शामिल हैं: विवरण के लिए कॉर्पोरेट सूचना अनुभाग के पृष्ठ संख्या 2 देखें।

ग) हितधारक संबंध समिति

हितधारक संबंध समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 20 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वर्ष के दौरान हितधारक संबंध समिति की एक (1) बैठक 31 जनवरी 2026 को आयोजित की गई। वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की संरचना तथा उक्त बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	निदेशकों की श्रेणी	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री जसवंत लाल अध्यक्ष*	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	1	1
2	श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया सदस्य#	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	1	1
3	श्री डी.वी. श्रीनिवास राव सदस्य	कार्यकारी निदेशक	1	1

क्रम सं.	सदस्य का नाम	निदेशकों की श्रेणी	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
4	श्री जी. गायत्री प्रसाद सदस्य	कार्यकारी निदेशक	1	1
5	श्री पी.वी. राजा राम सदस्य@	कार्यकारी निदेशक	Nil	NA

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

* 24 फरवरी 2026 से अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे।.
#24 फरवरी 2026 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त।
@ 01 अक्टूबर 2025 से सदस्य के पद पर नहीं रहे।

संदर्भ की शर्तें:

(i) कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करना और उनका समाधान करना, जिसमें शेयरों के अंतरण/हस्तांतरण, वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने, आम बैठकों आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं;

(ii) शेयरधारकों द्वारा अपने मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना;

(iii) रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना;

(iv) लावारिस लाभांश की राशि को कम करने तथा कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वारंट/वार्षिक प्रतिवेदन/वैधानिक सूचनाएं समय पर प्राप्त होना सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना।

कंपनी ने कंपनी सचिव को कंपनी का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। उनके संपर्क विवरण निम्नलिखित हैं:

श्री एन. नागराजा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
प्लॉट नं. 38-39, टीएसएफसी भवन
आईसीआईसीआई टावर्स के निकट, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट
गाचीबावली, हैदराबाद-500032
दूरभाष संख्या: 040-23456145
ई-मेल आईडी: investors@bdl-india.in

कंपनी शिकायतों का उत्तर 3 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर देने का प्रयास करती है। सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 46(2)(जेएंडके) के अनुसार, अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम तथा अन्य संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट (एसटीए) अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स) पर दर्ज ऑनलाइन शिकायतों की निगरानी के लिए अधिकृत किया गया है।

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 13(4) के अनुसार, निवेशकों से प्राप्त शिकायतों और उनके निवारण के संबंध में बीएसई और एनएसई को प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखा जाता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल निवेशक शिकायतों और उनके निवारण की स्थिति निम्नलिखित है:

वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या:	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या:	19
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या:	19
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या:	0

घ) सीएसआर एवं सतत विकास समिति:

सीएसआर एवं सतत विकास समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है। वर्ष के दौरान सीएसआर एवं सतत विकास समिति की चार (4) बैठकें 12 अगस्त 2025, 26 सितंबर 2025, 13 नवंबर 2025 और 29 दिसंबर 2025 को आयोजित की गईं।

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की संरचना तथा उक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	निदेशकों की श्रेणी	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री जसवंत लाल अध्यक्ष*	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	4	4
2	श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया अध्यक्ष#	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	4	4
3	श्री पी.वी. राजा राम सदस्य@	कार्यकारी निदेशक	2	2
4	श्री डी.वी. श्रीनिवास राव सदस्य	कार्यकारी निदेशक	4	4
5	श्री जी. गायत्री प्रसाद सदस्य	कार्यकारी निदेशक	4	4

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

* 24 फरवरी 2026 से अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे।

#24 फरवरी 2026 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त।

@ 01 अक्टूबर 2025 से सदस्य के पद पर नहीं रहे।

संदर्भ की शर्तें:

(i) सीएसआर और सतत विकास नीति की बोर्ड को सिफारिश करना।

(ii) सीएसआर और सतत विकास के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक अवधि में शुरू की जाने वाली कार्ययोजना और परियोजनाओं की बोर्ड को सिफारिश करना।

(iii) वार्षिक सीएसआर और सतत विकास योजना तथा बजट की बोर्ड को सिफारिश करना।

(iv) सीएसआर एवं सतत विकास नीति, योजना और बजट की समय-समय पर समीक्षा करना।

ङ) जोखिम प्रबंधन समिति:

लिस्टिंग विनियमों में किए गए संशोधनों के तहत, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) तथा लिस्टिंग विनियमों के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें 26 मई 2025 और 13 नवंबर 2025 को आयोजित की गईं। वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की संरचना तथा उक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	निदेशकों की श्रेणी	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री पी.वी. राजा राम अध्यक्ष*	कार्यकारी निदेशक	1	0
2	श्री डी.वी. श्रीनिवास राव अध्यक्ष#	कार्यकारी निदेशक	2	2
3	श्री जसवंत लाल सदस्य@	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	2	2
4	श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया सदस्य	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	2	2
5	श्री जी. गायत्री प्रसाद सदस्य	कार्यकारी निदेशक	2	2

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

* 01 अक्टूबर 2025 से अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे।

01 अक्टूबर 2025 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त।

@ 24 फरवरी 2026 से सदस्य के पद पर नहीं रहे।

संदर्भ की शर्तें:

(i) जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रगत, सतत विकास (विशेष रूप से ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिमों तथा समिति द्वारा पहचाने गए किसी अन्य जोखिम की गुणवत्ता, अखंडता और प्रभावशीलता की समीक्षा और आकलन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि जोखिम नीतियों और रणनीतियों का प्रभावी रूप से प्रबंधन किया जा रहा है।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी चालू और नई दोनों व्यावसायिक गतिविधियों में जोखिम और प्रतिफल के बीच विवेकपूर्ण संतुलन बनाए रखने के लिए उचित उपाय कर रही है, जिसमें व्यवसाय निरंतरता योजना भी शामिल है।

(iii) जोखिम रणनीतियों, नीतियों, रूपरेखाओं, मॉडलों और प्रक्रियाओं के निर्धारण में बोर्ड की सहायता करना।

(iv) कंपनी में जोखिम प्रबंधन कार्य की प्रकृति, भूमिका, उत्तरदायित्व और अधिकार की समीक्षा और आकलन करना तथा जोखिम प्रबंधन कार्य के दायरे को निर्धारित करना।

(v) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी ने जोखिमों की पहचान करने, बोर्ड द्वारा निर्धारित मान्यताओं के आधार पर उनके संभावित प्रभाव का आकलन करने तथा इन जोखिमों के सक्रिय रूप से प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु एक प्रभावी सतत प्रक्रिया लागू की है और जोखिम के प्रति कंपनी की स्वीकार्यता या सहनशीलता निर्धारित करना।

(vi) यदि कोई अतिरिक्त जोखिम हो, तो उसकी पहचान करना तथा जोखिम स्वीकृति सहित जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं का निर्धारण करना।

4) निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्य समितियां:

निदेशक मंडल की निम्नलिखित गैर-अनिवार्य समितियां हैं:

क) क्रय समिति:

खरीद समिति को नीचे दी गई सीमाओं के अनुसार क्रय आदेश जारी करने/अनुबंध प्रदान करने की समीक्षा और स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है:

आधार	पूंजीगत प्रकृति	राजस्वगत प्रकृति
एकल निविदा/नामांकन एवं स्वामित्वाधिकार वाले मामले	₹30 करोड़ तक	₹30 करोड़ तक
एकल निविदा के अलावा अन्य मामले	₹60 करोड़ तक	₹60 करोड़ तक
एकल निविदा (कार्य) के अलावा अन्य मामले	₹100 करोड़ तक	₹100 करोड़ तक

कंपनी ने समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को समिति का अध्यक्ष तथा अन्य कार्यात्मक निदेशकों को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। समिति की वर्ष के दौरान दस (10) बैठकें 05 मई 2025, 25 जून 2025, 05 सितंबर 2025, 10 अक्टूबर 2025, 30 अक्टूबर 2025, 11 दिसंबर 2025, 19 जनवरी 2026, 09 फरवरी 2026, 11 मार्च 2026 और 25 मार्च 2026 को आयोजित की गईं।

ख) शेयर प्रमाणपत्र समिति

शेयर प्रमाणपत्र समिति में पदेन सदस्यों के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (उत्पादन) शामिल हैं। इस समिति का गठन डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने, पुनःभौतिकीकरण और डीमैट अनुरोधों आदि पर शेयर प्रमाणपत्र जारी करने पर विचार करने और अनुमोदन प्रदान करने के लिए किया गया है।

ग) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:

कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 25 के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों ने 19 दिसंबर 2025 को बैठक की तथा कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता की समीक्षा की, जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों का प्रभावी और युक्तिसंगत रूप से निर्वहन करने के लिए आवश्यक है। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने बैठक में भाग लिया।

5) सामान्य निकाय की बैठकें:

i) कंपनी की सभी वार्षिक आम बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान पर आयोजित की गईं। पिछले तीन वर्षों में आयोजित ऐसी बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:

एजीएम संख्या	वित्तीय वर्ष	बैठक की तारीख	बैठक का समय	बैठक का स्थान	विशेष प्रस्तावों की संख्या
55	2024-25	26 Sep 2025	15:00 बजे	पंजीकृत कार्यालय के माध्यम से वीसी	1
54	2023-24	30 Sep 2024	15:00 बजे	पंजीकृत कार्यालय के माध्यम से वीसी	0
53	2022-23	28 Sep 2023	15:00 बजे	कॉर्पोरेट कार्यालय के माध्यम से वीसी	1

ii) वर्ष 2025-26 के दौरान सदस्यों की कोई असाधारण आम बैठक अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा बुलाई गई कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

iii) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव नहीं रखा गया।

iv) डाक मतपत्र प्रक्रिया संचालित करने वाला व्यक्ति: लागू नहीं।

v) डाक मतपत्र के माध्यम से आयोजित किए जाने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं किया गया।

vi) डाक मतपत्र की प्रक्रिया: लागू नहीं।

6) संचार के माध्यम:

कंपनी अपने शेयरधारकों, निदेशकों और अन्य हितधारकों के साथ पत्राचार तथा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट (https://bdl-india.in) सहित सभी संचार माध्यमों के जरिए संवाद करती है। कंपनी की वेबसाइट पर व्यवसाय, कंपनी के उत्पादों, प्रबंधन, विजन, मिशन, मानव संसाधन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास, निविदाओं, ई-प्रोक्योरमेंट, सतर्कता, आरटीआई तथा अन्य अपडेट और समाचार सहित व्यापक जानकारी उपलब्ध है। 'निवेशक' अनुभाग में शेयरधारकों/निवेशकों के लिए निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली, निवेशकों/विश्लेषकों के समक्ष किए गए प्रस्तुतिकरण, कंपनी की आचार संहिता और नीतियां, वित्तीय परिणाम और वार्षिक प्रतिवेदन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शेयर अंतरण एजेंट के संपर्क विवरण सहित शेयरधारिता पैटर्न तथा कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं या सूचनाओं का विवरण उपलब्ध कराया जाता है। कंपनी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची III के भाग ए के साथ पठित विनियम 30 के तहत प्रकट की जाने वाली सभी सूचनाओं, जिसमें कंपनी के प्रदर्शन/परिचालन पर प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण जानकारी या अन्य मूल्य संवेदनशील जानकारी शामिल है, का स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष प्रकटीकरण करती है। संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों के लिए जारी आधिकारिक मीडिया विज्ञप्तियां और प्रस्तुतिकरण कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/en/investors-meet-presentation पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, कंपनी के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के तुरंत बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनएसई और बीएसई को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त परिणामों को कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/en/financial-results पर भी एक साथ उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय परिणाम अंग्रेजी भाषा के ऐसे राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसका प्रसार पूरे भारत या उसके अधिकांश भाग में होता है तथा तेलुगु भाषा के एक दैनिक समाचार पत्र, जो क्षेत्रीय भाषा है, और हिंदी भाषा के एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी के प्रदर्शन से संबंधित जानकारी प्रत्येक माह प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है।

7) सामान्य शेयरधारक सूचना

(क) वर्ष 2025-26 के लिए 56वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 28 सितंबर 2026 को 15:00 बजे आयोजित की जानी निर्धारित है।

(ख) कंपनी का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। वर्ष 2026-27 के लिए परिणाम घोषित करने का संभावित कैलेंडर निम्नलिखित है:

30.06.2026 को समाप्त तिमाही के लिए	14.08.2026 को या उससे पहले
30.09.2026 को समाप्त तिमाही के लिए	14.11.2026 को या उससे पहले
31.12.2026 को समाप्त तिमाही के लिए	14.02.2027 को या उससे पहले
31.03.2027 को समाप्त वर्ष के लिए	30.05.2027 को या उससे पहले
57वीं वार्षिक आम बैठक	30.09.2027 को या उससे पहले

(ग) सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तक मंगलवार, 22 सितंबर 2026 से सोमवार, 28 सितंबर 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेगी।

(घ) लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

(ङ) कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं::

बीएसई लिमिटेड ('बीएसई')	**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई')**
पी.जे. टावर्स, 26वीं मंजिल,	एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001	बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया है।

(च) संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों को आवंटित स्टॉक कोड तथा कंपनी के इक्विटी शेयरों के डीमैट कारोबार के लिए डिपॉजिटरीज द्वारा आवंटित आईएसआईएन संख्या नीचे दी गई है:

स्टॉक एक्सचेंज	**स्टॉक कोड**
बीएसई	541143
एनएसई	बीडीएल
आईएसआईएन	INE171Z01026
एमसीए सीआईएन	L24292TG1970GOI001353

(छ) शेयर पूंजी का मिलान लेखापरीक्षण

कंपनी प्रत्येक तिमाही में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से शेयर पूंजी का मिलान लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करती है, ताकि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास स्वीकृत कुल पूंजी तथा जारी और सूचीबद्ध कुल पूंजी का मिलान किया जा सके। यह लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पुष्टि करता है कि जारी/प्रदत्त पूंजी कुल भौतिक रूप में धारित शेयरों तथा एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास धारित कुल डीमैटरीकृत शेयरों की संख्या के अनुरूप है। यह लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीएसई और एनएसई को भेजा जाता है, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। कंपनी वर्ष में एक बार प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से अनुपालन प्रमाणपत्र भी प्राप्त करती है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि सभी प्रकार से पूर्ण अंतरण अनुरोधों को संसाधित कर दिया गया है तथा कंपनी द्वारा ऐसे अनुरोधों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अंतरण पृष्ठांकन सहित शेयर प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं। यह अनुपालन प्रमाणपत्र बीएसई और एनएसई को भेजा जाता है, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दोनों डिपॉजिटरीज, अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

(ज) बाजार मूल्य संबंधी आंकड़े

31 मार्च 2026 को कंपनी का बाजार पूंजीकरण ₹40,208 करोड़ है (बीएसई के समापन मूल्य के अनुसार)। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर कंपनी के शेयरों के उच्चतम/न्यूनतम बाजार मूल्यों का विवरण निम्नलिखित है:

1) वर्ष 2025-2026 के दौरान बीएसई पर बीडीएल शेयर मूल्य की तुलना बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी बीएसई 500 सूचकांक के साथ निम्नलिखित है:

माह	बीएसई सेंसेक्स बंद हुआ	एसएंडपी बीएसई 500 सूचकांक बंद हुआ	बीडीएल शेयर मूल्य			कारोबार किए गए शेयरों की संख्या	टर्नओवर (₹ लाख में)
			उच्चतम	न्यूनतम	बंद हुआ		
			₹	₹	₹		
अप्रैल, 2025	80,242.24	34,640.35	1,564.35	1,122.25	1,529.40	1,31,716	36,637.10
मई, 2025	81,451.01	35,815.16	2,096.00	1,427.35	2,015.60	3,64,314	1,50,733.34
जून, 2025	83,606.46	37,043.16	2,057.80	1,800.50	1,944.60	1,95,770	79,541.28
जुलाई, 2025	81,185.58	35,981.74	2,013.55	1,588.45	1,619.25	1,39,426	52,013.66
अगस्त, 2025	79,809.65	35,287.71	1,629.00	1,412.35	1,436.30	1,28,376	35,536.71
सितंबर, 2025	80,267.62	35,714.10	1,655.25	1,421.40	1,492.15	1,06,619	31,783.20
अक्टूबर, 2025	83,938.71	37,214.04	1,578.75	1,480.60	1,529.90	88,042	22,103.67
नवंबर, 2025	85,706.67	37,535.84	1,633.15	1,413.25	1,513.95	98,140	31,458.65
दिसंबर, 2025	85,220.60	37,443.41	1,561.95	1,305.90	1,466.40	1,10,464	28,331.46
जनवरी, 2026	82,269.78	36,185.03	1,592.00	1,403.90	1,537.60	1,10,406	30,897.73
फरवरी, 2026	81,287.19	36,322.56	1,522.80	1,227.60	1,265.35	1,45,898	33,723.58
मार्च, 2026	71,947.55	32,182.38	1,425.60	1,090.00	1,096.90	1,53,348	44,236.62

2) वर्ष 2025-2026 के दौरान एनएसई पर बीडीएल शेयर मूल्य की तुलना एनएसई निफ्टी और निफ्टी इंफ्रा के साथ निम्नलिखित है:

माह	एनएसई पर निफ्टी बंद	निफ्टी इंफ्रा बंद हुआ	बीडीएल शेयर मूल्य			कारोबार किए गए शेयरों की संख्या	टर्नओवर (₹ लाख में)
			उच्चतम	न्यूनतम	बंद हुआ		
			₹	₹	₹		
अप्रैल, 2025	24,334.20	8,785.85	1,564.00	1,141.20	1,529.60	17,22,246	6,07,582.89
मई, 2025	24,750.70	8,970.35	2,096.60	1,427.80	2,015.50	38,64,289	22,65,799.28
जून, 2025	25,517.05	9,409.35	2,057.00	1,800.00	1,943.20	20,89,396	12,21,643.95
जुलाई, 2025	24,768.35	9,066.20	2,013.50	1,591.60	1,619.00	16,19,999	7,96,271.11
अगस्त, 2025	24,426.85	8,873.10	1,629.00	1,413.60	1,435.70	12,84,234	5,46,604.58
सितंबर, 2025	24,611.10	9,007.20	1,654.00	1,420.90	1,493.20	11,72,721	5,40,039.58
अक्टूबर, 2025	25,722.10	9,566.15	1,578.70	1,480.70	1,529.90	8,06,241	3,28,571.00
नवंबर, 2025	26,202.95	9,653.90	1,633.40	1,413.00	1,513.60	8,99,670	4,43,055.72
दिसंबर, 2025	26,129.60	9,616.35	1,560.00	1,305.70	1,466.50	10,67,754	4,78,600.34
जनवरी, 2026	25,320.65	9,153.20	1,593.90	1,404.00	1,538.20	9,60,502	5,66,157.29
फरवरी, 2026	25,178.65	9,532.65	1,522.00	1,227.70	1,265.20	11,53,132	5,05,378.37
मार्च, 2026	22,331.40	8,560.95	1,426.00	1,086.00	1,096.60	10,59,264	4,69,198.35

(झ) रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, दिल्ली, सेबी में पंजीकृत श्रेणी-I रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए), कंपनी का रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट है। सभी शेयर अंतरण/हस्तांतरण/विभाजन/समेकन/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने/पता बदलने के अनुरोधों के साथ-साथ सभी डीमैटरीकरण/पुनःभौतिकीकरण अनुरोधों और संबंधित मामलों तथा लाभांश से संबंधित सभी प्रश्नों और शिकायतों को भेजने के लिए आरटीए का पता नीचे दिया गया है:

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
सेबी पंजीकरण संख्या: INR000002532
4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055
दूरभाष: +91 11 42541234; फैक्स: +91 11 41543474
ई-मेल: rta@alankit.com; वेबसाइट: www.alankit.com

(ञ) शेयर ट्रांसफर प्रणाली

कंपनी के शेयरों का कारोबार डीमैटरीकृत रूप में किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरित शेयरों के संबंध में, ब्रोकर से बिक्री/खरीद लेन-देन की पुष्टि होने के बाद, शेयरधारकों को लेन-देन के लिए अपने खाते में डेबिट या क्रेडिट करने के अनुरोध के साथ अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करना चाहिए। डीपी खाते को अपडेट करके लेन-देन पूरा करने की तत्काल व्यवस्था करेगा। कंपनी या एसटीए को अलग से कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

सेबी ने 24 जनवरी 2022 की अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य किया है कि प्रतिभूतियों के अंतरण के सभी अनुरोध, जिनमें हस्तांतरण और ट्रांसपोजीशन अनुरोध भी शामिल हैं, केवल डीमैटरीकृत रूप में संसाधित किए जाएंगे। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSDPoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांक 16 मार्च 2023 के तहत, सेबी के पूर्व में जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/655 और SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/687 दिनांक क्रमशः 03 नवंबर 2021 और 14 दिसंबर 2021 के अधिक्रमण में, सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाते का विवरण और नमूना हस्ताक्षर दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। ऐसे फोलियो, जिनमें 01 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद उपर्युक्त में से कोई दस्तावेज/विवरण उपलब्ध नहीं है, आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिए जाएंगे। फ्रीज किए गए फोलियो में प्रतिभूतियां निम्नलिखित के लिए पात्र होंगी:

» किसी शिकायत को दर्ज करने या किसी सेवा का लाभ उठाने के लिए केवल तभी, जब ऊपर उल्लिखित पूर्ण दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत कर दिए जाएं;

» किसी भी भुगतान, जिसमें लाभांश, ब्याज या मोचन राशि शामिल है, प्राप्त करने के लिए केवल तभी, जब ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया जाए। ऐसे भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाएंगे।

पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन के अद्यतन के लिए प्रपत्र, अर्थात् फॉर्म आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13 तथा उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ट) 31 मार्च 2026 को शेयरधारिता पैटर्न

क्रम सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	धारिता का %
1	भारत की राष्ट्रपति	1	274651054	74.93
2	म्यूचुअल फंड/यूटीआई	28	20415951	5.57
3	बीमा कंपनियां	19	12689185	3.46
4	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	87	7396221	2.02
5	कॉर्पोरेट निकाय	1275	1929805	0.53
6	व्यक्तिगत	549030	38867329	10.6
7	ट्रस्ट	19	20296	0.01
8	एनआरआई	9844	1797595	0.49
9	क्लियरिंग सदस्य	41	392560	0.11
10	कर्मचारी	114	22745	0.01
11	एचयूएफ	7541	1155490	0.31
12	वैकल्पिक निवेश निधियां	14	724370	0.20
13	आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी	7	13548	-
14	बैंक	2	291900	0.08
15	अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीदार	1	40500	0.01
16	एलएलपी	136	119790	0.03
17	विदेशी नागरिक	3	213	-
18	भविष्य निधि/पेंशन निधि	1	6031962	1.64
19	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ)	1	1986	-
कुल		**568164**	**366562500**	**100.00**

(ठ) 31 मार्च 2026 को शीर्ष 10 शेयरधारक

क्रम सं..	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	पूंजी में %
1	भारत के राष्ट्रपति	274651054	74.93
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	6254277	1.71
3	मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिडकैप फंड	3183607	0.87
4	एनपीएस ट्रस्ट- एसबीआई पेंशन फंड स्कीम के खाते में	3178000	0.87
5	एचडीएफसी म्यूचुअल फंड- एचडीएफसी डिफेंस फंड	3000000	0.82
6	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2137494	0.58
7	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के खाते में एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	2100000	0.57
8	निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड के खाते में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड	1526498	0.42
9	वैंगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	1337799	0.37
10	वैंगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वैंगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स की एक श्रृंखला	1268062	0.35

(ड) 31 मार्च 2026 को शेयरधारिता का वितरण

श्रेणी	कुल				फीजिकल		डीमैट	
	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयर	%	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	शेयरधारकों की संख्या	शेयर
1 - 500	557058	98.05	26423196	7.21	0	0	557058	26423196
501-1000	7181	1.26	5175489	1.41	0	0	7181	5175489
1001-2000	2419	0.43	3478426	0.95	0	0	2419	3478426
2001-3000	618	0.11	1543509	0.42	0	0	618	1543509
3001-4000	263	0.05	929169	0.25	0	0	263	929169
4001-5000	144	0.03	663040	0.18	0	0	144	663040
5001-10000	226	0.04	1588156	0.43	0	0	226	1588156
10001 & above	255	0.04	326761515	89.14	0	0	255	326761515
कुल	**568164**	**100.00**	**366562500**	**100.00**	**0**	**0**	**568164**	**366562500**

(ढ) शेयरों का डीमैटरीकरण और तरलता

कंपनी के शेयर दोनों डिपॉजिटरीज, अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') में स्वीकार किए गए हैं। 31 मार्च 2026 को इलेक्ट्रॉनिक रूप और भौतिक रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नलिखित है:

क्रम सं.	विवरण	शेयरों की सं.	%
1	एनएसडीएल	34,30,80,564	93.60
2	सीडीएसएल	2,34,81,936	6.40
3	फीजिकल	-	-
	कुल	**36,65,62,500**	**100.00**

कंपनी के शेयर अत्यधिक तरल हैं और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सक्रिय रूप से कारोबार किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के कारोबार से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं:

विवरण	बीएसई	एनएसई	कुल
कारोबार किए गए शेयरों की संख्या	1772519	17699448	19471967.00
मूल्य (₹ लाख में)	576997.00	8768902.47	9345899.47

(ण) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट

कोई भी बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय साधन नहीं है।

(त) कमोडिटी मूल्य/विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दी गई है।

(थ) संयंत्र के स्थान

1. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
कंचनबाग
हैदराबाद-500058
दूरभाष: (040)-24587002; फैक्स: (040)-24347513

2. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भानुर
पाटनचेरुवु मंडल
संगारेड्डी जिला
हैदराबाद-502305
दूरभाष: (040)-23469551; फैक्स: (040)-23469552

3. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम
"जी" ब्लॉक, एपीआईआईसी-आईएएलए
वीएसईजेड पोस्ट, विशाखापत्तनम-530049
दूरभाष: (0891)-2821500; फैक्स: (0891)-2821502

(द) पत्राचार/कॉर्पोरेट कार्यालय का पता

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
सीआईएन: एल24292टीजी1970जीओआई001353
कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नं. 38-39, टीएसएफसी भवन,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गाचीबावली, हैदराबाद-500 032
दूरभाष: (040) 23456145; फैक्स: (040) 23456110
ई-मेल: investors@bdl-india.in
वेबसाइट: https://bdl-india.in

(ध) क्रेडिट रेटिंग

कंपनी ने ₹600 करोड़ की अल्पकालिक बैंक सुविधाओं के लिए मेसर्स क्रिसिल से 'ए1+' (पुनःपुष्ट) रेटिंग प्राप्त की है।

8) अन्य प्रकटीकरण:

क) कंपनी की दो सहयोगी कंपनियां हैं, अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (डिफेंस) टेस्टिंग फाउंडेशन और एडवांस्ड मैटेरियल्स (डिफेंस) टेस्टिंग फाउंडेशन, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनियों के रूप में निगमित किया गया है।

ख) वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने निदेशकों के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है, जिससे कंपनी के व्यापक हितों के साथ संभावित हितों का टकराव हो सकता हो। बोर्ड के सदस्यों को पारिश्रमिक प्राप्त होने के अलावा, जहां भी लागू हो, कंपनी के साथ उनका कोई महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध या लेन-देन नहीं है, जो बोर्ड के निर्णय के अनुसार निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता हो।

ग) कंपनी ने ऐसे कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किए हैं, जिससे कंपनी के व्यापक हितों के साथ संभावित हितों का टकराव हो सकता हो। तथापि, संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन का वार्षिक प्रतिवेदन में लेखा संबंधी टिप्पणियों के नोट संख्या 38(8) में प्रकटीकरण किया गया है। कंपनी ने कंपनी और उसके संबंधित पक्षों के बीच किए जाने वाले लेन-देन को विनियमित करने के लिए "संबंधित पक्ष लेन-देन संबंधी नीति" बनाई है। सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 46(2)(g) के अनुसार, उक्त नीति कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/sites/default/files/PolicyonRelatedPartyTransactions_1_1.pdf पर उपलब्ध है।

घ) वर्ष के दौरान, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों, जिसमें महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, की अनुपस्थिति के कारण सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(1) के अनुपालन न किए जाने के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 तथा 24 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन न होने के कारण कंपनी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 18(1) और विनियम 19 के अनुपालन में भी नहीं थी।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि बीडीएल रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है और निदेशकों, जिसमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, की नियुक्ति करने की शक्ति भारत सरकार में निहित है। कंपनी ने ऊपर उल्लिखित मामलों को छोड़कर सभी सूचीबद्धता विनियमों का अनुपालन किया है और अनुपालन न किए जाने का कोई अन्य मामला नहीं है।

ङ) व्हिसल ब्लोअर तंत्र/सतर्कता तंत्र:

डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देश, 2010 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से संपर्क करने में सक्षम बनाने का प्रावधान है। तथापि, प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों या उसके अध्यक्ष से संपर्क करने से वंचित नहीं किया गया। यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/sites/default/files/WBP.pdf पर उपलब्ध है।

च) लागू सभी लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जाता है, सिवाय खंड रिपोर्टिंग से संबंधित इंड-एएस-108 के, जिसे व्यवसाय की प्रकृति और प्रकटीकरण की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं किया गया है। चूंकि कंपनी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है, इसलिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत इंड-एएस-108 की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई थी। तथापि, इस प्रकार के अप्रकटीकरण का कंपनी के लेखों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संबंध में लेखों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटीकरण किया जा रहा है।

छ) वर्ष 2025-26 के दौरान, निदेशक मंडल ने अपनी समितियों की उन सभी सिफारिशों को स्वीकार किया, जिन्हें अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना अपेक्षित था।

ज) लेखा पुस्तकों में ऐसा कोई व्यय मद डेबिट नहीं किया गया, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए न हो।

झ) कंपनी ने निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत प्रकृति का कोई व्यय नहीं किया है।

ञ) कुल व्यय की तुलना में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय तथा वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1	कुल व्यय (सामग्री को छोड़कर)	1075.25	1268.80
2	प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	15.86	20.52
3	(1) में (2) का प्रतिशत	1.47%	1.62%

ट) राष्ट्रपति के निर्देश और दिशानिर्देश:

कंपनी अनुसूचित जातियों (अजा), अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करती रही है। इस विषय से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि वे इस विषय में अपने ज्ञान को अद्यतन कर सकें और अपने कार्य का प्रभावी ढंग से निष्पादन कर सकें। बीडीएल ने 01 जनवरी 2017 से कार्यपालकों के वेतन पुनरीक्षण के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों को लागू किया है।

ठ) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा वर्ष के दौरान समेकित आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षक तथा उस नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसका सांविधिक लेखापरीक्षक हिस्सा है, की सभी संस्थाओं को सभी सेवाओं के लिए भुगतान किए गए कुल शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2025-26	2024-25
लेखापरीक्षण शुल्क	15.50	15.50
कर लेखापरीक्षण शुल्क	2.25	2.25
अन्य सेवाएं	8.37	7.00
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.17	0.02
कुल	**26.29**	**24.77**

ड) कंपनी के लेखा पुस्तकों में व्यवसाय से सीधे संबंधित या उससे संबंधित आकस्मिक व्यय तथा कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के कल्याण और अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किए गए व्यय के अलावा कोई अन्य व्यय मद डेबिट नहीं की गई है।

ण) अवैतनिक एवं लावारिस लाभांश का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईईपीएफ') प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षण, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, पिछले सात वर्षों के अवैतनिक और लावारिस लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम) की जानकारी देने वाला विवरण कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/en/unclaimed-dividend पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित लावारिस अंतरिम लाभांश और उससे संबंधित शेयर नवंबर 2025 में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिए गए हैं। 31 मार्च 2026 को लावारिस लाभांश का विवरण निम्नलिखित है:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	राशि (₹ में)
अंतिम लाभांश 2018-19	812	72945.60
अंतरिम लाभांश 2019-20	1297	404518.75
अंतिम लाभांश 2019-20	939	121101.60
अंतरिम लाभांश 2020-21	869	278283.30
अंतिम लाभांश 2020-21	890	29821.70
अंतरिम लाभांश 2021-22	716	234611.50
अंतिम लाभांश 2021-22	711	37227.00
अंतरिम लाभांश 2022-23	623	284835.75
अंतिम लाभांश 2022-23	696	43912.80
अंतरिम लाभांश 2023-24	922	320298.00
अंतिम लाभांश 2023-24	1587	96730.68
अंतरिम लाभांश 2024-25	1379	368161.00
अंतिम लाभांश 2024-25	1159	52846.93
अंतरिम लाभांश 2025-26	1565	661187.55
कुल	**14165**	**3006482.16**

ढ) डीमैट सस्पेंस खाते/लावारिस सस्पेंस खाते के संबंध में विवरण: 31 मार्च 2026 को डीमैट सस्पेंस खाते/लावारिस सस्पेंस खाते में कोई बकाया शेयर नहीं थे।

ण) कंपनी ने सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 32(7A) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अधिमान्य आवंटन या अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है।

त) उन फर्मों/कंपनियों को ऋण एवं ऋण की प्रकृति में अग्रिम, जिनमें निदेशक हित रखते हैं: शून्य।

थ) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई सहायक कंपनी, जिसमें महत्वपूर्ण सहायक कंपनी भी शामिल है, निगमित नहीं की गई।

9) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष की शुरुआत में शिकायतों की संख्या	Nil
वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	1
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	0
वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1

10) अनुपालन न किए जाने का विवरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(1) का अनुपालन न किए जाने के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसका कारण बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों, जिसमें महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, की संख्या में कमी थी। इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 तथा 24 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन न किए जाने के कारण कंपनी विनियम 18(1) और विनियम 19 के अनुपालन में नहीं थी।

बीडीएल रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है और निदेशकों, जिसमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, की नियुक्ति की शक्ति भारत सरकार में निहित है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऊपर उल्लिखित मामलों को छोड़कर सूचीबद्धता विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से अनुपालन किया है।

11) गैर-अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन

सूचीबद्धता विनियमों में दी गई गैर-अनिवार्य सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति निम्नलिखित है:

- » कंपनी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यकारी) का पद है और कोई गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है।
- » कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ बिना किसी संशोधन वाली लेखापरीक्षा राय का प्रकटीकरण किया गया है।
- » शेयरधारकों के साथ संवाद की प्रक्रिया प्रभावी है और इसकी प्रक्रिया "संचार के माध्यम" के अंतर्गत स्पष्ट की गई है।
- » अतिरिक्त महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) प्रशासनिक रूप से निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ को रिपोर्ट करते हैं तथा लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेते हैं।

12) इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम और निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए संहिता

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के अनुसार, कंपनी ने कंपनी की प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा निवेशकों/जनता के लिए सूचना के पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रकटीकरण/प्रसार के लिए आचार संहिता और प्रकटीकरण प्रक्रिया लागू की है। संहिता में परिभाषित संबंधित व्यक्तियों को निर्दिष्ट सीमा से अधिक ट्रेडिंग विंडो के दौरान प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग की घटनाओं को रोकने के लिए संहिता में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर प्रकटीकरण भी किया जाना आवश्यक है। आचार संहिता और निष्पक्ष प्रकटीकरण प्रक्रिया कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/sites/default/files/InsiderTradingPolicyAmended_0.pdf पर उपलब्ध है। यह नीति यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि इनसाइडर कंपनी के बारे में ऐसी मूल्य संवेदनशील जानकारी, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तक पहुंच और उसके कब्जे से कोई लाभ प्राप्त न करें और न ही अन्य व्यक्तियों को कोई लाभ प्राप्त करने में सहायता करें।

13) अनुपालन

कंपनी ने सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (ख) से (झ) और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया है, सिवाय ऊपर बिंदु संख्या 10 में उल्लिखित अनुपालन न किए जाने के मामलों के। कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में त्रैमासिक अनुपालन प्रतिवेदन भी स्टॉक एक्सचेंजों और सरकार को प्रस्तुत करती रही है। स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार अपेक्षित, कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

14) सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(8) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में सीईओ और सीएफओ द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्र इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

15) निदेशकों और वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आचार संहिता:

कंपनी ने अपने निदेशकों और वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों के संबंध में डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देश, 2010 में सुझाई गई तथा सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(5) के अंतर्गत अपेक्षित आचार संहिता और व्यावसायिक नैतिकता संहिता को अपनाया है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है। निदेशकों और वरिष्ठ कार्यपालकों ने वर्ष 2025-26 के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए घोषणाएं दी हैं। इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा दी गई घोषणा नीचे दी गई है:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा:

यह घोषित किया जाता है कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए "भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

निदेशक मंडल की ओर से और उसके लिए

डी.वी. श्रीनिवास राव
निदेशक (तकनीकी) एवं
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन : 10652125

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 28 मई 2026

निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V, पैरा C, खंड (10)(i) के अनुसार]

प्रति,
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
कंचनबाग,
हैदराबाद, तेलंगाना, भारत, 500058

हमने **भारत डायनामिक्स लिमिटेड**, जिसका **सीआईएन L24292TG1970GOI001353** है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय कंचनबाग, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत, 500058 में स्थित है (जिसे आगे 'कंपनी' कहा गया है), के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरणों की जांच की है, जिन्हें इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) को अनुसूची V, अनुच्छेद-C, उप-खंड 10(i) के साथ पढ़े जाने के अनुसार की गई है।

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी के सर्वोत्तम आधार पर और आवश्यक समझे गए सत्यापनों (जिसमें www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति का सत्यापन भी शामिल है) तथा कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे उल्लिखित कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों में निदेशक के रूप में नियुक्त होने या निदेशक के पद पर बने रहने से प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तारीख
1	माधवराव आत्माकुरी	09808949	02/01/2023
2	सुजय कपूर	11520665	06/03/2026
3	चेतन बंसीलाल कांकरिया	09402860	22/04/2025
4	मीरा मोहंती	03379561	14/07/2025
5	वेंकट श्रीनिवास राव देवुलापल्ली	10652125	20/09/2024
6	गायत्री प्रसाद गट्टुपल्ली	10877803	19/12/2024
7	राजाबाबू उम्मलानेनी	10212986	21/07/2023

प्रत्येक निदेशक की निदेशक मंडल में नियुक्ति/पद पर बने रहने की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इन विषयों पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के संबंध में, जिसके साथ कंपनी के प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

मेहता एंड मेहता की ओर से,
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई विशिष्ट कोड P1996MH007500)

Teja.B



तेजा बी
भागीदार
एसीएस संख्या: 68920
सीपी संख्या: 26831
स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 26.05.2026
यूडीआईएन: A068920H000491518
पीआर संख्या: 7281/2025

कॉरपोरेट शासन पर प्रमाणपत्र

प्रति,
सदस्यगण,
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
कंचनबाग
हैदराबाद, तेलंगाना-500058

हमने **भारत डायनामिक्स लिमिटेड** (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है) द्वारा 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (जिसे आगे "सूचीबद्धता विनियम" कहा गया है) के विनियम 17 से 27, विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (i) तथा अनुसूची V के अनुच्छेद C, D और E के अंतर्गत निर्धारित कॉरपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि कॉरपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जांच केवल कंपनी द्वारा कॉरपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी के सर्वोत्तम आधार पर और संबंधित अभिलेखों की हमारी जांच तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत निर्धारित कॉरपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, **सिवाय नीचे उल्लिखित टिप्पणी के**:

1. सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(1)(क) और डीपीई दिशा-निर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुसार, 01.04.2025 से 21.04.2025 तथा 24.02.2026 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान निदेशक मंडल में कम से कम 50% निदेशकों का गैर-कार्यकारी निदेशक होना आवश्यक है।
2. सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(1)(ख), अधिनियम की धारा 149 और डीपीई दिशा-निर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुसार, 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान निदेशक मंडल में कम से कम आधे निदेशकों का स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है।
3. 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र महिला निदेशक होने के संबंध में सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(1)(क) तथा 01.04.2025 से 13.07.2025 की अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 149(1) को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यताएं) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने के अनुसार।
4. सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 18, अधिनियम की धारा 177 तथा डीपीई दिशा-निर्देशों के खंड 4.1.1 और 4.1.2 के अनुसार, 01.04.2025 से 21.04.2025 तथा 24.02.2026 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति की संरचना के संबंध में, अर्थात पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति, उक्त समिति के अध्यक्ष का स्वतंत्र निदेशक होना तथा उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों में निर्धारित सदस्यों की अपेक्षित संख्या होना आवश्यक है।
5. सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 19, अधिनियम की धारा 178 तथा डीपीई दिशा-निर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार, 01.04.2025 से 21.04.2025 तथा 24.02.2026 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में, अर्थात पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति, उक्त समिति के अध्यक्ष का स्वतंत्र निदेशक होना तथा उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों में निर्धारित सदस्यों की अपेक्षित संख्या होना आवश्यक है।

हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के संबंध में, जिसके साथ कंपनी के प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

यह प्रमाणपत्र केवल सूचीबद्धता विनियमों के अनुपालन के उद्देश्य से जारी किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

मेहता एंड मेहता की ओर से,
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई विशिष्ट कोड P1996MH007500)

तेजा बी
भागीदार

Teja.B

TEJA BATHINEEDI C.P.NO. 26831

एसीएस संख्या: 68920
सीपी संख्या: 26831
स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 26.05.2026
यूडीआईएन: A068920H000491309
पीआर संख्या: 7281/2025

अनुपालन प्रमाणपत्र

क. हमने 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में कोई भी महत्वपूर्ण रूप से असत्य कथन नहीं है, न ही इनमें किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा गया है और न ही ऐसे कोई कथन हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।

(ii) ये विवरण सामूहिक रूप से कंपनी के मामलों की सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है, जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन एवं संचालन में ऐसी कमियों, यदि कोई हों, जिनकी हमें जानकारी है, तथा इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का खुलासा लेखापरीक्षकों के समक्ष किया है।

घ. हमने कंपनी के लेखापरीक्षकों को सूचित किया है कि:

(i) अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ii) अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

(iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का ऐसा कोई मामला नहीं है, जिसकी हमें जानकारी हुई हो तथा जिसमें कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या किसी कर्मचारी की कोई संलिप्तता रही हो।

डी. वी. श्रीनिवास राव जी.
निदेशक तकनीकी एवं अध्यक्ष तथा
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी

गायत्री प्रसाद
निदेशक (वित्त)
एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 मई 2026

प्रपत्र संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

प्रति
सदस्यगण
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
कंचनबाग,
हैदराबाद - 500058, तेलंगाना

हमने **भारत डायनामिक्स लिमिटेड** (जिसे आगे 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के पालन के संबंध में सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि इससे हमें कॉरपोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्राप्त हो सके।

कंपनी की पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल किए गए प्रपत्रों और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, **31 मार्च 2026** को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कंपनी में उचित निदेशक मंडल प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र भी स्थापित हैं, जिसकी सीमा, तरीके और आगे की रिपोर्ट में किए गए विवरण के अधीन है:

हमने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल किए गए प्रपत्रों और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, जहां तक वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित हैं;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश:-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009/2018; [**समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध संस्था ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जिस पर इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।**]

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना एवं कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशा-निर्देश, 1999; [**समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध संस्था ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जिस पर इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।**]

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2008; [**समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध संस्था ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जिस पर इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।**]

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम से संबंधित तथा ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त करना) विनियम, 2009; [**समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध संस्था ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जिस पर इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।**]

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998/2018; [**समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध संस्था ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जिस पर इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।**]

(vi) भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट शासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010।

हमने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) निदेशक मंडल और आम बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

(ii) कंपनी द्वारा बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) एवं एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) के साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाए;

(iii) हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के संबंध में कंपनी के अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि इनकी समीक्षा वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा की गई है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

i. कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, विनियमों तथा उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों/दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय नीचे उल्लिखित मामलों के:

क्रम सं.	अनुपालन आवश्यकता (विनियम/परिपत्र/ दिशा-निर्देश, जिसमें विशिष्ट खंड भी शामिल है)	विचलन	प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की टिप्पणियां/ अभ्युक्तियां, यदि कोई हों
1.	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियम 17(1)(क), डीपीई दिशा-निर्देशों का खंड 3.1.2 तथा अधिनियम की धारा 149: निदेशक मंडल की संरचना, निदेशक मंडल के आधे निदेशकों का गैर-कार्यकारी निदेशक होना तथा एक महिला निदेशक (स्वतंत्र निदेशक सहित) होने संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया	कंपनी ने 01 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 तथा 24 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान निदेशक मंडल के आधे निदेशकों के गैर-कार्यकारी निदेशक होने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया तथा 01 अप्रैल 2025 से 13 जुलाई 2025 की अवधि के दौरान निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक और 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान एक स्वतंत्र महिला निदेशक होने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया।	*कंपनी ने 01 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 तथा 24 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान निदेशक मंडल के आधे निदेशकों के गैर-कार्यकारी निदेशक होने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया तथा 01 अप्रैल 2025 से 13 जुलाई 2025 की अवधि के दौरान निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक और 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान एक स्वतंत्र महिला निदेशक होने की आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रही।
2	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियम 17(1)(ख), डीपीई दिशा-निर्देशों का खंड 3.1.4 तथा अधिनियम की धारा 149: निदेशक मंडल की संरचना संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया, निदेशक मंडल के आधे निदेशक स्वतंत्र नहीं हैं	कंपनी ने 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान निदेशक मंडल के आधे निदेशकों के स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया।	*कंपनी ने 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान निदेशक मंडल के आधे निदेशकों के स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया।
3.	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियम 18, डीपीई दिशा-निर्देशों के खंड 4.1.1 और 4.1.2 तथा अधिनियम की धारा 177: लेखापरीक्षा समिति के गठन संबंधी आवश्यकता	कंपनी ने 01 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 तथा 24 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति के गठन संबंधी आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया।	*कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की अधिकांश अवधि के दौरान उक्त प्रावधानों का अनुपालन किया है। 01 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 तथा 24 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा समिति को निलंबित कर दिया गया।

क्रम सं.	अनुपालन आवश्यकता (विनियम/परिपत्र/ दिशा-निर्देश, जिसमें विशिष्ट खंड भी शामिल है)	विचलन	प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की टिप्पणियां/ अभ्युक्तियां, यदि कोई हों
4..	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियम 19, डीपीई दिशा-निर्देशों का खंड 5.1 तथा अधिनियम की धारा 178: नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन संबंधी आवश्यकता	कंपनी ने 01 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 तथा 24 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन संबंधी आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया।	*कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की अधिकांश अवधि के दौरान उक्त प्रावधानों का अनुपालन किया है। 01 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 तथा 24 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को निलंबित कर दिया गया।

*टिप्पणी: यह देखा गया है कि कंपनी भारत सरकार का एक उद्यम होने के कारण, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की नियुक्ति तथा ऐसी नियुक्तियों के नियम एवं शर्तों, जिसमें पारिश्रमिक, मूल्यांकन आदि शामिल हैं, की शक्ति भारत सरकार (जीओआई) में निहित है। आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला लोक उद्यम विभाग में प्रक्रियाधीन है और स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात रक्षा मंत्रालय) के साथ इस मामले में निरंतर एवं सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।

ii. निदेशक मंडल की बैठकों, जिसमें उसकी समितियों की बैठकें भी शामिल हैं, के आयोजन के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है तथा बैठक की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजी जाती हैं। बैठक से पहले कार्यसूची के विषयों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली भी मौजूद है।

(iii) बहुमत का निर्णय लागू किया जाता है तथा असहमति रखने वाले सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज और अभिलिखित किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में उसके आकार और परिचालनों के अनुरूप लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

सी. वी. रेड्डी के. एंड एसोसिएट्स की ओर से
कंपनी सचिव



सी. वी. रेड्डी के
प्रैक्टिस में कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफ7976
सीपी संख्या: 8998
सीओपी विशिष्ट कोड: I2010TS725500
पीयर रिव्यू प्रमाणपत्र संख्या: 6517/2025
फर्म यूनिक कोड: S2010TL130900
यूडीआईएन: F007976H000507860

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 27 मई 2026

इस रिपोर्ट को हमारी इसी दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

'अनुलग्नक क'

प्रति
सदस्यगण
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
कंचनबाग,
हैदराबाद - 500058, तेलंगाना
हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की शुद्धता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों को प्रतिबिंबित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन नमूना आधार पर किया गया। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और पद्धतियां हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5 कॉरपोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच नमूना आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों, श्रम कानूनों तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है और प्रबंधन ने उपर्युक्त उल्लिखित सभी अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है।
7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के संबंध में, जिसके साथ कंपनी के प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

सी. वी. रेड्डी के. एंड एसोसिएट्स की ओर से
कंपनी सचिव



सी. वी. रेड्डी के
प्रैक्टिस में कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफ7976
सीपी संख्या: 8998
सीओपी विशिष्ट कोड: I2010TS725500
पीयर रिव्यू प्रमाणपत्र संख्या: 6517/2025
फर्म यूनिक कोड: S2010TL130900
यूडीआईएन: F007976H000507860

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 27 मई 2026

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

प्रति भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

अभिमत

हमने **भारत डायनामिक्स लिमिटेड** ('**कंपनी**') के साथ संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी भी शामिल है (जिसे आगे "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारे अभिमत में और हमें उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013, यथासंशोधित ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित जानकारी को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों ('इंड एएस') को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पढ़े जाने पर, उनके अनुरूप कंपनी के 31 मार्च 2026 की स्थिति के मामलों का तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तनों का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का आगे हमारे प्रतिवेदन के "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां" खंड में वर्णन किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का भी पालन करते हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय पर विशेष ध्यान

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

(क) टिप्पणी 38(7), जिसमें पांच वर्ष से अधिक समय से संचलन में नहीं आए ₹8,327.07 लाख के भंडार (31 मार्च 2025 को ₹8,331.44 लाख) का वर्णन किया गया है, जिसके लिए वहां बताए गए कारणों के आधार पर कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार अपेक्षित अनुपयोगिता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इस विषय के संबंध में हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय

1. प्रमुख लेखापरीक्षा विषय वे विषय हैं, जो हमारे पेश निर्णय के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन विषयों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में तथा उन पर अपना अभिमत बनाते समय संबोधित किया गया है और हम इन विषयों पर अलग से कोई अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।

2. नीचे दिए गए प्रत्येक विषय के लिए, हमारी लेखापरीक्षा में उस विषय को किस प्रकार संबोधित किया गया, इसका विवरण उसी संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। हमने नीचे वर्णित विषयों को अपने प्रतिवेदन में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा विषयों के रूप में निर्धारित किया है।

क्रम सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा विषय	हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा विषयों को किस प्रकार संबोधित किया गया
(क)	**चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधान और आकस्मिक देयताएं** कंपनी कई कानूनी, नियामकीय और कर संबंधी मामलों के अधीन है, जिनके अंतिम परिणाम का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता और जिनके परिणामस्वरूप संभावित रूप से महत्वपूर्ण देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 38(6) में प्रस्तुत किए गए हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी देयता को प्रावधान के रूप में मान्यता देने या आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट करने का आकलन स्वभावतः व्यक्तिपरक है और इसके लिए व्यवसाय से होने वाले नकदी बहिर्वाह के निर्धारण, लागू कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या तथा विभिन्न प्राधिकरणों के स्तरों पर लंबित आकलनों की सावधानीपूर्वक जांच में प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। चूंकि इसमें शामिल राशियां महत्वपूर्ण हैं और संभावित परिणामों की व्यापक श्रेणी के कारण अनुमान में उच्च स्तर की अनिश्चितता है, जिसके लिए प्रबंधन और लेखापरीक्षक के महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है, इसलिए वर्तमान वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए इस विषय को प्रमुख लेखापरीक्षा विषय माना गया है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, किंतु वे इन्हीं तक सीमित नहीं थीं: » कंपनी के कानूनी और वित्तीय कार्मिकों के साथ की गई विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से प्रबंधन द्वारा लागू की गई चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं की पहचान एवं मापन की प्रक्रिया को समझा। » लंबित मुकदमों के परिणाम के आकलन के संबंध में प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। » मुकदमेबाजी संबंधी मामलों के सारांश का निरीक्षण किया तथा कंपनी के कानूनी और वित्तीय कार्मिकों के साथ वर्ष के दौरान हुए प्रमुख घटनाक्रमों पर चर्चा की। » जहां लागू हुआ, कंपनी द्वारा प्राप्त बाहरी कानूनी सलाह का निरीक्षण और मूल्यांकन किया। कुछ महत्वपूर्ण चल रहे मुकदमों के संबंध में संबंधित अधिवक्ताओं से सीधे पुष्टिकरण प्राप्त किए। » पीपीआर विश्लेषण के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उत्पन्न होने वाली किसी देयता की संभावना, परिमाण और लेखांकन के संबंध में प्रबंधन के आकलन पर चर्चा की और उसे चुनौती दी। तदनुसार, हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई आकस्मिक देयताओं की राशि की समीक्षा की तथा ऐसे निष्कर्षों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया और आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञों को शामिल किया। » लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।
(ख)	**वारंटी के लिए प्रावधान** संविदात्मक शर्तों के एक हिस्से के रूप में, कंपनी का प्रबंधन वारंटी का अनुमान तैयार करता है, जो वारंटी दावों की प्रकृति, आवृत्ति और औसत लागत से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी तथा उत्पाद में खराबी के संबंध में किसी सुधारात्मक कार्रवाई के लिए ग्राहकों को सेवा प्रदान करने हेतु संभावित भविष्य के नकदी बहिर्वाह के संबंध में प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः ऐसे दावों का निपटान आपूर्ति की तारीख से 1 से 2 वर्ष की अवधि के भीतर होने की उम्मीद होती है। मानक वारंटी शर्तों के अंतर्गत दोषपूर्ण वस्तुओं को बदलने या उनकी मरम्मत करने के संबंध में कंपनी की देयता को प्रावधान के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे लेन-देन मूल्य के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता है, क्योंकि ग्राहक के पास वारंटी को अलग से खरीदने का विकल्प नहीं है। अधिक अनुमान संबंधी अनिश्चितता के कारण पूर्व में अतिरिक्त प्रावधानों को वापस लेने की प्रवृत्ति रही है, जिसके लिए प्रबंधन और लेखापरीक्षक के महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। इसलिए, वर्तमान वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए इस विषय को प्रमुख लेखापरीक्षा विषय माना गया है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: » कंपनी जिस व्यावसायिक वातावरण में कार्य करती है, उसे ध्यान में रखते हुए वारंटी प्रावधान के अनुमान से संबंधित प्रबंधन की धारणाओं और निर्णय का मूल्यांकन किया। » प्रबंधन द्वारा अनुमानित प्रावधान की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए संविदात्मक शर्तों को समझा। » विचार किए गए वारंटी प्रावधान की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने के लिए वारंटी दावों के पिछले इतिहास की समीक्षा की।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी अन्य जानकारी के लिए है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी सम्मिलित है, किंतु इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उन पर हमारा लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य जानकारी को शामिल नहीं करता है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन संबंधी निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि जब उपर्युक्त अन्य जानकारी हमें उपलब्ध हो जाए, तो हम उसे पढ़ें और ऐसा करते समय विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है, अथवा अन्यथा उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण प्रतीत होता है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ेंगे और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस विषय की जानकारी उन लोगों को देना आवश्यक है, जिन्हें शासन का दायित्व सौंपा गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और शासन का दायित्व सौंपे गए व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों के संबंध में इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, शामिल हैं, के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, जिसमें अन्य व्यापक आय भी शामिल है, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उनका अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान करना, जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत थे और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, ताकि वे सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करें और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हों।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निदेशक मंडल कंपनी के चालू प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू प्रतिष्ठान से संबंधित विषयों का प्रकटीकरण करने तथा लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को परिसमापन में ले जाने या उसके परिचालन को बंद करने का इरादा न रखता हो अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, तथा एक ऐसा लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन जारी करना है, जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में मौजूद महत्वपूर्ण गलत विवरण का हमेशा पता चल जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, उनसे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तिसंगत अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार की जाने वाली लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और पेशेवर संदेहशीलता बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और उनका निष्पादन करना तथा ऐसा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न चलने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं तथा क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार के उपयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी के चालू प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने की क्षमता पर

महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत में संशोधन करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां कंपनी के चालू प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने को समाप्त करने का कारण बन सकती हैं।

» प्रकटीकरणों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना तथा यह मूल्यांकन करना कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनका सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित होता है।

हम शासन का दायित्व सौंपे गए व्यक्तियों के साथ, अन्य विषयों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय-निर्धारण तथा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में ऐसी कोई महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन का दायित्व सौंपे गए व्यक्तियों को यह वक्तव्य भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा उन सभी संबंधों और अन्य विषयों के बारे में उनके साथ संवाद करते हैं, जिनके बारे में उचित रूप से यह माना जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी संवाद करते हैं।

जिन विषयों के बारे में हमने शासन का दायित्व सौंपे गए व्यक्तियों के साथ संवाद किया है, उनमें से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं, जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा विषय हैं। हम इन विषयों का अपने लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियम किसी विषय के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करते हों अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित न करें कि किसी विषय को हमारे प्रतिवेदन में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से सार्वजनिक हित में होने वाले लाभों पर युक्तिसंगत रूप से अधिक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा हो।

अन्य विषय

हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 149 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम") के विनियम 17 को अनुसूची II के साथ पढ़े जाने पर, निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक, जिसमें महिला निदेशक भी शामिल है, उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल की कुछ समितियों की संरचना भी अधिनियम की धाराओं 149, 177 और 178 तथा सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17, 18 और 19 को अनुसूची II के साथ पढ़े जाने पर निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तारीख तक कंपनी के निदेशक मंडल में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों को निलंबित कर दिया गया है। हमें दी गई जानकारी के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार का विशेषाधिकार होने के कारण यह मामला सक्रिय विचाराधीन है।

अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143(11) के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम **अनुलग्नक-1** में उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट विषयों पर, जहां तक लागू हो, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. **अनुलग्नक-1** में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम, जहां तक लागू हो, निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

 (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।

 (ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार अपेक्षित लेखा पुस्तकों का कंपनी द्वारा उचित रूप से रखरखाव किया गया है, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

 (ग) इस प्रतिवेदन में जिन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का उल्लेख किया गया है, वे लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

 (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के अनुरूप हैं।

 (ङ) कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) में परिभाषित सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

 (च) 31 मार्च 2026 को कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक-2 में हमारे पृथक प्रतिवेदन का संदर्भ लें।

 (छ) कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) में परिभाषित सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

 (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, यथासंशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल

किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) कंपनी ने, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 38(6) में विस्तृत रूप से बताया गया है, 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार लंबित मुकदमों के अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का प्रकटीकरण किया है;

(ii) कंपनी के पास ऐसा कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसके लिए संभावित भविष्य में होने वाले महत्वपूर्ण नुकसान के लिए प्रावधान करना आवश्यक हो;

(iii) कंपनी के पास ऐसी कोई राशि नहीं है, जिसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक हो;

iv. (क) प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं ('मध्यस्थ'), को या उनमें कोई निधि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई निधियों या प्रतिभूति प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत या किसी भी प्रकार की निधियों से) इस समझ के साथ नहीं किया गया है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') को ऋण देगा या उनमें निवेश करेगा अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं ('निधि प्रदाता'), से कोई निधि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधि प्रदाता द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') को ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था प्रदान करेगी; तथा

(ग) परिस्थितियों के अनुरूप उचित और पर्याप्त मानी गई ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपर्युक्त उप-खंड (क) और (ख) के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. (क) पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया है, लागू होने की सीमा तक अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

(ख) संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 38(9)(ख) में उल्लिखित अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश, लाभांश की घोषणा से संबंधित लागू सीमा तक, अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

(ग) कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

vi. हमारी जांच, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल थी, के आधार पर कंपनी ने अपनी लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) दर्ज करने की सुविधा है और यह सुविधा सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी संबंधित लेन-देन के लिए पूरे वर्ष प्रभावी रूप से कार्यरत रही है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया, जिसमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ की गई हो। साथ ही, कंपनी ने वैधानिक अभिलेख संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को सुरक्षित रखा है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हम '**अनुलग्नक-3**' में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के संबंध में जारी निर्देशों में निर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

तेज राज एंड पाल की ओर से
सनदी लेखाकार
एफआरएन 304124ई

सीए बीराका विजय
भागीदार
(सदस्यता संख्या: 214678)
यूडीआईएन: 26214678AWQRQL7975

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 मई 2026

हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के "अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में संदर्भित अनुलग्नक-1, जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यगण को 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में है।

हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांची गई लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के आधार पर तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) (क) (अ) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों तथा निवेश संपत्ति का पूरा विवरण, जिसमें मात्रात्मक विवरण और स्थिति भी शामिल है, दर्शाने वाले उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है।

(ब) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है।

(ख) कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों तथा निवेश संपत्ति के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत इन परिसंपत्तियों का पांच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से भौतिक सत्यापन किया जाता है। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए यह कार्यक्रम उचित है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया और इस सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर, जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय नीचे उल्लिखित संपत्तियों के, जिनके संबंध में कंपनी का प्रबंधन उन्हें कंपनी के नाम पर पंजीकृत कराने तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने की प्रक्रिया में है:

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ लाख में)	जिसके नाम पर धारित है	क्या प्रवर्तक, निदेशक या उनके रिश्तेदार अथवा कर्मचारी हैं	धारण किए जाने की अवधि	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
इब्राहिमपट्टनम में भूमि (632 एकड़ 16.50 गुंटा)	7,965.16	टीएसआईआईसी	नहीं	16-02-2017	पंजीकरण की प्रक्रिया में
कंचनबाग में भूमि (146 एकड़ 32 गुंटा)	28.42	डीएमआरएल	नहीं	19-10-1972	राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ प्रक्रिया चल रही है
कंचनबाग में भूमि (5 एकड़ 1 गुंटा)	0.97	डीएमआरएल	नहीं	19-10-1972	

कंपनी जिन संपत्तियों की पट्टेदार है, उनके संबंध में पट्टा समझौते विधिवत निष्पादित किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कंपनी के पक्ष में पंजीकृत नहीं किए गए हैं। ऐसी संपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है:

संपत्ति का विवरण	उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्य	स्थान	पट्टादाता का विवरण	धारण किए जाने की अवधि	कंपनी के नाम पर संपत्ति धारण न किए जाने का कारण
विशाखापत्तनम स्थित भूमि (3 एकड़ 25 गुंटा)	-	विशाखापत्तनम	भारत के राष्ट्रपति	2-3-2011	पट्टा विलेख निष्पादित किया जा चुका है, किंतु अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिसमें उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां भी शामिल हैं, अथवा अमूर्त परिसंपत्तियों, या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) वर्ष के दौरान बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के विरुद्ध किसी बेनामी संपत्ति के धारण के संबंध में न तो कोई कार्यवाही शुरू की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन ने उचित अंतराल पर, जिसमें तृतीय पक्षों के पास रखी गई इन्वेंटरी आदि भी शामिल है, इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा किए गए ऐसे सत्यापन का दायरा और प्रक्रिया उपयुक्त है तथा ऐसे भौतिक सत्यापन के दौरान, बहीखाता अभिलेखों की तुलना में इन्वेंटरी की प्रत्येक श्रेणी में कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं पाई गई।

(ख) कंपनी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सावधि जमा के विरुद्ध ₹15.00 करोड़ की फंड-आधारित कार्यशील पूंजी ओवरड्राफ्ट सीमा तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ₹400 करोड़ और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ₹200 करोड़ की गैर-फंड आधारित कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। ये सीमाएं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 38(12) में उल्लिखित अनुसार पंजीकृत फ्लोटिंग चार्ज के विरुद्ध हैं। इन सुविधाओं के संबंध में कंपनी को इन बैंकों के पास कोई त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (ii) के उपखंड (ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) अथवा किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, न ही कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है और न ही सुरक्षित या असुरक्षित रूप से ऋण अथवा ऋण की प्रकृति के अग्रिम दिए हैं। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (iii) के उपखंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) कंपनी पर लागू नहीं होते।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत परिभाषित सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(v) कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और न ही ऐसी कोई राशि है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा कंपनी (जमा स्वीकार करना) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के अर्थ में जमा माना गया हो। अतः आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(vi) केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत कंपनी के उत्पादों के संबंध में लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट किया है। हमने लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारी राय में, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और अभिलेख तैयार एवं अनुरक्षित किए गए हैं। हालांकि, हमने लागत अभिलेखों की सटीकता या पूर्णता निर्धारित करने के उद्देश्य से उनका विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

(vii) (क) कंपनी लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देयों सहित सभी निर्विवाद वैधानिक देयों को संबंधित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के अंत में ऐसे देयों के संबंध में कोई भी निर्विवाद देय राशि, देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक अवधि तक बकाया नहीं थी।

(ख) उप-खंड (क) में उल्लिखित ऐसी कोई वैधानिक देय राशि नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण संबंधित प्राधिकरणों के पास जमा नहीं किया गया हो, सिवाय निम्नलिखित के:

(₹ लाख में)

क्रम सं.	अधिनियम की प्रकृति	देय राशि का प्रकृति	सकल राशि	भुगतान की गई राशि	जिस अवधि से राशि संबंधित है	वह मंच/प्राधिकरण, जहां विवाद लंबित है
1	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5,550.83	693.85	2011-12	हैदराबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित
2	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5,024.27		2012-13	हैदराबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित
3	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	4,266.81		2013-14	हैदराबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित
4	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	6,468.12		2014-15	हैदराबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित
5	उत्पाद शुल्क अधिनियम	ब्याज	5,306.33		2015-16 TO 2017-18	सीईएसटीएटी, हैदराबाद में अपील लंबित
6	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	732.80	732.80	AY 2021-22	नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एवं क्षेत्राधिकार वाले आकलन अधिकारी के समक्ष सुधार अनुरोध दायर
7	वस्तु एवं सेवा कर	वस्तु एवं सेवा कर	8.76	0.79	AY 2020-21	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण, हैदराबाद के समक्ष अपील दायर
	कुल		**27357.92**	**1427.44**		

- क्रम सं. 1 में अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा किया गया ₹693.85 लाख का केंद्रीय बिक्री कर शामिल है।

- क्रम सं. 6 में अन्य निर्धारण वर्षों के रिफंड से वसूल की गई राशि शामिल है।

- क्रम सं. 7 में अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा किया गया ₹0.79 लाख का वस्तु एवं सेवा कर शामिल है।

(viii) कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत वर्ष के दौरान किए गए कर निर्धारण में ऐसी किसी पूर्व में लेखा पुस्तकों में दर्ज न की गई लेन-देन को न तो समर्पित किया है और न ही प्रकट किया है, जिसे आय के रूप में दर्ज किया गया हो। अतः आदेश के खंड 3(viii) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ix) (क) कंपनी ने अपने किसी ऋण या उधारी के पुनर्भुगतान अथवा किसी ऋणदाता को उस पर देय ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) किसी बैंक या वित्तीय संस्था अथवा अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने किसी भी सावधि ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।

(घ) कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम नहीं है, जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया हो। अतः आदेश के खंड 3(ix)(ङ) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(च) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम नहीं है, जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया हो। अतः आदेश के खंड 3(ix)(च) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) अथवा आगे के सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ), जिसमें ऋण लिखत भी शामिल हैं, के माध्यम से कोई राशि जुटाई नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(x)(क) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा (पूर्णतः, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xi) (क) हमारी लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किए गए किसी धोखाधड़ी अथवा कंपनी के विरुद्ध किसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का पता नहीं चला है और न ही इसकी सूचना मिली है।

(ख) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत, कंपनी अधिनियम (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में केंद्र सरकार को लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। अतः आदेश के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xiii) कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेन-देन, जहां लागू हो, अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे संबंधित पक्ष लेन-देन का विवरण कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 24—संबंधित पक्ष प्रकटीकरण, जिसे अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में निर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार प्रकट किया गया है।

(xiv) (क) कंपनी के पास अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जो उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा के अंतर्गत अवधि के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा अब तक जारी की गई रिपोर्टों को ध्यान में रखा है।

(xv) कंपनी ने अपने निदेशकों अथवा निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। अतः अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में आदेश के खंड 3(xv) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-IA के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xvi)(क), (ख), (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष के साथ-साथ ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में भी कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं हुआ है। अतः आदेश के खंड 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xix) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 38(21)(G) में प्रकट किए गए वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु एवं वसूली की अपेक्षित तिथियों तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी तथा निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के संबंध में हमारी जानकारी के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे यह

संकेत मिले कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है और हम इस बात की न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही आश्वासन कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा उनकी देय तिथि पर भुगतान कर दिया जाएगा।

(xx) (क) वर्ष के अंत में कंपनी के पास चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में कोई अप्रयुक्त कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) राशि नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं से संबंधित अप्रयुक्त सीएसआर राशि को अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित करने के संबंध में रिपोर्टिंग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) वर्ष के अंत में कंपनी के पास अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के तहत निर्दिष्ट चालू परियोजनाओं के संबंध में कोई अप्रयुक्त कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) राशि नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर चालू परियोजनाओं से संबंधित अप्रयुक्त सीएसआर राशि को विशेष खाते में हस्तांतरित करने के संबंध में रिपोर्टिंग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(xxi) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम नहीं है, जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया हो। अतः आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

तेज राज एंड पाल की ओर से
सनदी लेखाकार
एफआरएन 304124ई

सीए बीराका विजय
भागीदार
(सदस्यता संख्या: 214678)
यूडीआईएन: 26214678AWQRQL7975

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 मई 2026

अनुलग्नक-2 हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के "अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 2(च) में संदर्भित अनुलग्नक-2, जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यगण को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में है।

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

हमने 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा भी की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन और शासन का दायित्व सौंपे गए व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल आईसीएआई द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट" ("मार्गदर्शन नोट") में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कंपनी के कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत हों। इसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता तथा अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, तथा आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए थे तथा ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमी के अस्तित्व के जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है, जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यकतानुसार लेन-देन दर्ज किए जाते हैं तथा कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जाते हैं; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के संबंध में मिलीभगत या प्रबंधन द्वारा अनुचित रूप से नियंत्रणों को दरकिनार करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण उत्पन्न हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अलावा, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन को भविष्य की अवधियों तक विस्तारित करने पर यह जोखिम रहता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्यरत थे। यह अभिमत कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित है, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखा गया है।

तेज राज एंड पाल की ओर से
सनदी लेखाकार
एफआरएन 304124ई

सीए बीराका विजय
भागीदार
(सदस्यता संख्या: 214678)
यूडीआईएन: 26214678AWQRQL7975

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 मई 2026

अनुलग्नक-3, हमारे इसी दिनांक के स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के "अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 3 में संदर्भित, जो कंपनी के सदस्यगण को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में है।

अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में, कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्रम सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लेखापरीक्षकों का उत्तर
1	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों के लिए ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, चाहे वे सूचीबद्ध हों या असूचीबद्ध, के उचित मूल्यांकन का आकलन करना। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, इंड एएस के साथ सुसंगतता सुनिश्चित करना तथा सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखापरीक्षक मूल्यांकन दृष्टिकोण, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करेगा तथा किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा।	**सेवानिवृत्ति-पश्चात कर्मचारी लाभों के लिए निवेशों के उचित मूल्यांकन का आकलन** कंपनी के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभ संबंधी दायित्वों का प्रबंधन दो ट्रस्टों - बीडीएल प्रोविडेंट फंड (पीएफ) ट्रस्ट और बीडीएल एम्प्लॉइज सुपरएनुएशन ट्रस्ट (बीईएसटी) - के माध्यम से किया जाता है, जो भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवा-पृथक्करण पश्चात चिकित्सा लाभ (पीएसएमबी) योजनाओं और वीएल इनकैशमेंट को कवर करते हैं। प्रत्येक के मूल्यांकन और निवेश संबंधी दृष्टिकोण का विवरण नीचे दिया गया है: **1. भविष्य निधि (पीएफ) निवेश** कंपनी प्रत्येक माह कर्मचारी (अंशदाता) और नियोक्ता, दोनों के अंशदान सहित योगदान को छूट प्राप्त बीडीएल पीएफ ट्रस्ट में जमा करती है। ट्रस्ट इन निधियों का निवेश कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार सख्ती से प्रतिभूतियों और इंडेक्स म्यूचुअल फंडों में करता है। निवेशों को परिपक्वता या मोचन तक क्रय लागत पर रखा जाता है और लाभ को केवल प्राप्ति के समय मान्यता दी जाती है। ट्रस्ट अपने लेखे स्वतंत्र रूप से रखता है। **2. ग्रेच्युटी, पीएसएमबी योजनाओं और वीएल इनकैशमेंट निवेश** बीईएसटी ग्रेच्युटी, सेवा-पृथक्करण पश्चात चिकित्सा लाभ (पीएसएमबी) और वीएल इनकैशमेंट से संबंधित निधि के प्रबंधन के लिए मध्यस्थ ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है। तीनों योजनाओं में निवेश का दृष्टिकोण काफी हद तक समान है और इसका विवरण नीचे दिया गया है: » बीडीएल द्वारा बीईएसटी को हस्तांतरित निधियों का निवेश भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की पॉलिसियों में किया जाता है। एलआईसी लाभ वितरित करता है और उन्हें प्रत्येक वर्ष पॉलिसी मूल्य में जोड़ता है; प्रतिलाभ की दर प्रत्येक वर्ष एलआईसी द्वारा घोषित दर के अनुसार अलग-अलग होती है। » ग्रेच्युटी और वीएल इनकैशमेंट के लिए, बीडीएल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कर्मचारी संबंधी आंकड़ों के साथ एलआईसी पॉलिसी के समापन मूल्य को नियुक्त बीमांकक को उपलब्ध कराता है। बीमांकक इस जानकारी के आधार पर एलआईसी पॉलिसी में आवश्यक अंशदान का अनुमान निर्धारित करता है। » पीएसएमबी योजनाओं के लिए, बीईएसटी प्रत्येक वर्ष एक बीमा कंपनी से समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी भी खरीदता है, ताकि बीडीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय को पूरा किया जा सके। इसके लिए योजना के अनुसार बीडीएल द्वारा हस्तांतरित निधियों का उपयोग किया जाता है।

क्रम सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लेखापरीक्षकों का उत्तर	
2	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की कोई प्रणाली मौजूद है? यदि हां, तो क्या इस प्रणाली तथा कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों और साइबर सुरक्षा की समीक्षा सीईआरटी-इन द्वारा सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा संगठनों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार की गई है और पाए गए महत्वपूर्ण विचलनों, यदि कोई हों, की उचित रूप से रिपोर्ट की गई है? आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन के प्रसंस्करण का लेखाओं की अखंडता पर प्रभाव तथा इसके वित्तीय प्रभाव की भी रिपोर्ट की जा सकती है।		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं: **1. आईटी प्रणाली का कवरेज** बीडीएल (भारत डायनामिक्स लिमिटेड) में सभी लेखांकन लेन-देन को संसाधित करने के लिए एक पूर्णतः एकीकृत आईटी प्रणाली - एसएपी ईआरपी - लागू है। इसका अर्थ है कि कंपनी मुख्य लेखांकन के लिए किसी भी मैनुअल या ऑफलाइन पद्धति पर निर्भर नहीं है, जिससे उसके वित्तीय अभिलेखों की अखंडता और सटीकता बनाए रखने में सहायता मिलती है। कोई भी महत्वपूर्ण लेन-देन इस आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित नहीं किया जाता है। **2. आईटी सामान्य नियंत्रण (आईटीजीसी) की समीक्षा** वर्ष के दौरान एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा एसएपी प्रणाली के आईटी सामान्य नियंत्रणों (आईटीजीसी) की समीक्षा की गई। आईटीजीसी समीक्षा में सामान्यतः अभिगम नियंत्रण, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी संचालन की जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग को समर्थन देने वाली प्रणालियां सुरक्षित और विश्वसनीय हैं। समीक्षा में यह निष्कर्ष निकला कि नियंत्रणों में ऐसी कोई महत्वपूर्ण कमजोरी या चूक नहीं है, जो वित्तीय विवरणों की अखंडता से समझौता कर सकती हो। **3. साइबर सुरक्षा शासन की समीक्षा** बीडीएल के सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) ढांचे के अंतर्गत आईएसओ 27001:2022 मानक के अनुरूप एक बाहरी एजेंसी द्वारा साइबर सुरक्षा शासन और नियंत्रण समीक्षा भी की गई। इस ढांचे के अंतर्गत आंतरिक और बाहरी दोनों लेखापरीक्षाएं समय-समय पर की जाती हैं। पहचाने गए किसी भी मुद्दे की समीक्षा की जाती है, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है और टिप्पणियों को औपचारिक रूप से बंद किया जाता है—जिससे एक व्यवस्थित और जवाबदेह सुरक्षा शासन प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। **4. विशिष्ट साइबर सुरक्षा आकलन - पांच प्रमुख क्षेत्र** » **जोखिम प्रबंधन:** आईएसएमएस ढांचे के अंतर्गत, विशेष रूप से जोखिम आकलन और उपचार योजना के माध्यम से साइबर जोखिमों की पहचान और उनका प्रबंधन किया जाता है। इन जोखिमों, जिनमें लैन ट्रैफिक मॉनिटरिंग और पैच प्रबंधन शामिल हैं, की बीडीएल के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। कमी का स्तर: निम्न। » **साइबर शासन:** बीडीएल वर्ष के दौरान अनेक साइबर सुरक्षा आकलन करता है, जिनमें सीईआरटी-इन द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से भेद्यता आकलन और पैठ परीक्षण (वीएपीटी), आईएसएमएस समीक्षाएं तथा रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षाएं शामिल हैं। ये सभी मिलकर संगठन की साइबर सुरक्षा स्थिति का व्यापक आकलन प्रदान करते हैं। कमी का स्तर: निम्न। » **लॉगिंग एवं मॉनिटरिंग:** बीडीएल ने अपने चक्र सर्वर और लॉग सर्वर के माध्यम से केंद्रीकृत लॉगिंग एवं मॉनिटरिंग स्थापित की है, जिसे नंदी डैशबोर्ड के साथ एकीकृत किया गया है। इससे सुरक्षा घटनाओं की निरंतर वास्तविक समय में निगरानी संभव होती है। फायरवॉल और घुसपैठ पहचान/रोकथाम प्रणालियों (आईडीएस/आईपीएस) जैसे नेटवर्क नियंत्रणों की निगरानी की जाती है और इस व्यवस्था के अंतर्गत उनके लॉग रखे जाते हैं। कमी का स्तर: निम्न। » **घटना प्रबंधन:** बीडीएल ने एक साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) और साइबर सुरक्षा नीति लागू की है, जिसमें घटना प्रतिक्रिया की स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। साइबर घटना की स्थिति में, इकाई स्तर की टीमें फोरेंसिक विश्लेषण करती हैं और अंतिम रिपोर्ट कॉरपोरेट कार्यालय को भेजी जाती है। डेटा उल्लंघन के मामलों में औपचारिक जांच के लिए अधिकारियों का एक बोर्ड (बीओओ) गठित किया जाता है। कमी का स्तर: निम्न। » **सुधारात्मक कार्रवाई की निगरानी:** लेखापरीक्षाओं के माध्यम से पहचाने गए सभी साइबर सुरक्षा मुद्दों की निगरानी एक समर्पित साइबर सुरक्षा समूह द्वारा की जाती है और उनका समाधान किया जाता है। समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन और निपटान रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत और मॉनिटर की जाती हैं। कमी का स्तर: निम्न। **5. समग्र निष्कर्ष** साइबर सुरक्षा के सभी पांच क्षेत्रों में केवल निम्न स्तर की कमियां पाई गईं—जिनमें से कोई भी बीडीएल की वित्तीय रिपोर्टिंग या परिचालन अखंडता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न नहीं करती है। लेखापरीक्षकों का मानना है कि बीडीएल का आईटी बुनियादी ढांचा और साइबर सुरक्षा नियंत्रण मजबूत, सुशासित और लागू मानकों के अनुरूप हैं। आईटी प्रणालियों या नियंत्रणों से उत्पन्न होने वाले किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम का कोई संकेत नहीं है। हालांकि, आईएस लेखापरीक्षा के संबंध में, बीडीएल की वेबसाइट का वीएपीटी लेखापरीक्षण प्रत्येक वर्ष सीईआरटी-इन द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी के माध्यम से किया जाता है और अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पहले पहचानी गई सभी कमजोरियों का समाधान किया जाता है; इसके अतिरिक्त, सीआईआरए (एमओडी) भी उत्पादन सर्वर पर वेबसाइट को परिनियोजित करने से पहले उसे 'सेफ-टू-होस्ट' के रूप में प्रमाणित करता है। इसके अलावा, हमने देखा है कि बीडीएल की सभी इकाइयों में आईटी बुनियादी ढांचे (लैन और सार्वजनिक नेटवर्क) का वीएपीटी लेखापरीक्षण प्रबंधन द्वारा पुष्टि के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में एक बार किया जाता है।

क्रम सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लेखापरीक्षकों का उत्तर
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन किया गया था और क्या प्राप्त निधियों का उपयोग उनके नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन अनुदान के नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची दें।	हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं: **वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रयोज्यता – वर्तमान वर्ष:** वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, भारत डायनामिक्स लिमिटेड को केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा उनकी संबंधित एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई निधि (अनुदान/सब्सिडी या किसी अन्य रूप में वित्तीय सहायता) प्राप्त नहीं हुई है और न ही ऐसी कोई निधि प्राप्य है। **पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त निधियों की स्थिति:** प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को पिछले पांच से छह वर्षों से पहले के वित्तीय वर्षों में केंद्र/राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान/सब्सिडी प्राप्त हुई थी। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में प्राप्त ऐसे सभी अनुदान/सब्सिडी का उपयोग संबंधित अनुदान/स्वीकृति आदेशों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जा रहा है तथा उनका उचित रूप से लेखांकन किया गया है। **विचलन के मामलों की सूची:** शून्य - वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अथवा पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त अनुदानों के संबंध में केंद्र/राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों से प्राप्त निधियों/अनुदानों/सब्सिडी के लेखांकन या उपयोग में विचलन का कोई मामला नहीं पाया गया है।
4	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? यदि हां, (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	बीडीएल ने बीडीएल से जुड़े जोखिमों की पहचान, आकलन और न्यूनीकरण के लिए तैयार जोखिम प्रबंधन नीति-2019 (दस्तावेज संख्या: बीडीएल-ईआरएमपी, संस्करण-03, दिनांक 01/04/2019) के अनुरूप प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है। उक्त नीति को 18/03/2019 को आयोजित बीडीएल की 253वीं निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया था। प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिम, उत्पाद संबंधी जोखिम, रणनीतिक जोखिम, सुरक्षा संबंधी जोखिम, मानव संसाधन संबंधी जोखिम, उद्यम संबंधी जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम तथा सरकारी नीति संबंधी जोखिम शामिल हैं। बीडीएल की जोखिम प्रबंधन नीति जोखिमों की पहचान, आकलन, वर्गीकरण, प्राथमिकता निर्धारण और उपचार के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन के जोखिम प्रबंधन संबंधी दस्तावेज आईएसओ: 31000-2009 में परिभाषित वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर तैयार की गई है। बीडीएल ने अपने डेटा परिसंपत्तियों की भी पहचान की है, जिनमें उद्यम संबंधी डेटा, जैसे ग्राहक अभिलेख, संपर्क विवरण, बौद्धिक संपदा अधिकार, वित्तीय दस्तावेज आदि शामिल हैं। इन अभिलेखों को प्रभावी साइबर सुरक्षा नीति तथा डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर प्रबंधन के माध्यम से साइबर खतरों से सुरक्षित रखा जा रहा है।

क्रम सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लेखापरीक्षकों का उत्तर
5	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा सेबी, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-इन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों का, जहां भी लागू हो, अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जा सकता है।	वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त होने के लिए की गई वैधानिक लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जांचे गए दस्तावेजों/अभिलेखों के आधार पर, बीडीएल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा सेबी, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), सीईआरटी-इन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अन्य लागू नियमों और विनियमों का, जहां भी लागू हो, नीचे उल्लिखित को छोड़कर, अनुपालन किया है। बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, बीडीएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है। हालांकि, वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के पदों पर रिक्तियां भरी नहीं जाने के कारण, सेबी एलओडीआर तथा कंपनी अधिनियम, 2013, दोनों के अंतर्गत निम्नलिखित गैर-अनुपालन पाए गए: सेबी एलओडीआर के विनियम 17(1)(क) के अंतर्गत निदेशक मंडल में कम से कम 50% गैर-कार्यकारी निदेशकों के होने की आवश्यकता का 01-04-2025 से 21-04-2025 तथा 24-02-2026 से 31-03-2026 की अवधि के दौरान अनुपालन नहीं किया गया; महिला निदेशक की आवश्यकता का 01-04-2025 से 13-07-2025 की अवधि के दौरान अनुपालन नहीं किया गया; तथा स्वतंत्र महिला निदेशक की आवश्यकता का पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अनुपालन नहीं किया गया। विनियम 17(1)(ख) के अंतर्गत, चूंकि अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक हैं, इसलिए कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता का 01-04-2025 से 31-03-2026 तक पूरे वर्ष अनुपालन नहीं किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 149, 177 और 178 के अंतर्गत संबंधित आवश्यकताओं—न्यूनतम स्वतंत्र निदेशकों, महिला निदेशक तथा लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की अपेक्षित संरचना से संबंधित—का भी समान अवधियों के दौरान अनुपालन नहीं किया गया। प्रबंधन द्वारा बताए गए अनुसार, बीडीएल एक सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति विशेष रूप से भारत सरकार में निहित है; कंपनी रक्षा मंत्रालय के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में डीपीई के विचाराधीन है। अतः उक्त गैर-अनुपालन कंपनी की ओर से किसी जानबूझकर किए गए चूक के कारण नहीं हुआ है। ऊपर उल्लिखित गैर-अनुपालनों को छोड़कर, हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जांचे गए अभिलेखों तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीआईपीएएम, डीपीई, आरबीआई, ट्राई, सीईआरटी-इन, एमईआईटीवाई और एनपीसीआई के अन्य लागू विनियमों एवं दिशानिर्देशों के सभी अन्य लागू प्रावधानों का, जहां भी लागू हो, अनुपालन किया है।

तेज राज एंड पाल की ओर से
सनदी लेखाकार
एफआरएन 304124ई

सीए बीराका विजय
भागीदार
(सदस्यता संख्या: 214678)
यूडीआईएन: 26214678AWQRQL7975

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 मई 2026

स्पीड पोस्टद्वारा

नि-1/बी.डी.एल.लेखा2025-26/2026-27/136

गोपनीय

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (रक्षा-वाणिज्यिक) का कार्यालय,
ऑडिट भवन - II
तृतीय और चौथा तल, 68/2, एच. सिद्दैया रोड
अर्चना कॉम्प्लेक्स के सामने,
एच. सिद्दैया रोड रेफरल हॉस्पिटल के बगल में,
दोड्डमावल्ली, सुधामा नगर, बेंगलुरु - 560002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(DEFENCE - COMMERCIAL),
Audit Bhawan – II
3rd and 4th floor, 68/2, H. Siddaiah Road,
Opposite Archana Complex,
Next to H. Siddaiah Road Referral Hospital,
Doddamavalli, Sudhamanagar, Bengaluru-560002

दिनांक / DATE 22.07.2026

सेवा मे,
शैलेश वगेरवाल,
अध्यक्ष &प्रबंध **निदेशक**
भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
कॉर्पोरेट ऑफिस,कंचनबाग,
हैदराबाद, तेलंगाना- 500058.

महोदय,

विषयः कम्पनी **अधिनियम** 2013की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एव महालेखापरीक्षक की टिप्पणियॉ।

मै 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबादके लेखाओ पर कंपनी **अधिनियम** 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक का "शून्य टिप्पणी प्रमाण पत्र" अग्रेषित करता हूँ|

कृपया सुनिश्चित करे कि टिप्पणिया

1. बिना कोई संशोधन किये पूर्ण रूप से छापी जाये|
2. सूचि में उचित संकेत के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आगे रखा जाये|
3. कंपनी **अधिनियम** 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत वार्षिक सामान्य बैठकमें रखा जाये।

भवदीय,

(अरुण कुमार वी एम)
निदेशक

संलग्नः यथोपरि

Phone : 080-22267646 / 22254838 Fax : 080-2226 2491 Email : pda.dc.blr@cag.gov.in

By Speed Post
Confidential

Insp-1/BDL Accs2025-26/2026-27/136

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (रक्षा-वाणिज्यिक) का कार्यालय,
ऑडिट भवन - II
तृतीय और चौथा तल, 68/2, एच. सिद्दैया रोड
अर्चना कॉम्प्लेक्स के सामने,
एच. सिद्दैया रोड रेफरल हॉस्पिटल के बगल में,
दोड्डमावल्ली, सुधामा नगर, बेंगलुरु - 560002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(DEFENCE - COMMERCIAL),
Audit Bhawan – II
3rd and 4th floor, 68/2, H. Siddaiah Road,
Opposite Archana Complex,
Next to H. Siddaiah Road Referral Hospital,
Doddamavalli, Sudhamanagar, Bengaluru-560002

दिनांक / DATE 22.07.2026

To
Shailesh Vagerwal .
Chairman and Managing Director,
Bharat Dynamics Limited,
Corporate Office, Kanchanbagh,
Hyderabad, Telangana – 500 058.

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **Bharat Dynamics Limited, Hyderabad** for the year ended31 March 2026.

I forward here with **Nil Comments Certificate** of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **Bharat Dynamics Limited, Hyderabad** for the year ended 31 March 2026.

It may please be ensured that the comments are:

(i) Printed in toto without any editing;
(ii) Placed next to the statutory auditors' report in the Annual Report of the Company with proper indication in the index; and
(iii) Placed before the AGM as required under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(Arun Kumar VM)
Director

Encl: As above.

Phone : 080-22267646 / 22254838 Fax : 080-2226 2491 Email : pda.dc.blr@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT DYNAMICS LIMITED, HYDERABAD FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

The preparation of Financial Statements of **Bharat Dynamics Limited, Hyderabad** for the year ended 31 March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on Independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28 May 2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **Bharat Dynamics Limited, Hyderabad** for the year ended 31 March 2026 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sudha Rajan

(Sudha Rajan)
Director General of Audit (Defence - Commercial)

Place: Bengaluru
Date: 22 July 2026

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण – 31 मार्च 2026

कॉरपोरेट जानकारी

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल), रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम है, जिसकी स्थापना वर्ष 1970 में हैदराबाद में की गई थी। यह मिसाइलों और संबद्ध रक्षा उपकरणों के निर्माण में संलग्न है। कंपनी अपने अधिकांश माल और सेवाओं की आपूर्ति भारतीय सशस्त्र बलों और भारत सरकार को करती है। कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयां हैं, जो कंचनबाग (हैदराबाद), तेलंगाना राज्य; भानुर (संगारेड्डी जिला), तेलंगाना राज्य; तथा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। बीडीएल अमरावती (महाराष्ट्र), इब्राहिमपट्टनम (तेलंगाना) और झांसी (उत्तर प्रदेश) में अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

विषय-सूची:

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल हैं:

(क) तुलन पत्र

(ख) लाभ एवं हानि लेखा

(ग) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(घ) नकदी प्रवाह विवरण

(ङ) टिप्पणियां, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं; तथा

(च) पूर्ववर्ती अवधि के संबंध में तुलनात्मक जानकारी;

रिपोर्टिंग संस्था:

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) शेयरों द्वारा सीमित एक सूचीबद्ध कंपनी है, जो भारत में सूचीबद्ध और स्थित है।

पंजीकृत कार्यालय:

कंचनबाग, हैदराबाद – 500058

कॉरपोरेट कार्यालय:

प्लॉट संख्या 38-39, टीएसएफसी बिल्डिंग,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा
हैदराबाद – 500032

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2026 को की स्थिति	31 मार्च 2025 को की स्थिति
परिसंपत्तियां			
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	70,048.56	66,737.24
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	2	17,410.19	11,714.82
(ग) निवेश संपत्ति	3	0.97	0.97
(घ) उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियां	4	4,897.15	5,093.45
(ङ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	12,860.93	13,877.18
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	5क	12,460.11	11,317.25
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	6	390.60	390.60
(ii) ऋण	7	389.37	125.77
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	10,790.32	10,571.12
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	29क	9,115.63	12,273.39
(झ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	9	12,089.02	4,354.80
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां		**1,50,452.85**	**1,36,456.59**
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) भंडार	10	4,62,563.74	2,64,510.90
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्य	11	42,287.89	82,635.63
(ii) नकद एवं नकद समकक्ष	12	86,331.49	13,385.68
(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	13	3,84,600.00	4,05,651.00
(iv) ऋण	14	203.83	441.54
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	15	48,005.81	96,499.30
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	29ख	10,114.39	-
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	16	2,41,589.89	1,74,667.79
कुल चालू परिसंपत्तियां		**12,75,697.04**	**10,37,791.84**
कुल परिसंपत्तियां		**14,26,149.89**	**11,74,248.43**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	18,328.12	18,328.12
(ख) अन्य इक्विटी	18	4,05,768.81	3,82,566.96
कुल इक्विटी		**4,24,096.93**	**4,00,895.08**
देयताएं			
(1) गैर-चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) पट्टा देयताएं	19	-	31.52
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	4,648.66	4,498.04
(ख) प्रावधान	21	46.99	43.39
(ग) अन्य गैर-चालू देयताएं	22	3,62,775.17	3,32,763.48
कुल गैर-चालू देयताएं		**3,67,470.82**	**3,37,336.43**
(2) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	23	-	-
(ii) पट्टा देयताएं	24	31.52	179.98
(iii) व्यापार देय			
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं;	25	5,169.15	3,221.64
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	25	2,78,309.23	1,47,334.41
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	26	35,866.17	36,574.11
(ख) अन्य चालू देयताएं	27	2,75,545.33	1,97,806.72
(ग) प्रावधान	28	39,660.74	50,763.90
(घ) चालू कर देयताएं (शुद्ध)	29ख	-	136.16
कुल चालू देयताएं		**6,34,582.14**	**4,36,016.92**
कुल देयताएं		**10,02,052.96**	**7,73,353.35**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**14,26,149.89**	**11,74,248.43**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी एवं संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार,

कृते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई

सीए बीराका विजय
भागीदार

(सदस्यता संख्या 214678)

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसकी ओर से

जी. गायत्री प्रसाद
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

डीआईएन: 10877803

डी. वी. श्रीनिवास राव
निदेशक (तकनीकी) एवं अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10652125

एन. नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या ए19015)

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 मई 2026

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

(₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणियां	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
आय				
I	**परिचालन से राजस्व**	30	2,44,179.18	3,34,505.16
II	**अन्य आय**	31	42,376.95	35,040.17
III	**कुल आय (I + II)**		**2,86,556.13**	**3,69,545.33**
IV	**व्यय**			
	सामग्री की खपत की लागत	32	1,99,555.04	2,09,975.80
	तैयार माल और कार्य-प्रगति के भंडार में परिवर्तन	33	(77,305.65)	(42,186.42)
	कर्मचारी लाभ व्यय	34	53,557.17	54,879.89
	वित्त लागत	35	338.72	330.91
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	36	7,592.86	7,069.61
	अन्य व्यय	37	46,035.97	64,599.28
	कुल व्यय (IV)		**2,29,774.11**	**2,94,669.07**
V	**असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		56,782.02	74,876.26
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	**कर से पूर्व लाभ (V + VI)**		**56,782.02**	**74,876.26**
VIII	**कर व्यय**			
	(1) चालू कर	29ग	11,606.00	25,121.23
	(2) आस्थगित कर	29ग	3,142.26	(5,209.49)
	कुल कर व्यय		**14,748.26**	**19,911.74**
IX	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII - VIII)**		**42,033.76**	**54,964.52**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	ऐसी मदें जिन्हें बाद में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(क) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	38(3)	61.56	35.42
	(ख) लाभ या हानि में बाद में पुनर्वर्गीकृत न की जाने वाली मदों से संबंधित आयकर	29ग	(15.50)	(8.91)
	कुल अन्य व्यापक आय		**46.06**	**26.51**
XI	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX + X)**		**42,079.82**	**54,991.03**
XII	**प्रति इक्विटी शेयर आय**			
	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस (रुपये में)	38(2)	11.47	14.99

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी एवं संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार,

कृते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई

सीए बीराका विजय
भागीदार

(सदस्यता संख्या 214678)

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 मई 2026

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसकी ओर से

जी. गायत्री प्रसाद
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

डीआईएन: 10877803

डी. वी. श्रीनिवास राव
निदेशक (तकनीकी) एवं अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10652125

एन. नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या ए19015)

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

01 अप्रैल 2025 तक शेष	पूर्ववर्ती अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01 अप्रैल 2025 तक पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2026 को शेष
18328.12	-	18,328.12	-	18,328.12

(₹ लाख में)

01 अप्रैल 2025 तक शेष	पूर्ववर्ती अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01 अप्रैल 2024 तक पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2025 को शेष
18328.12	-	18,328.12	-	18,328.12

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष			कुल
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय – परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	
01 अप्रैल 2025 तक शेष	**3,83,135.54**	**5,617.49**	**(6,186.07)**	**3,82,566.96**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-
01 अप्रैल 2025 तक पुनर्कथित शेष	**3,83,135.54**	**5,617.49**	**(6,186.07)**	**3,82,566.96**
वर्ष के लिए लाभ		42,033.76		42,033.76
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर के बाद)		-	46.06	46.06
अंतिम लाभांश		(2,382.66)		(2,382.66)
लाभ एवं हानि लेखा से अंतरण	25,000.00			25,000.00
सामान्य आरक्षित में अंतरण		(25,000.00)		(25,000.00)
अंतरिम लाभांश		(16,495.31)		(16,495.31)
31 मार्च, 2026 को शेष	**4,08,135.54**	**3,773.28**	**(6,140.01)**	**4,05,768.81**

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष			कुल
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय – परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	
01 अप्रैल 2024 तक शेष	**3,43,135.54**	**8,431.25**	**(6,212.58)**	**3,45,354.21**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-
01 अप्रैल 2024 तक पुनर्कथित शेष	**3,43,135.54**	**8,431.25**	**(6,212.58)**	**3,45,354.21**
वर्ष के लिए लाभ		54,964.52		54,964.52
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर के बाद)			26.51	26.51
अंतिम लाभांश		(3,115.78)		(3,115.78)
लाभ एवं हानि लेखा से अंतरण	40,000.00			40,000.00
सामान्य आरक्षित में अंतरण		(40,000.00)		(40,000.00)
अंतरिम लाभांश		(14,662.50)		(14,662.50)
31 मार्च 2025 को शेष	**3,83,135.54**	**5,617.49**	**(6,186.07)**	**3,82,566.96**

हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार,

कृते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124E

सीए बीराका विजय
भागीदार

(सदस्यता संख्या 214678)

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 मई 2026

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसकी ओर से

जी. गायत्री प्रसाद
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

डीआईएन: 10877803

डी. वी. श्रीनिवास राव
निदेशक (तकनीकी) एवं अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10652125

एन. नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या A19015)

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ		56,782.02		74,876.26
समायोजन हेतु :				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	7,592.86		7,069.61	
वित्त लागत	338.72		330.91	
ब्याज आय	(31,193.56)		(29,989.97)	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ	1.17		1.55	
ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई गई परिसंपत्तियों पर आस्थगित राजस्व	-		-	
व्ययों के लिए प्रावधान	2,211.20		23,596.27	
अब आवश्यक न रहने वाली देयताओं/प्रावधानों को वापस लिखा गया	(1,560.13)		(1,697.58)	
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए निवेश में उचित मूल्य समायोजन	(114.66)		(120.26)	
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**34,057.62**		**74,066.79**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन :				
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु समायोजन :				
व्यापार प्राप्य	40,347.74		(51,590.91)	
ऋण	(25.89)		(197.24)	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	45,540.01		9,629.63	
भंडार	(1,97,734.88)		(64,762.80)	
अन्य परिसंपत्तियां	(68,451.82)		(13,940.64)	
परिचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) हेतु समायोजन :				
व्यापार देय	1,32,922.33		70,717.34	
अन्य वित्तीय देयताएं	(320.50)		7,440.61	
अन्य देयताएं	1,08,007.93		14,435.44	
प्रावधान	(12,085.82)		(8,745.03)	
परिचालन से उत्पन्न नकदी		**82,256.72**		**37,053.19**
भुगतान किया गया शुद्ध आयकर		(21,856.55)		(20,314.27)
असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध नकदी प्रवाह		60,400.17		16,738.92
असाधारण मदें		-		-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(उपयोग) (क)		**60,400.17**		**16,738.92**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(22,874.88)		(28,274.14)	
बैंक जमाराशियां	21,051.00		(42,187.00)	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	0.34		0.43	
सहयोगी कंपनियों में निवेश	-		(390.60)	
प्राप्त ब्याज	33,784.87		30,138.79	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(उपयोग) (ख)		**31,961.33**		**(40,712.52)**
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
इक्विटी शेयर जारी करने से प्राप्तियां	-		-	
वित्त लागत	(199.71)		(191.89)	
पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान	(179.98)		(162.61)	
भुगतान किए गए लाभांश	(19,036.00)		(21,670.42)	
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(उपयोग) (ग)		**(19,415.69)**		**(22,024.92)**
नकद एवं नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		**72,945.81**		**(45,998.52)**
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समकक्ष		**13,385.68**		**59,384.20**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष (नीचे टिप्पणी (i) देखें)		**86,331.49**		**13,385.68**
टिप्पणी (i):				
नकद एवं नकद समकक्ष में शामिल हैं:				
चालू खातों में		81,266.90		2,182.75
जमा खातों में		5,064.34		11,194.71
नकद शेष		0.25		8.22
बैंक ओवरड्राफ्ट		-		-
		86,331.49		**13,385.68**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी एवं संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार,

कृते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124E

सीए बीराका विजय
भागीदार

(सदस्यता संख्या 214678)

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसकी ओर से

जी. गायत्री प्रसाद
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

डीआईएन: 10877803

डी. वी. श्रीनिवास राव
निदेशक (तकनीकी) एवं अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10652125

एन. नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या A19015)

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 मई 2026

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

1.1 भारतीय लेखांकन मानकों (Ind AS) का अनुपालन:

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (Ind AS) [कंपनियां (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015] के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

1.2 ऐतिहासिक लागत परंपरा:

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित के:

कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं (डेरिवेटिव लिखतों सहित) तथा आकस्मिक प्रतिफल, जिनका मापन उचित मूल्य पर किया जाता है;

परिभाषित लाभ योजनाएं – योजना परिसंपत्तियों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है।

1.3 अनुमानों का उपयोग:

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, जहां आवश्यक हो, प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएं करने की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्ययों की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधनों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान में संशोधन किया जाता है।

2. विदेशी मुद्रा में रूपांतरण

2.1 कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें कंपनी परिचालन करती है ('कार्यात्मक मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा है।

2.2 लेन-देन एवं शेष

i) विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन को लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों का उपयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे लेन-देन के निपटान से तथा वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्षांत विनिमय दरों पर परिवर्तित करने से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता दी जाती है।

ii) विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को उस तारीख की विनिमय दरों का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है, जिस तारीख को उचित मूल्य निर्धारित किया गया था। उचित मूल्य पर दर्ज परिसंपत्तियों और देयताओं पर रूपांतरण अंतर को उचित मूल्य लाभ या हानि के भाग के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

iii) पूर्ववर्ती यूएसएसआर से प्राप्त आपूर्ति/सेवाओं के संबंध में आस्थगित भुगतानों (तथा भारतीय सेना और आयुध कारखाने से प्राप्य) की देयता, जिस पर देय ब्याज भी शामिल है, भारत सरकार और रूस सरकार के बीच प्रोटोकॉल व्यवस्था के अंतर्गत ब्याज सहित आस्थगित भुगतानों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर निर्धारित की जाती है। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न अंतर को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

3. राजस्व की मान्यता:

क. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

(i) राजस्व को तब मान्यता दी जाती है, जब (या जैसे ही) कंपनी किसी निष्पादन दायित्व को पूरा करती है।

(ii) समय के साथ निष्पादन दायित्व की पूर्ति

क. जहां वस्तुओं या सेवाओं के नियंत्रण का हस्तांतरण समय के साथ होता है, वहां निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में हुई प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है, यदि निम्नलिखित में से कोई एक मानदंड पूरा होता है:

» कंपनी का निष्पादन ग्राहक को उन लाभों को उसी समय प्राप्त करने और उपभोग करने का अधिकार देता है, जब कंपनी निष्पादन करती है;

» कंपनी का निष्पादन ऐसी परिसंपत्ति का सृजन या संवर्धन करता है, जिसे परिसंपत्ति के सृजन या संवर्धन के दौरान ग्राहक नियंत्रित करता है;

» कंपनी का निष्पादन ऐसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता है, जिसका कंपनी के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग हो, और कंपनी को अब तक पूर्ण किए गए निष्पादन के लिए उचित लाभ मार्जिन सहित भुगतान प्राप्त करने का प्रवर्तनीय अधिकार है।

ख. निष्पादन दायित्व की संतुष्टि की दिशा में हुई प्रगति का आकलन इनपुट विधि के आधार पर किया जाता है, जिसमें रिपोर्टिंग तिथि तक अनुबंध पर वास्तव में किए गए व्ययों और अनुबंध को पूरा करने के लिए अनुमानित कुल व्ययों के अनुपात को आधार बनाया जाता है। यदि निष्पादन दायित्व के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और जहां यह संभावित है कि लागत की वसूली हो जाएगी, वहां राजस्व को किए गए व्ययों की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

ग. एएमसी अनुबंधों के मामले में, जहां निष्पादन दायित्व की पूर्ति के लिए समय का बीतना मानदंड है, वहां आउटपुट विधि का उपयोग करके राजस्व को मान्यता दी जाती है।

(iii) एक निश्चित समय-बिंदु पर निष्पादन दायित्व की पूर्ति

क. उन मामलों में, जहां नियंत्रण का हस्तांतरण समय के साथ नहीं होता है, कंपनी निष्पादन दायित्वों की पूर्ति होने पर एक निश्चित समय-बिंदु पर राजस्व को मान्यता देती है।

ख. निष्पादन दायित्व तब पूरा होता है, जब ग्राहक परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। नियंत्रण के हस्तांतरण के संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

» कंपनी ने परिसंपत्ति का भौतिक कब्जा हस्तांतरित कर दिया है;

» ग्राहक के पास परिसंपत्ति का कानूनी स्वामित्व है;

» ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार कर लिया है;

» कंपनी के पास परिसंपत्ति के लिए वर्तमान भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है।

» ग्राहक के पास परिसंपत्ति के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ हैं। स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों और लाभों के हस्तांतरण का आकलन अनुबंधों में उल्लिखित इनकोटर्म्स के आधार पर किया जाता है।

एक्स-वर्क्स अनुबंध – एक्स-वर्क्स अनुबंध के मामले में, पूर्व निरीक्षण और, जहां आवश्यक हो, स्वीकृति के बाद, निर्दिष्ट वस्तुओं को अनुबंध के लिए बिना किसी शर्त के आबंटित किए जाने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है।

एफओआर अनुबंध – एफओआर अनुबंधों के मामले में, पूर्व निरीक्षण और, यदि निर्धारित हो, स्वीकृति के बाद, वस्तुओं को खरीदार तक पहुंचाने के लिए वाहक को सौंपे जाने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है। एफओआर गंतव्य अनुबंधों के मामले में, यदि लेखांकन अवधि के भीतर वस्तुओं के गंतव्य तक पहुंचने की उचित संभावना हो, तब राजस्व को मान्यता दी जाती है।

बिल एंड होल्ड बिक्री:

बिल एंड होल्ड बिक्री को तब मान्यता दी जाती है, जब निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हैं:

» बिल एंड होल्ड बिक्री का कारण महत्वपूर्ण और वास्तविक है;

» उत्पाद की अलग से पहचान ग्राहक के स्वामित्व वाले उत्पाद के रूप में की गई है;

» उत्पाद वर्तमान में ग्राहक को भौतिक रूप से हस्तांतरित किए जाने के लिए तैयार है;

» कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या उसे किसी अन्य ग्राहक को निर्देशित करने की क्षमता नहीं है।

(iv) मापन

क. राजस्व को उस लेन-देन मूल्य की राशि पर मान्यता दी जाती है, जो निष्पादन दायित्व के लिए आबंटित की गई है।

लेन-देन मूल्य वह प्रतिफल की राशि है, जिसे कंपनी ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले प्राप्त करने की अपेक्षा करती है, जिसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं होती तथा अनुमानित परिसमाप्त हर्जाने की राशि को घटाने के बाद निर्धारित किया जाता है।

विनिमय दर में परिवर्तन तथा कोई अन्य अतिरिक्त प्रतिफल अनुबंध की संविदात्मक शर्तों के आधार पर मान्यता प्राप्त करता है।

ख. मानक वारंटी शर्तों के अंतर्गत दोषपूर्ण वस्तुओं को बदलने या उनकी मरम्मत करने के लिए कंपनी के दायित्व को प्रावधान के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे लेन-देन मूल्य के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता, क्योंकि ग्राहक के पास वारंटी को अलग से खरीदने का विकल्प नहीं है।

ग. जहां अनुबंधों में एक से अधिक निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं, वहां कंपनी प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य का आबंटन सापेक्ष स्वतंत्र बिक्री मूल्य के आधार पर करती है।

बंडल अनुबंध - बंडल अनुबंध के मामले में, जहां स्थापना एवं कमीशनिंग या किसी अन्य अलग से पहचाने जा सकने वाले घटक के लिए पृथक शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है, कंपनी लेन-देन के अलग-अलग पहचाने जा सकने वाले घटकों (वस्तुओं की बिक्री तथा स्थापना एवं कमीशनिंग आदि) पर मान्यता के मानदंड लागू करती है और स्वतंत्र बिक्री मूल्य के आधार पर उन पृथक घटकों के लिए राजस्व का आबंटन करती है।

बहु-घटक - उन मामलों में, जहां स्थापना एवं कमीशनिंग या किसी अन्य अलग से पहचाने जा सकने वाले घटक का उल्लेख किया गया है और उसके लिए मूल्य अलग से निर्धारित किया गया है, कंपनी लेन-देन के अलग-अलग पहचाने गए घटकों (वस्तुओं की बिक्री तथा स्थापना एवं कमीशनिंग आदि) पर मान्यता के मानदंड लागू करती है और उनके स्वतंत्र बिक्री मूल्य के आधार पर उन पृथक घटकों के लिए राजस्व का आबंटन करती है।

घ. यदि स्वतंत्र बिक्री मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो कंपनी स्वतंत्र बिक्री मूल्य का अनुमान लगाती है।

(v) महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक

रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त अग्रिमों को महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के निर्धारण के लिए ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसका उद्देश्य संविदात्मक पक्षों के हितों की रक्षा करना है।

अन्य अनुबंधों के संबंध में, महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक की मौजूदगी की समीक्षा प्रत्येक मामले के आधार पर की जाती है।

(vi) ग्राहक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियां:

ग्राहक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियां (सीएफए) वे परिसंपत्तियां हैं, जिनकी लागत का पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषण ग्राहक द्वारा किया जाता है। ग्राहक को सीएफए पर नियंत्रण प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी। ग्राहक द्वारा किए गए वित्तपोषण को अनुबंध की शर्तों के अनुसार निष्पादन दायित्वों की पूर्ति के अनुरूप राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी द्वारा किए गए व्यय को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार मान्यता दी जाती है।

क. **जहां कंपनी ने ग्राहक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है:**
ग्राहक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। किसी अनुबंध के संबंध में संबंधित राजस्व को निष्पादित मात्रा की सीमा तक, मौजूदा आदेश मात्रा के अनुपात में तथा अतिरिक्त मात्रा, यदि कोई हो, जिसके लिए ग्राहक से अनुबंध प्राप्त होने की तारीख को आदेश मिलने की संभावना है, के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ख. **जहां कंपनी ने ग्राहक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं किया है:**
ग्राहक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों के संबंध में किए गए व्यय को प्रारंभ में भंडार के रूप में मान्यता दी जाती है और परिसंपत्ति पर नियंत्रण के हस्तांतरण पर राजस्व को मान्यता दी जाती है।

ख. अन्य आय:

अन्य आय की मान्यता निम्नानुसार है:

i) ब्याज आय:

वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को तब मान्यता दी जाती है, जब आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने की संभावना हो और आय की राशि का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके। ब्याज आय को समय के आधार पर, बकाया मूलधन तथा लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में अर्जित किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है, जो वित्तीय परिसंपत्ति की अपेक्षित अवधि के दौरान अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता के समय उस परिसंपत्ति के शुद्ध वहन मूल्य के बराबर लाने के लिए ठीक-ठीक छूट देती है।

ii) लाभांश:

लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है, जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

4. सरकारी अनुदान

4.1 सरकार से प्राप्त अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर तब मान्यता दी जाती है, जब इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी उससे जुड़ी सभी शर्तों का अनुपालन करेगी।

4.2 आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित किया जाता है और उन्हें उस अवधि के दौरान लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता दी जाती है, जो उन लागतों के साथ उनका मिलान करने के लिए आवश्यक हो, जिनकी भरपाई के लिए ये अनुदान दिए गए हैं। इन्हें अन्य आय के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

4.3 गैर-मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों के लिए भी कुछ दायित्वों की पूर्ति आवश्यक हो सकती है। ऐसी स्थिति में, इन दायित्वों की पूर्ति से संबंधित लागत वहन करने वाली अवधियों के दौरान अनुदानों को लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता दी जाती है।

4.4 मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सब्सिडी या अन्य रूप में प्राप्त सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में लेखांकित किया जाता है। यदि अनुदान/सब्सिडी बिना किसी शर्त के है, तो मूल्यह्रास के अनुरूप राशि को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की अवधि के दौरान आय के रूप में माना जाता है। यदि अनुदान/सब्सिडी पुनर्भुगतान जैसी किसी शर्त से जुड़ी है, तो आय का लेखांकन अनुदान/सब्सिडी की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

5. आयकर

5.1 अवधि के लिए आयकर व्यय या कर क्रेडिट, वर्तमान अवधि की कर योग्य आय पर लागू आयकर दरों के आधार पर देय कर होता है, जिसमें अस्थायी अंतरों तथा अप्रयुक्त कर हानियों से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तनों को समायोजित किया जाता है।

5.2 चालू कर:

चालू आयकर प्रभार की गणना उन देशों में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या सारतः अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है, जहां कंपनी परिचालन करती है और कर योग्य आय अर्जित करती है। प्रबंधन समय-समय पर कर विवरणियों में अपनाई गई स्थितियों का मूल्यांकन उन मामलों के संबंध में करता है, जहां लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन होते हैं। जहां उचित हो, वहां कर प्राधिकरणों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

5.3 आस्थगित कर:

i) आस्थगित आयकर को देयता विधि का उपयोग करते हुए, परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार तथा वित्तीय विवरणों में उनके वहन मूल्यों के बीच उत्पन्न अस्थायी अंतरों पर पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है। हालांकि, आस्थगित कर देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती, यदि वे गुडविल की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होती हैं। आस्थगित आयकर को उस स्थिति में भी लेखांकित नहीं किया जाता, जब वह किसी ऐसे लेन-देन में परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है, जो व्यावसायिक संयोजन नहीं है और लेन-देन के समय न तो लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है। आस्थगित आयकर का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या सारतः अधिनियमित कर दरों (और कानूनों) का उपयोग करके किया जाता है तथा यह अपेक्षित होता है कि संबंधित आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के वसूल होने या आस्थगित आयकर देयता के निपटान के समय यही दरें लागू होंगी।

ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त हानियों के लिए केवल तभी मान्यता दी जाती है, जब यह संभावित हो कि भविष्य में कर योग्य राशियां उपलब्ध होंगी, जिनके विरुद्ध इन अस्थायी अंतरों और हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। कर प्रयोजन के लिए उपलब्ध भूमि पर सूचकांक लाभ के लिए भी आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है।

iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का समायोजन तब किया जाता है, जब चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं के समायोजन के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार मौजूद हो तथा आस्थगित कर शेषराशियां उसी कर प्राधिकरण से संबंधित हों। चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं का समायोजन तब किया जाता है, जब संस्था के पास समायोजन का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने या देयता का एक साथ निपटान करने का इरादा रखती हो।

iv) चालू और आस्थगित कर को लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जहां यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो। ऐसी स्थिति में, संबंधित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

6. पट्टे

6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी:

तृतीय पक्ष के साथ ऐसे अनुबंध, जो कंपनी को किसी परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान करते हैं, भारतीय लेखांकन मानक 116 – "पट्टे" के प्रावधानों के अनुरूप लेखांकित किए जाते हैं, यदि लेखांकन मानक में निर्दिष्ट मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

अल्पकालिक पट्टे (बारह माह या उससे कम की अवधि) तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों से संबंधित पट्टों के लिए पट्टा भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान या, जैसा लागू हो, किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर सीधी रेखा पद्धति से व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

प्रारंभ तिथि पर, "उपयोग-अधिकार" के मूल्य को बकाया पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य, साथ ही किसी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने एवं अलग करने की अनुमानित लागत, यदि कोई हो, के योग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

पट्टा देयता बकाया पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि के लिए सृजित की जाती है। इसके बाद का मापन, यदि कोई हो, लागत मॉडल का उपयोग करके किया जाता है।

प्रत्येक पट्टा भुगतान को सृजित देयता और वित्त लागत के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त लागत को पट्टे की अवधि के दौरान लाभ एवं हानि लेखा में इस प्रकार प्रभारित किया जाता है कि प्रत्येक अवधि के लिए देयता की शेष राशि पर ब्याज की एक समान आवधिक दर प्राप्त हो।

उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि में से जो भी कम हो, उस अवधि पर सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है।

पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, यदि वह दर निर्धारित की जा सकती है, अन्यथा कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जाता है।

पट्टे में किए गए संशोधनों, यदि कोई हों, को अलग पट्टे के रूप में लेखांकित किया जाता है, यदि मानक में निर्दिष्ट मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी:

पट्टों को भारतीय लेखांकन मानक 116 – पट्टे में निर्दिष्ट मान्यता मानदंडों के आधार पर वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क) वित्त पट्टा:

प्रारंभ तिथि पर, "पट्टे में शुद्ध निवेश" के बराबर राशि को प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। "पट्टे में शुद्ध निवेश" के मूल्य के मापन के लिए अंतर्निहित ब्याज दर का उपयोग किया जाता है।

प्रत्येक पट्टा भुगतान को सृजित प्राप्य और वित्त आय के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त आय को पट्टे की अवधि के दौरान लाभ एवं हानि लेखा में इस प्रकार मान्यता दी जाती है कि पट्टे में शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की एक समान आवधिक दर प्रदर्शित हो।

भारतीय लेखांकन मानक 109 – वित्तीय लिखतों के अनुसार परिसंपत्ति का अमान्यता तथा हानि परीक्षण किया जाता है।

पट्टे में किए गए संशोधनों, यदि कोई हों, को अलग पट्टे के रूप में लेखांकित किया जाता है, यदि मानक में निर्दिष्ट मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

ख) परिचालन पट्टा:

कंपनी परिचालन पट्टों से प्राप्त पट्टा भुगतानों को सीधी रेखा पद्धति या, यदि आवश्यक हो, किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

पट्टे में किए गए संशोधनों, यदि कोई हों, को अलग पट्टे के रूप में लेखांकित किया जाता है, यदि मानक में निर्दिष्ट मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

किसी पट्टे को प्रारंभ तिथि पर वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

7. भंडार

7.1 भंडार का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो, उस पर किया जाता है। कच्चे माल, घटकों और भंडार की लागत वास्तविक भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके निर्धारित की जाती है तथा मार्ग में मौजूद सामग्री का मूल्य अब तक की लागत पर निर्धारित किया जाता है। व्यापारिक माल और कार्य-प्रगति के मामले में लागत में सामग्री, श्रम तथा संबंधित उत्पादन उपरिव्यय शामिल होते हैं।

7.2 स्टेशनरी, वर्दी, कल्याणकारी उपभोज्य सामग्री, चिकित्सा सामग्री और कैंटीन भंडार को प्राप्ति के समय ही राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

7.3 अधिशेष/अनुपयोगी/अनावश्यक घोषित कच्चे माल, घटकों, निर्माण सामग्री, लूज टूल्स तथा भंडार एवं स्पेयर पार्ट्स को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

7.4 कच्चे माल एवं घटकों, कार्य-प्रगति, तैयार माल, भंडार एवं स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स तथा निर्माण सामग्री के ऐसे अंतिम भंडार के संबंध में अनावश्यकता के लिए प्रावधान किया जाता है, जो 5 वर्षों से अधिक समय से गतिहीन हैं। इसके अतिरिक्त, जहां आवश्यक हो, पूर्ण हो चुकी/विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित ऐसे भंडार तथा बची हुई/अनावश्यक सामग्रियों की अनावश्यकता के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है, जो स्क्रैप भंडार में अंतरण के लिए लंबित हैं.

8. वित्तीय लिखत

8.1 वित्तीय परिसंपत्तियां:

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद ऐसे अनुबंध के अंतर्गत होती है, जिसकी शर्तों के अनुसार संबंधित बाजार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी आवश्यक होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें लेन-देन लागत शामिल होती है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के, जिन्हें प्रारंभिक मान्यता के समय लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल) वर्गीकृत किया गया है। सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों का बाद में संपूर्ण रूप से या तो परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

i) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित मापन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

- बाद में उचित मूल्य पर मापी जाने वाली परिसंपत्तियां (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ एवं हानि के माध्यम से); तथा
- परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली परिसंपत्तियां।

वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए संस्था के कारोबारी मॉडल तथा नकदी प्रवाह की संविदात्मक शर्तों पर निर्भर करता है।

उचित मूल्य पर मापी जाने वाली परिसंपत्तियों के लिए लाभ और हानि को या तो लाभ एवं हानि लेखा में या अन्य व्यापक आय में दर्ज किया जाता है। ऋण लिखतों में निवेश के मामले में यह उस कारोबारी मॉडल पर निर्भर करता है, जिसके अंतर्गत निवेश धारित किया जाता है। इक्विटी लिखतों में निवेश के मामले में यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी ने प्रारंभिक मान्यता के समय इक्विटी निवेश को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर लेखांकित करने का अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है या नहीं। कंपनी ऋण निवेशों का पुनर्वर्गीकरण तभी और केवल तभी करती है, जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए उसका कारोबारी मॉडल बदलता है।

ii) मापन:

प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन उसके उचित मूल्य तथा, ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में जो लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण से सीधे संबंधित लेन-देन लागत को जोड़कर करती है। लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित वित्तीय परिसंपत्तियों की लेन-देन लागत को लाभ एवं हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अंतर्निहित डेरिवेटिव वाली वित्तीय परिसंपत्तियों को यह निर्धारित करते समय संपूर्ण रूप से ध्यान में रखा जाता है कि उनके नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान हैं या नहीं।

क) ऋण लिखत

ऋण लिखतों का बाद का मापन परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए कंपनी के कारोबारी मॉडल तथा परिसंपत्ति की नकदी प्रवाह विशेषताओं पर निर्भर करता है। कंपनी अपने ऋण लिखतों को निम्नानुसार वर्गीकृत करती है:

(i) **परिशोधित लागत:** ऐसी परिसंपत्तियां, जिन्हें संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वसूली के लिए धारित किया जाता है और जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है। किसी ऋण निवेश पर लाभ या हानि, जिसका बाद में परिशोधित लागत पर मापन किया जाता है और जो किसी हेजिंग संबंध का हिस्सा नहीं है, परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने या उसमें हानि होने पर लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है।

(ii) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई):** ऐसी परिसंपत्तियां, जिन्हें संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वसूली तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री, दोनों के लिए धारित किया जाता है और जहां परिसंपत्तियों के नकदी प्रवाह केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर किया जाता है। वहन मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से दर्ज किया जाता है, सिवाय हानि से संबंधित लाभ या हानि, ब्याज राजस्व तथा विदेशी मुद्रा लाभ और हानि की मान्यता के, जिन्हें लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है। जब वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त की जाती है, तो अन्य व्यापक आय में पहले मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत करके लाभ एवं हानि में शामिल किया जाता है और अन्य लाभ/(हानि) में मान्यता दी जाती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

(iii) **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य:** ऐसी परिसंपत्तियां, जो परिशोधित लागत या एफवीओसीआई के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उनका मापन लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है। किसी ऋण निवेश पर लाभ या हानि, जिसका बाद में लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन किया जाता है और जो किसी हेजिंग संबंध का हिस्सा नहीं है, लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है तथा जिस अवधि में यह उत्पन्न होता है, उस अवधि के लाभ एवं हानि लेखा में अन्य लाभ/(हानि) के अंतर्गत शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को अन्य आय में शामिल किया जाता है।

ख) इक्विटी लिखत

(i) कंपनी बाद में सभी इक्विटी निवेशों का मापन उचित मूल्य पर करती है। जहां कंपनी के प्रबंधन ने इक्विटी निवेशों पर उचित मूल्य से होने वाले लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का विकल्प चुना है, वहां उचित मूल्य से होने वाले लाभ और हानि का बाद में लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को अन्य आय के रूप में लाभ एवं हानि में तब मान्यता दी जाती है, जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ii) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को लाभ एवं हानि लेखा में अन्य लाभ/(हानि) के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। एफवीओसीआई पर मापे गए इक्विटी निवेशों पर हानि (तथा हानि की वापसी) को उचित मूल्य में होने वाले अन्य परिवर्तनों से अलग से रिपोर्ट नहीं किया जाता।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों में हानि:

कंपनी परिशोधित लागत तथा एफवीओसीआई ऋण लिखतों पर धारित अपनी परिसंपत्तियों से संबंधित अपेक्षित ऋण हानियों का आकलन दूरदर्शी आधार पर करती है। लागू की जाने वाली हानि निर्धारण पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं।

व्यापार प्राप्यों के लिए कंपनी भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय लिखतों के अंतर्गत अनुमत सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसके अनुसार प्राप्यों की प्रारंभिक मान्यता से ही अपेक्षित आजीवन हानियों को मान्यता देना आवश्यक है।

सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से संबंधित समय-सीमा से बाहर हो चुके बकाया को सामान्यतः ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति के ऋण जोखिम में वृद्धि नहीं माना जाता।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्ति

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता केवल तभी समाप्त की जाती है, जब:

- कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो; या
- कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रखती हो, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने का संविदात्मक दायित्व ग्रहण कर लिया हो।

जहां कंपनी ने किसी परिसंपत्ति को हस्तांतरित किया है, वहां कंपनी यह आकलन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के लगभग सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित कर दिए हैं। ऐसे मामलों में वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

जहां कंपनी ने न तो वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के लगभग सभी जोखिम और लाभ बनाए रखे हैं, वहां वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है, यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बनाए नहीं रखा है। जहां कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखती है, वहां परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर संलिप्तता की सीमा तक मान्यता देना जारी रखा जाता है।

v) व्यापार प्राप्य:

व्यापार प्राप्य सामान्य कारोबारी गतिविधियों के दौरान बेची गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं के लिए ग्राहकों से देय राशियां हैं। यदि रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह या उससे कम अवधि के भीतर (या यदि इससे अधिक हो तो कारोबार के सामान्य परिचालन चक्र के भीतर) वसूली अपेक्षित है, तो इन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है; अन्यथा इन्हें गैर-चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

व्यापार प्राप्यों का मापन उनके लेन-देन मूल्य पर किया जाता है, जब तक कि उसमें भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक न हो (या जहां संस्था व्यावहारिक सुविधा लागू करती है) या अनुबंध में अंतर्निहित मूल्य समायोजन शामिल न हों।

अपेक्षित आजीवन ऋण हानि के लिए हानि भत्ता प्रारंभिक मान्यता के समय मान्यता प्राप्त किया जाता है।

8.2 कंपनी द्वारा जारी वित्तीय देयताएं और इक्विटी लिखत

वर्गीकरण

ऋण और इक्विटी लिखतों को संविदात्मक व्यवस्था की वास्तविक प्रकृति के अनुसार वित्तीय देयताओं या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

i) इक्विटी लिखत

इक्विटी लिखत ऐसा कोई भी अनुबंध है, जो किसी संस्था की सभी देयताओं को घटाने के बाद उसकी परिसंपत्तियों में अवशिष्ट हित को दर्शाता है। कंपनी द्वारा जारी इक्विटी लिखतों को प्राप्त राशि में से प्रत्यक्ष निर्गम लागत घटाकर मान्यता दी जाती है।

ii) वित्तीय देयताएं

उधार सहित वित्तीय देयताओं का प्रारंभ में लेन-देन लागत को घटाकर उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

वित्तीय देयताओं का बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापन किया जाता है तथा ब्याज व्यय को प्रभावी प्रतिफल के आधार पर मान्यता दी जाती है।

प्रभावी ब्याज दर पद्धति वित्तीय देयता की परिशोधित लागत की गणना करने तथा संबंधित अवधि में ब्याज व्यय के आबंटन की एक विधि है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है, जो वित्तीय देयता की अपेक्षित अवधि या, जहां उपयुक्त हो, उससे कम अवधि के दौरान अनुमानित भविष्य के नकद भुगतानों को प्रारंभिक मान्यता के समय शुद्ध वहन मूल्य तक लाने के लिए ठीक-ठीक छूट देती है।

iii) व्यापार एवं अन्य देय

ये राशियां कंपनी को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए देयताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि भुगतान रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह के भीतर देय है, तो व्यापार एवं अन्य देयों को चालू देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है; अन्यथा इन्हें गैर-चालू देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

iv) डेरिवेटिव

डेरिवेटिव को डेरिवेटिव अनुबंध किए जाने की तारीख को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य पर पुनर्मापन किया जाता है। ऐसे डेरिवेटिव जिन्हें हेज के रूप में नामित नहीं किया गया है, उनका लेखांकन लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है और उन्हें अन्य लाभ/(हानि) में शामिल किया जाता है।

क) अंतर्निहित डेरिवेटिव

ऐसे मूल अनुबंध में अंतर्निहित डेरिवेटिव, जो भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में आने वाली परिसंपत्ति है, अलग नहीं किए जाते। अंतर्निहित डेरिवेटिव वाली वित्तीय परिसंपत्तियों को यह निर्धारित करते समय संपूर्ण रूप से ध्यान में रखा जाता है कि उनके नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान हैं या नहीं।

अन्य सभी मूल अनुबंधों में अंतर्निहित डेरिवेटिव को केवल तभी अलग किया जाता है, जब अंतर्निहित डेरिवेटिव की आर्थिक विशेषताएं और जोखिम मूल अनुबंध की आर्थिक विशेषताओं और जोखिमों से निकटता से संबंधित न हों, और उनका मापन लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है। मूल अनुबंध से निकटता से संबंधित अंतर्निहित डेरिवेटिव को अलग नहीं किया जाता।

ख) अंतर्निहित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव

यदि अंतर्निहित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव मूल अनुबंध से निकटता से संबंधित हैं, तो उन्हें मूल अनुबंध से अलग नहीं किया जाता। ऐसे अंतर्निहित डेरिवेटिव मूल अनुबंध से निकटता से संबंधित माने जाते हैं, यदि मूल अनुबंध लीवरेज्ड नहीं है, उसमें कोई विकल्प सुविधा शामिल नहीं है तथा उसमें निम्नलिखित में से किसी एक मुद्रा में भुगतान करना आवश्यक है:

- उस अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण पक्ष की कार्यात्मक मुद्रा;
- वह मुद्रा, जिसमें संबंधित अर्जित या वितरित वस्तु या सेवा की कीमत दुनिया भर में वाणिज्यिक लेन-देन में सामान्यतः निर्धारित की जाती है;
- वह मुद्रा, जिसका उपयोग उस आर्थिक वातावरण में गैर-वित्तीय मदों की खरीद या बिक्री के अनुबंधों में सामान्यतः किया जाता है, जिसमें लेन-देन होता है (अर्थात अपेक्षाकृत तरल और स्थिर मुद्रा)।

ऐसे विदेशी मुद्रा अंतर्निहित डेरिवेटिव, जो उपर्युक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, अलग किए जाते हैं और डेरिवेटिव का लेखांकन लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है।

8.3 वित्तीय लिखतों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का समायोजन किया जाता है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में तब रिपोर्ट किया जाता है, जब मान्यता प्राप्त राशियों के समायोजन के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार मौजूद हो तथा शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति को वसूल करने और देयता का एक साथ निपटान करने का इरादा हो। कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए तथा सामान्य कारोबारी गतिविधियों और कंपनी या प्रतिपक्ष के चूक, दिवालियापन या दिवालिया होने की स्थिति में भी प्रवर्तनीय होना चाहिए।

9. नकद एवं नकद समकक्ष:

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य से, नकद एवं नकद समकक्ष में हाथ में नकद, वित्तीय संस्थानों के पास मांग पर उपलब्ध जमा, तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अन्य अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि की नकदी में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है, तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं के अंतर्गत उधार में दर्शाया जाता है।

10. उचित मूल्य मापन

10.1 कंपनी कुछ वित्तीय लिखतों, जैसे डेरिवेटिव तथा अपने वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य मदों का प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर उचित मूल्य पर मापन करती है।

10.2 वित्तीय विवरणों में जिन सभी परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य मापा या प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत उस निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है:
स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा ऐसे इनपुट, जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से प्राप्त) प्रेक्षणीय हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए ऐसे इनपुट, जो प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अप्रेक्षणीय इनपुट)।

10.3 उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशेषताओं और परिसंपत्ति या देयता से संबंधित जोखिम तथा उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर निर्धारित किए हैं।

11. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

11.1 मापन

i. भूमि को कंपनी की लागत पर पूंजीकृत किया जाता है। भूमि का विकास, जैसे समतलीकरण, सफाई और ग्रेडिंग, भवनों के निर्माण के लिए उपयोग की गई भूमि के अनुपात में भवन की लागत के साथ पूंजीकृत किया जाता है तथा शेष विकास व्यय को भूमि की लागत के साथ पूंजीकृत किया जाता है। भूदृश्य निर्माण या भवन के निर्माण से असंबद्ध किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया विकास व्यय भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

ii. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की अन्य सभी मदों को ऐतिहासिक लागत में से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है। ऐतिहासिक लागत में मदों के अधिग्रहण से सीधे संबंधित व्यय शामिल होते हैं।

iii. बाद की लागत को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है और, जैसा उपयुक्त हो, केवल तभी अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावित हो कि मद से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके। अलग परिसंपत्ति के रूप में लेखांकित घटक की वहन राशि को उसके प्रतिस्थापन के समय मान्यता से हटा दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव व्ययों को उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है, जिसमें वे किए जाते हैं।

iv. जहां परिसंपत्ति के किसी भाग की लागत परिसंपत्ति की कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण भाग का उपयोगी जीवन शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है, वहां उस महत्वपूर्ण भाग का उपयोगी जीवन अलग से निर्धारित किया जाता है और उसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति से मूल्यह्रास किया जाता है।

11.2 मूल्यह्रास पद्धति, अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य:

i. मूल्यह्रास की गणना लागत में से अवशिष्ट मूल्य घटाकर, अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान उसे आवंटित करने के लिए सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

ii. उपयोगी जीवन को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के बराबर निर्धारित किया गया है।

iii. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है और, यदि उपयुक्त हो, तो उनमें समायोजन किया जाता है।

11.3 निपटान

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण शुद्ध बिक्री प्राप्तियों की तुलना वहन राशि से करके किया जाता है। इन्हें लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

12. अमूर्त परिसंपत्तियां:

12.1 लाइसेंस

अलग से अधिग्रहित लाइसेंसों को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनका उपयोगी जीवन सीमित होता है और बाद में इन्हें लागत में से संचित परिशोधन और हानि घटाकर दर्शाया जाता है।

12.2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर

क) आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है) और जिससे महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की अपेक्षा है, को लेखा पुस्तकों में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब वह उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। तुलन पत्र की तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए अभी तैयार न हुई अमूर्त परिसंपत्तियों को "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख) सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के रखरखाव से संबंधित लागत को किए जाने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) कंपनी द्वारा नियंत्रित पहचाने जा सकने वाले और विशिष्ट सॉफ्टवेयर उत्पादों के डिजाइन एवं परीक्षण से सीधे संबंधित विकास लागत को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब निम्नलिखित मानदंड पूरे होते हैं:

- सॉफ्टवेयर को पूरा करना तकनीकी रूप से संभव है, ताकि वह उपयोग के लिए उपलब्ध हो सके;
- प्रबंधन का सॉफ्टवेयर को पूरा करने और उसका उपयोग करने या उसे बेचने का इरादा है;
- सॉफ्टवेयर का उपयोग करने या उसे बेचने की क्षमता मौजूद है;
- यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि सॉफ्टवेयर से संभावित भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे;
- विकास को पूरा करने तथा सॉफ्टवेयर का उपयोग करने या उसे बेचने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं; और
- सॉफ्टवेयर के विकास के दौरान उस पर किए गए व्यय का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है।

घ) सॉफ्टवेयर के भाग के रूप में पूंजीकृत सीधे संबंधित लागतों में कर्मचारी लागत और संबंधित उपरिव्ययों का उचित हिस्सा शामिल होता है।

ङ) पूंजीकृत विकास लागतों को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से उनका परिशोधन किया जाता है।

12.3 अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान व्यय तथा विकास व्यय, जो उपर्युक्त 12.2(ग) में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, को किए जाने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। पूर्व में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त विकास लागतों को बाद की अवधि में परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

यदि कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजना/परियोजनाओं को बंद कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, तो बंद करने/छोड़ने के चरण तक किए गए व्यय को बंद करने/छोड़ने के वर्ष में राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

12.4 परिशोधन की विधियां एवं अवधि

कंपनी सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन निम्नलिखित अवधियों में सीधी रेखा विधि का उपयोग करके करती है:

लाइसेंस	उपयोगी जीवन/उत्पादन
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3 वर्ष

13. निवेश संपत्ति:

दीर्घकालिक किराया आय या पूंजी मूल्यवृद्धि अथवा दोनों के लिए धारित तथा कंपनी द्वारा उपयोग में न लाई जाने वाली संपत्ति को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश संपत्ति का प्रारंभिक मापन उसकी लागत पर किया जाता है, जिसमें संबंधित लेन-देन लागत और, जहां लागू हो, उधार लेने की लागत शामिल होती है। बाद में किए गए व्यय को परिसंपत्ति के वहन मूल्य में तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब यह संभावित हो कि व्यय से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके। अन्य सभी मरम्मत एवं रखरखाव लागतों को किए जाने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। जब निवेश संपत्ति के किसी भाग को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्रतिस्थापित भाग के वहन मूल्य की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

14. बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह) तथा बंद किए गए परिचालन:

14.1 गैर-चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि उनका वहन मूल्य मुख्यतः निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेन-देन के माध्यम से वसूल किया जाना है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। इनका मापन इनके वहन मूल्य और बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर किया जाता है, सिवाय आस्थगित कर परिसंपत्तियों, कर्मचारी लाभों से उत्पन्न परिसंपत्तियों, वित्तीय परिसंपत्तियों तथा बीमा अनुबंधों के अंतर्गत संविदात्मक अधिकारों जैसी परिसंपत्तियों के, जिन्हें इस आवश्यकता से विशेष रूप से छूट प्राप्त है।

14.2 परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य तक प्रारंभिक या बाद में कम किए जाने पर होने वाली किसी भी हानि को हानि के रूप में मान्यता दी जाती है। बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य में बाद में होने वाली किसी भी वृद्धि पर लाभ को मान्यता दी जाती है, लेकिन यह पूर्व में मान्यता प्राप्त किसी भी संचयी हानि से अधिक नहीं होगा। गैर-चालू परिसंपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की तारीख तक पूर्व में मान्यता प्राप्त न किए गए किसी लाभ या हानि को मान्यता समाप्त किए जाने की तारीख को मान्यता दी जाती है।

14.3 गैर-चालू परिसंपत्तियों (निपटान समूह का हिस्सा बनने वाली परिसंपत्तियों सहित) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के दौरान उनका मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताओं से संबंधित ब्याज और अन्य व्ययों को मान्यता देना जारी रखा जाता है।

14.4 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्तियों तथा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताओं को तुलन पत्र में अन्य देयताओं से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

14.5 बंद किया गया परिचालन संस्था का ऐसा घटक है, जिसका निपटान किया जा चुका है या जिसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जो व्यवसाय की किसी पृथक प्रमुख श्रेणी या परिचालन के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, या ऐसे व्यवसाय की श्रेणी अथवा परिचालन के क्षेत्र के निपटान के लिए बनाई गई एकल समन्वित योजना का हिस्सा है, या ऐसा सहायक उपक्रम है जिसे विशेष रूप से पुनर्विक्रय के उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया है। बंद किए गए परिचालनों के परिणामों को लाभ एवं हानि लेखा में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

15. परिसंपत्तियों की हानि:

15.1 अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता है और प्रत्येक वर्ष हानि के लिए इनका परीक्षण किया जाता है, अथवा यदि ऐसी घटनाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि उनमें हानि हो सकती है, तो अधिक बार परीक्षण किया जाता है। अन्य परिसंपत्तियों का हानि के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब भी ऐसी घटनाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि उनका वहन मूल्य वसूल योग्य नहीं हो सकता है। परिसंपत्ति के वहन मूल्य के उसके वसूल योग्य मूल्य से अधिक होने की राशि के लिए हानि को मान्यता दी जाती है।

15.2 वसूल योग्य मूल्य किसी परिसंपत्ति के बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य और उसके उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, वह है। हानि के आकलन के प्रयोजन के लिए, परिसंपत्तियों को उन न्यूनतम स्तरों पर समूहित किया जाता है, जहां अलग-अलग पहचाने जा सकने वाले नकदी अंतर्वाह उपलब्ध होते हैं, जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से होने वाले नकदी अंतर्वाह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं (नकदी सृजनकारी इकाइयां)। सद्भावना के अलावा, जिन गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों में हानि हुई है, उनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संभावित हानि की वापसी के लिए समीक्षा की जाती है।

16. प्रावधान, आकस्मिक परिसंपत्तियां एवं आकस्मिक देयताएं

16.1 प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है, जब कंपनी पर पूर्ववर्ती घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो, उस दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होने की संभावना हो तथा राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सके। भविष्य के परिचालन घाटों के लिए प्रावधानों को मान्यता नहीं दी जाती है।

16.2 जहां समान दायित्वों की संख्या अधिक हो, वहां निपटान के लिए बहिर्वाह की आवश्यकता होने की संभावना का निर्धारण दायित्वों की संपूर्ण श्रेणी पर विचार करके किया जाता है। प्रावधान को तब भी मान्यता दी जाती है, जब उसी श्रेणी के दायित्वों में शामिल किसी एक मद के संबंध में बहिर्वाह की संभावना कम हो सकती है।

16.3 प्रावधानों का मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर कर-पूर्व दर होती है, जो मुद्रा के समय मूल्य तथा देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। समय बीतने के कारण प्रावधानों में होने वाली वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

16.4 वारंटी: बेची गई वस्तुओं पर, जहां लागू हो, वारंटी बिक्री पूर्ण होने के बाद प्रभावी होती है और तदनुसार ऐसी वारंटी के लिए प्रावधान किया जाता है। ऐसी बिक्री के लिए प्रावधान निर्धारित करते समय संबंधित अनुबंध के अनुसार वारंटी की अवधि, शर्तों एवं नियमों को ध्यान में रखा जाता है।

16.5 प्रतिकूल अनुबंध के लिए प्रावधान: प्रतिकूल अनुबंधों के लिए प्रावधान तब मान्यता प्राप्त किया जाता है, जब किसी अनुबंध से कंपनी को प्राप्त होने वाले अपेक्षित लाभ, उस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम हों। प्रावधान का मापन अनुबंध समाप्त करने की अपेक्षित लागत और अनुबंध को जारी रखने की अपेक्षित शुद्ध लागत में से जो कम हो, उसके वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। प्रावधान स्थापित किए जाने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से संबंधित परिसंपत्तियों पर किसी भी हानि को मान्यता देती है।

17. कर्मचारी लाभ

17.1 अल्पकालिक दायित्व

मजदूरी एवं वेतन से संबंधित देयताओं, जिसमें अन्य मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक लाभ भी शामिल हैं, जिनका निपटान उस अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर पूर्णतः किए जाने की अपेक्षा है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में मान्यता दी जाती है तथा इनका मापन उस राशि पर किया जाता है, जिसके दायित्वों के निपटान के समय भुगतान किए जाने की अपेक्षा है। इन देयताओं को तुलन पत्र में चालू कर्मचारी लाभ दायित्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

17.2 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

अवकाश संबंधी देयता का निपटान उस अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर पूर्णतः किए जाने की अपेक्षा नहीं है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाती है। अतः इनका मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में, प्रक्षेपित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करते हुए, किया जाता है। लाभों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के आधार पर छूट दी जाती है, जिसकी अवधि संबंधित दायित्व की अवधि के लगभग समान होती है। अनुभव संबंधी समायोजनों और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनर्मापन को लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है।

यदि संस्था के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों तक निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, तो वास्तविक निपटान कब होने की अपेक्षा है, इसकी परवाह किए बिना, दायित्वों को तुलन पत्र में चालू देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

17.3 सेवानिवृत्ति उपरांत दायित्व

कंपनी निम्नलिखित सेवानिवृत्ति उपरांत योजनाएं संचालित करती है:

(क) परिभाषित लाभ योजनाएं, जैसे ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि में अंशदान; तथा

(ख) परिभाषित अंशदान योजनाएं, अर्थात सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आरईएमआई)/सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीएसएमबी), मृत्यु राहत निधि (डीआरएफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) तथा पेंशन योजना(एं)।

अ) परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्तियां रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में से योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाने के बाद की राशि होती है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना बीमांककों द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रक्षेपित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

भारतीय रुपये में अभिव्यक्त परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण संबंधित दायित्व की अवधि के लगभग समान अवधि वाले सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के आधार पर अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर किया जाता है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के शुद्ध शेष पर छूट दर लागू करके की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि लेखा में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है।

अनुभव संबंधी समायोजनों और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न पुनर्मापन लाभ एवं हानियों को जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं, उसी अवधि में सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

योजना में संशोधन या कटौती के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को पूर्व सेवा लागत के रूप में तुरंत लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है।

ब) परिभाषित अंशदान योजनाएं

कंपनी स्थानीय विनियमों के अनुसार स्थापित ट्रस्टों में तथा स्थानीय विनियमों के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रशासित निधियों में भी अंशदान का भुगतान करती है। एक बार अंशदान का भुगतान कर दिए जाने के बाद कंपनी का कोई अतिरिक्त भुगतान दायित्व नहीं रहता है। अंशदानों का लेखांकन परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में किया जाता है तथा अंशदानों को देय होने पर कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। अग्रिम भुगतान किए गए अंशदानों को उस सीमा तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जिस सीमा तक नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी उपलब्ध हो।

कंपनी द्वारा अनुमोदित सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आरईएमआई)/सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीएसएमबी), मृत्यु राहत निधि (डीआरएफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) तथा पेंशन योजना के लिए कंपनी द्वारा भुगतान किए गए/देय अंशदान को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

17.4 सेवा समाप्ति लाभ

सेवा समाप्ति लाभ तब देय होते हैं, जब कंपनी सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि से पहले रोजगार समाप्त करती है अथवा कोई कर्मचारी इन लाभों के बदले स्वैच्छिक छंटनी स्वीकार करता है। कंपनी सेवा समाप्ति लाभों को निम्नलिखित में से जो पहले हो, उस तारीख को मान्यता देती है: (क) जब कंपनी इन लाभों की पेशकश वापस नहीं ले सकती; और (ख) जब संस्था भारतीय लेखांकन मानक 37 के दायरे में आने वाले पुनर्गठन की लागत को मान्यता देती है, जिसमें सेवा समाप्ति लाभों का भुगतान शामिल है। स्वैच्छिक छंटनी को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पेशकश के मामले में, सेवा समाप्ति लाभों का मापन उन कर्मचारियों की संख्या के आधार पर किया जाता है, जिनके द्वारा पेशकश स्वीकार किए जाने की अपेक्षा है। रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के 12 महीनों से अधिक समय बाद देय होने वाले सेवा समाप्ति लाभों को वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत कर्मचारियों को भुगतान किया गया मुआवजा सेवानिवृत्ति के वर्ष में लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

18. अंशदायी इक्विटी

इक्विटी शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नए शेयरों या विकल्पों के निर्गम से सीधे संबंधित वृद्धिशील लागतों को कर के बाद, निर्गम से प्राप्त राशि में से कटौती के रूप में इक्विटी में दर्शाया जाता है।

19. लाभांश

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले घोषित, उचित रूप से अधिकृत तथा अब संस्था के विवेकाधिकार पर निर्भर न रहने वाले, लेकिन रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक वितरित न किए गए किसी भी लाभांश की राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

20. प्रति शेयर आय

20.1 मूल प्रति शेयर आय

मूल प्रति शेयर आय की गणना निम्नलिखित को विभाजित करके की जाती है:

कंपनी के स्वामियों को आबंटित लाभ को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है, जिसमें वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों में बोनस तत्व के लिए समायोजन किया जाता है तथा ट्रेजरी शेयरों को शामिल नहीं किया जाता है।

20.2 डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय

डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना में मूल प्रति शेयर आय के निर्धारण में प्रयुक्त आंकड़ों को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाता है:

» डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित ब्याज एवं अन्य वित्तपोषण लागतों का आयकर के बाद प्रभाव; तथा

» सभी डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण की धारणा करते हुए बकाया रहने वाले अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या।

टिप्पणी 1 से 38 तथा संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां खातों का अभिन्न अंग हैं।

हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार,

कृते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई

सीए बीराका विजय
भागीदार

(सदस्यता संख्या 214678)

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 मई 2026

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसकी ओर से

जा. गायत्रा प्रसाद
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

डीआईएन: 10877803

डी. वी. श्रीनिवास राव
निदेशक (तकनीकी) एवं अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10652125

एन. नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या ए19015)

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी 1: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन मूल्य				मूल्यह्रास/परिशोधन					शुद्ध वहन मूल्य
	31 मार्च 2025 को	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31 मार्च, 2026 को	01 अप्रैल 2025 तक संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान हानि	31 मार्च, 2026 को संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	31 मार्च, 2026 को
फ्रीहोल्ड भूमि	8,800.66	-	-	8,800.66	-	-	-	-	-	8,800.66
भवन	34,892.54	3,212.34	-	38,104.88	9,869.37	1,178.98	-	-	11,048.35	27,056.53
बाड़ एवं चारदीवारी	1,430.86	122.97	-	1,553.83	1,385.47	41.56	-	-	1,427.03	126.80
सड़कें एवं नालियां	1,819.52	1,608.05	-	3,427.57	1,430.69	108.12	-	-	1,538.81	1,888.76
जल आपूर्ति प्रतिष्ठापन	218.30	20.73	-	239.03	70.39	9.20	-	-	79.59	159.44
संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	55,737.22	3,963.99	-	59,701.21	28,033.35	3,911.69	-	-	31,945.04	27,756.17
फर्नीचर एवं उपकरण	7,723.30	569.17	(4.67)	8,287.80	5,079.95	905.26	(3.16)	-	5,982.05	2,305.75
परिवहन वाहन	827.80	128.00	(5.38)	950.42	534.68	62.20	(4.85)	-	592.03	358.39
विशेष औजार एवं उपकरण	7,093.41	41.63	-	7,135.04	5,402.47	136.51	-	-	5,538.98	1,596.06
कुल	**1,18,543.61**	**9,666.88**	**(10.05)**	**1,28,200.44**	**51,806.37**	**6,353.52**	**(8.01)**	**-**	**58,151.88**	**70,048.56**

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन मूल्य				मूल्यह्रास/परिशोधन					शुद्ध वहन मूल्य
	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 तक संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान हानि	31 मार्च 2025 को संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	31 मार्च 2025 को
फ्रीहोल्ड भूमि	8,800.66	-	-	8,800.66	-	-	-	-	-	8,800.66
भवन	33,799.21	1,093.33	-	34,892.54	8,741.69	1,127.68	-	-	9,869.37	25,023.17
बाड़ एवं चारदीवारी	1,416.75	14.11	-	1,430.86	1,333.68	51.79	-	-	1,385.47	45.39
सड़कें एवं नालियां	1,722.82	96.70	-	1,819.52	1,312.01	118.68	-	-	1,430.69	388.83
जल आपूर्ति प्रतिष्ठापन	216.50	1.80	-	218.30	61.53	8.86	-	-	70.39	147.91
संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	53,872.04	1,865.22	(0.04)	55,737.22	24,288.17	3,745.21	(0.03)	-	28,033.35	27,703.87
फर्नीचर एवं उपकरण	5,658.64	2,075.05	(10.39)	7,723.30	4,553.85	534.50	(8.40)	-	5,079.95	2,643.35
परिवहन वाहन	735.87	96.04	(4.11)	827.80	488.21	50.57	(4.10)	-	534.68	293.12
विशेष औजार एवं उपकरण	7,066.51	26.90	-	7,093.41	5,274.36	128.11	-	-	5,402.47	1,690.94
कुल	**1,13,289.00**	**5,269.15**	**(14.54)**	**1,18,543.61**	**46,053.50**	**5,765.40**	**(12.53)**	**-**	**51,806.37**	**66,737.24**

टिप्पणियां:

फ्रीहोल्ड भूमि:

(क) फ्रीहोल्ड भूमि में शामिल हैं:

(i) कंचनबाग, हैदराबाद में 2 एकड़ और 08 गुंटा भूमि (31 मार्च 2025: 2 एकड़ और 08 गुंटा), जिसे भारत सरकार के एक संगठन को अनुज्ञेय कब्जे के आधार पर दिया गया है और जो उसके कब्जे में है।

(ii) कंचनबाग, हैदराबाद में 146 एकड़ 32 गुंटा भूमि (31 मार्च 2025: 146 एकड़ 32 गुंटा), जो राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है, जिसका मूल्य ₹28.42 लाख (31 मार्च 2025 को: ₹28.42 लाख) है। इस भूमि का स्वामित्व विलेख अभी प्राप्त किया जाना बाकी है।

(ख) हैदराबाद के करमनघाट में 82 एकड़ 31 गुंटा भूमि (31 मार्च 2025 को: 82 एकड़ 31 गुंटा) के संबंध में, जिसे कंपनी के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया है, कंपनी द्वारा भुगतान की गई ₹21.66 लाख (31 मार्च 2025 को: ₹21.66 लाख) की राशि का पूंजीकरण किया गया है।

(ग) इब्राहिमपट्टनम, रंगारेड्डी जिले में 632 एकड़ 16.50 गुंटा फ्रीहोल्ड भूमि (31 मार्च 2025 को: 632 एकड़ 16.50 गुंटा) का बिक्री समझौते के आधार पर ₹6,136.90 लाख (31 मार्च 2025 को: ₹6,136.90 लाख) का भुगतान करके कब्जा लिया गया है। मूल्य की अस्थायी निर्धारण के आधार पर उक्त राशि का पूंजीकरण किया गया है। सकल वहन मूल्य ₹7,965.16 लाख (31 मार्च 2025 को: ₹7,965.16 लाख) है, जिसमें पर्यावरण शुल्क और किए गए विकास शुल्क शामिल हैं।

भवन:

(क) भवनों में 31 मार्च, 2026 को ₹111.01 लाख (31 मार्च 2025: ₹111.01 लाख) का मूल्य शामिल है, जो कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर निर्मित भवनों का मूल्य है।

(i) परिसंपत्तियों की विभिन्न श्रेणियों की अनुमानित उपयोगी आयु (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार) निम्नानुसार वर्णित है:

परिसंपत्ति	उपयोगी आयु (वर्षों में)
भवन	30 / 60
बाड़ एवं चारदीवारी	5
सड़कें एवं नालियां	10
जल आपूर्ति प्रतिष्ठापन	30
संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	10/ 12/ 15
फर्नीचर एवं उपकरण	3 / 5 / 10
परिवहन वाहन	8 / 10

(ii) मूल्यह्रास की विधि एवं लेखांकन के लिए लेखांकन नीति 11: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण देखें।

(iii) हानि का परीक्षण लेखांकन नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने आकलन किया है कि हानि के कोई संकेतक नहीं हैं।

(iv) अल्पकाल में बंद किए गए परियोजनाओं से संबंधित विवरण के लिए टिप्पणी 38(7) देखें।

(v) कंपनी के नाम पर धारित नहीं की गई अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेखों के लिए टिप्पणी 38(21)क देखें।

(vi) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में ग्राहक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनके संबंध में आस्थगित राजस्व को मान्यता दी गई है, क्योंकि कंपनी का इन परिसंपत्तियों पर नियंत्रण है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को			31 मार्च 2025 को		
	सकल वहन मूल्य	संचित मूल्यह्रास	शुद्ध वहन मूल्य	सकल वहन मूल्य	संचित मूल्यह्रास	शुद्ध वहन मूल्य
ग्राहक वित्तपोषित परिसंपत्तियां	2,369.40	828.04	1,541.36	2,369.40	727.26	1,642.14

(vii) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में ग्राहक द्वारा अपने अनुबंधों में उपयोग के लिए वित्तपोषित, लेकिन कंपनी द्वारा धारित परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रारंभिक शेष	**13,975.82**	**13,975.82**
परिवर्धन	-	-
कटौती	-	-
अंतिम शेष	**13,975.82**	**13,975.82**

टिप्पणी 2: पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च 2025 को
सिविल	14,555.89	11,341.42
संयंत्र एवं मशीनरी	2,672.10	345.15
अन्य	182.20	28.25
कुल	**17,410.19**	**11,714.82**

टिप्पणियां:

(i) पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 38(6) देखें।

(ii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर की आयु-विश्लेषण एवं पूर्णता के लिए टिप्पणी 38(21)ङ देखें।

टिप्पणी 3: निवेश संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन मूल्य				मूल्यह्रास/परिशोधन					शुद्ध वहन मूल्य
	31 मार्च 2025 को	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31 मार्च, 2026 को	01 अप्रैल 2025 तक संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान हानि	31 मार्च, 2026 को संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	31 मार्च, 2026 को
किराये के लिए धारित भूमि	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	-	0.97

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन मूल्य				मूल्यह्रास/परिशोधन					शुद्ध वहन मूल्य
	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 तक संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान हानि	31 मार्च 2025 को संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	31 मार्च 2025 को
किराये के लिए धारित भूमि	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	-	0.97

(i) निवेश संपत्तियों के लिए लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता प्राप्त राशियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च 2025 को
किराये से आय	-	-
मूल्यह्रास से पूर्व निवेश संपत्तियों से लाभ	-	-
मूल्यह्रास	-	-
निवेश संपत्तियों से लाभ	-	-

(ii) संविदात्मक दायित्व

कंपनी का निवेश संपत्ति को बेचने, निर्मित करने या विकसित करने अथवा उसकी मरम्मत, रखरखाव या उन्नयन के संबंध में कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है।

(iii) पट्टा व्यवस्थाएं

कंचनबाग में 5 एकड़ और 1 गुंटा भूमि भारतीय नौसेना को दीर्घकालिक परिचालन पट्टों के अंतर्गत पट्टे पर दी गई है, जिसके लिए वार्षिक रूप से किराये का भुगतान किया जाता है। ऐसी संपत्ति के लिए पट्टा किराया ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष है। 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टा व्यवस्थाएं समान हैं।

(iv) उचित मूल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च 2025 को
निवेश संपत्तियां	2,967.16	2,967.16

महत्वपूर्ण निर्णय:

चूंकि भारतीय नौसेना को दी गई भूमि कंपनी के परिसर के भीतर स्थित है और कंपनी के लिए इस भूमि को किसी तीसरे पक्ष को देना संभव नहीं होगा, इसलिए भूमि का उचित मूल्य पंजीकरण विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर माना गया है। पंजीकरण विभाग के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य ₹0.122 लाख प्रति वर्ग गज है (31 मार्च 2025 को: ₹0.122 लाख प्रति वर्ग गज)।

(v) हानि का परीक्षण लेखांकन नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने आकलन किया है कि हानि के कोई संकेतक नहीं हैं।

(vi) कंपनी के नाम पर धारित नहीं की गई अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेखों के लिए टिप्पणी 38(21)क देखें।

(vii) कंपनी अधिनियम, 2017 के नियम 2 में परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन से संबंधित प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 38(21)ख देखें।

टिप्पणी 4: उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन मूल्य				मूल्यह्रास/परिशोधन					शुद्ध वहन मूल्य
	31 मार्च 2025 को	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31 मार्च, 2026 को	01 अप्रैल 2025 तक संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान हानि	31 मार्च, 2026 को संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	31 मार्च, 2026 को
पट्टे पर धारित भूमि	8,599.75	-	-	8,599.75	3,668.99	56.92	-	-	3,725.91	4,873.84
पट्टे पर धारित भवन	998.91	-	-	998.91	836.22	139.38	-	-	975.60	23.31
कुल	9,598.66	-	-	9,598.66	4,505.21	196.30	-	-	4,701.51	4,897.15

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन मूल्य				मूल्यह्रास/परिशोधन					शुद्ध वहन मूल्य
	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 तक संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान हानि	31 मार्च 2025 को संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	31 मार्च 2025 को
पट्टे पर धारित भूमि	8,599.75	-	-	8,599.75	3,612.07	56.92	-	-	3,668.99	4,930.76
पट्टे पर धारित भवन	998.91	-	-	998.91	696.85	139.37	-	-	836.22	162.69
कुल	9,598.66	-	-	9,598.66	4,308.92	196.29	-	-	4,505.21	5,093.45

पट्टे पर धारित भूमि:

(क) विशाखापत्तनम में 3 एकड़ 25 गुंटा भूमि (31 मार्च 2025: 3 एकड़ 25 गुंटा) भारत सरकार से ₹1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष के किराये पर पट्टे पर ली गई है।

(ख) अमरावती में 553 एकड़ 34 गुंटा पट्टे की भूमि (31 मार्च 2025 को: 553 एकड़ 34 गुंटा), जिसके लिए ₹3,922.37 लाख का प्रीमियम भुगतान किया गया है, कुछ शर्तों के साथ 07/02/2014 को पट्टे पर ली गई है। प्रमुख शर्तों में से एक यह है कि यदि आवंटन की तारीख से 60 महीनों के भीतर, जब तक कि अवधि बढ़ाई न जाए, कारखाना भवन और कार्य पूर्ण नहीं किए जाते हैं, तो पट्टा समझौता रद्द किया जा सकता है और पट्टादाता उक्त भूमि पर किए गए सभी निर्माणों, यदि कोई हों, सहित पट्टे की भूमि का कब्जा कंपनी को कोई मुआवजा दिए बिना वापस ले सकता है। वर्तमान में निवेश की अवधि 05.04.2019 तक बढ़ाई गई थी। जिस परियोजना के लिए भूमि पट्टे पर ली गई है, वह रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के साथ अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है और कंपनी निवेश की अवधि में आगे विस्तार के लिए प्रयासरत है। अवधि विस्तार प्राप्त होने तक, कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹3,217.83 लाख की हानि के लिए प्रावधान किया है।

(ग) झांसी जिले में रक्षा औद्योगिक गलियारे में 183 हेक्टेयर पट्टे की भूमि यूपीईआईडीए से पट्टे पर ली गई है, जिसके लिए ₹5,071.84 लाख का भुगतान किया गया है तथा पंजीकरण शुल्क सहित इसका पूंजीकरण किया गया है। पट्टे की अवधि 30 वर्ष है, जिसमें प्रत्येक 30 वर्ष के दो नवीनीकरण का प्रावधान है, जिससे कुल अवधि 90 वर्ष होती है और वार्षिक पट्टा किराया ₹1.00 है।

पट्टे पर धारित भवन:

53,284 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले कॉरपोरेट कार्यालय भवन को एपीएसएफसी से 01.06.2016 से 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया है। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार 01.04.2019 को भवन को ₹998.91 लाख के मूल्य पर उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति (आरओयू परिसंपत्ति) के रूप में, इसके अनुरूप ₹972.01 लाख की पट्टा देयता तथा परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्व के लिए ₹26.90 लाख के प्रावधान के साथ मान्यता दी है। पट्टा देयता को 8% की वृद्धिशील उधार दर पर छूट देकर पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मान्यता दी गई है।

- हानि का परीक्षण लेखांकन नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने आकलन किया है कि हानि के कोई संकेतक नहीं हैं।
- कंपनी के नाम पर धारित नहीं की गई अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेखों के लिए टिप्पणी 38(21)क देखें।

टिप्पणी 5: अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन मूल्य				मूल्यह्रास/परिशोधन					शुद्ध वहन मूल्य
	31 मार्च 2025 को	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31 मार्च, 2026 को	01 अप्रैल 2025 तक संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान हानि	31 मार्च, 2026 को संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	31 मार्च, 2026 को
विकास व्यय	3,324.10	-	-	**3,324.10**	3,324.10	-	-	-	**3,324.10**	**-**
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,513.55	26.79	-	**2,540.34**	2,323.74	84.24	-	-	**2,407.98**	**132.36**
लाइसेंस शुल्क	26,075.64	-	-	**26,075.64**	12,388.27	958.80	-	-	**13,347.07**	**12,728.57**
कुल	**31,913.29**	**26.79**	**-**	**31,940.08**	**18,036.11**	**1,043.04**	**-**	**-**	**19,079.15**	**12,860.93**

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन मूल्य				मूल्यह्रास/परिशोधन					शुद्ध वहन मूल्य
	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 तक संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान हानि	31 मार्च 2025 को संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन	31 मार्च 2025 को
विकास व्यय	3,324.10	-	-	**3,324.10**	3,324.10	-	-	-	**3,324.10**	**-**
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,293.99	219.56	-	**2,513.55**	2,253.75	69.99	-	-	**2,323.74**	**189.81**
लाइसेंस शुल्क	21,146.09	4,929.55	-	**26,075.64**	11,350.34	1,037.93	-	-	**12,388.27**	**13,687.37**
कुल	**26,764.18**	**5,149.11**	**-**	**31,913.29**	**16,928.19**	**1,107.92**	**-**	**-**	**18,036.11**	**13,877.18**

टिप्पणी: अमूर्त परिसंपत्तियों में ग्राहक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनके संबंध में आस्थगित राजस्व को मान्यता दी गई है, क्योंकि कंपनी का इन परिसंपत्तियों पर नियंत्रण है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को			31 मार्च 2025 को		
	सकल वहन मूल्य	संचित मूल्यह्रास	शुद्ध वहन मूल्य	सकल वहन मूल्य	संचित मूल्यह्रास	शुद्ध वहन मूल्य
ग्राहक वित्तपोषित परिसंपत्तियां	4,367.59	4,367.59	-	4,367.59	4,367.59	-

महत्वपूर्ण निर्णय

कंपनी ऐसे सॉफ्टवेयर की अपेक्षित तकनीकी अप्रचलनता के आधार पर उसकी उपयोगी आयु 3 वर्ष अनुमानित करती है। तथापि, तकनीकी नवाचारों के आधार पर वास्तविक उपयोगी आयु 3 वर्ष से कम या अधिक हो सकती है।

टिप्पणी 5क: विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च 2025 को
विकास व्यय	12,460.11	11,317.25
कुल	**12,460.11**	**11,317.25**

टिप्पणियां:

(i) पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 38(6) देखें।

(ii) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु-विश्लेषण एवं पूर्णता के लिए टिप्पणी 38(21)च देखें।

(iii) अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय के लिए टिप्पणी 38(5) देखें।

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च 2025 को
6	**गैर-चालू निवेश**		
	इक्विटी निवेश में निवेश (असूचीबद्ध)		
	(क) सहयोगी संस्था (लागत पर)		
	(i) एडवांस्ड मैटेरियल्स (डिफेंस) टेस्टिंग फाउंडेशन के ₹1,000/- प्रत्येक के 27,320 (31 मार्च 2025 को: 27,320) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (असूचीबद्ध)	273.20	273.20
	(ii) इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (डिफेंस) टेस्टिंग फाउंडेशन के ₹1,000/- प्रत्येक के 11,740 (31 मार्च 2025 को: 11,740) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (असूचीबद्ध)	117.40	117.40
	(ख) अन्य निवेश (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)		
	(i) ए.पी. गैस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के ₹10/- प्रत्येक के 9,21,920 (31 मार्च 2025 को: 9,21,920) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (असूचीबद्ध), जिसमें 3,85,920 बोनस शेयर शामिल हैं।	-	-
		390.60	**390.60**

- उचित मूल्य मापन के लिए टिप्पणी 38(15) देखें

महत्वपूर्ण निर्णय:

1. एडवांस्ड मैटेरियल्स (डिफेंस) टेस्टिंग फाउंडेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (डिफेंस) टेस्टिंग फाउंडेशन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत गैर-लाभकारी कंपनियां हैं। इन संस्थाओं को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इक्विटी निवेश के अलावा कंपनी के पास इनमें अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय प्रतिफल प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

2. एपी गैस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में निवेश को लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। उचित मूल्य निवेश प्राप्तकर्ता संस्था की निवल संपत्ति के आधार पर माना गया है, क्योंकि शेयर असूचीबद्ध हैं और कंपनी का निवेश प्राप्तकर्ता संस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। तथापि, वर्ष 2021-22 के दौरान एपीजीपीसीएल को एक प्रतिकूल मध्यस्थता निर्णय प्राप्त हुआ, जिसके कार्यान्वयन से एपीजीपीसीएल की निवल संपत्ति में कमी आने की संभावना है। अतः निवेश का उचित मूल्य 'शून्य' माना गया है।

7	**गैर-चालू ऋण**		
	कर्मचारियों को ऋण		
	- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
	- असुरक्षित, अच्छा माना गया	389.37	125.77
		389.37	**125.77**

टिप्पणी 38(15): उचित मूल्य मापन देखें।

8	**अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां**		
	दावे/वापसी योग्य राशि	6,265.35	6,192.62
	आस्थगित ऋण	4,524.97	4,378.50
		10,790.32	**10,571.12**

टिप्पणी 38(15): उचित मूल्य मापन देखें।

महत्वपूर्ण निर्णय:

आस्थगित ऋण:

आस्थगित ऋण भारतीय सेना और आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती आयुध कारखाना) से प्राप्य राशियां हैं। प्राप्य राशि भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंकित है और 01.04.1992 से शुरू होकर 45 वर्षों में समान किस्तों में प्राप्य है। समझौते के अनुसार, प्राप्य राशि का समायोजन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा जारी विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) की दरों के आधार पर किया जाता है। अतः यह प्राप्य राशि भारतीय लेखांकन मानक 109 में निर्धारित केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) के मानदंडों को पूरा नहीं करती है। इसलिए, प्राप्य राशि का मापन लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आस्थगित ऋण पर 8% की दर से छूट दी जाती है और उचित मूल्य तथा कुल आस्थगित ऋण के बीच के अंतर को आस्थगित व्यय माना जाता है। इसके बाद इसे लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वहन किया जाता है।

9	**अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां**		
	पूंजीगत अग्रिम	9,169.13	2,825.62
	आस्थगित व्यय*	1,390.17	1,529.18
	अनुबंध लागतें	1,529.72	
		12,089.02	**4,354.80**

* टिप्पणी संख्या 8 में आस्थगित ऋण पर महत्वपूर्ण निर्णय देखें।

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2026 को		31 मार्च 2025 को	
10	**भंडार***				
	कच्ची सामग्री एवं घटक	2,62,879.46		1,49,009.81	
	घटाएं: प्रावधान	(4,715.09)		(5,645.99)	
	जीआईटी में कच्ची सामग्री एवं घटक	24.02		43.42	
			2,58,188.39		**1,43,407.24**
	कार्य-प्रगति पर	70,279.79		38,567.39	
	घटाएं: प्रावधान	(803.62)		(437.57)	
			69,476.17		**38,129.82**
	तैयार माल	1,23,050.05		77,456.80	
	घटाएं: प्रावधान	(44.37)		(44.34)	
	जीआईटी में तैयार माल	-		-	
			1,23,005.68		**77,412.46**
	भंडार एवं स्पेयर पार्ट्स	11,792.35		5,279.97	
	घटाएं: प्रावधान	(360.78)		(283.52)	
	जीआईटी में भंडार एवं स्पेयर पार्ट्स	-		-	
			11,431.57		**4,996.45**
	छोटे औजार	993.30		969.01	
	घटाएं: प्रावधान	(531.78)		(404.49)	
	जीआईटी में छोटे औजार	-		-	
			461.52		**564.52**
	निर्माण सामग्री		-		-
	भंडार एवं उपकरण – कल्याण	321.51		321.28	
	घटाएं: परिशोधन	(321.51)		(321.28)	
			-		-
	विविध भंडार		0.41		0.41
			4,62,563.74		**2,64,510.90**
	* इसमें उप-ठेकेदारों/अन्य को जारी की गई सामग्री शामिल है।		17,283.19		14,784.48

- भंडार में शामिल ₹17,283.19 लाख (31 मार्च, 2025 को ₹14,784.48 लाख) में से उप-ठेकेदारों के पास रखी ₹16,459.72 लाख (31 मार्च, 2025 को ₹13,770.33 लाख) की सामग्री की विक्रेताओं द्वारा पुष्टि/भौतिक सत्यापन किया गया। उप-ठेकेदारों के पास रखी सामग्री की पुष्टि/भौतिक सत्यापन में ₹291.88 लाख (31 मार्च, 2025 को ₹257.63 लाख) का अंतर पाया गया, जिसे प्राप्य दावे के रूप में दर्शाते हुए भंडार से घटाया गया है।
- भंडार का मूल्यांकन कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार किया गया है।
- टिप्पणियां 38(7): कम अवधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण।

11	**व्यापार प्राप्य**				
	सुरक्षित		-		-
	असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया है		50,460.39		91,733.86
	संदिग्ध		-		-
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान)		(8,172.50)		(9,098.23)
			42,287.89		**82,635.63**

टिप्पणियां 38(15): उचित मूल्य मापन; टिप्पणियां 38(12): पंजीकृत प्रभार।
टिप्पणियां 38(20)(च): व्यापार प्राप्यों में परिवर्तन।

(₹ लाख में)

31 मार्च, 2026 को व्यापार प्राप्यों की आयु-वार अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने–1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) विवादरहित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	38,492.41	1,071.64	2,509.25	7,802.19	584.90	50,460.39
(ii) विवादरहित व्यापार प्राप्य – जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(iii) विवादरहित व्यापार प्राप्य – ऋण-ह्रासग्रस्त						
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया						
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण-ह्रासग्रस्त						
सकल व्यापार प्राप्य	**38,492.41**	**1,071.64**	**2,509.25**	**7,802.19**	**584.90**	**50,460.39**
घटाएं: अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान						(8,172.50)
व्यापार प्राप्य						**42,287.89**

31 मार्च, 2025 को व्यापार प्राप्यों की आयु-वार अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने–1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) विवादरहित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	78,432.90	1,661.08	8,790.86	2,554.77	294.25	91,733.86
(ii) विवादरहित व्यापार प्राप्य – जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(iii) विवादरहित व्यापार प्राप्य – ऋण-ह्रासग्रस्त						
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया						
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण-ह्रासग्रस्त						
सकल व्यापार प्राप्य	**78,432.90**	**1,661.08**	**8,790.86**	**2,554.77**	**294.25**	**91,733.86**
घटाएं: अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान						(9,098.23)
व्यापार प्राप्य						**82,635.63**

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च, 2025 को
12	**नकद और नकद समकक्ष**		
	बैंकों में शेषराशि		
	- चालू खातों में	81,266.90	2,182.75
	- जमा खातों में (3 महीने तक)	5,064.34	11,194.71
	हाथ में नकद*	0.25	8.22
	मार्ग में विप्रेषण	-	-
		86,331.49	**13,385.68**

प्रतिवेदन अवधि के अंत और पूर्ववर्ती अवधियों में नकद और नकद समकक्ष के संबंध में पुनर्प्रेषण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

* हाथ में नकद में इम्प्रेस्ट धारकों के पास रखी नकदी शामिल है।

टिप्पणियां 38(15): उचित मूल्य मापन।

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च, 2025 को
13	**अन्य बैंक शेषराशियां**		
	मार्जिन मनी के अलावा बैंक जमा	3,84,600.00	4,05,651.00
	(परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम)		
		3,84,600.00	**4,05,651.00**
	- कंपनी को ₹1,500.00 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा स्वीकृत की गई है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने प्रतिभूति के रूप में ₹1,800.00 लाख की जमाराशियां गिरवी रखी हैं। 31 मार्च, 2026 को ओवरड्राफ्ट की उपयोग की गई और बकाया राशि शून्य है (31 मार्च, 2025 को भी शून्य)।		
	- 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली कोई बैंक जमा राशि नहीं है।		
	नकद और बैंक शेषराशियों का मिलान:		
	नकद और नकद समकक्ष (उपरोक्त के अनुसार)	86,331.49	13,385.68
	बैंक शेषराशि (उपरोक्त के अनुसार)	3,84,600.00	4,05,651.00
	नकद और बैंक शेषराशियों का कुल योग	**4,70,931.49**	**4,19,036.68**
14	**चालू ऋण**		
	कर्मचारियों को ऋण		
	- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
	- असुरक्षित, अच्छा माना गया	203.83	441.54
	चालू ऋणों का कुल योग	**203.83**	**441.54**
	टिप्पणी 38(15): उचित मूल्य मापन भी देखें।		
15	**अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां**		
	प्राप्य दावे/रिफंड	4,563.11	2,376.85
	घटाएं: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान (नीचे दी गई टिप्पणी देखें)	(4.33)	(4.33)
	स्थगित ऋण*	478.12	435.63
	बिल न किए गए प्राप्य#	30,416.50	78,404.18
	जमा पर उपार्जित ब्याज	12,528.69	15,273.37
	अन्य पर उपार्जित ब्याज	23.72	13.32
	बिक्री के लिए धारित अन्य परिसंपत्तियां	-	0.28
	अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का कुल योग	**48,005.81**	**96,499.30**
	टिप्पणियां 38(15): उचित मूल्य मापन।.		
	#टिप्पणियां 38(20)(ग): संविदा परिसंपत्तियों और संविदा देयताओं में परिवर्तन		
	* टिप्पणियां संख्या 8 में स्थगित ऋण पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ लें।		
	टिप्पणी:		
	(i) एक अन्य आपूर्तिकर्ता के मामले में, कंपनी ने ₹4.33 लाख की अग्रिम राशि, ब्याज सहित, की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह राशि सामग्री की खरीद के लिए भुगतान की गई थी, जिसे बाद में अस्वीकार कर आपूर्तिकर्ता द्वारा वापस ले लिया गया, लेकिन आपूर्तिकर्ता सही सामग्री की आपूर्ति करने में विफल रहा। मामले में मे. बीडीएल के पक्ष में (एकपक्षीय) डिक्री पारित की गई है और इसका निष्पादन किया जाना है।		
16	**अन्य चालू परिसंपत्तियां**		
	पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अग्रिम:		
	विक्रेताओं को अग्रिम		
	- सुरक्षित, अच्छा माना गया	11,766.93	14,312.99
	- असुरक्षित, अच्छा माना गया	2,02,358.61	1,41,441.91
	- असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	-	-
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
	पूर्वदत्त व्यय	779.38	346.98
	जमा@	1,885.23	1,776.67
	स्थगित व्यय*	139.02	139.02
	संविदा लागत	918.51	-
	अदत्त लाभांश के लिए बैंकों में निर्धारित शेषराशि	31.81	189.84
	एस्क्रो खातों में निर्धारित शेषराशि	1,413.15	2,613.14
	राजस्व प्राधिकारियों के पास शेषराशि	22,279.17	13,801.34
	समायोजन के लिए उपलब्ध CSR व्यय#	18.08	45.90
	कुल चालू परिसंपत्तियां	**2,41,589.89**	**1,74,667.79**
	टिप्पणियां 38(7): कम अवधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण।		
	* टिप्पणियां संख्या 8 में स्थगित ऋण पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ लें।		
	# टिप्पणियां 38(23): CSR प्रावधान में परिवर्तन का विवरण देखें।		
	@ इसमें अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा किया गया ₹693.85 लाख का केंद्रीय बिक्री कर (31 मार्च, 2025 को ₹693.85 लाख), शून्य सेवा कर (31 मार्च, 2025 को ₹128.43 लाख) तथा ₹0.79 लाख का वस्तु एवं सेवा कर (31 मार्च, 2025 को ₹0.79 लाख) शामिल है।		

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च, 2025 को
17	**इक्विटी शेयर पूंजी:**		
	अधिकृत		
	₹5/- प्रत्येक के 40,00,00,000 इक्विटी शेयर	**20,000.00**	20,000.00
	जारी, अभिदत्त एवं चुकता		
	₹5/- प्रत्येक के 36,65,62,500 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर	18,328.12	18,328.12
		18,328.12	**18,328.12**

टिप्पणियां:

इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश में भाग लेने तथा कंपनी के समापन की स्थिति में अपने पास धारित शेयरों की संख्या और उन पर चुकाई गई राशि के अनुपात में प्राप्त राशि में हिस्सा लेने का अधिकार है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 21 मार्च, 2024 को हुई अपनी बैठक में, कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) की पूंजी संबंधी धारा में संशोधन के माध्यम से ₹10 अंकित मूल्य वाले एक पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर को ₹5 अंकित मूल्य वाले दो पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों में उप-विभाजन/विभाजन करने की सिफारिश की। कंपनी के सदस्यों ने आवश्यक बहुमत से डाक मतपत्र के माध्यम से ₹10 अंकित मूल्य वाले एक पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर को ₹5 अंकित मूल्य वाले दो पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों में उप-विभाजन/विभाजन को मंजूरी दी और मतदान के परिणाम 29 अप्रैल, 2024 को घोषित किए गए।

इक्विटी शेयरों के विभाजन/उप-विभाजन के लिए रिकॉर्ड तिथि 24 मई, 2024 निर्धारित की गई है। इसके परिणामस्वरूप, अधिकृत शेयर पूंजी में ₹5 अंकित मूल्य वाले 40,00,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य ₹20,000.00 लाख है। वहीं, चुकता शेयर पूंजी में ₹5 अंकित मूल्य वाले 36,65,62,500 इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य ₹18,328.12 लाख है।

(क) बकाया शेयरों की संख्या का मिलान:

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
31 मार्च, 2024 को शेष	**18,32,81,250**	**18,328.12**
वर्ष के दौरान पुनर्खरीद	-	-
वर्ष के दौरान बोनस निर्गम	-	-
वर्ष के दौरान शेयरों का उप-विभाजन	18,32,81,250	-
31 मार्च, 2025 को शेष	**36,65,62,500**	**18,328.12**
वर्ष के दौरान पुनर्खरीद	-	-
वर्ष के दौरान बोनस निर्गम		
31 मार्च, 2026 को शेष	**36,65,62,500**	**18,328.12**

(ख) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास धारित शेयरों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2025 को		31 मार्च, 2025 को	
		धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों की हिस्सेदारी का %	धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों की हिस्सेदारी का %
	पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर				
1	भारत सरकार	27,46,51,054	74.93%	27,46,51,054	74.93%

(ग) वर्तमान वर्ष से ठीक पहले के पिछले 5 वर्षों के दौरान शेयरों की पुनर्खरीद का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
पुनर्खरीद किए गए शेयरों की संख्या (संख्या में)	-	-	-	-	-	-

(घ) वर्तमान वर्ष से ठीक पहले के पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
जारी किए गए बोनस शेयरों की संख्या (संख्या में)	-	-	-	-	-	-
जारी किए गए बोनस शेयरों का मूल्य (₹ लाख में)	-	-	-	-	-	-

(ङ) प्रवर्तकों की शेयरधारिता का विवरण

प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर		31 मार्च 2025 को		2025-26 के दौरान परिवर्तन का %	31 मार्च, 2025 को		2024-25 के दौरान परिवर्तन का %
क्रम सं.	प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
	पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर						
1	भारत सरकार	27,46,51,054	74.93%	-	27,46,51,054	74.93%	-

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
18	**अन्य इक्विटी**		
	सामान्य आरक्षित निधि	4,08,135.54	3,83,135.54
	प्रतिधारित आय	3,773.28	5,617.49
	अन्य व्यापक आय – परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन से	(6,140.01)	(6,186.07)
	वर्ष के अंत में शेषराशि	**4,05,768.81**	**3,82,566.96**
	क. सामान्य आरक्षित निधि		
	वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	3,83,135.54	3,43,135.54
	पूंजी मोचन आरक्षित निधि में अंतरण	-	-
	पुनर्खरीद प्रीमियम का अपलेखन	-	-
	लाभ और हानि विवरण से अंतरण	25,000.00	40,000.00
	जारी किए गए बोनस शेयर	-	-
	वर्ष के अंत में शेष राशि	**4,08,135.54**	**3,83,135.54**

सामान्य आरक्षित निधि का उपयोग समय-समय पर विनियोग के उद्देश्य से प्रतिधारित आय से लाभ को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। चूंकि सामान्य आरक्षित निधि का सृजन इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरण द्वारा किया जाता है और यह अन्य व्यापक आय की मद नहीं है, इसलिए सामान्य आरक्षित निधि में शामिल मदों को बाद में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

	ख. प्रतिधारित आय		
	वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	5,617.49	8,431.25
	वर्ष का लाभ	42,033.76	54,964.52
	अंतिम लाभांश	(2,382.66)	(3,115.78)
	अंतरिम लाभांश	(16,495.31)	(14,662.50)
	लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण समायोजन	-	-
	सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	(25,000.00)	(40,000.00)
	वर्ष के अंत में शेषराशि	**3,773.28**	**5,617.49**
	ग. अन्य व्यापक आय – परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन से		
	वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	(6,186.07)	(6,212.58)
	अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)	46.06	26.51
	वर्ष के अंत में शेषराशि	**(6,140.01)**	**(6,186.07)**
19	**गैर-चालू पट्टा देयताएं**		
	पट्टा देयताएं	-	31.52
		-	**31.52**
20	**अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं**		
	आस्थगित ऋण	1,391.52	1,469.20
	अंतर्निहित व्युत्पन्न देयता (आस्थगित देयता)	3,257.14	3,028.84
		4,648.66	**4,498.04**

टिप्पणी 38(15) देखें: उचित मूल्य मापन

महत्वपूर्ण निर्णय

1. आस्थगित ऋण: आस्थगित ऋण रूस सरकार द्वारा प्रदान किए गए 45 वर्ष की अवधि (01.04.1992 से प्रारंभ) वाले स्थगित ऋण के मूलधन वाले हिस्से (आधार दर पर) को दर्शाता है। स्थगित ऋण एक वित्तीय देयता है, अतः इसे उचित मूल्य पर मान्यता दी जानी है। उचित मूल्य का निर्धारण भविष्य के नकद बहिर्वाह को 8% की दर से बट्टा देकर किया जाता है। कंपनी 8% को पूंजी की लागत मानती है।

2. अंतर्निहित व्युत्पन्न: SDR दरों में परिवर्तन के कारण देयता में हुई वृद्धि को अंतर्निहित व्युत्पन्न के रूप में आंका गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अंतर्निहित व्युत्पन्न का उचित मूल्य पर लेखांकन किया जाता है और इसे लाभ एवं हानि के माध्यम से मान्यता दी जाती है। उचित मूल्य को समझौते के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि पर एसडीआर इकाई के समायोजित रुपये मूल्य के रूप में माना जाता है।

21	**गैर-चालू प्रावधान**		
	परिसंपत्ति निवृत्ति दायित्व	46.99	43.39
	कर्मचारी लाभ		
	उपार्जित अवकाश	-	-
	उपदान	-	-
	भविष्य निधि	-	-
		46.99	**43.39**

- टिप्पणी 38(3) देखें: कर्मचारी लाभ दायित्व

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
22	**अन्य गैर-चालू देयताएं**		
	ग्राहकों से अग्रिम राशि-$		
	रक्षा मंत्रालय (MoD)	3,20,542.05	2,83,387.65
	अन्य	38,219.55	45,157.46
	आस्थगित आय*	1,429.65	1,572.62
	आस्थगित राजस्व#	2,583.92	2,645.75
		3,62,775.17	**3,32,763.48**

* टिप्पणी संख्या 20 में आस्थगित ऋण पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ लें।
इसमें सौर संयंत्र के लिए अनुदान शामिल है—टिप्पणी 38(19) देखें।
$ टिप्पणी 38(20)(C) देखें: संविदा परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन।
लेखांकन नीति संख्या 3 A (vi) और 4.4 भी देखें।

23	**उधार**		
	(क) मांग पर चुकाने योग्य ऋण		
	(i) बैंकों से		
	- सुरक्षित बैंक ओवरड्राफ्ट		
	- असुरक्षित		

कंपनी को ₹1,500.00 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा स्वीकृत की गई है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने प्रतिभूति के रूप में ₹1,800.00 लाख की जमाराशियां गिरवी रखी हैं।

24	**चालू पट्टा देयताएं**		
	पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वताएं	31.52	179.98
		31.52	**179.98**

25	**व्यापार देय**		
	चालू व्यापार देय:		
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को देय	5,169.15	3,221.64
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों को देय	2,78,309.23	1,47,334.41
		2,83,478.38	**1,50,556.05**
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण		
	(i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय मूलधन और उस पर देय ब्याज, जो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है		
	- मूलधन	5,169.15	3,221.64
	- ब्याज	-	-
	(ii) निर्धारित तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान किया गया ब्याज		
	(iii) वर्ष के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि	0.01	-
	(iv) लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित और भुगतान न किया गया ब्याज	-	-
	(v) आगामी वर्ष में भी उस तिथि तक देय और भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज की राशि, जिस तिथि तक उपर्युक्त ब्याज बकाया का वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है	-	-

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि का निर्धारण प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर पहचाने गए ऐसे पक्षों की सीमा तक किया गया है। इस पर लेखा परीक्षकों ने भरोसा किया है।

31 मार्च, 2026 को व्यापार देयों की आयु-वार अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	अभी देय नहीं	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	5,168.47	0.68				5,169.15
(ii) अन्य	23,339.61	2,39,806.00	6,606.01	352.99	8,204.62	2,78,309.23
(iii) विवादित देय – एमएसएमई						
(iv) विवादित देय – अन्य						
कुल व्यापार देय	**28,508.08**	**2,39,806.68**	**6,606.01**	**352.99**	**8,204.62**	**2,83,478.38**

31 मार्च, 2025 को व्यापार देयों की आयु-वार अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	अभी देय नहीं	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	3,221.64	-	-	-	-	3,221.64
(ii) अन्य	1,08,366.36	30,283.78	354.28	1,257.17	7,072.83	1,47,334.41
(iii) विवादित देय – एमएसएमई						
(iv) विवादित देय – अन्य						
कुल व्यापार देय	**1,11,588.00**	**30,283.78**	**354.28**	**1,257.17**	**7,072.83**	**1,50,556.05**

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
26	**अन्य चालू वित्तीय देयताएं**		
	आस्थगित ऋण की चालू परिपक्वताएं*	491.70	448.00
	जमाराशियां	2,453.14	1,933.76
	व्ययों के लिए लेनदार	24,583.22	27,351.34
	देय कर्मचारी लाभ	4,153.15	6,237.92
	पूंजीगत कार्य	543.06	191.18
	अन्य	3,641.90	411.91
		35,866.17	**36,574.11**
	टिप्पणी 38(15) देखें: उचित मूल्य मापन		
	* टिप्पणी संख्या 20 में आस्थगित ऋण पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ लें।		
27	**अन्य चालू देयताएं**		
	ग्राहकों से अग्रिम राशि:#		
	- रक्षा मंत्रालय (एमओडी)	2,33,998.92	1,34,408.94
	- अन्य	33,147.64	55,697.45
	आस्थगित आय*	142.97	142.97
	आस्थगित राजस्व	-	-
	वैधानिक विप्रेषण	8,255.80	7,557.36
		2,75,545.33	**1,97,806.72**
	टिप्पणी 38(7) देखें: कम अवधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण		
	# टिप्पणी 38(20)(ग) देखें: संविदा परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन		
	* टिप्पणी संख्या 20 में आस्थगित ऋण पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ		
28	**चालू प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ		
	- उपदान	2,904.11	975.59
	- उपार्जित अवकाश	894.57	2,168.89
	- भविष्य निधि	188.50	874.86
	वारंटी	13,299.45	12,936.83
	हानिकर संविदा	4,030.02	14,140.14
	भविष्य के प्रभार	-	1,475.88
	अन्य	18,344.09	18,191.71
		39,660.74	**50,763.90**

प्रावधानों में परिवर्तन

प्रावधान	वारंटी	हानिकर संविदा	भविष्य के प्रभार	अन्य
31 मार्च, 2025 को शेषराशि	**12,936.83**	**14,140.14**	**1,475.88**	**18,191.71**
अतिरिक्त मान्य किए गए प्रावधान	3,437.19	2,279.80	-	550.09
वर्ष के दौरान उपयोग	(226.42)	(12,389.92)	(470.53)	(158.03)
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	(2,848.15)	-	(1,005.35)	(239.68)
31 मार्च, 2026 को शेषराशि	**13,299.45**	**4,030.02**	**-**	**18,344.09**

वारंटी:

वारंटी के अनुमान उत्पाद वारंटी दावों की प्रकृति, आवृत्ति और औसत लागत से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। साथ ही, उत्पाद में किसी खराबी की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए ग्राहकों को सेवा प्रदान करने पर होने वाले संभावित भविष्य के नकद बहिर्वाह के संबंध में प्रबंधन के अनुमानों को भी ध्यान में रखा जाता है। सामान्यतः ऐसे दावों का निपटान आपूर्ति की तिथि से 1 से 2 वर्ष की अवधि के भीतर होने की अपेक्षा की जाती है।

कठिन अनुबंध:

कठिन अनुबंध के लिए प्रावधान कंपनी द्वारा अपनी निष्पादित की जानी शेष बिक्री अनुबंधों पर आंकी गई हानि को दर्शाता है। ऐसी हानि का प्रावधान कंपनी द्वारा अनुबंधों के निष्पादन के दौरान अथवा ऐसे अनुबंधों के प्रारंभ में किए गए आकलन के आधार पर किया जाता है। प्रावधान की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

पिछले वर्ष के दौरान, ग्राहक अनुबंधों के संबंध में कंपनी के आकलन में वैश्विक रक्षा उद्योग में विशिष्ट प्रौद्योगिकी का अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया एक विशेष अनुबंध शामिल था। इस अनुबंध से कंपनी को एक प्रमुख रक्षा निर्माता की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की भागीदार बनने के अवसर प्राप्त होते हैं। ये अवसर तत्काल उपलब्ध होने वाले नहीं हैं और इनके भविष्य में साकार होने की अपेक्षा है। अतः कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक संख्या 37 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां के अनुसार इस अनुबंध को कठिन अनुबंध के रूप में वर्गीकृत किया और तदनुसार कंपनी ने ₹2,279.80 लाख (2024-25 में ₹14,140.14 लाख) का अतिरिक्त प्रावधान मान्यता प्राप्त किया।

भविष्य के प्रभार:

भविष्य के प्रभार के लिए प्रावधान उस संशोधित सहायक/पैकिंग सामग्री के संबंध में अनुमानित देयता को दर्शाता है, जिसे पूर्व में की गई बिक्री के लिए अनुबंध की शर्तों में मूल रूप से निर्धारित सहायक/पैकिंग सामग्री के स्थान पर आपूर्ति किए जाने के लिए स्वीकार किया गया है। इसमें आपातकालीन परिस्थितियों में खराबी से बचने के लिए सेवा-योग्यता बनाए रखने हेतु उपयोगकर्ता के अनुरोध पर अग्रिम स्थान पर भेजे गए स्पेयर पार्ट्स का मूल्य भी शामिल है।

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
29	**आयकर**		
29A	**आस्थगित कर शेषराशि**		
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	14,362.76	17,763.27
	आस्थगित कर देयताएं	5,247.13	5,489.88
	कुल	**9,115.63**	**12,273.39**
	आस्थगित कर शेषराशि का विवरण		
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
	फ्रीहोल्ड भूमि	-	-
	पट्टा देयता	7.93	53.23
	प्रावधान	14,026.51	17,356.92
	आस्थगित ऋण के उचित मूल्य में समायोजन	328.32	353.12
	अन्य चालू वित्तीय देयताएं	-	-
	उप-योग	**14,362.76**	**17,763.27**
	आस्थगित कर देयताएं		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,729.76	3,733.56
	उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	5.86	40.94
	अमूर्त परिसंपत्तियां	1,191.08	1,357.20
	निवेशों का उचित मूल्य		
	- असूचीबद्ध कंपनी में इक्विटी शेयर	-	-
	- म्यूचुअल फंड	-	-
	आस्थगित ऋणों के उचित मूल्य में समायोजन	320.43	358.18
	अन्य	-	-
	उप-योग	**5,247.13**	**5,489.88**
	शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)	**9,115.63**	**12,273.39**

आस्थगित कर शेषराशियों का मिलान:

2025-26 के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक शेषराशि	प्रारंभिक आरक्षित निधियों में मान्यता प्राप्त	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेषराशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां निम्नलिखित से संबंधित:					
फ्रीहोल्ड भूमि	-				-
पट्टा देयता	53.23		(45.30)		7.93
प्रावधान	17,356.92		(3,314.91)	(15.50)	14,026.51
आस्थगित ऋण के उचित मूल्य में समायोजन	353.12		(24.80)		328.32
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	-				-
उप-योग	**17,763.27**	**-**	**(3,385.01)**	**(15.50)**	**14,362.76**

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक शेषराशि	प्रारंभिक आरक्षित निधियों में मान्यता प्राप्त	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेषराशि
आस्थगित कर देयताएं निम्नलिखित से संबंधित:					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,733.56		(3.80)		3,729.76
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	40.94		(35.08)		5.86
अमूर्त परिसंपत्तियां	1,357.20		(166.12)		1,191.08
निवेशों का उचित मूल्य					
- असूचीबद्ध कंपनी में इक्विटी शेयर	-				-
- म्यूचुअल फंड	-				-
आस्थगित ऋण का उचित मूल्य	358.18		(37.75)		320.43
अन्य	-				-
उप-योग	**5,489.88**	**-**	**(242.75)**	**-**	**5,247.13**
कुल	**12,273.39**	**-**	**(3,142.26)**	**(15.50)**	**9,115.63**

आस्थगित कर शेषराशियों का मिलान:

2024-25 के लिए

विवरण	प्रारंभिक शेषराशि	प्रारंभिक आरक्षित निधियों में मान्यता प्राप्त	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेषराशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां निम्नलिखित से संबंधित:					
फ्रीहोल्ड भूमि	-				-
पट्टा देयता	94.16		(40.93)		53.23
प्रावधान	12,135.80		5,230.03	(8.91)	17,356.92
आस्थगित ऋण के उचित मूल्य में समायोजन	574.17		(221.05)		353.12
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	-				-
उप-योग	**12,804.13**	**-**	**4,968.05**	**(8.91)**	**17,763.27**
आस्थगित कर देयताएं निम्नलिखित से संबंधित:					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,695.71		37.85		3,733.56
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	76.02		(35.08)		40.94
अमूर्त परिसंपत्तियां	1,401.28		(44.08)		1,357.20
निवेशों का उचित मूल्य					
- असूचीबद्ध कंपनी में इक्विटी शेयर	-				-
- म्यूचुअल फंड	-				-
आस्थगित ऋणों के उचित मूल्य में समायोजन	558.31		(200.13)		358.18
अन्य	-				-
उप-योग	**5,731.32**	**-**	**(241.44)**	**-**	**5,489.88**
कुल	**7,072.81**	**-**	**5,209.49**	**(8.91)**	**12,273.39**

	विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
29B	**चालू कर परिसंपत्तियां और देयताएं**		
	चालू कर परिसंपत्तियां	10,114.39	-
	कुल चालू कर परिसंपत्तियां	**10,114.39**	**-**
	चालू कर देयताएं	-	136.16
	कुल चालू कर देयताएं	**-**	**136.16**

	विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
29C	**कर व्यय**		
	i) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त		
	चालू कर		
	चालू वर्ष के संबंध में	11,817.30	25,351.42
	पिछले वर्षों के संबंध में	(211.30)	(230.19)
	कुल	**11,606.00**	**25,121.23**

(₹ in lakh)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	3,142.26	(5,209.49)
कुल	**3,142.26**	**(5,209.49)**
ii) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कर व्यय		
चालू वर्ष के संबंध में	(15.49)	(8.91)
कुल	**(15.49)**	**(8.91)**

वर्ष के लिए आयकर व्यय का लेखांकन लाभ के साथ निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है।

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
सतत परिचालन से कर-पूर्व लाभ	56,782.02	74,876.26
कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य नहीं होने वाली राशियों पर कर व्यय		
25.168% की दर से गणना किया गया आयकर व्यय (वित्तीय वर्ष 2024-25: 25.168%)	14,290.90	18,844.86
वर्ष के दौरान किए गए दान	-	-
सीएसआर गतिविधियों के लिए राशि	345.44	344.56
एमएसएमई को देय ब्याज	-	-
अन्य	(2,819.04)	5,664.43
धारा 234A, 234B, 234C के तहत देय ब्याज	-	497.57
कर योग्य आय की गणना में कटौती उपलब्ध होने वाली राशियों पर कर व्यय		
वर्ष के दौरान धारा 80G के तहत किए गए दान	-	-
आस्थगित कर का प्रभाव	3,157.75	(5,200.58)
पिछले वर्षों के चालू कर के लिए समायोजन		
पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित चालू वर्ष में मान्यता प्राप्त समायोजन	(211.30)	(230.19)
उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ/हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(15.49)	(8.91)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय	**14,748.26**	**19,911.74**
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर	(15.49)	(8.91)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर	**(15.49)**	**(8.91)**

	विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
30	**परिचालन से राजस्व**		
	उत्पादों की बिक्री		
	तैयार माल	2,16,968.73	2,97,313.53
	स्पेयर पार्ट्स	22,508.30	19,112.79
	विविध	52.07	18.15
	ग्राहकों द्वारा वापस किया गया / (लगाया गया) एलडी	(10,697.13)	(6,539.50)
		2,28,831.97	**3,09,904.97**
	सेवाओं की बिक्री*		
	मरम्मत और ओवरहॉल	3,714.15	12,593.14
	प्रशिक्षण	16.14	39.00
	जॉब वर्क	8,495.76	9,365.57
	विविध	383.11	452.83
	ग्राहकों द्वारा वापस किया गया / (लगाया गया) एलडी	94.83	(48.22)
		12,703.99	**22,402.32**
	अन्य परिचालन राजस्व		
	निर्माण अनुबंध	-	-
	स्क्रैप की बिक्री	341.46	117.41
	ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई परिसंपत्तियों से संबंधित आस्थगित राजस्व	-	-
	सौर ऊर्जा	916.61	369.19

(₹ in lakh)

	विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
	अब आवश्यक नहीं रहने वाले प्रावधानों का अपलेखन	1,323.31	1,649.43
	अन्य दावे	61.84	61.84
	ग्राहकों द्वारा वापस किया गया / (लगाया गया) परिसमाप्त हर्जाना	-	-
		2,643.22	**2,197.87**
	कुल	**2,44,179.18**	**3,34,505.16**

- टिप्पणी 38(4) देखें: निर्माण अनुबंध।
- टिप्पणी 38(11) देखें: प्रतिधारण बिक्री।
- टिप्पणी 38(20) देखें: भारतीय लेखांकन मानक 115 के तहत प्रकटीकरण।
- एलडी का अर्थ परिसमाप्त हर्जाना (लिक्विडेटेड डैमेजेज) है।

***महत्वपूर्ण निर्णय:**

राजस्व:

- कंपनी प्रतिशत पूर्णता पद्धति के आधार पर राजस्व को मान्यता देती है, जहां ग्राहक को एक साथ लाभ प्राप्त होता है।
- प्रतिशत पूर्णता का निर्धारण रिपोर्टिंग तिथि तक किए गए कार्य पर हुई लागत और कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रूप में किया जाता है।
- जब यह संभावित हो कि कुल लागत कुल राजस्व से अधिक हो जाएगी, तो अपेक्षित हानि को तत्काल मान्यता दी जाती है।

31	**अन्य आय**		
	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय		
	बैंक जमाराशियां	29,841.14	28,537.29
	अन्य	1,352.42	1,452.68
		31,193.56	**29,989.97**
	अन्य गैर-परिचालन आय		
	अब आवश्यक नहीं रहने वाली देयताओं का अपलेखन	236.82	48.15
	आपूर्तिकर्ताओं से वसूल किया गया लिक्विडेटेड डैमेजेज	4,589.78	3,558.84
	विविध आय (शुद्ध)	580.83	458.95
		5,407.43	**4,065.94**
	अन्य लाभ और हानियां		
	शुद्ध विदेशी मुद्रा लाभ / (हानि)	5,662.47	865.55
	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य लाभ/(हानि)	114.66	120.26
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ	(1.17)	(1.55)
	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
		5,775.96	**984.26**
	कुल	**42,376.95**	**35,040.17**
32	**उपभोग की गई सामग्री की लागत**		
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	1,97,276.05	2,05,800.98
	प्रत्यक्ष व्यय	2,278.99	4,174.82
		1,99,555.04	**2,09,975.80**
33	**तैयार माल और कार्य-प्रगति में परिवर्तन**		
	प्रारंभिक स्टॉक:		
	तैयार माल	77,456.80	20,655.10
	कार्य-प्रगति	38,567.39	53,182.67
		1,16,024.19	**73,837.77**
	अंतिम स्टॉक:		
	तैयार माल	1,23,050.05	77,456.80
	कार्य-प्रगति	70,279.79	38,567.39
		1,93,329.84	**1,16,024.19**
	शुद्ध (वृद्धि) / कमी	**(77,305.65)**	**(42,186.42)**

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
34	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	वेतन और मजदूरी, जिसमें बोनस शामिल है	41,742.20	44,590.96
	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	9,223.27	7,330.34
	कर्मचारी कल्याण व्यय	2,591.70	2,958.59
	कुल	**53,557.17**	**54,879.89**
	टिप्पणी 38(1) देखें: श्रम संहिताओं का प्रभाव; 38(3): कर्मचारी लाभ दायित्व; 38(8): संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन;		
35	**वित्तीय लागत**		
	ब्याज व्यय	199.70	191.89
	अन्य वित्तीय लागत	139.02	139.02
	कुल	**338.72**	**330.91**
36	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	6,353.52	5,765.40
	उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का परिशोधन	196.30	196.29
	अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	1,043.04	1,107.92
	कुल	**7,592.86**	**7,069.61**
37	**अन्य व्यय**		
	दुकान सामग्री	140.40	114.36
	बिजली और ईंधन	2,372.69	2,414.89
	जल प्रभार	391.53	409.68
	यात्रा व्यय#	2,262.06	1,960.74
	मरम्मत:		
	भवन	1,777.51	1,801.75
	संयंत्र, मशीनरी और उपकरण	1,525.23	1,411.34
	फर्नीचर और उपकरण	263.03	226.08
	वाहन	31.96	40.59
	अन्य	21.28	26.42
	वाहन व्यय – पेट्रोल और डीजल	107.84	131.51
	लूज टूल्स और उपकरण	180.57	118.64
	बीमा	867.24	732.04
	दरें और कर	184.42	181.65
	डाक, तार, टेलेक्स और टेलीफोन	125.23	129.41
	मुद्रण और लेखन सामग्री	144.03	88.40
	प्रचार	579.10	1,171.86
	विज्ञापन	133.48	90.99
	बैंक प्रभार	120.40	85.06
	कानूनी व्यय	21.84	11.60
	दान	-	-
	अपलेखन – अन्य	-	-
	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक: (नीचे टिप्पणी (i) देखें)	26.29	24.77
	सुरक्षा व्यवस्था	5,376.07	5,706.95
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और विकास	-	-
	मनोरंजन	1.48	1.15
	शिष्टाचार	-	-
	निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क	8.50	22.50
	स्वतंत्र बाह्य पर्यवेक्षकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क	3.00	3.00
	सीएसआर और सतत विकास व्यय	1,372.53	1,369.02
	प्रतिस्थापन, वारंटी और बैच अस्वीकृति के लिए प्रावधान	589.04	-
	अधिशेष कर्मचारियों के लिए प्रावधान	-	-
	कठिन अनुबंध के लिए प्रावधान	2,279.80	14,140.14

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य प्रावधान	(657.64)	9,456.13
विविध परिचालन व्यय:		
सामग्री का परीक्षण	2,728.37	2,850.64
प्रूफ फायरिंग व्यय	46.25	22.96
मानवशक्ति नियुक्ति प्रभार	1,494.72	1,336.04
सामग्री हैंडलिंग प्रभार	1,461.98	1,309.13
वाहनों की किराये पर नियुक्ति	870.18	808.06
डी एंड डी व्यय	10,881.99	4,179.43
अन्य बिक्री व्यय	5,717.12	10,226.16
अन्य	2,586.45	1,996.19
कुल	**46,035.97**	**64,599.28**
# इसमें निदेशकों के यात्रा व्यय शामिल हैं।	128.22	104.25
टिप्पणियां:		
i) लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शुल्क शामिल हैं:		
विवरण		
वैधानिक लेखा परीक्षा के लिए*	15.50	15.50
कर लेखा परीक्षा के लिए	2.25	2.25
अन्य सेवाओं के लिए	8.37	7.00
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.17	0.02
कुल लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	**26.29**	**24.77**

ii) टिप्पणी 28 देखें: चालू प्रावधान।

iii) टिप्पणी 38(5) देखें: अनुसंधान और विकास से संबंधित व्यय।

iv) टिप्पणी 38(8) देखें: संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन।

टिप्पणी 38: सामान्य टिप्पणियां:

अनुपालन विवरण:

वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों (Ind AS) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित अधिसूचित किए गए हैं, तथा अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार भी तैयार किए गए हैं।

38(1) श्रम संहिताओं का प्रभाव:

21 नवंबर, 2025 को भारत सरकार ने मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के प्रावधानों को अधिसूचित किया, जो कर्मचारी लाभों को विनियमित करने वाले मौजूदा 29 श्रम कानूनों को एकीकृत ढांचे में समेकित करते हैं। कंपनी ने इन परिवर्तनों के वित्तीय प्रभाव का आकलन किया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹703.65 लाख की अतिरिक्त देयता उत्पन्न हुई है। कंपनी श्रम संहिताओं से संबंधित घटनाक्रमों की निरंतर निगरानी कर रही है और कर्मचारी लाभ संबंधी देयता पर इनके किसी भी संभावित प्रभाव का आकलन करेगी।

38(2) प्रति शेयर आय

(i) सतत परिचालन के लिए:

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पश्चात् लाभ	42,033.76	54,964.52
मूल:		
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	36,65,62,500	36,65,62,500
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	36,65,62,500	36,65,62,500
शेयर पर आय – ₹5/- (भारतीय रुपये) प्रत्येक	11.47	14.99
डाइल्यूटेड:		
बकाया कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के संभावित इक्विटी शेयरों का प्रभाव	-	-
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	36,65,62,500	36,65,62,500
शेयर पर आय – ₹5/- (भारतीय रुपये) प्रत्येक	11.47	14.99

टिप्पणियां:

- ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़कर लाभ के आधार पर की जाती है।

(ii) बंद किए गए परिचालनों के लिए:

कोई बंद किया गया परिचालन नहीं है।

(iii) चालू एवं बंद किए गए परिचालनों के लिए:

तालिका (i) देखें

38(3) कर्मचारी लाभ दायित्व

(i) सेवानिवृत्ति उपरांत दायित्व – ग्रेच्युटी

कंपनी भारत में कर्मचारियों के लिए भुगतान उपदान अधिनियम, 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी का प्रावधान करती है। जो कर्मचारी 5 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं, वे ग्रेच्युटी के पात्र होते हैं। सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी के अंतिम आहरित मूल मासिक वेतन के आधार पर, 15 दिनों के वेतन के अनुपात में, सेवा के वर्षों की संख्या से गुणा करके निर्धारित की जाती है। ग्रेच्युटी योजना एक वित्तपोषित योजना है और कंपनी एक पृथक ट्रस्ट में अंशदान करती है। कंपनी दायित्व को पूर्णतः वित्तपोषित नहीं करती है और अपेक्षित ग्रेच्युटी भुगतानों के अनुमानों के आधार पर एक अवधि में बनाए रखे जाने वाले लक्षित वित्तपोषण स्तर को बनाए रखती है।

ग्रेच्युटी

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	20,438.82	21,038.63
चालू सेवा लागत	662.76	557.42
पूर्व सेवा लागत	2,278.41	
ब्याज व्यय या लागत	1,251.12	1,405.81
पुनर्मापन		
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन से लाभ/(हानि)	149.39	35.20
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से लाभ/(हानि)	(308.07)	320.71
अनुभवजन्य लाभ/(हानि)	251.17	162.15
भुगतान किया गया लाभ	(3,971.59)	(3,081.10)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**20,752.01**	**20,438.82**

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	19,463.23	19,972.20
ब्याज आय	1,218.04	1,367.37
नियोक्ता अंशदान	975.59	1,066.43
लाभ भुगतान	(3,971.59)	(3,081.10)
पुनर्मापन – परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज आय को छोड़कर)	162.63	138.33
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**17,847.90**	**19,463.23**

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त व्यय

विवरण	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
लाभ एवं हानि लेखा में	2,974.25	595.86
अन्य व्यापक आय में	(70.14)	379.73
कुल	**2,904.11**	**975.59**

उपरोक्त प्रकट की गई शुद्ध देयता वित्तपोषित एवं गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है, जो निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	20,752.01	20,438.82
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	17,847.90	19,463.23
वित्तपोषित योजनाओं की कमी	**2,904.11**	**975.59**

कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 01 जनवरी 2017 से ₹20 लाख थी। आईडीए में 50% से अधिक की वृद्धि होने के परिणामस्वरूप (अर्थात 01 अक्टूबर 2025 से 51.80%), कंपनी के पात्र कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई है।

इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के ग्रेच्युटी दायित्व में ₹2,278.41 लाख की वृद्धि हुई है, जिसमें से ₹2,394.30 लाख का व्यय लाभ एवं हानि लेखा में तथा ₹115.89 लाख की आय अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है।

महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं:

विवरण	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
छूट दर	7.21%	6.78%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%
कर्मचारी सेवा-त्याग दर	9.04%	7.10%

संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
परिभाषित लाभ दायित्व	20,752.01	20,438.82
छूट दर: संवेदनशीलता के कारण आधार दर की तुलना में (%) परिवर्तन		
वृद्धि: +1%	20,078.44	19,712.15
कमी: -1%	21,487.11	21,237.47
वेतन वृद्धि दर: संवेदनशीलता के कारण आधार दर की तुलना में (%) परिवर्तन		
वृद्धि: +1%	21,209.94	20,842.81
कमी: -1%	20,284.81	20,029.22
कर्मचारी नौकरी छोड़ने की दर: संवेदनशीलता के कारण आधार दर की तुलना में (%) परिवर्तन		
वृद्धि: +1%	20,820.24	20,526.16
कमी: -1%	20,678.05	20,343.60

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण किसी एक धारणा में परिवर्तन के आधार पर किया गया है, जबकि अन्य सभी धारणाओं को स्थिर रखा गया है। व्यवहार में ऐसा होना संभवतः नहीं होगा और कुछ धारणाओं में परिवर्तन एक-दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाओं के प्रति परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय वही पद्धति (रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रक्षेपित इकाई ऋण पद्धति से गणना किए गए परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य) लागू की गई है, जो तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ देयता की गणना के समय लागू की गई थी।

संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग की गई विधियों और धारणाओं के प्रकार में पिछली अवधि की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

विवरण	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	4,385.81	4,782.75
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	7,579.76	8,265.76
एनसीडी/बॉन्ड	3,972.65	4,332.20
इक्विटी	1,149.29	1,253.31
सावधि जमा	60.38	65.85
सीबीएलओ	511.20	557.46
ऋण	2.52	2.75
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	186.30	203.16
	17,847.90	**19,463.23**

परिभाषित लाभ देयता एवं नियोक्ता अंशदान

ग्रेच्युटी ट्रस्ट ने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रावधान करने के लिए बीमा पॉलिसी खरीदी है। प्रत्येक वर्ष, बीमा कंपनी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम कर्मचारी आंकड़ों के आधार पर वित्तपोषण मूल्यांकन करती है। ऐसे मूल्यांकन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों में उत्पन्न होने वाली किसी भी कमी की पूर्ति कंपनी द्वारा की जाती है। कंपनी का मानना है कि पिछले मूल्यांकन की तारीख को निर्धारित अंशदान दर सहमत अवधि में कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है और सेवा लागत के आधार पर किए जाने वाले नियमित अंशदान में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी।

अगले वर्षों के दौरान अपेक्षित नकदी प्रवाह निम्नानुसार है:

विवरण	एक वर्ष से कम	2–3 वर्षों के बीच	4–5 वर्षों के बीच	कुल
31-Mar-26				
परिभाषित लाभ दायित्व – ग्रेच्युटी	5,340.03	7,399.27	5,539.14	18,278.44

जोखिम जोखिम:

परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी अनेक जोखिमों के संपर्क में है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जोखिम नीचे दिए गए हैं:

ब्याज दर जोखिम: परिभाषित लाभ दायित्व की गणना सरकारी बॉन्ड पर आधारित छूट दर का उपयोग करके की जाती है। यदि बॉन्ड प्रतिफल में कमी आती है, तो परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि होने की प्रवृत्ति होगी।

वेतन मुद्रास्फीति जोखिम: अपेक्षा से अधिक वेतन वृद्धि होने पर परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि होगी।

जनसांख्यिकीय जोखिम: यह मृत्यु दर, सेवा से त्याग, अशक्तता और सेवानिवृत्ति सहित कमी संबंधी कारकों की असंरचित प्रकृति के कारण परिणामों में परिवर्तनशीलता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन कमी संबंधी कारकों का प्रभाव सीधा नहीं होता है और यह वेतन वृद्धि, छूट दर तथा लाभ प्राप्त करने की पात्रता संबंधी मानदंडों के संयोजन पर निर्भर करता है। सेवा से त्याग को अधिक नहीं आंकना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में सामान्यतः कम अवधि की सेवा वाले कर्मचारी का सेवानिवृत्ति लाभ, लंबी सेवा वाले कर्मचारी की तुलना में प्रति वर्ष कम लागत वाला होता है।

(ii) भविष्य निधि

कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को भविष्य निधि पर ऐसी दर से ब्याज घोषित करना होता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित दर से कम न हो। यदि ट्रस्ट ब्याज दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, तो कंपनी को कमी की राशि की पूर्ति करनी होती है। यह एक परिभाषित लाभ योजना है और कंपनी द्वारा इसका बीमांकिक मूल्यांकन कराया गया है।
चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट में ब्याज की कोई कमी नहीं है।
भविष्य निधि ट्रस्ट (पीएफ ट्रस्ट) द्वारा किए गए कुछ निवेशों की वसूली के संबंध में अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2025-26 के दौरान ₹8.58 लाख का प्रावधान किया गया है (वर्ष 2024-25 के दौरान ₹415.15 लाख के प्रावधान को वापस लिख दिया गया था, क्योंकि पहले किए गए प्रावधान की तुलना में अधिक राशि की वसूली हुई थी)।

बीमांकिक धारणाएं	331 मार्च 2026 (वित्तपोषित)	31 मार्च 2025 (वित्तपोषित)
छूट दर	7.21%	6.78%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%
भविष्य निधि पर ब्याज दर की गारंटी	*	8.25%
बीडीएल भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर	*	8.25%

* अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है

(iii) प्रतिपूरित अवकाश

अवकाश संबंधी दायित्व अर्जित अवकाश के लिए कंपनी की देयता से संबंधित हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने 01 जुलाई 2024 से अर्ध-वेतन अवकाश की शुरुआत की। तदनुसार, कंपनी ने वर्ष 2025-26 के दौरान अर्ध-वेतन अवकाश से संबंधित ₹482.78 लाख का अतिरिक्त दायित्व (वर्ष 2024-25 के दौरान ₹461.59 लाख) मान्यता दी है।

कंपनी प्रतिपूरित अवकाश के उद्देश्य से एक वित्तपोषित योजना संचालित करती है। कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार योजना परिसंपत्तियों को घटाने के बाद शुद्ध दायित्व के रूप में दायित्वों को मान्यता देती है। कर्मचारी लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

विवरण	331 मार्च 2026	31 मार्च 2025
कंपनी के कर्मचारियों के संचित अवकाश का बीमांकिक दायित्व	14,608.15	15,143.16
घटाएं: योजना परिसंपत्तियां	13,713.57	12,974.27
शुद्ध दायित्व / (परिसंपत्ति)	894.57	2,168.89
महत्वपूर्ण धारणाएं:		
छूट दर	7.21%P.A.	6.78%P.A.
वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति की आयु	60 YEARS	60 YEARS

(iv) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना

विवरण		31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
क)	01 जनवरी 2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु किए गए अंशदान – पीएसएमबी-I	-	117.40
ख)	01 जनवरी 2007 के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु किए गए अंशदान – पीएसएमबी-II	316.23	338.02
ग)	01 जनवरी 2007 के बाद सेवानिवृत्त गैर-अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु किए गए अंशदान – पीएसएमबी-III	413.75	447.49

38(4) निर्माण अनुबंध:

निर्माण अनुबंधों से संबंधित राजस्व की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं।

अनुबंध राजस्व की मान्यता की विधियां:

अवधि में मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व निर्धारित करने के लिए पूर्णता प्रतिशत पद्धति का उपयोग किया जाता है।

अनुबंध की पूर्णता का चरण निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त विधि:

पूर्ण किए गए कार्य पर हुई अनुबंध लागतों और अनुबंधों की अनुमानित कुल लागत के अनुपात का उपयोग अनुबंध की पूर्णता का चरण निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व	-	-
कुल हुई लागत की राशि	-	-
मान्यता प्राप्त लाभ	-	-
देय रोकी गई राशि	-	-
प्राप्त एवं बकाया अग्रिम की राशि	19,864.27	19,864.27

38(5) अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय:

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा वित्तपोषित उत्पाद सुधार सहित अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय को लेखा की प्राकृतिक मदों में प्रभारित किया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
राजस्व व्यय की प्रकृति में होने वाला	18,680.12	10,974.72
संयुक्त विकास व्यय की प्रकृति में होने वाला	1,142.86	11,317.25
कुल	**19,822.98**	**22,291.97**

* वर्ष 2025-26 के दौरान ₹474.38 लाख मूल्य की परिसंपत्तियां पूंजीकृत की गई हैं (वर्ष 2024-25 के दौरान ₹589.59 लाख), जिन्हें अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के उद्देश्य से खरीदा गया है।

- उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास व्यय कंपनी की शुद्ध लागत पर दर्शाया गया है।

38(6) आकस्मिक देयताएं एवं संविदात्मक प्रतिबद्धताएं:

(₹ लाख में)

प्रावधान नहीं की गई आकस्मिक देयताएं:	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
बकाया साख पत्र एवं गारंटियां:		
(i) साख पत्र	13,772.75	18,870.79
(ii) गारंटियां एवं प्रति-गारंटियां	5,449.38	4,848.03
कुल	**19,222.13**	**23,718.82**
कंपनी के विरुद्ध दावे / मांगें, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-
(ii) बिक्री कर	21,310.03	21,310.03
(iii) सेवा कर	-	1,840.89
(iv) आयकर	732.80	732.80
(v) उत्पाद शुल्क	5,306.33	5,306.33
(vi) वस्तु एवं सेवा कर	8.76	8.76
(vii) अन्य	2,044.97	1,882.56
कुल	**29,402.89**	**31,081.37**
संविदात्मक प्रतिबद्धताएं:		
(क) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसे शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि:		
(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	7,517.57	18,526.52
(ii) निवेश संपत्ति	-	-
(iii) अमूर्त परिसंपत्तियां	2,769.08	-
(ख) वर्ष के अंत में देय डिलिवरेबल्स के संबंध में एलडी के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धता का लेखांकन संबंधित राजस्व की मान्यता के समय किया जाएगा।	51,406.79	31,972.76
कुल	**61,693.44**	**50,499.28**

38(7) समयपूर्व बंद की गई परियोजनाओं का विवरण:

ग्राहकों से प्राप्त ₹36,234.42 लाख के अग्रिम (31 मार्च 2025 को ₹36,234.42 लाख) में से, समयपूर्व बंद किए गए पांच अनुबंधों/इंडेंट तथा एक आशय पत्र (एलओआई) के संबंध में, कंपनी ने विशेष औजार एवं उपकरण तथा भंडार की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया है। इन भुगतानों के विरुद्ध, विशेष औजार एवं उपकरण (टिप्पणी 1) में ₹114.05 लाख की राशि (31 मार्च 2025 को ₹114.05 लाख), चालू परिसंपत्तियों (टिप्पणी 10-16) में विक्रेताओं को दिए गए अग्रिम के रूप में ₹11,041.65 लाख (31 मार्च 2025 को ₹11,041.65 लाख) तथा भंडार में ₹8,327.07 लाख (31 मार्च 2025 को ₹8,331.44 लाख) शामिल हैं, जिनकी कुल राशि ₹19,482.77 लाख (31 मार्च 2025 को ₹19,489.55 लाख) है। चूंकि इन परिसंपत्तियों का अधिग्रहण/व्यय कंपनी द्वारा पक्के आदेशों/आशय पत्र (एलओआई) के आधार पर तथा ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से किया गया था, इसलिए लंबे समय से बकाया अग्रिमों तथा गैर-गतिशील विशेष औजार एवं भंडार के कारण कंपनी पर कोई हानि नहीं आती है। अतः किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है। इसके अलावा, इन समयपूर्व बंद किए गए इंडेंट/अनुबंधों/आशय पत्र (एलओआई) के संबंध में, कंपनी ने उपलब्ध अग्रिम के समायोजन के बाद ₹1,593.88 लाख (31 मार्च 2025 को ₹1,593.88 लाख) की शुद्ध व्यय राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ग्राहकों से संपर्क किया है। अतः सरकार/ग्राहकों से राशि के अंतिम निर्धारण के अभाव में, खातों में कोई दावा/लाभ पर प्रभाव दर्ज नहीं किया गया है।

38(8) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

क) सहयोगी संस्थाएं:

संस्था का नाम	संबंध	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व
एडवांस्ड मैटेरियल्स (डिफेंस) टेस्टिंग फाउंडेशन	सहयोगी संस्था	20%
इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (डिफेंस) टेस्टिंग फाउंडेशन*	सहयोगी संस्था	10%

*यद्यपि कंपनी के पास 10% इक्विटी हित का स्वामित्व है, फिर भी सहयोगी संस्था के निदेशक मंडल में सार्थक प्रतिनिधित्व के कारण कंपनी का उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।

ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम

कमोडोर ए. माधवराव (सेवानिवृत्त), सीएमडी	श्री डी.वी. श्रीनिवास राव, निदेशक (तकनीकी) (20 सितंबर 2024 से)
श्रीमती जी. गायत्री प्रसाद, निदेशक (वित्त)	कमोडोर सुजय कपूर (सेवानिवृत्त), निदेशक (उत्पादन) (06 मार्च 2026 से)
श्री पी.वी. राजा राम, निदेशक (उत्पादन) (30 सितंबर 2025 तक)	श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया (22 अप्रैल 2025 से)
श्री जसवंत लाल, स्वतंत्र निदेशक (23 फरवरी 2026 तक)	श्री सुनील चिंतामन मोने, स्वतंत्र निदेशक (24 दिसंबर 2024 तक)
प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा, स्वतंत्र निदेशक (27 दिसंबर 2024 तक)	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत, स्वतंत्र निदेशक (28 दिसंबर 2024 तक)
श्री नंदकुमार सुब्बुरामन, स्वतंत्र निदेशक (24 दिसंबर 2024 तक)	डॉ. पवन स्थापक, स्वतंत्र निदेशक (24 दिसंबर 2024 तक)
श्री एन. नागराजा, कंपनी सचिव	

(₹ लाख में)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	260.90	237.54
सेवानिवृत्ति उपरांत कर्मचारी लाभ	59.74	54.15
दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	-	-
स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क	8.50	22.50
कुल पारिश्रमिक	**329.14**	**314.18**

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए पारिश्रमिक के अलावा संबंधित पक्षों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

38(9) पूंजी प्रबंधन

क) जोखिम प्रबंधन:

कंपनी के पास शेयरधारकों से संबंधित इक्विटी पूंजी और अन्य आरक्षित निधियां ही पूंजी का एकमात्र स्रोत हैं तथा कंपनी पर कोई उधार या ऋण नहीं है।

ख) लाभांश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
(i) 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹5 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर पर ₹4.50 का अंतरिम लाभांश (31 मार्च 2025 को ₹5 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर पर ₹4.00)	16,495.31	14,662.50
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता नहीं दिए गए लाभांश:	1,466.25	2,382.66
31 मार्च 2026 को वर्ष के अंत में, निदेशकों ने ₹5 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर पर ₹0.40 के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है (31 मार्च 2025: ₹5 प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर ₹0.65)। प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।		

रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटित घटनाएं:

निदेशकों द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश के लिए उपर्युक्त टिप्पणी देखें, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

38(10) शेष राशियों की पुष्टि:

देनदारों, लेनदारों, प्राप्य दावों, ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों के पास रखी सामग्री, अग्रिमों, जमाराशियों तथा अन्य मदों के संबंध में शेष राशियों की पुष्टि का अनुरोध करने वाले पत्र भेजे गए हैं। जहां भी उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर आवश्यकतानुसार मिलान/प्रावधान/समायोजन किए गए हैं।

38(11) रोकी गई बिक्री:

वर्ष के दौरान सकल कारोबार में शामिल रोकी गई बिक्री (अर्थात ग्राहकों के अनुरोध पर तथा उनके जोखिम पर कंपनी के पास रोके गए माल) का मूल्य ₹69,509.21 लाख है (वर्ष 2024-25 के दौरान ₹1,66,624.90 लाख)। इन बिक्री के संबंध में, यद्यपि अनुबंध एफओआर या एफओआर-गंतव्य आधार पर हैं, ग्राहक ने कंपनी को बिक्री की मान्यता देने और सामग्री को अपने पास रखने की अनुमति दी है।

38(12) पंजीकृत प्रभार:

कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों पर भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में ₹61,500.00 लाख (31 मार्च 2025 को ₹61,500.00 लाख) की सीमा तक फ्लोटिंग प्रभार पंजीकृत किया है।

38(13) परिचालन चक्र:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकतानुसार, जहां लागू हो, उत्पाद स्तर पर परिचालन चक्र निर्धारित किया गया है।

38(14) आकस्मिक परिसंपत्तियां:

विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
आकस्मिक परिसंपत्तियां	-	-

38(15) उचित मूल्य मापन

(₹ लाख में)

विवरण	उचित मूल्य पदानुक्रम स्तर	टिप्पणियां	31 मार्च, 2026 को			31 मार्च, 2025 को		
			लागत	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	लागत	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल
क. वित्तीय परिसंपत्तियां								
क) परिशोधित लागत पर मापी गई								
i) सहयोगी संस्थाओं में निवेश		6	390.60	390.60	-	390.60	390.60	
ii) नकद एवं नकद समकक्ष		12	86,331.49	86,331.49	-	13,385.68	13,385.68	
iii) अन्य बैंक शेष		13	3,84,600.00	3,84,600.00	-	4,05,651.00	4,05,651.00	
iv) ऋण		7,14	593.20	593.20	-	567.31	567.31	
v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		8,15	53,793.04	53,793.04	-	1,02,256.29	1,02,256.29	
vi) व्यापार प्राप्य		11	42,287.89	42,287.89	-	82,635.63	82,635.63	
उप-योग			**5,67,996.22**	**5,67,996.22**	**-**	**6,04,886.51**	**6,04,886.51**	**-**

(₹ लाख में)

विवरण	उचित मूल्य पदानुक्रम स्तर	टिप्पणियां	31 मार्च, 2026 को			31 मार्च, 2025 को		
			लागत	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	लागत	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल
ख) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापी गई								
i) अन्य कंपनियों में इक्विटी लिखतों में निवेश	3	6	53.60	-	-	53.60		-
ii) आस्थगित प्राप्य	3	8,15	2,092.12	-	5,003.09	2,282.32		4,814.13
उप-योग			**2,145.72**	**-**	**5,003.09**	**2,335.92**	**-**	**4,814.13**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां			**5,70,141.94**	**5,67,996.22**	**5,003.09**	**6,07,222.43**	**6,04,886.51**	**4,814.13**
ख. वित्तीय देयताएं								
क) परिशोधित लागत पर मापी गई								
i) पट्टा देयताएं		19,24	31.52	31.52		211.50	211.50	
ii) व्यापार देय		25	2,83,478.38	2,83,478.38	-	1,50,556.05	1,50,556.05	
iii) अन्य वित्तीय देयताएं		20,26	36,765.99	36,765.99	-	37,595.31	37,595.31	
उप-योग			**3,20,275.89**	**3,20,275.89**	**-**	**1,88,362.86**	**1,88,362.86**	**-**
ख) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापी गई								
i) अंतर्निहित डेरिवेटिव वित्तीय देयता	3	20,26	-	-	3,748.84	-		3,476.84
उप-योग			**-**	**-**	**3,748.84**	**-**	**-**	**3,476.84**
कुल वित्तीय देयताएं			**3,20,275.89**	**3,20,275.89**	**3,748.84**	**1,88,362.86**	**1,88,362.86**	**3,476.84**

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नलिखित तालिका परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य पदानुक्रम को प्रस्तुत करती है:

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
वित्तीय परिसंपत्तियां:			
क) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई			
i) अन्य कंपनियों में इक्विटी लिखतों में निवेश	3	-	-
ii) आस्थगित प्राप्य	3	5,003.09	4,814.13
वित्तीय देयताएं:			
क) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई			
i) अंतर्निहित डेरिवेटिव वित्तीय देयता	3	3,748.84	3,476.84

उचित मूल्य पदानुक्रम:

वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य को निम्नलिखित तीन स्तरों के आधार पर विभिन्न उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत किया गया है:

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमत के अलावा ऐसे इनपुट, जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) प्रेक्षणीय हैं। ऐसे वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य, जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं होता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों के उपयोग को अधिकतम किया जाता है और संस्था-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भरता रखी जाती है। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के निर्धारण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण इनपुट प्रेक्षणीय हैं, तो उस लिखत को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: परिसंपत्तियों या देयताओं के ऐसे इनपुट, जो प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अप्रेक्षणीय इनपुट)। यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं, तो उस लिखत को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह उन सूचीबद्ध लिखतों के मामले में होता है, जिनका बाजार तरल नहीं है, तथा असूचीबद्ध लिखतों के मामले में भी होता है।

उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक:

वित्तीय लिखतों का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

» असूचीबद्ध इक्विटी लिखत का उचित मूल्य कंपनी की निवल संपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

» वर्ष 2021-22 के दौरान, एपीजीपीसीएल अर्थात वह कंपनी, जिसमें बीडीएल ने इक्विटी में निवेश किया था, को प्रतिकूल मध्यस्थता निर्णय प्राप्त हुआ। इसके कार्यान्वयन से एपीजीपीसीएल की निवल संपत्ति में कमी आने की संभावना है। तदनुसार, निवेश का उचित मूल्य 'शून्य' माना गया है।

» 45 वर्ष के आस्थगित ऋण तथा प्राप्य राशियों का उचित मूल्य अनुबंध के अनुसार विदेशी विनिमय दरों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

परिणामी उचित मूल्य अनुमान स्तर 3 में शामिल किए गए हैं।

महत्वपूर्ण अप्रेक्षणीय इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य मापन (स्तर 3)

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्तर 3 की मदों में हुए परिवर्तनों को प्रस्तुत करती है:

(₹ लाख में)

विवरण	असूचीबद्ध इक्विटी शेयर	आस्थगित प्राप्य	अंतर्निहित डेरिवेटिव देयता
31 मार्च 2025 को	-	4,814.13	3,476.84
लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लाभ/हानि	-	667.08	568.10
वित्तीय लिखत की चालू परिपक्वता		(478.12)	(296.10)
31 मार्च 2026 को	-	5,003.09	3,748.84

मूल्यांकन इनपुट और उचित मूल्य से संबंध

निम्नलिखित तालिका स्तर 3 के उचित मूल्य मापन में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण अप्रेक्षणीय इनपुट के संबंध में मात्रात्मक जानकारी का सारांश प्रस्तुत करती है।

(₹ लाख में)

विवरण	निम्न दिनांक को उचित मूल्य		महत्वपूर्ण अप्रेक्षणीय इनपुट	संवेदनशीलता
	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025		
असूचीबद्ध इक्विटी शेयर	-	-	कंपनी का उचित मूल्य	कंपनी के उचित मूल्य में 1% की वृद्धि होने पर गैर-चालू निवेश में ₹शून्य की वृद्धि होगी, जिसका लाभ एवं हानि पर समान प्रभाव पड़ेगा; कंपनी के उचित मूल्य में कमी होने पर गैर-चालू निवेश में ₹शून्य की कमी होगी, जिसका लाभ एवं हानि पर समान प्रभाव पड़ेगा।
आस्थगित प्राप्य	5,003.09	4,814.13	विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर इकाई) प्रति रुपया दर	एसडीआर दर में ₹1 की वृद्धि होने पर उचित मूल्य में ₹42.01 लाख की वृद्धि होगी, जिसका लाभ एवं हानि पर समान प्रभाव पड़ेगा; एसडीआर दर में ₹1 की कमी होने पर उचित मूल्य में ₹42.01 लाख की कमी होगी, जिसका लाभ एवं हानि पर समान प्रभाव पड़ेगा।
अंतर्निहित डेरिवेटिव देयता	3,748.84	3,476.84	विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर इकाई) प्रति रुपया दर	एसडीआर दर में ₹1 की वृद्धि होने पर उचित मूल्य में ₹43.20 लाख की वृद्धि होगी, जिसका लाभ एवं हानि पर समान प्रभाव पड़ेगा; एसडीआर दर में ₹1 की कमी होने पर उचित मूल्य में ₹43.20 लाख की कमी होगी, जिसका लाभ एवं हानि पर समान प्रभाव पड़ेगा।

38(16) वित्तीय जोखिम प्रबंधन:

कंपनी की गतिविधियां बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के प्रति संवेदनशील हैं। प्रत्येक जोखिम का विश्लेषण निम्नानुसार है:

क) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम नकद एवं नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर धारित लिखतों तथा बैंकों में जमाराशियों से उत्पन्न होता है, साथ ही बकाया प्राप्य राशियों सहित ग्राहकों के प्रति ऋण जोखिम भी इसमें शामिल है।

(i) ऋण जोखिम प्रबंधन

क. नकद एवं नकद समकक्ष पर ऋण जोखिम सीमित है, क्योंकि कंपनी सामान्यतः बाहरी एजेंसियों द्वारा उच्च ऋण रेटिंग वाले बैंकों में जमाराशियों में निवेश करती है।

ख. दावे/वापसी योग्य राशियों, व्यापार प्राप्य तथा बिना बिल के राजस्व पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

(i) 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष:

(क) सामान्य मॉडल लागू किए जाने वाले वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

विवरण	परिसंपत्ति समूह	चूक की स्थिति में अनुमानित सकल वहन मूल्य	अपेक्षित चूक की संभावना	अपेक्षित ऋण हानिs	प्रावधान के बाद शुद्ध वहन मूल्य
ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है – 12 माह की अपेक्षित ऋण हानियों के आधार पर मापा गया हानि भत्ता	दावे/वापसी योग्य राशियां	10,828.46	0.04%	(4.33)	10,824.13
	ऋण	593.20	-	-	593.20

(ख) सरलीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्य एवं बिना बिल के प्राप्य राशि के लिए अपेक्षित ऋण हानि

(₹ लाख में)

विवरण	कुल
सकल वहन मूल्य	80,876.89
अपेक्षित ऋण हानि दर	10.10%
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	(8,172.50)
व्यापार प्राप्यों का वहन मूल्य	72,704.39

(ii) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष:

(क) सामान्य मॉडल लागू किए जाने वाले वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

विवरण	परिसंपत्ति समूह	चूक की स्थिति में अनुमानित सकल वहन मूल्य	अपेक्षित चूक की संभावना	अपेक्षित ऋण हानि	प्रावधान के बाद शुद्ध वहन मूल्य
ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है – 12 माह की अपेक्षित ऋण हानियों के आधार पर मापा गया हानि भत्ता	दावे/वापसी योग्य राशियां	8,569.47	0.05%	(4.33)	8,565.14
	ऋण	567.31	-	-	567.31

(ख) सरलीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्य एवं बिना बिल के प्राप्य राशि के लिए अपेक्षित ऋण हानि

(₹ लाख में)

विवरण	कुल
सकल वहन मूल्य	1,70,138.04
अपेक्षित ऋण हानि दर	5.35%
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	(9,098.23)
व्यापार प्राप्यों का वहन मूल्य	1,61,039.81

(iii) हानि भत्ते का मिलान:

(₹ लाख में)

विवरण	व्यापार प्राप्य एवं बिना बिल के राजस्व	दावे/वापसी योग्य राशियां
31 मार्च 2025 को हानि भत्ता	(9,098.23)	(4.33)
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया हानि भत्ता प्रावधान	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान वापस किया गया हानि भत्ता	925.73	-
31 मार्च 2026 को हानि भत्ता	(8,172.50)	(4.33)

(iv) महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय:

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:

उपरोक्त में प्रकट की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान चूक के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के संबंध में की गई धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन धारणाओं को निर्धारित करने तथा हानि की गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पिछले अनुभव, मौजूदा बाजार स्थितियों तथा भविष्य की परिस्थितियों के अनुमानों पर आधारित होते हैं।

ख) तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन में देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने तथा बाजार स्थितियों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नकदी और वित्तपोषण की उपलब्धता बनाए रखना शामिल है। कंपनी का कोषागार बैंकों में जमाराशियों के अंतर्गत उपलब्ध राशि बनाए रखकर वित्तपोषण में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकद एवं नकद समकक्ष की निगरानी करता है।

(i) वित्तपोषण व्यवस्थाएं

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी को निम्नलिखित अप्रयुक्त उधार सुविधाएं उपलब्ध हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ओवरड्राफ्ट एवं अन्य सुविधाएं)	1,500.00	1,500.00

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता अवधि

31 मार्च 2026 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता अवधि	12 महीने से कम	1 से 2 वर्ष के बीच	2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-डेरिवेटिव					
पट्टा देयताएं	31.52	-	-	-	31.52
45 वर्ष के घटक के संबंध में आस्थगित ऋण	195.60	181.10	466.73	548.09	1,391.52
जमाराशियां	2,453.14	-	-	-	2,453.14
व्यापार देय	2,83,478.38	-	-	-	2,83,478.38
व्ययों के लिए लेनदार	24,583.22	-	-	-	24,583.22
देय कर्मचारी लाभ	4,153.15	-	-	-	4,153.15
पूंजीगत कार्य	543.06	-	-	-	543.06
अन्य	3,641.90	-	-	-	3,641.90
डेरिवेटिव					
अंतर्निहित डेरिवेटिव देयता (आस्थगित देयता)	491.70	296.11	888.33	2,072.70	3,748.84

31 मार्च 2025 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता अवधि	12 महीने से कम	1 से 2 वर्ष के बीच	2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-डेरिवेटिव					
पट्टा देयताएं	179.98	31.52	-	-	211.50
45 वर्ष के घटक के संबंध में आस्थगित ऋण	195.60	181.10	466.73	625.77	1,469.19
जमाराशियां	1,933.76	-	-	-	1,933.76
व्यापार देय	1,50,556.05	-	-	-	1,50,556.05
व्ययों के लिए लेनदार	27,351.34	-	-	-	27,351.34
देय कर्मचारी लाभ	6,237.92	-	-	-	6,237.92
पूंजीगत कार्य	191.18	-	-	-	191.18
अन्य	411.91	-	-	-	411.91
डेरिवेटिव					
अंतर्निहित डेरिवेटिव देयता (आस्थगित देयता)	448.00	252.41	757.23	2,019.20	3,476.84

ग) बाजार जोखिम

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी ऐसे कारोबार में कार्य करती है, जिसमें विदेशी मुद्रा लेन-देन से उत्पन्न विदेशी विनिमय जोखिम रहता है, मुख्यतः अमेरिकी डॉलर (यूएसडी), यूरो, जीबीपी, सीएचएफ और एसईके के संबंध में। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेन-देन तथा ऐसी मुद्रा में अंकित मान्यता प्राप्त देयताओं से उत्पन्न होता है, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपया) नहीं है। इस जोखिम का आकलन अत्यधिक संभावित विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान के माध्यम से किया जाता है। अधिकांश बिक्री अनुबंधों के लिए विदेशी मुद्रा देयताओं के निपटान के समय कंपनी विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन के अनुसार समायोजन प्राप्त करने की पात्र है। अतः कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम से सुरक्षित है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026				
	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	सीएचएफ	एसईके
विदेशी मुद्रा देयताएं					
- देय	4.08	4.06	3.40	-	-
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां					
- प्राप्य	106.96	-	-	-	-
- बैंकों में विदेशी मुद्रा शेष	868.28	-	-	-	-
शुद्ध एक्सपोजर	**(971.16)**	**4.06**	**3.40**	**-**	**-**

(₹ in lakh)

विवरण	31 मार्च 2025				
	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	सीएचएफ	एसईके
विदेशी मुद्रा देयताएं					
- देय	258.21	3.78	-	-	-
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां					
- प्राप्य	696.40	-	-	-	-
- बैंकों में विदेशी मुद्रा शेष	25.33	-	-	-	-
शुद्ध एक्सपोजर	(463.52)	3.78	-	-	-

* एफई देय में ऐसे अनुबंध शामिल हैं, जो भारतीय रुपये में अंकित हैं, लेकिन जिनका मूल्य निर्धारण और निपटान अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है।

(ii) संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ या हानि की संवेदनशीलता मुख्यतः विदेशी मुद्रा में अंकित वित्तीय लिखतों तथा विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड विनिमय अनुबंधों से उत्पन्न होती है:

(₹ लाख में)

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
संवेदनशीलता		
आईएनआर/यूएसडी – 1% की वृद्धि	(908.29)	(395.28)
आईएनआर/यूएसडी – 1% की कमी	908.29	395.28
आईएनआर/यूरो – 1% की वृद्धि	4.41	3.52
आईएनआर/यूरो – 1% की कमी	(4.41)	(3.52)
आईएनआर/जीबीपी – 1% की वृद्धि	4.26	-
आईएनआर/जीबीपी – 1% की कमी	(4.26)	-
आईएनआर/सीएचएफ – 1% की वृद्धि	-	-
आईएनआर/सीएचएफ – 1% की कमी	-	-
आईएनआर/एसईके – 1% की वृद्धि	-	-
आईएनआर/एसईके – 1% की कमी	-	-

38(17) खंड संबंधी जानकारी:

भारतीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 05 जून 2015 की अधिसूचना संख्या G.S.R. 463 (ई) द्वारा, जिसे दिनांक 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना संख्या 1/2/2014-सीएल-V द्वारा संशोधित किया गया है, रक्षा उत्पादन में संलग्न सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत खंड रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट प्रदान की है।

38(18) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर:

आईसीएआई द्वारा "विदेशी मुद्रा एक्सपोजर" के प्रकटीकरण की आवश्यकता के संबंध में की गई घोषणा के अनुपालन में, 31 मार्च 2026 को प्रमुख मुद्राओं के अनुसार एक्सपोजर (31 मार्च 2025 की राशि कोष्ठक में दर्शाई गई है) नीचे दिया गया है।

(₹ लाख में)

मुद्रा	वित्तीय देयताएं		वित्तीय परिसंपत्तियां		आकस्मिक देयता	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपये के समतुल्य	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपये के समतुल्य	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपये के समतुल्य
यूएसडी	4.08	384.28	975.23	91,213.53	165.47	15,585.52
	(258.21)	(22,028.61)	(721.73)	(61,556.55)	(44.18)	(3,798.03)
यूरो	4.06	441.34	-	-	-	-
	(3.78)	(351.66)	-	-	-	-
जीबीपी	3.40	426.19	-	-	13.56	1,699.43
	-	-	-	-	(166.05)	(18,524.26)
सीएचएफ	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
एसईके	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
कुल (₹)		**1,251.81**		**91,213.53**		**17,284.95**
		(22,380.27)		**(61,556.55)**		**(22,322.29)**

38(19) सौर संयंत्र हेतु अनुदान:

कंपनी ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) योजना के अंतर्गत प्रत्येक 5 मेगावाट क्षमता वाले दो सौर संयंत्र स्थापित किए हैं। संविदाओं के अनुसार परियोजना लागत के आधार पर व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) का लेखांकन किया जाता है। ₹1,545.89 लाख की राशि को वीजीएफ के रूप में लेखांकित किया गया है तथा कंपनी की पुस्तकों में आस्थगित राजस्व (टिप्पणी संख्या 22) के अंतर्गत प्रकट किया गया है। ₹61.83 लाख की राशि के आस्थगित राजस्व @4% प्रति वर्ष को सौर संयंत्र से प्राप्त आय के रूप में मान्यता दी गई है।

38(20) भारतीय लेखांकन मानक 115 के अंतर्गत प्रकटीकरण: ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

क. कार्य-निष्पादन दायित्व की संतुष्टि

i. अधिकांश अनुबंधों में कार्य-निष्पादन दायित्व "एक निश्चित समय-बिंदु पर" पूरा होता है, जो मुख्य रूप से ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जटिल प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग से संबंधित अनुबंधों के संबंध में कार्य-निष्पादन दायित्व "एक अवधि के दौरान" पूरा होता है।

ii. "बिल बनाकर माल रोककर बिक्री" व्यवस्था के अंतर्गत, ग्राहक द्वारा स्वीकृति दिए जाने पर माल को अनुबंध के लिए बिना शर्त विनियोजित किए जाने पर कार्य-निष्पादन दायित्व पूरा होता है।

iii. कंपनी के अनुबंधों में सामान्यतः कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होता है तथा प्राप्त कोई अग्रिम भुगतान और/या ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि का उद्देश्य अनुबंध के किसी भी पक्ष के हितों की सुरक्षा करना होता है।

iv. परिवर्ती प्रतिफल में मुख्य रूप से विदेशी विनिमय परिवर्तन खंड तथा परिसमाप्त हर्जाने के विरुद्ध प्राप्य/प्रतिपूर्ति योग्य राशि शामिल होती है। इसके संबंध में मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि अनुबंध में निर्दिष्ट पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। राशि को संविदात्मक शर्तों के आधार पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

v. कंपनी के कारोबार में मुख्य रूप से मिसाइलों और संबद्ध रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शामिल है।

vi. प्रदान की गई वारंटियां मुख्य रूप से कार्य-निष्पादन वारंटी की प्रकृति की होती हैं।

vii. कंपनी सामान्यतः उन अनुबंधों में राजस्व की मान्यता के लिए इनपुट पद्धति का उपयोग करती है, जिनमें कार्य-निष्पादन दायित्व एक अवधि के दौरान पूरा होता है। मान्यता दिए जाने वाले राजस्व की राशि निर्धारित करने के लिए पूर्णता प्रतिशत पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें मान्यता दिए जाने वाले राजस्व की राशि निर्धारित करने के लिए वास्तविक रूप से हुई लागत का कुल अनुमानित लागत से प्रतिशत, अनुबंध मूल्य पर लागू किया जाता है। कंपनी के वे अनुबंध (एएमसी को छोड़कर), जिनके संबंध में राजस्व की मान्यता एक अवधि के दौरान की जाती है, सामान्यतः विभिन्न प्रकृति की अनेक गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जैसे भवन का निर्माण, उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना आदि। इसके कारण किए गए कार्य की मात्रा (अर्थात आउटपुट) को भौतिक रूप में विश्वसनीय ढंग से निर्धारित करना संभव नहीं है। जबकि, इनपुट पद्धति के अंतर्गत, इन विभिन्न गतिविधियों के संबंध

में हुई लागत को दर्ज किया जा सकता है और की जाने वाली कुल अनुमानित लागत (जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है) से उसकी तुलना करके पूर्णता प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। एएमसी अनुबंधों के मामले में, राजस्व की मान्यता के लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें कार्य-निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए समय का बीतना मानदंड होता है।

viii. "एक निश्चित समय-बिंदु पर" पूरा किए गए कार्य-निष्पादन दायित्व के संबंध में राजस्व की मान्यता के लिए, यह निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया जाता है कि ग्राहक ने "परिसंपत्ति पर नियंत्रण" प्राप्त कर लिया है या नहीं:

» अनुबंध के अनुसार सुपुर्दगी की शर्तें

» ग्राहक के पास परिसंपत्ति का कानूनी स्वामित्व है

» संस्था ने परिसंपत्ति का भौतिक कब्जा हस्तांतरित कर दिया है

» ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार कर लिया है

» संस्था को परिसंपत्ति के लिए भुगतान प्राप्त करने का वर्तमान अधिकार है

ix. लेन-देन मूल्य सामान्यतः ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अनेक दायित्वों के संबंध में लेन-देन मूल्य का आवंटन सापेक्ष स्वतंत्र बिक्री मूल्य के आधार पर किया जाता है, जो बेची गई समान मद के लिए उपलब्ध नवीनतम अनुबंध के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ख. ग्राहकों के साथ अनुबंधों के विरुद्ध मान्यता प्राप्त राजस्व का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	भारत सरकार	निर्यात (चैनल पार्टनर सहित)	अन्य	कुल
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए				
उत्पादों की बिक्री	1,36,057.14	70,223.39	22,551.44	2,28,831.97
सेवाओं की बिक्री	8,862.12	-	3,841.87	12,703.99
कुल	**1,44,919.26**	**70,223.39**	**26,393.31**	**2,41,535.96**
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए				
उत्पादों की बिक्री	1,52,953.43	1,26,504.48	30,447.06	3,09,904.97
सेवाओं की बिक्री	13,529.54	452.83	8,419.95	22,402.32
कुल	**1,66,482.97**	**1,26,957.31**	**38,867.01**	**3,32,307.29**

ग. अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देयताओं में परिवर्तन

विवरण	अनुबंध परिसंपत्तियां		अनुबंध देयताएं	
	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
प्रारंभिक शेष (क)	**78,404.18**	**87,456.12**	**5,17,979.39**	**4,98,628.66**
परिवर्धन				
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त बिक्री के विरुद्ध	12,906.21	64,681.73		
वर्ष के दौरान ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	-	-	2,00,519.19	1,49,221.86
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त लेन-देन मूल्य में परिवर्तन	-	-	136.16	
अन्य (यदि कोई हो)	392.38	6.53		0.02
कुल - (ख)	**13,298.58**	**64,688.26**	**2,00,655.35**	**1,49,221.88**
कटौतियां				
प्रारंभिक शेष में से वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व के विरुद्ध समायोजित अनुबंध देयता			46,725.46	1,02,318.33
चालू वर्ष के शेष में से वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व के विरुद्ध समायोजित अनुबंध देयता			38,629.01	27,552.82
अनुबंध परिसंपत्ति का व्यापार प्राप्य में रूपांतरण	60,999.45	72,159.34	-	
अनुबंध परिसंपत्ति की हानि, यदि कोई हो*	-		-	
अनुबंध देयता को वापस लिखना, यदि कोई हो	-		-	
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त लेन-देन मूल्य में परिवर्तन	-		-	
अन्य (यदि कोई हो)	286.82	1,580.86	8,033.71	
कुल - (ग)	**61,286.26**	**73,740.20**	**93,388.17**	**1,29,871.15**
कुल योग (अंतिम शेष) घ = (क+ख-ग)	**30,416.50**	**78,404.18**	**6,25,246.57**	**5,17,979.39**

* हानि का परीक्षण लेखांकन नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने आकलन किया है कि हानि के कोई संकेतक नहीं हैं।

ग्राहक से प्राप्त अग्रिम को अनुबंध देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और कार्य-निष्पादन दायित्व की पूर्ति होने पर क्रमिक रूप से समायोजित किया जाता है। अग्रिम के समायोजन के बाद प्राप्य शेष राशि को व्यापार प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कार्य-निष्पादन दायित्व की पूर्ति होने पर कंपनी को प्राप्त होने वाली प्रतिपूर्ति, लेकिन भुगतान के माइलस्टोन पूरे नहीं होने के कारण जो राशि देय नहीं है, उसे "अनुबंध परिसंपत्ति" के रूप में मान्यता दी जाती है। भुगतान के माइलस्टोन पूरे होने पर ऐसे शेष को व्यापार प्राप्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

घ. शेष कार्य-निष्पादन दायित्वों का मूल्य

ग्राहकों के साथ ऐसे अनुबंधों से अप्रतिमान्य राजस्व, जो आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं या अपूर्ण हैं

(₹ लाख में)

विवरण	कुल राशि	एक वर्ष के भीतर	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31.03.2026 तक निष्पादित न किए गए आदेशों का मूल्य	26,17,600.00	4,65,000.00	5,60,000.00	6,60,000.00	9,32,600.00

* यह राशि ₹51,406.79 लाख के परिसमाप्त हर्जाने (एलडी) के अधीन है।

ङ. लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता प्राप्त राजस्व का अनुबंध मूल्य के साथ मिलान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	2,28,831.97	3,09,904.97
सेवाओं की बिक्री	12,703.99	22,402.32
कुल (क)	**2,41,535.96**	**3,32,307.29**
अनुबंध मूल्य में जोड़/घटाव समायोजन		
विदेशी विनिमय (एफई) परिवर्तन दावा	-	-
प्राप्त प्रोत्साहन, कार्य-निष्पादन बोनस	-	-
प्रस्तावित छूट, रिबेट	-	-
प्रस्तावित मूल्य रियायत	-	-
ग्राहकों द्वारा लगाया गया एलडी	11,299.41	8,256.57
ग्राहकों द्वारा वापस किया गया एलडी	(697.11)	(1,668.85)
अन्य, यदि कोई हो	-	-
कुल समायोजन (ख)	**10,602.30**	**6,587.72**
अनुबंध मूल्य (क + ख)	**2,52,138.26**	**3,38,895.01**

च. वर्ष 2025-26 के लिए व्यापार प्राप्य में परिवर्तन

विवरण	उत्पादों की बिक्री	सेवाओं की बिक्री	कुल
प्रारंभिक शेष शुद्ध देनदार (क)	**73,578.05**	**9,057.58**	**82,635.63**
परिवर्धन			
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त बिक्री के विरुद्ध	2,39,803.26	11,175.32	2,50,978.58
अनुबंध परिसंपत्ति का व्यापार प्राप्य में रूपांतरण	54,470.59	6,528.86	60,999.45
वर्ष के दौरान/पिछले वर्ष मान्यता प्राप्त लेन-देन मूल्य में परिवर्तन	643.49	-	643.49
अन्य (यदि कोई हो)	655.55	149.04	804.59
कुल - (ख)	**2,95,572.89**	**17,853.22**	**3,13,426.11**
कटौतियां			
वर्ष के दौरान की गई वसूली	2,51,185.38	17,454.57	2,68,639.95
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व में से समायोजित अग्रिम	82,609.02	2,745.45	85,354.47
देनदारों की हानि (प्रावधान)*	(925.73)	-	(925.73)
वर्ष के दौरान/पिछले वर्ष मान्यता प्राप्त लेन-देन मूल्य में परिवर्तन	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो)	683.22	21.94	705.16
कुल - (ग)	**3,33,551.89**	**20,221.96**	**3,53,773.85**
कुल योग (अंतिम शेष) घ = (क+ख-ग)	**35,599.05**	**6,688.84**	**42,287.89**

च. वर्ष 2024-25 के लिए व्यापार प्राप्य में परिवर्तन

विवरण	उत्पादों की बिक्री	सेवाओं की बिक्री	कुल
प्रारंभिक शेष शुद्ध देनदार (क)	**22,588.73**	**8,455.99**	**31,044.72**
परिवर्धन			
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त बिक्री के विरुद्ध	2,88,381.94	20,491.69	3,08,873.63
अनुबंध परिसंपत्ति का व्यापार प्राप्य में रूपांतरण	69,915.89	2,243.45	72,159.34
वर्ष के दौरान/पिछले वर्ष मान्यता प्राप्त लेन-देन मूल्य में परिवर्तन	280.02	13.41	293.43
अन्य (यदि कोई हो)		232.51	232.51
कुल - (ख)	**3,58,577.85**	**22,981.06**	**3,81,558.91**
कटौतियां			
वर्ष के दौरान की गई वसूली	1,68,660.50	19,365.08	1,88,025.58
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व में से समायोजित अग्रिम	1,27,009.39	2,861.76	1,29,871.15
देनदारों की हानि (प्रावधान)*	9,098.23	-	9,098.23
वर्ष के दौरान/पिछले वर्ष मान्यता प्राप्त लेन-देन मूल्य में परिवर्तन	165.65	16.55	182.20
अन्य (यदि कोई हो)	2,654.76	136.08	2,790.84
कुल - (ग)	**3,07,588.53**	**22,379.47**	**3,29,968.00**
कुल योग (अंतिम शेष) घ = (क+ख-ग)	**73,578.05**	**9,057.58**	**82,635.63**

* हानि का परीक्षण लेखांकन नीति 15 के अनुसार किया जाता है और प्रावधान किया गया है।

छ. ग्राहकों से भुगतान की शर्तों में अग्रिम तथा चरणबद्ध भुगतान शामिल हैं, जो अनुबंध-दर-अनुबंध भिन्न होते हैं।

38(21) अतिरिक्त विनियामक जानकारी:

क. कंपनी के नाम पर धारित नहीं की गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख

(₹ लाख में)

तुलन पत्र में संबंधित मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व विलेख जिसके नाम पर धारित हैं	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/निदेशक का रिश्तेदार अथवा प्रवर्तक/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न किए जाने का कारण
फ्रीहोल्ड भूमि	इब्राहिमपट्टनम में भूमि (632 एकड़ 16.50 गुंटा)	7,965.16	टीएसआईआईसी	नहीं	2/16/2017	पंजीकरण की प्रक्रिया में
फ्रीहोल्ड भूमि	कंचनबाग में भूमि (146 एकड़ 32 गुंटा)	28.42	डीएमआरएल	नहीं	10/19/1972	राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिए प्राधिकरणों के साथ कार्यवाही की जा रही है
निवेश संपत्ति	कंचनबाग में भूमि (5 एकड़ 1 गुंटा)	0.97	बीडीएल			
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	विशाखापत्तनम में भूमि (3 एकड़ 25 गुंटा)	-	टीएसआईआईसी	नहीं	3/2/2011	पट्टा विलेख निष्पादित हो चुका है, लेकिन अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ है

ख. निवेश संपत्ति का उचित मूल्य कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अंतर्गत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित नहीं है। हालांकि, इसका निर्धारण राज्य सरकार के पंजीकरण विभाग के अभिलेखों के अनुसार किया जा रहा है।

ग. कंपनी ने वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

घ. कंपनी ने अपने किसी भी प्रवर्तक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (KMPs) तथा संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित) को, चाहे अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, कोई ऋण या ऋण की प्रकृति के अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं।

ङ. पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(क) सीडब्ल्यूआईपी की आयु-विश्लेषण अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	सीडब्ल्यूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2026 को					
(i) प्रगति पर परियोजनाएं	5,200.79	3,338.61	8,870.79	-	17,410.19
(ii) अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं					
कुल	**5,200.79**	**3,338.61**	**8,870.79**	**-**	**17,410.19**
31 मार्च 2025 को					
(i) प्रगति पर परियोजनाएं	3,424.11	6,358.58	1,893.45	38.69	11,714.82
(ii) अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं					
कुल	**3,424.11**	**6,358.58**	**1,893.45**	**38.69**	**11,714.82**

(ख) सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची, जिनकी पूर्णता निर्धारित समय से अधिक हो गई है या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में बढ़ गई है:

सीडब्ल्यूआईपी	निम्न अवधि में पूर्ण किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च 2026 को	155.95	8,435.32	-	-
31 मार्च 2025 को	270.17	2,690.78	-	-

* परियोजनाओं की संवेदनशील प्रकृति तथा खंडवार रिपोर्टिंग के संबंध में प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए, परियोजना-वार विवरण प्रकट नहीं किया गया है।

च. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां:

(क) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु-विश्लेषण अनुसूची

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में एक अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2026 को					
(i) प्रगति पर परियोजनाएं		12,460.11			12,460.11
(ii) अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं					
कुल	**-**	**12,460.11**	**-**	**-**	**12,460.11**
31 मार्च 2025 को					
(i) प्रगति पर परियोजनाएं	11,317.25				11,317.25
(ii) अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं					
कुल	**11,317.25**	**-**	**-**	**-**	**11,317.25**

(ख) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की पूर्णता अनुसूची, जिनकी पूर्णता निर्धारित समय से अधिक हो गई है या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में बढ़ गई है:

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	निम्न अवधि में पूर्ण किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च 2026 को	12,460.11	-	-	-
31 मार्च 2025 को	11,317.25	-	-	-

* परियोजनाओं की संवेदनशील प्रकृति तथा खंडवार रिपोर्टिंग के संबंध में प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए, परियोजना-वार विवरण प्रकट नहीं किया गया है।

ग. प्रमुख वित्तीय अनुपात:

अनुपात	अंशr	हर	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	% विचलन	विचलन का कारण
(क) चालू अनुपात (गुना में)	कुल चालू परिसंपत्तियां	कुल चालू देयताएं	2.01	2.38	-16%	-
(ख) ऋण-इक्विटी अनुपात	लागू नहीं, क्योंकि कंपनी पर कोई ऋण नहीं है					-
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात						-
(घ) इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात (% में)	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	10.19%	14.38%	-29%	कमी का कारण शुद्ध लाभ में कमी है, जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान प्राप्त कम कारोबार के कारण हुई है।
(ङ) भंडार आवर्त अनुपात (गुना में)	परिचालन से राजस्व	औसत भंडार	0.67	1.45	-54%	कमी का कारण कारोबार में कमी और भंडार में वृद्धि है। आगामी वर्षों में उच्च बिक्री लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक भंडार रखा गया है।
(च) व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात (गुना में)	परिचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	3.91	5.89	-34%	कमी का कारण कारोबार में कमी और औसत व्यापार प्राप्य में वृद्धि है। हालांकि, अधिक वसूली के कारण 31 मार्च 2026 को व्यापार प्राप्य में उल्लेखनीय कमी आई है।
(छ) व्यापार देय आवर्त अनुपात (गुना में)	खरीद	औसत व्यापार देय	1.47	2.02	-27%	कमी का मुख्य कारण 31 मार्च 2026 को देय में वृद्धि है। इनमें से अधिकांश अभी देय नहीं हैं।
(ज) शुद्ध पूंजी आवर्त अनुपात (गुना में)	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	0.38	0.56	-32%	कमी का मुख्य कारण वर्ष के दौरान कम कारोबार है।
(झ) शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	परिचालन से राजस्व	17.21%	16.43%	5%	
(ञ) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में)	ईबीआईटी अर्थात कर एवं वित्त लागत से पूर्व लाभ	नियोजित पूंजी अर्थात निवल मूल्य + आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	13.76%	19.35%	-29%	कमी का कारण ईबीआईटी में कमी है, जो मुख्य रूप से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम कारोबार के कारण हुई है।
(ट) निवेश पर प्रतिफल (% में)	निवेशक को प्रतिफल	समय-भारित निवेश	-13.96%	46.87%	-130%	कमी का कारण बाजार में अस्थिरता और व्यापक आर्थिक कारक हैं।

च. कंपनी के विरुद्ध बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को धारित करने के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

छ. कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है। किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था अथवा अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ज. कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत पंजीकरण से हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है।

झ. वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद कंपनी के पास आरओसी के साथ पंजीकृत किए जाने या संतुष्ट किए जाने के लिए कोई प्रभार लंबित नहीं है।

38(22) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण के दौरान ऐसी कोई लेन-देन राशि नहीं है, जो खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं की गई हो तथा जिसे वर्ष के दौरान समर्पित या आय के रूप में प्रकट किया गया हो।

38(23) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

विवरण	**31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए**		**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि	1,372.53			1,369.02
(ii) वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर किए गए व्यय की राशि				
- किसी परिसंपत्ति के निर्माण/अर्जन पर:	1,309.71			770.26
- उपर्युक्त के अलावा अन्य प्रयोजन पर	35.00			563.87
(iii) वर्ष के अंत में, वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि में से कमी	शून्य			शून्य
(iv) पिछले वर्षों की कमी की कुल राशि	शून्य			शून्य
(v) कमी का कारण	लागू नहीं			लागू नहीं
(vi) कंपनी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास			शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास
(vii) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का विवरण	शून्य			शून्य
(viii) जहां संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करने के कारण उत्पन्न देयता के संबंध में कोई प्रावधान किया गया है, वहां वर्ष के दौरान प्रावधान में हुए परिवर्तनों को अलग से दर्शाया जाएगा।	**31 मार्च 2025 को अप्रयुक्त / (अधिशेष) शेष**	**मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान**	**वर्ष के दौरान उपयोग**	**31 मार्च 2026 को अप्रयुक्त / (अधिशेष) शेष**
	(45.90)	1,372.53	(1,344.71)	(18.08)

38(24) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में न तो कारोबार किया है और न ही निवेश किया है।

38(25) ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में (लाख में पूर्णांकित) प्रस्तुत किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो। जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहीकृत या पुनर्व्यवस्थित किया गया है। ऋणात्मक आंकड़ों को कोष्ठक में दर्शाया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी तथा साथ दी गई टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार,

कृते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई

सीए बीराका विजय
भागीदार

(सदस्यता संख्या 214678)

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसकी ओर से

जा. गायत्रा प्रसाद
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

डीआईएन: 10877803

डी. वी. श्रीनिवास राव
निदेशक (तकनीकी) एवं अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10652125

एन. नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या ए19015)

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 मई 2026

बीडीएल में उल्लेखनीय दौरे एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम



रक्षा उत्पादन सचिव, रक्षा मंत्रालय, श्री संजीव कुमार 31-05-2025 को बीडीएल का दौरा करते हुए।



माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ 05.06.2025 को बीडीएल के भानुर यूनिट के दौरे के दौरान एएसआरएएएम एफएआईटी सुविधा का उद्घाटन करते हुए।



माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ 07-06-2025 को बीडीएल के कंचनबाग यूनिट का दौरा करते हुए।



माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ 07-06-2025 को बीडीएल के कंचनबाग यूनिट का दौरा करते हुए।



माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ 07-06-2025 को बीडीएल के कंचनबाग यूनिट में पौधारोपण करते हुए।



नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, पीवीएसएम, एवीएसएम 20.06.2025 को सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत बीडीएल और भारतीय नौसेना की संयुक्त पहल 'संतुष्टि' का उद्घाटन करते हुए।



नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, एवीएसएम, वीएसएम 14-07-2025 को बीडीएल का दौरा करते हुए।



25.08.2025 को बीडीएल के कंचनबाग यूनिट में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन करते हुए।



डीजी ईएमई एवं कोर ऑफ ईएमई के कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कुमार साहनी, एवीएसएम, वीएसएम, पीएचडी 31-10-2025 को बीडीएल का दौरा करते हुए।



07.11.2025 को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के समारोह का आयोजन।



ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी 19-12-2025 को बीडीएल का दौरा करते हुए।



ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी 19-12-2025 को बीडीएल का दौरा करते हुए।



वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, एसवाईएसएम, एवीएसएम, वीएम 22-12-2025 को बीडीएल का दौरा करते हुए।



वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, एसवाईएसएम, एवीएसएम, वीएम 22-12-2025 को बीडीएल का दौरा करते हुए।



अपर सचिव एवं महानिदेशक (अधिग्रहण), रक्षा मंत्रालय, श्री ए. अनबरासु 05.01.2026 को बीडीएल का दौरा करते हुए।



अपर सचिव एवं महानिदेशक (अधिग्रहण), रक्षा मंत्रालय, श्री ए. अनबरासु 05.01.2026 को बीडीएल का दौरा करते हुए।



डॉ. (श्रीमती) चंद्रिका कौशिक, विशिष्ट वैज्ञानिक एवं महानिदेशक (पीसी एवं एसआई), डीआरडीओ 08.04.2026 को बीडीएल का दौरा करते हुए।



डॉ. (श्रीमती) चंद्रिका कौशिक, विशिष्ट वैज्ञानिक एवं महानिदेशक (पीसी एवं एसआई), डीआरडीओ 08.04.2026 को बीडीएल का दौरा करते हुए।



भारत डायनामिक्स लिमिटेड
BHARAT DYNAMICS LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)
सीआईएन संख्या: L24292TG1970GOI001353
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट संख्या 38-39, टीएसएफसी बिल्डिंग,
आईसीआईसीआई टावर्स के निकट, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गाचीबोवली, हैदराबाद – 500032, तेलंगाना, भारत।
ई-मेल: investors@bdl-india.in वेबसाइट: bdl-india.in